अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Monday, 13th March, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 13 मार्च, 1989/22 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
25	नीचे से 6	प्रश्न संख्या "252" के स्थान पर "255" पढ़िये ।
55	6	"जी, हां।" से पहले "(क)" अंतःस्थापित करिये ।
62	नीचे से 3	प्रश्न संख्या "2275" के स्थान पर "2276" पढ़िये ।
74	14	"(क) और (घ)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये ।
74	नीचे से 4	"स्थान्तरण" के स्थान पर "स्थानान्तरण" पढ़िये ।
88	1	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
116	16	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
139	11	"अनुसूचित जातियों" से पहले "(क)" अंतःस्थापित करिये ।
141	6	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये ।
160	3	"वल्लभ" के स्थान पर "वल्लल" पढ़िये ।
172	14	शीर्षक में "समिति रिपोर्ट" के स्थान पर "समिति की रिपोर्ट" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 47, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 14, सोमवार, 13 मार्च, 1989/22 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 245, 246, 249, 250, 252, 253 और 261	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—220
तारांकित प्रश्न संख्या : 247, 248, 251, 254 से 260 और 262 से 264	23—43
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2247 से 2274, 2276 से 2334, 2336 से 2420 और 2422 से 2459	44—220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	220—225
राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गृह ऋण लेखा योजना शुरू किए जाने के बारे में वक्तव्य	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	225—226
नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र के पहले यूनिट के चालू हो जाने के बारे में वक्तव्य	
श्री के० आर० नारायणन	227
आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1989—पुरःस्थापित	227
आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 के बारे में वक्तव्य	
श्री ए० के० पांजा	227—228
नियम 377 के अधीन मामले	228—231
(एक) पूर्णिया में पेयजल की गम्भीर कमी दूर किए जाने के लिए योजनाएं शुरू किए जाने हेतु बिहार सरकार को निर्देश और वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्रीमती माधुरी सिंह	228

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

(दो) उड़ीसा को फरक्का और छुका पनबिजली परियोजना से अधिक बिजली की आपूर्ति किए जाने की मांग

श्री चिन्तामणि जेना 228

(तीन) बड़ोदरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमन्त्री सहायता कोष से वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ 229

(चार) बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश में सभी प्रकार की सड़कों का सुधार किए जाने की मांग

श्री कादम्बुर जनार्दनन 229

(पांच) केन्द्र से धनराशि के आवंटन के मामले में जम्मू और कश्मीर राज्य को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश के बराबर लाए जाने की मांग

प्रो० सैफुद्दीन सोज 230

(छः) विमानों की समय पर और नियमित उड़ान सुनिश्चित किए जाने तथा विमान यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 230

सामान्य बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा 231—293

श्री सी० माधव रेड्डी 231
श्री वाई० एस० महाजन 250
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 256
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ 259
श्री मुही राम सैकिया 261
श्री पी० ए० एन्टनी 263
श्री शंकर लाल 266
श्री शांताराम नायक 269
श्री राम समुझावन 273
श्री उत्तमभाई ह० पटेल 275
श्री राम सिंह यादव 277
श्री बापूलाल मालवीय 281
श्री मोहम्मद अयूब खां 284
चौधरी सुन्दर सिंह 290
श्री मानकूराम सोढी 291

लोक सभा

सोमवार, 13 मार्च, 1989/22 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एयर इण्डिया को केरल से होने वाली आय

[अनुवाद]

*245. **श्री तम्पन थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया की त्रिवेन्द्रम से कितनी उड़ानें हैं; और

(ख) एयर इण्डिया को गत एक वर्ष के दौरान केरल राज्य में टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एयर इण्डिया इस समय त्रिवेन्द्रम और गल्फ के बीच प्रति सप्ताह 11 उड़ानें प्रचलित करती है। इसके अतिरिक्त, त्रिवेन्द्रम-बम्बई सैक्टर पर प्रति सप्ताह दो उड़ानें प्रचलित की जाती हैं और बम्बई से आगे ये उड़ानें अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करती हैं।

(ख) जनवरी से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि में केरल के खाते में जमा राजस्व 2107.40 लाख रुपये है।

श्री तम्पन थामस : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर से कुछ तथ्य सामने आये हैं। केरल से प्राप्त होने वाली आय लगभग 2100 लाख रुपये है जबकि केवल 11 उड़ानें हैं। त्रिवेन्द्रम से 11 उड़ानें हैं। एयर इण्डिया की उड़ानें त्रिवेन्द्रम को छोड़कर राज्य में दूसरी जगह कहीं भी नहीं उतरती हैं। केरल के यात्री बार-बार यह शिकायत करते हैं कि उनके लिए पर्याप्त उड़ाने नहीं हैं और उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। उनकी यह दशा है और यह बात हाल ही में समाचारपत्रों में भी छपी थी। मैंने यह प्रश्न मुख्य रूप से सरकार के ध्यान में यह बात लाने के लिए पूछा है कि विमान सेवायें कम हैं और आय अन्य केन्द्रों के अनुपात में कहीं ज्यादा है। 11 उड़ानों से इतनी आय हो सकती है। यह स्वाभाविक है कि एयर इण्डिया अतिरिक्त उड़ानें और अतिरिक्त सुविधायें प्रदान कर हवाई सेवा के विकास के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह विशेषरूप से पूछना

चाहता हूं कि क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विकास करने सम्बन्धी अथवा केरल में कहीं भी केरल के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानों के लिए कोई प्रस्ताव है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, यह एयर इण्डिया द्वारा अर्जित राजस्व है। यह लाभ नहीं है। त्रिवेन्द्रम 1985-86 में यात्रियों की संख्या 8,86,780 थी, 1986-87 में यह 8,10,581 थी और 1987-88 में 8,06,187 थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यात्रियों की संख्या घट रही है। परन्तु यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या ध्यान में रखते हुए यदि त्रिवेन्द्रम से अन्य स्थानों के लिए अधिक सुविधायें प्रदान करना आवश्यक हुआ तो इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा। परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि यात्रियों की संख्या घट रही है।

श्री तम्पन थामस : इससे दूसरी बात यह निकलती है कि अधिकांश केरलवासियों को अब बम्बई या दिल्ली से यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि उड़ानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इन उड़ानों को कोचीन से उड़ान करने वाली इंडियन एयरलाइन्स से सम्बद्ध किया जा सकता है। बम्बई के लिए प्रतिदिन पांच उड़ानें मुख्य रूप से खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को ही पूरा करती हैं। हम जैसे जन प्रतिनिधि, जो केरल से आते हैं, जानते हैं कि हमारे लिए भी बम्बई के लिए इण्डियन एयरलाइन्स में जगह प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। चूंकि हमें वरीयता प्राप्त है इसलिए हम यात्रा कर सकते हैं। परन्तु अन्य यात्री, देश में साधारण यात्री कठिनाई महसूस कर रहे हैं क्योंकि यह पूर्णतया खाड़ी देशों के लिए बुक होती है। स्वाभाविक है कि आपके विभाग को उन टिकटों को वरीयता देनी पड़ती है जो विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं और जो उपलब्ध हैं। इसलिए बम्बई से कोचीन तक प्रतिदिन खाड़ी देशों के लिए पांच उड़ानें हैं। इसका यही एकमात्र रास्ता है कि केरल के हवाई अड्डों से सीधी उड़ानें हमें और बाहर जाने वाले केरल के यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए केरल से सीधा सम्पर्क हो। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस विषय में अधिकतम संख्या में श्रमिकों को विदेश भेजकर केरल अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। मैं यह निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्रीय हित पर ध्यान दीजिए और देखिए कि केरलवासियों को प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए उचित प्रबन्ध किया जाए। अब यात्रियों की संख्या घट रही है।

फिर, प्रोत्साहन वाला पहलू भी है। प्रोत्साहन कार्य के रूप में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अन्य केन्द्रों से आने-जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए क्या और उड़ानें प्रदान की जायेंगी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि त्रिवेन्द्रम से खाड़ी देशों के लिए 11 उड़ानें हैं और दो उड़ानें बम्बई से होकर खाड़ी देशों को जाती हैं। प्रथम प्रश्न के जवाब में मैं कह चुका हूं कि एयरलाइन्स, जिन्हें निश्चित रूप से व्यवसाय से लाभ अर्जित करना होता है, निर्णय लेते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगी। मांग को देखते हुए इन पर ध्यान देना होगा। परन्तु मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दूंगा क्योंकि यह उचित नहीं होगा।

श्री सुरेश कुरुप : हाल ही में, मेरे माननीय साथी, श्री वक्कम पुरुषोत्तमन की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने एयर इण्डिया के किराये वाले पहलू के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया था। यह बताया गया था कि एयर इंडिया अधिकांश मार्गों पर घाटे में चल रहा है और खाड़ी क्षेत्र में ही भारी लाभ कमा रहा है। केरल के कुछ सदस्यों ने इस सभा में बार-बार इस बात की शिकायत की है कि खाड़ी क्षेत्र के लिए एयर इंडिया बहुत अधिक किराया ले रहा है। हर बार सम्बन्धित

मंत्री यह कहते हुए टाल जाते हैं कि ये किराये आई० ए० टी० ए० ने तय किए हैं। फिर इस पहलू के बारे में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आई० ए० टी० ए० द्वारा तय किए गए किराये में 15 प्रतिशत कमोबेशी की छूट है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की इस विशेष सिफारिश पर विचार करते हुए तथा केरल के लोगों की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए क्या आप खाड़ी क्षेत्र के लिए किरायों को कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : एक बात जो अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए यह है कि एयर इण्डिया सार्वजनिक क्षेत्र का एक स्वायत्त उपक्रम है और उससे व्यावसायिक आधार पर कार्य करने की आशा की जाती है। साथ ही, इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखा गया है। अब समिति को यह सूचित किया गया था कि इस मामले पर दोनों पक्षों को ध्यान में रखा गया है। अब समिति को यह सूचित किया गया था कि इस मामले पर दोनों पक्षों को ध्यान देना होगा। अन्य देशों को भी किराये ढांचे से सहमत होना चाहिए। अब एक पक्ष द्वारा ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते। आई० ए० टी० ए० द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए तथा साथ ही दोनों पक्षों द्वारा सहमति होनी चाहिए। इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री ने कहा है कि खाड़ी देशों से त्रिवेन्द्रम आने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले तीन साल में कमी आई है। परन्तु सच यह है कि खाड़ी देशों से केरल आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम कुछ केरलवासी जो त्रिवेन्द्रम जाते हैं वे खाड़ी-त्रिवेन्द्रम मार्ग से बचने की कोशिश करते हैं। वे बम्बई होकर आते हैं और मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग कोलम्बो होते हुए आ रहे हैं। बहुत से यात्रियों ने कोलम्बो और वहां से त्रिवेन्द्रम जाने के लिए विदेशी एयर-लाइन्स पकड़ना शुरू कर दिया है। माननीय मंत्री यह अवश्य जानते होंगे कि पैसे की दृष्टि से यह सस्ता पड़ता है।

मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बात का पता लगायें कि, जब खाड़ी देशों से केरल में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है, एयर इण्डिया से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी क्यों हुई है।

श्री कुरूप ने जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में मैं इस बात से सहमत हूं कि किराया आई० ए० टी० ए० द्वारा तय किया जाता है। इस बात का खूब प्रचार हो रहा है कि यूरोप क्षेत्र में जहां अमीर यात्री जाते हैं, किराया कम है और खाड़ी क्षेत्र में यात्री जो कि कुशल श्रमिक अथवा अकुशल श्रमिक होते हैं किराया अधिक है। मैं चाहता हूं कि वह इस प्रश्न की जांच करें और मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इस प्रश्न का जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहता। साथ ही एक वक्तव्य देकर, जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते अथवा जिससे कार्यान्वयन में कठिनाई पैदा हो, मैं एयर इंडिया को बाध्य नहीं करना चाहता हूं। हमारे पास इस समस्या का यह हल है। हम जानते हैं कि कई लोग त्रिवेन्द्रम से खाड़ी देशों में जा रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे पास यह लाभप्रद मार्ग है। हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। यह ध्यान में रखते हुए कि एयर इण्डिया को घाटा न हो तथा दीर्घ अवधि के उद्देश्य प्रभावित न हों और साथ ही यहां से अन्य देशों को जाने वाले लोगों की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आई० ए० टी० ए० द्वारा दी गई सिफारिशों तथा हमारे द्वारा किए गए दोनों देशों के समझौते के अनुरूप ही निर्णय लिए जायेंगे।

जिस भावना के साथ मैं यह कह रहा हूं कृपया उसे समझें। मैं एयर इंडिया को बाध्य नहीं कर हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कर दिया जाएगा और यह नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इन मामलों की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी और सही निर्णय लिए जायेंगे जो एयर इण्डिया और यात्रियों के लिए सहायक होंगे।

श्री सुरेश कुरुप : खाड़ी मार्ग के अतिरिक्त उन्हें सभी मार्गों से घाटा हो रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के लिए पट्टे पर विमान लेना

[हिन्दी]

*246. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया द्वारा किस-किस प्रकार के कितने विमान पट्टे पर लिए गए अथवा लेने का विचार है;

(ख) प्रत्येक विमान के लिए पट्टा प्रभार के रूप में कितनी अदायगी की जायेगी और उसमें से कितनी विदेशी मुद्रा में किये जाने का अनुमान है;

(ग) विमान सप्लायरों के नाम क्या हैं; और

(घ) विमानों के रख-रखाव, परिचालन तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में पट्टे की मुख्य शर्तें क्या हैं?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	विमान की किस्म (लीज पर लिए गए/लीज पर लिए जाने वाले	लीज पर विमान के सप्लाईकर्ता का नाम	विमान की संख्या (लीज पर लिए गए/लीज पर लिए जाने वाले)	प्रति विमान लीज की दर	विदेशी मुद्रा का अंश	रख-रखाव/परिचालन और कर्मचारियों के बारे में बोर्ड की शर्तें
1	2	3	4	5	6	7
(क)	इण्डियन एयरलाइन्स					
1.	एयरबस ए-300 बी 2	मैसर्स एयरबस इण्डस्ट्री, फ्रांस	2-लीज पर	250,000 अमरीकी डालर प्रति महीने	250,000 अमरीकी डालर प्रति विमान प्रति महीने	लीज पर लिए गए विमान का रख-रखाव इण्डियन एयरलाइन्स के इन्जीनियरों द्वारा किया जाएगा और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मीदल द्वारा परिचालित किया जाएगा।
2.	बोइंग-737	—वही—	5-लीज पर 1-लीज पर लेने का प्रस्ताव है	185,000 अमरीकी डालर प्रति महीने	185,000 अमरीकी डालर प्रति विमान प्रति महीने	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
3.	बी०ए०ई-146-100	मैसर्स ड्रक एयर भूटान	1-लीज पर	एच० एस० 35,00 प्रति उड़ान घण्टा (सभी सम्मिलित)	रुपए में भुगतान	ड्रक एयर इन्जीनियरों और परिचालन कर्मीदल द्वारा रख-रखाव और परिचालन।
4.	टी०यू-154	मैसर्स ऐरिना अफ़गान अफगानिस्तान	1-लीज पर	9% की अन्तर-लाइन कमीशन के समायोजन के बाद इण्डियन एयर-लाइन्स सप्लाईकर्ता से 7% राजस्व प्राप्त करेगा।	विदेशी मुद्रा का खर्च शामिल नहीं है। इण्डियन एयरलाइन्स विदेशी मुद्रा में कमीशन प्राप्त करेगा।	ऐरिना अफगान इन्जीनियरों और परिचालन कर्मीदल द्वारा रख-रखाव तथा परिचालन किया जाता है।
5.	आई० एल०-62 एम	मैसर्स एरोफ्लोट यू० एस० एस० आर०	1-लीज पर लिए जाने का प्रस्ताव है।	70,000 रुपए प्रति उड़ान घण्टा की वेट लीज पर (सभी सम्मिलित)	रुपए में भुगतान	ऐरोफ्लोट के इन्जीनियरों और कर्मीदल द्वारा रख-रखाव तथा परिचालन किया जाना है।
6.	टी० यू०-154	मैसर्स एरोफ्लोट यू० एस० एस० आर०	1-लीज पर लिए जाने का प्रस्ताव है।	80,000 रुपए प्रति उड़ान घण्टा की वेट लीज पर (सभी सम्मिलित)	रुपए में भुगतान	—वही—

जोड़ : 9-लीज पर (दुर्घटना में नष्ट हुए एक एयरबस सहित)
3-लीज पर लिए जाने का प्रस्ताव है।

1	2	3	4	5	6	7
(ख) एयर इण्डिया						
1.	बोइंग-747-2 200 (माल वाहक)	मैसर्स एवरग्रीन इन्टरनेशनल एयरलाइन्स यू० एस० ए०	1	5444 अमरीकी डालर प्रति घण्टा	5444 अमरीकी डालर प्रति घण्टा	मैसर्स एवरग्रीन, इन्टरनेशनल एयरलाइन्स, यू० एस० ए० द्वारा रख-रखाव और परिचालन किया जाता है।
2.	आई० एल०-62 एम०	मैसर्स ऐरोफ्लोट यू० एस० एस० आर०	1	3000 रूबल प्रति घण्टा	रुपए में भुगतान	मैसर्स ऐरोफ्लोट, यू० एस० एस० आर० द्वारा रख-रखाव और परिचालन किया जाता है। ऐरोफ्लोट 5 कर्मीदल और एयर इण्डिया 3 कर्मीदल की व्यवस्था करेगा।
3.	आई० एल०-76 (कार्गो)	मैसर्स ऐरोफ्लोट यू० एस० एस० आर०	1	परिचालित मोर्ग पर निर्भर करते हुए 2.94 लाख रुपए से 3.60 लाख रुपए प्रति उड़ान	रुपए में भुगतान	मैसर्स ऐरोफ्लोट, यू० एस० एस० आर० द्वारा रख-रखाव और परिचालन किया जाता है।
		जोड़ :	3			

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले महीनों में इण्डियन एयरलाइन्स को एयरक्राफ्ट्स की काफी कमी हुई थी और इधर प्रयास करके माननीय मंत्री जी ने लीज पर बहुत से एयरक्राफ्ट्स प्राप्त करने की कोशिश की है। सब से बड़ी कठिनाई यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में शायद इनको फाइनेन्स मिनिस्ट्री और प्लानिंग मिनिस्ट्री से हवाई जहाज खरीदने के लिए एडीशनल रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं लेकिन कठिनाई यह है कि जो अभी लीज पर एयरक्राफ्ट्स लिए हैं और लीज पर लेने जा रहे हैं, हमारे जो इण्डियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नजर में इण्डिया में यहां की कंडीशन्स में हवाई जहाज चलाने के लिए कुछ मोडीफिकेशन्स की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि उन मोडीफिकेशन्स को करने के लिए, जो कम्पनियां हैं, वे लीज पर हवाई जहाज देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके कारण आप को लीज पर एयर-क्राफ्ट्स लेने में कठिनाई हो रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाजों की जरूरत तो है और इसीलिए हम यहां लीज पर हवाई जहाज लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो एक्सपर्ट्स कमेटी है, वह इस बात का ख्याल रखती है कि किस प्रकार के हवाई जहाज यहां पर ठीक ढंग से चल सकते हैं और ऐसे हवाई जहाज लिए जाने चाहिए जिन के यहां चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से या किसी और वजह से दिक्कत होती है, तो उसका वे ध्यान रखते हैं। और उसको ध्यान में रखकर ये हवाई जहाज सेलेक्ट किये जाते है। उसी के आधार पर किए जाते हैं और उसी के आधार पर किए जाएंगे। हम जो हवाई जहाज लेने जा रहे हैं वे यहां के वातावरण में चल सकते हैं, ऐसा बताने के बाद ही ये कदम उठाये गए हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, एक कठिनाई और हो रही है। जो हवाई जहाज हम लीज पर ले रहे हैं, हमारे देश के जो पायलट हैं, उनको उन्हें चलाने में दिक्कत हो रही है। आप जो हवाई जहाज ले रहे हैं क्या आप ऐसा भी समझौता कर रहे हैं कि उनको चलाने के लिए आप पायलट भी इम्पोर्ट करें ता आप इंडियन पायलट को ट्रैनिंग दे रहे हैं जिससे की वे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनका संचालन कर सकें ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन् हमने एक एयरबस ली थी, दूसरी एयरबस 86 में ली थी। उसका एक्सीडेंट हो गया है। हमने बोईंग 30 के ऊपर लिए हैं। इनके पश्चात् कुछ एयरक्राफ्ट कुछ कहने के बजाय मैं दो एयरक्राफ्ट कहूंगा, सोवियत यूनियन से लीज पर लेने की हमने कोशिश की है और वे एयरक्राफ्ट दूसरे पायलट चलायेंगे। बाकी जो सारे एयरक्राफ्ट हैं वे हमारे ही पायलट चलाएंगे। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं दूसरी कंट्रीज से हमें जितने टाईम में एयरक्राफ्ट चाहिएं, अगर उतने टाईम में वे एयरक्राफ्ट नहीं मिलें तो हमें क्या करना चाहिए यह हमारे सामने सवाल रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए जहां से भी हमें एयरक्राफ्ट मिलते हैं उनको ले कर के यहां की डिमांड पूरा करने की हमारी कोशिश रहती है।

[अनुवाद]

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, इसमें दिए गए आंकड़े देखकर आप मेरी बात से सहमत होंगे कि प्रतिमाह विदेशी मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यदि विमान

किराये पर लेना ही अन्तिम रास्ता है तो इस प्रकार की भावी योजना तैयार करने में क्यों देरी हो रही है जिसमें हम समय पर विमान खरीद सकते और इसके बारे में बहुत पहले सोचा होता ताकि वे समय पर पहुंच जाते और हमें विमानों के किराये पर खर्च नहीं करना पड़ता।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, यदि हमें विमान खरीदने हैं तो बहुत सी बातों की ओर ध्यान देना होगा : प्रोद्योगिकी की किस्म, इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध धनराशि और हमें स्वीकार्य समय अवधि में विमानों की उपलब्धता। यदि बातें इन मानदण्डों पर खरी नहीं उतरती हैं तब हमें देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोई उपाय ढूंढ़ना होता है।

एक तरीका यह ढूंढ़ा गया कि विमान अस्थाईतौर पर जैसे, एक साल या दो साल के लिए अन्तरिम मांग को पूरा करने तथा यहां स्थिति का सामना करने के लिए लिए जाएं। विश्व भर में अब यह विचार है कि कुछ मामलों में पट्टा प्रणाली लाभदायक है। अब हमने ये विमान अस्थाई मांग को पूरा करने के लिए पट्टे पर लिए हैं क्योंकि अन्य विकल्प सहज ही सम्भव नहीं थे। हमारे पास योजना है। परन्तु हमारे पास धनराशि भी होनी चाहिए। यदि हमारे पास योजना है और धनराशि उपलब्ध नहीं है तो स्थिति कठिन हो जाती है। जब हम विमान पट्टे पर लेते हैं तो हमें पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती और कभी-कभी विमान पट्टे पर लेना आसान होता है।

श्री० पी० कुलनवईवेलू : महोदय, इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डियन और वायुदूत सेवाओं के सम्बन्ध में, वे विमान पट्टे पर ले रहे हैं। उन्होंने फ्रांस की एयरबस इण्डस्ट्रीज के साथ 19 एयर-बसों की खरीद के लिए 1986 में समझौता भी कर लिया है। समझौते के अनुसार विमान देना इस महीने से शुरू हो जाना था। क्या उन्होंने अब तक भारत को एयरबस दे दी है?

इसके अतिरिक्त, 1986 में समझौता करते समय भी अमरीका के डालर का मूल्य कम था और अब वह बढ़ गया है। इण्डियन एयरलाइन्स को 69 करोड़ रुपये से भी अधिक हानि उठानी पड़ेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं?

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया रूस तथा अन्य देशों से विमानचालक भी बुलाना चाहते हैं। क्या आप केबिन कर्मचारियों को भी बदलने जा रहे हैं? हमारे यहां कई विमानचालक हैं। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छे पायलट हैं। जब हमारे पास इतने अधिक पायलट हैं तो आप रूस से पायलट क्यों मंगाते हैं? क्या आप भारत को निर्भर बना रहे हैं?…(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं यह जानना चाहता हूं कि 19 एयरबसों की सुपुर्दगी कब शुरू होगी? आपने एक बार फिर छः और एयरबसों का समझौता किया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम इस वर्ष जून माह में चार एयरबस प्राप्त कर रहे हैं और बाद में हम हर महीने एयरबसें प्राप्त करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष के भीतर जो प्रथम अप्रैल से शुरू होता है हम सभी 19 एयरबसें अपने फ्लीट में शामिल कर लेंगे। कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त की है कि हम बाहर से हवाई जहाज ले रहे हैं और उन्हें अन्य देशों से आए पायलटों द्वारा उड़ाने की अनुमति दे रहे हैं।

इस सम्मानीय सदन की सूचना के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1982 में हमने एक हवाई जहाज लिया था जिसे सोवियत पायलटों द्वारा उड़ाया जाता था। वर्ष 1986 में एक हवाई

जहाज सोवियत पायलट द्वारा उड़ाया जाता था। यातायात की क्षमता में आईकमी के कारण उत्पन्न हुई समस्या से निपटने के लिए हमने केवल दो हवाई जहाज लिए अर्थात् आई० एल०-96 और आई० एल०-64। हमारे पायलटों को उस समय सीमा के अन्दर प्रशिक्षित किया जाना सम्भव नहीं है जिसे हमने स्वीकार किया था। हम उनके पायलटों को उड़ान भरने की अनुमतिदे रहे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के ऊपर से विदेशी हवाई जहाज भी गुजरते हैं। इसलिए इस आधार पर कोई अनावश्यक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

***249. श्री बी० भूपति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री बी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन मेंबर जब कोई सवाल करते हैं तो जवाब आता है (ए) नो सर, (बी) क्वश्चन डज नाट अराइज हमारी बात का पूरा जवाब नहीं आता, अगर इसी सवाल को के० एस० राव जी पूछें तो उसका जवाब दूसरा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे सलाह कर लेते।

श्री बालकवि बैरागी : इनका कहना यह है कि आपकी बैलट मशीन में गड़बड़ है।

श्री बी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद में इण्टरनेशनल एयर पोर्ट स्थापित करने में सरकार को क्या दिक्कत है। आन्ध्रप्रदेश के 400 प्रतिनिधि, विधायक और जन प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देने आए थे, उनको पीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, इसकी भी हमको परवाह नहीं है, हमको मारो या पीटो, लेकिन इसकी स्थापना करने में क्या दिक्कत है, वह तो होनी चाहिए। इसके लिए तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे 4 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स को बाजू कर दिया जाए तो हैदराबाद का एयरपोर्ट सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एयरपोर्ट माना जाता है, इसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। इन्टरनेशनल फ्लाइट्स किसी एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए उस एयरपोर्ट का इण्टरनेशनल एयरपोर्ट होना जरूरी नहीं है। इण्टरनेशनल एयरपोर्ट न होने के बाद भी इण्टरनेशनल फ्लाइट्स वहां पर जा सकती हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हैदराबाद से भी इण्टरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। इसी तरह से त्रिची, वाराणसी, पटना और

गोआ से भी इण्टरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं, इसलिए आप बिला वजह इसको इशू बना रहे हैं। इण्टरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए वह वहां पर उपलब्ध कराई हुई है। हमारे पास 4 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और उनको हम अच्छी तरह से मेंटन करेंगे, अगर जरूरी हुआ तो दूसरी जगह भी देखेंगे लेकिन इण्टरनेशनल फ्लाइट्स के लिए सुविधाएं हैदराबाद में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं हम इस एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और बढ़ाने जा रहे हैं, उसकी वजह से सुविधाएं और बढ़ेंगी, कस्टम की वहां पर व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए इसमें नाराज होने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है।

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, वहां से अंडे, अंगूर आदि चीजों का बहुत एक्सपोर्ट होता है और बहुत सी लेबर तथा मुसलमान भी अधिक संख्या में गल्फ कंट्रीज जाते हैं। वहां से या तो बम्बई जाना पड़ता है या दिल्ली आना पड़ता है जिससे काफी दिक्कत होती है। क्या आप गल्फ कंट्रीज को और दो-तीन इण्टरनेशनल फ्लाइट एक्सटेंड करने के लिए कुछ कदम उठाने जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, वहां से एक तो इण्टरनेशनल फ्लाइट जद्दा के लिए जाती है। अभी आपने सुना कि दूसरे लोग बम्बई से जाना चाहते हैं और वहीं से आना चाहते हैं। जहां तक अण्डे और सब्जियां भेजने का सवाल है, अगर आपकी तरफ से यह बता दिया जाए कि इतनी क्वान्टीटी में बराबर साल भर भेजा जाएगा और किसी भी वक्त कम नहीं होगा तो उसके लिए विचार किया जा सकता है। अगर दो महीने के लिए कैपेसिटी न हो तो उस तरह से प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। आप यह बता दीजिए कि इतनी मात्रा में ले जा सकते हैं तो इन्तजाम किया जा सकता है, अगर नहीं बता सकते तो इन्तजाम करने में दिक्कत होती है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, सामान्यतः उत्तर अत्यधिक तकनीकी और अस्पष्टता लिए होते हैं। विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के कार्य करने के ढंग को ध्यान में रखते हुए, जो लोगों को धर्म, क्षेत्र या भाषा आदि के नाम पर भड़का रहे हैं······(व्यवधान)······इसकी अलग से व्याख्या की जाएगी। यदि यही उत्तर प्रैस में जाना हो तो—नहीं, महोदय, और प्रश्न ही नहीं उठता—इससे लोग यह समझेंगे कि मंत्री महोदय और भारत सरकार हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने से इन्कार कर रही है······(व्यवधान)। आन्ध्र प्रदेश में यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। इसके विपरीत प्रश्न और उत्तर में कुछ और ही बात कही गई है।

आन्ध्र प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमरीका में जाने वाले लोगों की संख्या, और हैदराबाद तथा इसके चारों ओर शाक-सब्जियों, माँस, अण्डे और अन्य वस्तुओं की अत्यधिक पैदावर को भी ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय हैदराबाद से विशेषकर न्यूयार्क तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने पर विचार करेंगे?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने इस प्रश्न का उत्तर इस ढंग से दिया था जिससे की सदन के सभी सदस्य सन्तुष्ट हो जाए। मैंने कहा था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है किन्तु इस हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं यह बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात जिसका मैंने

उल्लेख किया था वह यह है कि चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अलावा यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तीसरी बात मैंने यह कही थी कि किसी सदस्य द्वारा अधिक सुविधाओं की मांग करने से पहले ही हमने टर्मीनल भवन का विस्तार और वहां अधिक सुविधाएँ प्रदान किए जाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये सकारात्मक कदम हैं। हम सदस्यों और बाहरी लोगों से बिना मतलब की बात को मुद्दा न न बनाने का अनुरोध करते हैं।

जो अपेक्षित है वह किया जा रहा है और जो कुछ मैंने त्रिवेन्द्रम से सम्बन्धित पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था वही बात क्षमता में वृद्धि करने और उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अन्य हवाई अड्डों के बारे में भी कही जा सकती है।

जहां तक हैदराबाद से न्यूयार्क तक उड़ानों का सम्बन्ध है मैं हां या नहीं कहने और आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। यह आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यदि आवश्यकता है तो एयर इण्डिया निश्चित रूप से इसे पूरा करेगी। यदि ऐसा करना सम्भव और लाभप्रद है और सुविधाएँ प्रदान कराया जाना अपेक्षित हो तो उन्हें इस कार्य को करने में खुशी ही होगी। आपके सुझाव निश्चित रूप से ध्यान में रखे जा सकते हैं। कोई आश्वासन दिए बिना मैं यह कहूंगा कि जो भी सुविधाएँ वहां दी जानी आवश्यक है और एयर इण्डिया के लिए लाभप्रद हैं उन्हें पक्के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्ष 1989-90 के लिए बिहार की वार्षिक योजना

*250. श्री रामस्वरूप राम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की वार्षिक योजना के लिए गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में और इस वर्ष के दौरान आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) राज्य की वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या वार्षिक योजना में बाढ़ और दुर्भिक्ष, बिजली की कमी और बेरोजगारी की समस्याओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) बिहार की वार्षिक योजनाओं 1986-87 से 1988-89 के लिए परिव्यय तथा

व्यय इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	परिशोधित अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1986-87	1277.24	1281.21
1987-88	1400.00	1194.84
1988-89	1200.00	1200.00 (प्रत्याशित)

(ग) वार्षिक योजना 1989-90 में 1800 करोड़ रु० की है।

(घ) बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा विद्युत विकास एवं रोजगार सृजन के लिए वार्षिक योजना 1989-90 के लिए उपलब्ध संसाधनों में से प्राथमिकता आधार पर प्रावधान रखे गए हैं। आबंटन के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

बिहार की वार्षिक योजना 1989-90 के लिए राज्यवार परिव्ययों का विवरण

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	1989-90 परिव्यय (लाख रु०)	कुल परिव्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां	10638	5.91
2.	ग्रामीण विकास	15493	8.61
3.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	46212	25.67
4.	ऊर्जा	45295	25.16

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इसकी आबादी आठ करोड़ है। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व की वजह से देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या घटकर 37 प्रतिशत पहुंच गई है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 58 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय अनुपात से कहीं अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो हमने इस सालों में जो योजनायें बनाई उससे बिहार को फायदा नहीं हुआ या हम उन्हें क्रियान्वित ठीक तरह से नहीं कर सके। वहां के गरीब वर्ग को ऊपर उठाने के लिए योजना आयोग

ने 1800 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना बनाई है। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन को ध्यान में रखते हुए इसमें और बढ़ोतरी करने पर क्या आप विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : महोदय, जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या का सम्बन्ध है बिहार में यह संख्या 49.5 प्रतिशत है और राष्ट्रीय औसत 37 प्रतिशत है। यह सत्य है और मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बिहार पिछड़ा क्षेत्र है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सहायता के लिए जितनी धनराशि आबंटित की गई थी, उसका अधिकांश लक्ष्य पूरा हो गया है और जितनी धनराशि इसके लिए ली गई थी वह खर्च की जा चुकी है। इसीलिए भारत सरकार बिहार राज्य को और अधिक धन दे रही है। हर वर्ष आबंटन राशि में वृद्धि हो रही है।

जहां तक वर्ष 1988-89 के आबंटन का सम्बन्ध है इसका कुल आबंटन 1800 करोड़ रुपए है। योजना विनियोजन के दौरान यदि अधिक धन की आवश्यकता हुई जैसाकि यह कार्य राज्य सरकार के अधीन है और यदि वे अपने संसाधनों में वृद्धि कर सकते हों तो आबंटन राशि अधिक कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : बिहार में उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है और दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित रहा है। हम दो प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला प्रतिवर्ष करते हैं। इस साल भूकम्प से भी बिहार में हानि हुई। स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा था कि बिहार को हमेशा पानी और अग्नि से भय लगा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रवचन न करें।

ऐसे गाड़ी थोड़े ही चलती है। आप प्रवचन मत करिए, सीधे सवाल पूछिये।

श्री रामस्वरूप राम : मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं बल्कि सत्य बात बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो आप भूमिका बांध रहे हैं, वह डिबेट के वक्त कहने की है। यह डिबेट नहीं हो रही है।

श्री रामस्वरूप राम : मैं इसी प्रश्न से सम्बन्धित सप्लीमैंटरी पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपको जो प्रश्न पूछना है, वही पूछिए। यदि आप नहीं पूछेंगे तो मैं बन्द कर दूंगा।

श्री रामस्वरूप राम : मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जो रीजन दिये हैं, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार सरकार को जो राशि दी गयी है, वह बहुत ही नगण्य है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप यही पूछिये न कि राशि नगण्य है, आप क्या करना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप राम : यही बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी प्राकृतिक आपदाओं से मीट करने के लिये बिहार को स्पेशल फण्डस एलॉट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि विपत्ति के समय लोगों को राहत पहुंचायी जा सके।

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : महोदय, बिहार को बाढ़ और सूखे के लिए दी गई सहायता के सम्बन्ध में मेरे पास वर्ष 1985-86 से वर्ष 1988-89 तक के आंकड़े हैं। सामान्यतः राज्य सरकार हर वर्ष सहायता के लिए केन्द्र सरकार के पास आती है। वर्ष 1986-87 में केन्द्र सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को 23.875 करोड़ रुपए दिए थे। वर्ष 1988-89 में भूकम्प सहायता के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 16.875 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्र सरकार राज्यों को सूखे या प्राकृतिक आपदा के समय कोई सहायता नहीं देती है। वस्तुतः केन्द्रीय सहायता के लिए प्रावधान है जिससे नियमों के अनुसार राज्य सरकारों को धन दिया जाता है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, बिहार का निवासी होने के नाते मैं वास्तव में माननीय महोदय का इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन को तो स्वीकार किया है। किन्तु मुझे राज्य के लिए किए गए वार्षिक आबंटन में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दी क्योंकि मैंने यह देखा कि प्रति व्यक्ति आधार पर बड़े राज्यों में बिहार को दिया गया आबंटन शायद सबसे कम है। क्षेत्र और जनसंख्या के अतिरिक्त किसी राज्य का वार्षिक आबंटन निर्धारित करने के क्या मापदण्ड हैं? वार्षिक आबंटन तय करते समय क्या पिछड़ापन और पिछड़ेपन के विभिन्न तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है? क्या वर्ष 1988-89 और वर्ष 1989-90 के लिए बिहार के मामले में इन बातों का ध्यान रखा गया है?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : यह सच है कि बिहार में प्रति व्यक्ति परिव्यय आपेक्षाकृत कम है क्योंकि जहां राज्य के प्रयासों और संसाधनों को भी ध्यान में रखा गया है वहां प्रति व्यक्ति परिव्यय को कुल परिव्यय में शामिल कर लिया गया है। किन्तु राज्य को दी गई प्रति व्यक्ति सहायता औसत भारतीय राज्यों को दी गई सहायता से अधिक है। छठी योजना में, जब सम्पूर्ण भारत को दी गई प्रति व्यक्ति सहायता 236 रुपए थी जबकि बिहार के लिए यह सहायता 255 रुपए थी। सातवीं योजना में भी जब भारत की प्रति व्यक्ति सहायता 389 रुपए थी बिहार के लिए यह राशि 406 रुपए थी। इसलिए योजना आयोग और भारत सरकार यह प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को अधिक से अधिक सहायता दी जाए क्योंकि यह बहुत ही गरीब और पिछड़ा राज्य है। किन्तु फिर भी अन्ततोगत्वा यह राज्य सरकार के प्रयास पर भी निर्भर करता है। जहां तक राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने का सम्बन्ध है गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को गाडगिल फार्मूले के अधीन रखा गया है जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। किन्तु इसके पिछड़ेपन और बाढ़, वाटर लॉगिंग आदि जैसी विशिष्ट समस्याओं के कारण बिहार को कुछ अतिरिक्त विशेष सहायता भी दी जाती है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मुझे खेद है। यह वास्तव में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने मापदण्डों के बारे में पूछा था।

20-सूत्री कार्यक्रम को फिर से तैयार करना

+

***252 श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :
श्री बी० तुलसीराम :

क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए इसको फिर से तैयार करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है, जैसाकि 11 फरवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) बीस सूत्री कार्यक्रम को पूर्ण रूप से फिर तैयार करने का इस समय कोई आम प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार की यह नीति है कि हमारे समग्र विकास प्रयासों में रोजगार सृजन कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए। "जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना" के नाम से 1989-90 के बजट प्रस्तावों में रोजगार कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : स्पीकर सर, 10 फरवरी को लखनऊ में एक कांग्रेस रैली में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि—

[अनुवाद]

"कुछ माह के बाद गरीबी बेरोजगारी दूर करने और 20 सूत्री कार्यक्रम को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए इसे फिर से तैयार करने का कार्यक्रम······"

[हिन्दी]

तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर ने कहा है।

[अनुवाद]

"20 सूत्री कार्यक्रम को फिर से तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है"। और साथ ही आपने जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना का उल्लेख किया। क्या यह 20 सूत्री कार्यक्रम का भाग होगा या यह कोई पृथक कार्यक्रम होगा ?

[हिन्दी]

और उसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह 20 सूत्री कार्यक्रम तीन साल पहले बना, उस समय हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है इसको हल करने क्या हमने कोई लक्ष्य तय किया था, यदि हां, तो उसमें से कितना हमने अचीव किया है और हम उसमें कितने नाकामयाब रहे हैं और क्या इस बात का आपने इवैल्यूएशन किया है, यदि किया है तो उसका क्या परिणाम निकला है, यदि नहीं तो क्या करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : ऐसा नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य में इसी समय यह स्पष्ट कर दिया है

कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना भी गरीबी निवारण कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की भांति ही इस श्रेणी में आता है। क्योंकि यह रोजगार कार्यक्रम है अतः यह 20 सूत्री कार्यक्रम का भी हिस्सा है। इसीलिए मैंने कहा कि हम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं और जो कुछ प्रधानमन्त्री जी ने कहा है वह बिलकुल ठीक है। बजट भाषण में माननीय वित्त मन्त्री ने आर० एल० ई० जी० पी० और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के विलयन के बारे में ठीक ही कहा था। यह भी एक प्रकार से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मजबूत करने का एक कार्यक्रम है। अतः यह तो सुधार है। इसी के साथ जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना भी एक प्रकार का ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। यह तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आर० एल० ई० जी० पी० के अतिरिक्त है। चालू वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस कार्यक्रम के लिए 120 जिले चुने जाने हैं। ब्यौरेवार कार्यक्रमों को तय किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है कि इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करने का क्या कोई इवैल्यूएशन किया गया है और यदि हां, तो हमने उस लक्ष्य को क्यों प्राप्त किया है या उसमें हम नाकामयाब रहे हैं, इस बात का कोई इवैल्यूएशन किया गया है, यदि नहीं किया है, तो क्या अब करने जा रहे हैं ? वालण्टरी आर्गेनाइजेशन हो या सरकारी आर्गेनाइजेशन हो, मैं तो इवैन्यूएशन की बात पूछ रहा हूं। इसके बाद मैं अपना दूसरी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछूंगा।

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है। मन्त्रालय अथवा सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति तथा कार्यान्वियन पर नजर रखी जाती है। मूल्यांकन की भी व्यवस्था है। कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर प्रतिमाह निगरानी नहीं की जा सकती। ऐसी मदें भी हैं जिनकी निगरानी मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

जहां तक मण्डल रिपोर्ट का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त सन्तोषजनक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना ग्रामीण विकास रोजगार तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए धन का निर्धारण किया गया है। मेरे विचार में व्यय तथा गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार किया जाना बाकी है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : स्पीकर सर, पहली सप्लीमेंट्री का उन्होंने जवाब नहीं दिया था इसलिए मैंने क्लेरिफिकेशन लिया है। गांव में हालत यह है कि बेरोजगारी बहुत है, लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता है और लोगों की हालत खराब है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया। अब जिद करने से फायदा नहीं है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरा और अपना समय बरबाद मत कीजिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की आप समीक्षा करें या न करें, लेकिन इसमें एक प्वाइन्ट वितरण व्यवस्था का है और उसके अन्तर्गत आप खुद महसूस करते होंगे, आप गुजरात के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं, आपको पता होगा कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां न तो को-अपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से और न व्यक्ति के माध्यम से चीजें पहुंच पाती हैं तो उन अंशों में हमारे डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की चीजें उपभोक्ताओं तक पहुंचें और हमारा कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए माननीय मन्त्री जी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : माननीय सदस्य वाकिफ हैं कि मिनिस्ट्री आफ प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन मौनिट्रिंग का काम करती है, फिर भी बहुत से मन्त्रालय हैं जो अलग-अलग प्रोग्राम अपने डिपार्टमैंट में बनाते हैं। जहां तक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का सवाल है, उसमें इवैल्यूएशन के बाद पता चला है कि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और इसका लाभ जो दूर के पिछड़े हुए इलाकों में मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। तो इस सिस्टम को चेंज तो करना पड़ेगा और नया एलीमैंट भी दाखिल करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : गुजरात में कैसा चल रहा है ?

श्री माधव सिंह सोलंकी : गुजरात में तो अच्छा चलता है, लेकिन यहां सारे देश का सवाल है, सब जगह यह सिस्टम अच्छी तरह से चले, इसके लिए नई विचारणा चल रही है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस बीस सूत्री कार्यक्रम को गरीबी हटाने, गरीबों के पिछड़ेपन के कारणों की जाँच करने तथा समाज के अधिक निर्धन वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सुगम बनाने हेतु शुरू किया गया था। मन्त्री महोदय का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के नाम से एक नई योजना बनाई गई है। किन्तु यह नई नहीं है। क्या यह जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम से अलग हैं ?

श्री माधव सिंह सोलंकी : यद्यपि योजना पहले से ही थी, फिर भी उसे एक नए जोश के साथ शुरू किया जा रहा है। जैसा कि वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है, वे रोजगार उत्पन्न करने वाले सभी कार्यक्रमों पर विशेष बल देने का प्रस्ताव रखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना को मिलाकर एक ही कार्यक्रम बनाने तथा इसके कार्यान्वयन को विकेन्द्रीकृत करने की योजना है। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाएगा तथा इसका 75 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में निर्धनता तथा बेरोजगारी बहुतायत में हैं और वर्तमान रोजगार कार्यक्रम उस आवश्यकता के लिए कम पड़ते हैं। इसलिए

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना में ऐसे प्रत्येक बेरोजगार परिवार का ध्यान रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा; यह इसपर विशेष बल के तौर पर किया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस समय मैं जवाहरलाल नेहरू रोजगार गारण्टी योजना के गुणों की बात नहीं करना चाहता। सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम लगभग 100 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत किसी जिले को पिछड़ा हुआ निश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि पिछड़े हुए जिले कौन से हैं? क्या योजना आयोग ने ऐसे कोई जिले निश्चित किए हैं; यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय सदन को उनकी जानकारी देंगे?

श्री माधव सिंह सोलंकी : जिलों का निर्धारण राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकारों को ज्ञात है कि कौन से क्षेत्र हैं जहां निर्धनता है और पिछड़ापन है तथा भारत सरकार के पास भी जानकारी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब उन्होंने कहा है कि 'पिछड़े हुए जिले' तो इसका कोई मानदण्ड भी तो होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे पहले योजना की घोषणा करके बाद में जिलों का पता नहीं लगा सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप मानदण्ड के बारे में प्रश्न कीजिए और मैं उसका उत्तर दिलवाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे इसके लिए तैयार हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह दूसरा अनुपूरक प्रश्न है जिसका उत्तर देना उन्होंने स्वीकार किया है। आपने इसकी अनुमति दे दी है। इसलिए इसे स्पष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। **(व्यवधान)**

महोदय, वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

श्री माधव सिंह सोलंकी : ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। वित्त मन्त्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 120 जिले जो पिछड़े हुए हैं तथा जहां बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है, अंगीकृत किए जाएंगे। यह स्थिति है। राज्य सरकारों के परामर्श से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन में अवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति

*253. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 1987 में आयोजित परीक्षा के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के नाम दिल्ली प्रशासन को भेज दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सूची में से अब तक कितने उम्मीदवार नियुक्त किए जा चुके हैं;

(ग) शेष उम्मीदवार कब तक नियुक्त किए जाएंगे;

(घ) क्या इस सूची के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों को भी नियुक्त किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 800 नियुक्ति प्रस्ताव पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाला समय, उन उम्मीदवारों के वास्तविक रूप में कार्यभार संभालने पर निर्भर करेगा जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(घ) जी हां, श्रीमन् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० चन्द्रशेखर वर्मा : कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों कि नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : हमने दिल्ली प्रशासन के विभिन्न संगठनों के माध्यम से सभी 800 उम्मीदवारों को पत्र भेज दिए हैं। उनमें से कुछ ने थोड़ा समय मांगा है, कुछ मामलों में अभी डाक्टरी जांच होना बाकी है। मार्च 1989 में पुनरीक्षा की जाएगी तथा निर्णय लिया जाएगा। नियुक्ति पत्र देने में कोई विलम्ब नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सभी 800 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेज दिए हैं।

डा० चन्द्र शेखर वर्मा : क्या डाक्टरी जांच तथा पुलिस द्वारा जांच की रिपोर्ट के बीच कोई समय सीमा होती है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : कोई समय सीमा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, मार्च में हम स्थिति की पुनरीक्षा करेंगे और फिर इस सम्बन्ध में अगला निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यपू रेड्डी । अनुपस्थित ।

श्री प्रकाश चन्द्र—अनुपस्थित ।

श्री शरद दिघे—अनुपस्थित ।

श्री टी० बशीर—अनुपस्थित ।

श्री हुसैन दलवाई—अनुपस्थित ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अनुपस्थित ।

डा० ए० के पटेल—अनुपस्थित ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे अभी तक हमारे सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया उन्हें त्यागपत्र न देने की सलाह दें क्योंकि वे वहां हार जाएंगे यदि यहां की सदस्यता खो देंगे (व्यवधान) महोदय, मेरे मित्र का कहना है कि एक जवाहरलाल नेहरू शताब्दी दौड़ दिल्ली से पटना तक होनी चाहिए तथा दूसरी पटना से दिल्ली तक।

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर—अनुपस्थित। श्री उत्तम राठौड़, प्रश्न संख्या 261।

इन्सैट कार्यक्रम

***261. श्री उत्तम राठौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सैट उपग्रह शृंखला परियोजना के अन्तर्गत क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं और कौन से कार्यक्रम कार्यान्वियाधीन हैं;

(ख) चालू योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन्सैट-1 डी० के कब तक तैयार हो जाने और छोड़े जाने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में लोक सभा के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) इन्सैट-1 शृंखला में चार उपग्रह हैं। इन्सैट-1 ए० को 1982 में छोड़ा गया था और यह कक्षा में असफल हो गया। इन्सैट-1बी०, जिसे अगस्त, 1983 में छोड़ा गया था, अच्छी तरह कार्य कर रहा है और दूरसंचार, प्रसारण तथा मौसमविज्ञानीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन्सैट-1 सी० को जुलाई, 1988 में छोड़ा गया था और यह पावर-बस में आई खराबी के कारण आंशिक रूप में कार्य कर रहा है। इन्सैट-1 डी० को मई, 1989 में छोड़ा जाएगा। इन्सैट-1 शृंखला के उपग्रहों को विदेश से प्राप्त किया गया है। इन्सैट-II शृंखला के उपग्रहों का स्वदेशी रूप में निर्माण किया जा रहा है। ये उपग्रह इन्सैट-I उपग्रहों का स्थान लेंगे। इन्सैट-II जांच उपग्रहों में से प्रथम को 1990 के अन्त में तथा दूसरे को, इसके एक वर्ष बाद छोड़ा जाएगा। जांच उपग्रहों का निर्माण अग्रिम चरण में है। उपग्रहों की इन्सैट-II प्रचालनात्मक शृंखला के 1993 के बाद से छोड़े जाने की योजना बनाई गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आबंटित निधि निम्न प्रकार है :

—इन्सैट-I शृंखला के उपग्रहों के लिए 271 करोड़ रुपए; और

—इन्सैट-II जांच उपग्रह परियोजना के लिए 323 करोड़ रुपए।

(ग) इन्सैट-I डी० को मई, 1989 में छोड़े जाने की आशा है।

श्री उत्तम राठौड़ : वक्तव्य में बताया गया है कि इन्सैट-I डी० को 1989 में छोड़ा जाना है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस उपग्रह को छोड़े जाने से हमें, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों को, क्या लाभ होगा ? (व्यवधान)

श्री के० आर० नारायणन : उपग्रह इन्सैट-1 डी० छोड़े जाने से, इन्सैट-1 बी० तथा इन्सैट-1सी० द्वारा पहले से प्रदान की जा रही दूरसंचार, मौसम विज्ञान, दूरदर्शन तथा अन्य सेवाओं में वृद्धि होगी। हम अपनी दूरदर्शन व्यवस्था, टेलीफोन प्रणाली, टेलीग्राफ प्रणाली तथा मौसम विज्ञान से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने की क्षमता को बढ़ा सकेंगे।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं जानना चाहता हूं कि इन्सैट-2 को कब छोड़ा जाएगा तथा इस पर कितना व्यय होगा।

श्री के० आर० नारायणन : इन्सैट-2 शृंखला जो कि पहली टेस्ट शृंखला है, को मई 1990 के अन्त तक छोड़ा जाएगा। व्यय का पूरा-पूरा अनुमान नहीं लगाया गया है किन्तु इन्सैट-दो शृंखला, ए० तथा बी० जो कि पहले दो टेस्ट उपग्रह हैं, उन्हें छोड़ने का व्यय तथा बीमा और 160.7 करोड़ रुपए लांच सेवाओं के अलावा 243 करोड़ रुपए होगा।

श्री उत्तम राठौड़ : क्या हमारे पास लांचिंग सुविधाएं हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : इन्सैट-दो शृंखला के लिए हमारे पास अभी तक लांचिंग सुविधाएं नहीं हैं। जब जी० एस० एल० वी० लांच व्हीकल विकसित हो जाएगा तो हम स्वयं ही उपग्रह छोड़ सकेंगे।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय, जहां तक हमें जानकारी है, इन्सैट-1सी० पूरी तरह प्रचालन में नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्सैट-1 सी० के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है और क्या यह पूरी तरह परिचालित हो गया है अथवा नहीं। इस तथ्य को देखते हुए कि यह पूरी तरह कार्य नहीं कर रहा, क्या मन्त्री महोदय मुझे और सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन्सैट-1 डी० के बारे में है समुचित सावधानियां बरती गई हैं ताकि यह पूरी तरह कार्यशील हो, क्योंकि इन्सैट-1बी० की अवधि समाप्त हो रही है ?

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इन्सैट-1 सी० अपनी कार्य-क्षमता का 50 प्रतिशत कार्य कर रहा है, अर्थात दो एस बैंड ट्रांसपोंडरों में से एक तथा बारह सी०-बैंड ट्रांसपोंडरों में से छह कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार यह अपनी क्षमता की 50 प्रतिशत सेवा प्रदान कर रहा है।

जहां तक इन्सैट-1डी० का सम्बन्ध है इसे डेल्टा द्वारा 'नासा' से छोड़ा जाना है और हम आशा करते हैं कि यह अन्तरिक्ष में चला जाएगा क्योंकि यह माने हुए लांचिंग सर्विस सैन्टरों में से एक है। जब तक कोई दुर्घटना ही न हो जाए, जिसकी हमें आशा नहीं है, यह इन्सैट-1बी० की भांति अच्छा कार्य करेगा। हमें इसकी आशा है।

श्री राम सिंह यादव : महोदय, क्या यह सच है कि सोवियत संघ की सरकार ने भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की पेशकश की है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० आर० नारायणन : सोवियत संघ ने हमारी उपग्रह सेवाओं के लिए सहायता की पेशकश नहीं की है। हमारा सोवियत संघ के साथ विभिन्न मामलों में सहयोग है परन्तु उपग्रहों का निर्माण करने तथा उन्हें छोड़ने के मामले में नहीं। हम उपग्रह छोड़ने के लिए सोवियत संघ की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमने भारतीय रिमोट सैंसिंग उपग्रह सोवियत संघ से छोड़ा है, किन्तु वे हमारे लिए कुछ बना नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० सी० पी० ठाकुर............अनुपस्थित।

श्री हरीश रावत..................अनुपस्थित।

श्री डी० बी० पाटिल.............अनुपस्थित।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों के छापे

[हिन्दी]

*247. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान पायें गये निषिद्ध सामान और अन्य आस्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने दिल्ली प्रशासन के 15 कर्मचारियों के रिहायशी/कार्यालय परिसरों की तलाशी ली। इन कर्मचारियों पर ये आरोप लगाए थे कि इन्होंने अपनी आमदनी के ज्ञात स्त्रोतों की तुलना में अधिक सम्पत्ति अर्जित की, अवैध परितुष्टि स्वीकार की तथा सरकारी पद का दुरुपयोग किया।

(ग) तलाशी के दौरान कोई निषिद्ध सामान नहीं पाया गया। तथापि, 74 लाख रुपए की चल/अचल सम्पत्ति का पता लगा।

(घ) 15 मामलों में से 9 मामलों को निपटा दिया गया है और शेष मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक निपटाए गए 9 मामलों में से 7 मामलों में सम्बन्धित कानूनों/नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों के विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाई की गयी है और दो मामलों को बन्द कर दिया गया क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके।

कम्प्यूटरों के स्वदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

*248. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ बड़े विदेशी कम्प्यूटर निर्माताओं को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेशी कम्प्यूटर निर्माण उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार का कम्प्यूटरों के स्वदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) विगत वर्षों में भारतीय कम्प्यूटर विनिर्माता उद्योग से विदेशी सहयोग तथा/अथवा संयुक्त उद्यम के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया था और प्रत्येक मामले पर गुण-दोषों के विवेचन के आधार पर उन्हें अनुमति प्रदान की गई थी । इनमें से अधिकांश मामलों में विदेशी सहयोग में भी ग्राफिक कार्य स्टेशन, सुपरमिनी तथा मेनफ्रेम जैसी उच्च अन्त्य प्रणालियां भी शामिल हैं। एक दूसरे के व्यापार पर इससे कितना पारस्परिक प्रभाव पड़ेगा यह उनकी उत्पादन में कुशलता, बिक्री उपरान्त सेवा आदि जैसी बातों पर निर्भर करेगा । इस समय विदेशी कम्प्यूटर फर्मों से संयुक्त उद्यम के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) कम्प्यूटर नीति 1984 की घोषणा के बाद सरकार कम्प्यूटरों के विनिर्माण के बारे में उदार नीति अपना रही है । इस नीति के अन्तर्गत नई प्रौद्योगिकियां खरीदने के लिए डिजाइन तथा ड्राइंग का आयात करने की अनुमति उदारतापूर्वक दी जाती है । सरकार वित्तीय तथा कर सम्बन्धी उपायों के माध्यम से स्वदेशी उद्योग को जहां भी आवश्यक हो आयात के मामले में भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान करती है ।

लाल किला

*251. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "आर्मी शुड वैकेट रेड फोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ ब्रिटेन के एक परिरक्षण विशेषज्ञ के विचार छापे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) लाल किले का एक भाग, जो सेना के पास है, को खाली करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसे लागू करने में दस से पन्द्रह वर्ष तक का समय लग जाएगा। खाली करने के कार्यक्रम के प्रथम दो चरण पूरे हो चुके हैं और खाली किया गया स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। शेष क्षेत्र, जो इस समय कुछ सेना यूनिटों के पास है, उन यूनिटों के वैकल्पिक आवास में चले जाने पर खाली कर दिया जाएगा।

बम्बई में सहार हवाई अड्डे पर आग लगना

*254. **श्री प्रकाश चन्द्र** :
श्री शरद दिघे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी, 1989 को बम्बई में सहार हवाई अड्डे पर भयंकर आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं;

(ग) आग लगने के कारण जन-धन की अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आग लगने के कारणों और इससे सम्बन्धित अन्य पहलुओं की छानबीन करने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक जांच समिति गठित की है। जांच चल रही है। आग लगने के कारण कोई जन-हानि नहीं हुई है।

कट्टर आतंकवादी

*252. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1988 तथा जनवरी, 1989 के महीनों में कितने "कट्टर" आतंकवादी मुकाबले में मारे गए अथवा गिरफ्तार किए गए; और

(ख) अनुमानतः कितने "कट्टर" आतंकवादी अभी भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) अक्तूबर, 1988 से जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान पंजाब में मुठभेड़ों में या अन्यथा 22 कट्टर आतंकवादी मारे गए और 4 गिरफ्तार किए गए। माह-वार

ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

माह	कट्टर आतंकवादियों की संख्या	
	मारे गए	गिरफ्तार किए गए
अक्तूबर, 1988	2	2
नवम्बर, 1988	10	1
दिसम्बर, 1988	5	1
जनवरी, 1989	5	—

इसके अतिरिक्त अक्तूबर, 1988 में संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में 5 कट्टर आतंकवादी गिरफ्तार किए गए।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, लगभग 193 कट्टर आतंकवादी अभी भी फरार हैं। इसके अतिरिक्त, 2 कट्टर आतंकवादी भी अभी फरार हैं, जिनकी चण्डीगढ़ पुलिस को तलाश है।

जिला स्तर की योजनाएं

*256. श्री टी० बशीर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने जिला स्तर पर योजनाएं आरम्भ करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या निदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं;

(ख) राज्यों ने इस बारे में अब तक क्या प्रगति की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर क्या अनुमान लगाया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) आयोजना प्रक्रिया को जिला तथा निचले स्तरों पर फैलने में सक्षम बनाने के विचार से योजना आयोग राज्य सरकारों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत मई, 1984 में जारी किए गए थे। इसके बाद आयोजन के विकेन्द्रीकरण की प्रगति की समीक्षा करने तथा कार्यान्वयन की गति त्वरित करने के और उपाय सुझाने के लिए सितम्बर, 1982 में योजना आयोग द्वारा श्री हनुमन्त राव की अध्यक्षता में गठित किए गए जिला आयोजना सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिश जारी की गई। तत्पश्चात्, राज्य सरकारों से जिला स्तर पर आयोजन प्रक्रिया मजबूत करने के कदम उठाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों ने इसके जवाब में अपने आयोजन तन्त्र (राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर) को मजबूत किया, आयोजना में स्थानीय शुरूआत सुलभ कराने के लिए "अनटाइड फण्डों" के प्रावधान तथा जिला स्तरीय योजनाएं तैयार की

हैं। प्रगति असंतुलित है किन्तु विभिन्न राज्यों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए तन्त्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास जारी है।

महाराष्ट्र में पर्यटन केन्द्रों का विकास

*257. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के संयुक्त सहयोग से कार्यान्वित की जायेंगी;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के बीच पूंजी निवेश की पारस्परिक व्यवस्था क्या होगी; और

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ऐसे केन्द्रों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेगा अथवा ऐसे केन्द्रों का प्रबन्ध महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप देगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की सातवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र के पर्यटक केन्द्रों का विकास करने हेतु कोई स्कीम शामिल नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक स्कीम है।

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा फरवरी 1989 में जारी एक टेन्डर सूचना के उत्तर में, भारत पर्यटन विकास निगम ने नागपुर में एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम से सम्पर्क कि है बशर्ते कि उपादेयता रिपोर्ट संतोषजनक हो और संसाधन उपलब्ध हों। भारत पर्यटन विकास निगम ने यह प्रस्ताव किया है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहयोग की मानक शर्तों के आधार पर परियोजना स्थापित जी जाए। ये शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं। यह मामला महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन है।

विवरण

संयुक्त उद्यम स्कीम सम्बन्धी नोट

भारत पर्यटन विकास निगम ने लगभग समान इक्विटी भागीदारी के साथ प्रत्येक राज्य में एक नई कम्पनी बनाकर संयुक्त उद्यम पर्यटन परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक स्कीम तैयार की है। ये कम्पनियां ऋण सहायता के लिए केन्द्र और राज्य के वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कर सकती हैं। प्राप्त किए जाने वाले मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

—केन्द्र और राज्यों के बजट संसाधनों पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना;

—पर्यटन के लाभों का व्यापक विस्तार करना;

—स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन और नए क्षेत्र खोलना;

—प्रयासों में पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ट तालमेल स्थापित करना; और

—भारत पर्यटन विकास निगम की सुविज्ञता का प्रसार करना।

इस स्कीम के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले होटलों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, प्रबन्ध और विपणन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परस्पर सहमत मानक वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

सहयोग का पैटर्न

राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए सहयोग के निम्नलिखित पैटर्न की परिकल्पना की गई है :—

1. भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगम क्रमशः 51 : 49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक नई कम्पनी की स्थापना करेंगे।

2. भारत पर्यटन विकास निगम प्रवर्तक होगा और राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगम सह-प्रवर्तक होंगे।

3. कम्पनी का इक्विटी ऋण अनुपात सामान्यतः 1:1.5 के अनुपात में होगा।

4. कम्पनी के निदेशक मण्डल में प्रवर्तक और सह-प्रवर्तक द्वारा नामित सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होगी।

5. कम्पनी का अध्यक्ष प्रवर्तक द्वारा नामित व्यक्ति होगा।

6. कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक सह-प्रवर्तक द्वारा नामित व्यक्ति होगा।

7. जब तक प्रवर्तक के पास इक्विटी शेयर्स होंगे, होटल का प्रबन्ध प्रवर्तक के पास रहेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सेवाएं

(क) निर्माण के दौरान

होटल निर्माण की अवधि के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के आधार पर होटल की आयोजना, डिजाईनिंग, निर्माण, साज सामान एवं सजावट में तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा और वह वास्तुकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की सेवाओं में तालमेल भी स्थापित करेगा। इन सेवाओं की लागत की पूर्ति करने के लिए प्रस्तावित कम्पनी द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम को देय फीस इस प्रकार होगी :—

(क) भूमि की लागत को छोड़कर परियोजना लागत का $2\frac{1}{2}\%$ जमा;

(ख) स्थल स्थापना पर लगने वाली लागत; और

(ग) यात्रा, भोजन तथा आवास लागत और स्थानीय परिवहन व्यय जिसमें केवल परियोजना के लिए हवाई यात्राओं पर किया गया खर्च शामिल है।

परियोजना के लिए वास्तुकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की फीस अलग से होगी तथा प्रस्तावित कम्पनी इसे वहन करेगी।

(ख) परिचालन के दौरान

जब तक भारत पर्यटन विकास निगम के पास प्रस्तावित कम्पनी में इक्विटी शेयर रहेगा तब तक भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उक्त होटल का प्रबन्ध किया जाएगा। भारत पर्यटन विकास द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर होने वाले व्यय तथा प्रोत्साहन फीस के सम्बन्ध में, प्रस्तावित कम्पनी द्वारा होटल के परिचालन की तारीख से भारत पर्यटन विकास को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाएगा :—

(क) दिशा-निर्देश और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य कार्यालय व्यय की पूर्ति करने हेतु प्रति वर्ष 25,000/- रुपए की एक-मुश्त राशि;

(ख) समूह विज्ञापन, विपणन, संवर्धन और जन संपर्क मुहैया कराने के लिए खर्चे की पूर्ति हेतु एक वित्तीय वर्ष में सकल परिचालन आय (कारोबार) का 3%।

(ग) तीसरे से पांचवें वर्ष के दौरान प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के रूप में ब्याज के बाद परन्तु मूल्यह्रास से पूर्व सकल परिचालन लाभ का 8% और छठे वर्ष से 10%।

(घ) परियोजना के कारोबार के सम्बन्ध में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सभी यात्रा, टेलीफोन और अन्य सभी खर्चे।

"इन्सडॉक" में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

*258. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालय रोस्टर के अनुसार "इन्सडॉक" (इण्डियन नेशनल साइन्टिफिक एण्ड डाकयूमेंटेशन सेन्टर) सहित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के खाली पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पदों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं तथा वे कब से खाली पड़े हैं और इन्हें अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) पांच प्रयोगशालाओं/संस्थानों यथा 1. राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, 2. भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, 3. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, 4. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाल, जोरहाट, 5. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान पिलानी से सूचना प्राप्त होनी बाकी है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) संलग्न विवरण (कॉलम 9-12) में दर्शाये गये रिक्त पद गत 4-5 वर्ष से रिक्त पड़े हैं। ऐसा अंशतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र प्रत्याशियों की अनुपलब्धता और अंशतः पदों के भरने पर लगी रोक के कारण हैं।

विवरण

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम	कुल संख्या		कुल संख्या में से अनुसूचित जाति की संख्या		कुल संख्या में से अनुसूचित जनजाति की संख्या		अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या		अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या		टिप्पणी
		अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, (सी० एस० एम० सी० आर० आई०) भावनगर	131	269	4	42	—	4	2	5	1	5	
2.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोग-शाला, (आर० आर० एल०) हैदराबाद	316	888	19	181	1	22	2	4	1	3	
3.	जैव रसायन केन्द्र, (सी० एफ़० बी०) दिल्ली	36	77	2	19	—	1	1	4	2	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, (एन० ई० ई० आर० आई०) नाग[illegible]	160	428	8	88	4	17	—	4	—	4	
5.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, (एन० आई० ओ०) गोआ	255	373	8	32	—	4	—	1	—	3	
6.	केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, (सी० आई० एम० ए० पी०) लखनऊ	118	289	1	32	—	2	1	4	1	1	
7.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, (आर० आर० एल०) भुवनेश्वर	138	186	2	38	1	22	1	6	1	7	
8.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, (सी० एफ० टी० आर० आई०) मैसूर	300	579	8	99	1	7	9	9	—	4	
9.	संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, (एस० ई० आर० सी०) मद्रास	86	160	5	36	—	2	4	1	3	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, (सी० एल० आर० आई०) मद्रास	184	464	16	112	—	8	3	—	2	2	
11.	केन्द्रीय कांच और सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, (सी० जी० सी० आर० आई०) कलकत्ता	171	619	8	119	—	10	4	17	2	16	
12.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, (सी० बी० आर० आई०) रुड़की	218	351	5	91	—	—	3	4	1	2	
13.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, (सी० बी० आर० आई०) में सम्मिलित संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस० ई० आर० सी० केन्द्र)	19	72	—	24	—	1	—	—	—	—	
14.	प्रकाशन और सूचना निदेशालय, (पी० आई० डी०) नई दिल्ली	111	104	5	33	—	7	1	1	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् काम्प्लेक्स, (सी० एस० आई० आर० काम्प्लेक्स) पालमपुर	13	46	—	9	—	—	2	5	1	5	
16.	भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखपोषण केन्द्र, (आई० एन० एस० डी० ओ० सी०) नई दिल्ली	110	229	7	32	—	1	3	6	2	5	
17.	केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान, (सी० ई० सी० आर० आई०) कारैकुडी	221	487	24	101	1	3	—	15	1	9	
18.	राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, (एन० ए० एल०) बंगलूर	435	890	8	131	—	17	7	28	3	14	
19.	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, (सी० एफ० आर० आई०) धनबाद	438	681	10	93	2	29	1	10	2	6	
20.	केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, (सी० एम० ई० आर० आई०) दुर्गापुर	270	768	10	160	—	16	—	10	—	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, (एन० एम० एल०) जमशेदपुर	253	763	4	70	2	47	4	17	1	8	
22.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, (आर० आर० एल०) जम्मू	173	462	7	205	—	—	6	12	2	4	
23.	संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, (एस० ई० आर० सी०) गाजियाबाद	27	26	1	2	—	—	—	1	—	—	
24.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, (एन० बी० आर० आई०) लखनऊ	133	465	3	68	1	—	2	6	—	4	
25.	सूक्ष्मजैविक प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई० एम० टी०) चण्डीगढ़	27	68	—	15	2	—	—	5	—	11	
26.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, (आर० आर० एल०) त्रिवेन्द्रम	83	144	3	20	—	4	6	—	2	4	
27.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, (सी० आर० आर० आई०) नई दिल्ली	137	390	10	92	2	7	2	3	1	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, (एन० आई० एस०-टी० ए० डी० एस०) नई दिल्ली	52	69	1	10	—	—	—	—	—	5	
29.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काम्प्लेक्स (सी० एस० आई० आर० काम्प्लेक्स) मद्रास	9	107	—	25	—	2	—	1	—	—	
30.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, (एन० पी० एल०) नई दिल्ली	419	893	18	145	2	2	—	7	—	7	
31.	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, (सी० डी० आर० आई०) लखनऊ	281	614	4	101	1	2	2	13	2	2	
32.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ़	230	508	7	91	—	—	1	6	1	1	
33.	कोशिकीय और अणुजीव-विज्ञान केन्द्र, (सी० सी० एम० बी०) हैदराबाद	56	207	1	27	—	5	7	8	4	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, (सी० एम० आर० एस०) धनबाद	207	295	4	34	1	12	—	3	—	1	
35.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, (आर० आर० एल०) भोपाल	22	68	1	8	—	7	2	3	2	3	
36.	औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, (आई० टी० आर० सी०) लखनऊ	122	202	11	38	2	4	6	9	3	5	
37.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, (एन० सी० एल०) पुणे	385	582	8	115	—	8	4	9	2	12	
38.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) मुख्यालय नई दिल्ली	225	568	7	113	1	8	—	9	—	14	

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा धनराशि का उपयोग न करना

[अनुवाद]

*259. डा० ए० के० पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाएं और विमानों के उतरने की प्रणालियों के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 में नागर विमानन महानिदेशालय ने इसे आबंटित पर्याप्त धनराशि उपयोग न करने के कारण वापस की थी और चालू वित्तीय वर्ष में भी काफी राशि वापस किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और कितनी धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में भी उपयोग नहीं किए जाने की सम्भावना है तथा इसे विमान पत्तनों के विकास तथा विमानों के उतरने की सुविधाएं आदि के लिए प्रयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया।

(ख) और (ग) वर्ष 1987-88 के दौरान, महानिदेशक, नागर विमानन के पास 2.32 करोड़ रुपए की राशि बची जिसका उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 1988-89 के दौरान यह अप्रयुक्त राशि 45 लाख रुपए रहने की सम्भावना है। अंतर्देशीय हवाई अड्डों का विकास, राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का कार्य है, जो संसद के अधिनियम के अधीन एक सांविधिक निकाय है। अत: महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा हवाई अड्डों के विकास पर निधियां खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन हवाई अड्डों के नाम जहां रात्रि अवतरण सुविधाएं नहीं हैं और जहां पर्याप्त उपस्कर· अवतरण प्रणाली की सुविधाएं नहीं हैं, क्रमश: अनुबन्ध-1 और अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं।

अनुबन्ध-1

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन रात्रि अवतरण सुविधाओं रहित हवाई अड्डों के नाम

1. अकोला	8. मोहनबाड़ी
2. कूच बिहार	9. पासीघाट
3. दीमापुर	10. रायपुर
4. जबलपुर	11. शोलापुर
5. कांडला	12. वारंगल
6. कमालपुर	13. औरंगाबाद
7. कोल्हापुर	14. कुड्डापा

15. गया
16. झारसुगुड़ा
17. कैशोद
18. कोटा
19. लीलाबाड़ी
20. मैसूर
21. पोरबन्दर
22. राजामुन्दरी
23. तिरूपति
24. देहरादून
25. इम्फाल
26. केलाशहर
27. कूल्लु
28. लुधियाना
29. पन्तनगर
30. शिलांग
31. विजयवाड़ा
32. शिमला
33. अगत्ती
34. बलूरघाट
35. बेहाला
36. बिलासपुर
37. बम्बई, जुहू
38. चाकोलिया
39. दिसा
40. दोनाकोण्डा
41. हसन
42. हुबली
43. झांसी
44. जोगबानी
45. कानपुर
46. खण्डवा
47. खोवई
48. ललितपुर
49. मालदा
50. नादिरपुर
51. पानागढ़
52. पन्ना
53. रक्शोल
54. रूपसी
55. सतना
56. शेला
57. तंजौर
58. तुरियल (एजवाल)
59. वलोर
60. मुजफ्फरपुर

अनुबन्ध-2

नागर विमानपत्तनों के नामों की सूची जहां (10-3-1989 की स्थिति के अनुसार (उपकरण अवतरण प्रणाली उपलब्ध नहीं है)

1. अगत्ती (लक्षद्वीप)
2. औरंगाबाद
3. अकोला

4. भुज (भारतीय वायुसेना को स्थानांतरण किया जा रहा है ।
5. बेलगाम
6. भावनगर
7. बल्लूरघाट
8. बिलासपुर
9. बेहाला
10. कूच-बिहार
11. कुडप्पाह्
12. चाकूलिया
13. कोयम्बटूर
14. देहरादून
15. दिल्ली (सफदरजंग)
16. दीमापुर
17. दोनाकोन्डा
18. गया
19. हसन
20. हुबली
21. जबलपुर
22. झारसूगुडा
23. जूहु
24. जोगवानी
25. झांसी
26. कांडला
27. कंशोड़ (जूनागढ़)
28. कैलाशहर
29. कमालपुर
30. खंडवा
31. कोवाई
32. कोटा

33. कुल्लू (भूंतर)
34. कोल्हापुर
35. लीलावाड़ी (उत्तरी लखीमपुर)
36. लुधियाना
37. ललितपुर
38. मालदा
39. मदुरै (भारतीय वायुसेना को स्थानांतरण किया जा रहा है)
40. मुजफ्फरपुर
41. मैसूर
42. पानागढ़ (भारती वायुसेना को स्थानांतरण किया जा रहा है)
43. पंतनगर
44. पासीघाट
45. पोरबंदर
46. पालनपुर (दीसा)
47. पन्ना
48. रायपुर
49. राजकोट
50. राजामुंदरी
51. रूपसी
52. रक्सूल
53. शिलांग (बारापानी)
54. शिमला
55. शैला
56. सतना
57. शोलापुर
58. तिरूपति
59. तंजावूर (भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय को स्थानांतरण किया जा रहा है)
60. तूरैल (एजवाल)
61. वैलूर

62. विजयवाड़ा

63. वारंगल

64. त्रिचि

65. मंगलौर

66. रांची

67. इंदौर

68. बड़ोदरा

69. खुजराहो

70. कालीकट

71. भुवनेश्वर

72. उदयपुर

73. नदिरगुल

परमाणु विद्युत संयंत्रों का विरोध करने वाले व्यक्तियों के साथ बंगलौर में वार्ता

*260. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने परमाणु विद्युत संयंत्रों का विरोध करने वाले व्यक्तियों के साथ हाल ही में बंगलौर में बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार का परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में खुली नीति अपनाने का विचार है ताकि जनता को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने परमाणु विद्युत परियोजनाओं पर, विशेषत: कैगा परियोजना के सम्बन्ध में, 10-11 दिसम्बर, 1988 को बंगलौर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक वर्ग के साथ इस कार्यशाला में भाग लिया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग खुली नीति अपनाता है ताकि जनता को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। यह विभाग लोगों में परमाणु बिजली के सुरक्षा और पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोजनों से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में बताने के लिए विभिन्न प्रमुख नगरों में सम्मेलन आयोजित करता रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन

*262. डा० सी० पी० ठाकुर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या "तउली" जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इससे अधिक जानकारी को जनहित में नहीं बताया जा सकता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना

[हिन्दी]

*263. श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने विशेषकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कालेज, पोलिटेकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु अधिक राशि आवंटित किए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की मांग स्वीकार कर ली गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र उप योजना 1989-90 से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर अभी विचार किया जाना है, और उनको अन्तिम रूप दिया जाना है।

पंजाब की जेलों में नजरबन्द लोग

[अनुवाद]

*264. श्री डी० बी० पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की जेलों में छः महीने, एक वर्ष तथा दो वर्ष और उससे अधिक की अवधि से नजरबंद आतंकवादियों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे दायर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पंजाब सरकार द्वारा 3 मार्च, 1989 को प्रस्तुत की गई सूचना इस प्रकार है :

(i) छः महीने से अधिक समय से हिरासत में रखे गए उग्रवादियों की संख्या	697
(ii) एक वर्ष या इससे अधिक समय से हिरासत में रखे गए उग्रवादियों की संख्या	268
(iii) दो वर्ष या इससे अधिक समय से हिरासत में रखे गए उग्रवादियों की संख्या	25

(ख) और (ग) अभियुक्तों के विरुद्ध मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

बम्बई और कलकत्ता हवाई अड्डे से सम्बन्धित कार्यों हेतु ठेका देना

2247. प्रो० मधु दण्डवते : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-सहार तरण-एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर "टैक्सी ट्रैक" और लिंक्स के सम्बन्धी करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य का ठेका एक निजी फर्म को दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या फर्म ने निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य किया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई थी;

(घ) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसी फर्म को एक और ठेका दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। तथापि, निर्माण कार्य की लागत 99.87 लाख रुपए थी।

(ख) और (ग) चूंकि निर्माण कार्य में कुछ कमियां ध्यान में आई थी, इसलिए फर्म को 29-12-88 से 3 वर्षों की अवधि के लिए बाहर निकालने की कार्रवाई की गयी थी।

(घ) और (ङ) चूंकि निष्काषित करने का मूल आर्डर 3 वर्षों के लिए था, इसलिए 3 वर्षों के बाद फर्म का टेंडर भरने की अनुमति थी और इसलिए अधिकतम प्रतियोगी बोली के आधार पर उसे धावनपथ के पुनः सतह लेपन और टैक्सी पथ निर्माण का कार्य सौंपा गया था।

कोडनारमें बन्दरगाहों का निर्माण

2248. श्री मोहनभाई पटेल :
श्री अमरसिंह राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण कीटनाशी दवाइयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने कलकत्ता के एक गैर-सरकारी उद्योग समूह के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग समूह का नाम क्या है और किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते के अन्तर्गत उत्पादित की जाने वाली कीटनाशी दवाइयों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी का नाम मैसर्स वर्धन लिमिटेड है । तीनों लाइसेंस गैर-एकाधिकार आधार पर दिए गए हैं । मोनोक्रोटोफॉस और डी० डी० वी० पी० के लाइसेंस की अवधि 5 साल है जबकि फॉस्फेमिडॉन की अवधि 7 साल है ।

(ग) करार के अन्तर्गत उत्पादन किए जाने वाले नाशकमार इस प्रकार है :—

1. मोनोप्रोटोफॉस

2. डी० डी० वी० पी०

3. फॉसफेमिडॉन

इन नाशकमारों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

लाइसेंसकृत नाशकमानों के अनुप्रयोग

1. **मोनोक्रोटोफॉस** : यह आर्गेनोफॉस-फोरस समूह से सम्बन्धित है और नाशकजीवों के प्रबन्ध में गन्ना, तम्बाकू जैसी फसलों पर महत्वपूर्ण कार्य करता है ।

2. **डाइक्लोरोमॉस (डी डी वी पी)** : खेती के लिए डिप्थिरिया और मच्छरों के विरुद्ध पारिवारिक और सार्वजनिक धूमक के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

3. **फॉसफेमिडॉन** : चावल, कपास, आलू, कोर्न, टमाटर, फूलगोभी, आदि में इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है ।

संयुक्त राज्य अमरीका से सुपर कम्प्यूटर की खरीद

2249. **श्री मुरलीधर माने** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राज्य अमरीका से एक और सुपर कम्प्यूटर खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां। बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा इन सुपर कम्प्यूटर का उपयोग वायुमंडलीय-विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव-इंजीनियरी आदि जैसे अग्रणी क्षेत्रों में किया जाएगा। ये सभी अनुप्रयोग राष्ट्रीय महत्व के हैं।

एयरलाइनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2250. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, वायुदूत सेवा, पवन हंस लिमिटेड, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कुल कितने कर्मचारी थे तथा श्रेणी-तीन श्रेणी-चार, श्रेणी-एक के निम्नतम स्तर के पदों तथा श्रेणी एक में निम्नतम स्तर के पदों से ऊपर वाले पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी थे;

(ख) सीधे भर्ती करने तथा पदोन्नति करने में उक्त वर्गीकरण के अनुसार गत तीन वर्षों में उक्त निगमों में वर्ष-वार कितने आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त किया गया; और

(ग) सरकार ने आरक्षित पदों को अनारक्षित न करने तथा विशेष रूप से रोस्टरों के रख-रखाव से सम्बन्धित आरक्षण आदेशों को उचित ढंग से कार्यान्वित करने, इन निगमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सेल बनाने तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने हेतु तंत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जासूसी गतिविधियों में संलग्न भूतपूर्व सैनिक

2251. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भूतपूर्व वरिष्ठ सैन्य कार्मिकों के जासूसी की गतिविधियों में शामिल पाये जाने को गम्भीरता से लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर वर्गीकृत सूचनाओं और गुप्त प्रलेखों की चोरी के बारे में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं तथा इनमें संलग्न अधिकारियों के नाम तथा पद के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन भूतपूर्व वरिष्ठ राजपत्रित सैनिक कार्मिकों के विरुद्ध चार मामले दर्ज किए गए हैं। जिन मामलों में वे ग्रस्त हैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा अवांछनीय सम्बन्ध रखने/गुप्त रूप से सम्बन्ध बनाए रखने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के प्रति सतर्कता को बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर उपाय करती रही है। वर्गीकृत दस्तावेजों की सुरक्षित हिरासत और प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

जासूसी के लिए शासकीय गुप्त अधिनियम के अधीन भूतपूर्व वरिष्ठ राजपत्रित सैनिक कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का विवरण

क्रम सं०	अभियुक्त व्यक्ति का नाम और पदनाम	आरोपों का संक्षिप्त ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1.	ब्रिगेडियर आर० एस० दियोल (सेवानिवृत्त)	सेना की गुप्त कार्यवाहियों की टिप्पणियों की प्रतियां प्राप्त कर अनाधिकृत व्यक्ति को पहुंचाई।	मामले पर मुकदमा चल रहा है।
2.	लैफ्टि० जनरल निर्मलपुरी (सेवानिवृत्त)	सेना मुख्यालय की फाईलों से वर्गीकृत सूचना लेकर एक भारतीय शस्त्र एजेंट को अनाधिकृत रूप से पहुंचाई।	मामले पर मुकदमा चल रहा है।
3.	कैप्टन (सेवानिवृत्त) बी० के० सुब्बाराव	वर्गीकृत संवेदनशील दस्तावेजों को अनाधिकृत रूप से पास रखने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।	मामलों पर मुकदमा चल रहा है।
4.	कैप्टन (सेवानिवृत्त) एस० के० कपूर	इन्होंने निषेध क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण सम्बन्धी रेखाचित्रों तथा माडल टैस्ट रिपोर्टों के प्रिन्ट्स की बड़ी मात्रा में प्रतियां बनवाई, जिनको प्रकट करने से राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना होती है।	मामले पर मुकदमा चल रहा है।

पक्षियों से उत्पन्न खतरे के कारण हानि

2252. श्री आर० एम० भोये :
श्री हरिहर सोरन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाईअड्डाधार पक्षियों से उत्पन्न खतरे के कारण कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पक्षियों से टकराने के कारण विमानों की मरम्मत पर किये गये खर्च का विवरण दिया गया है।

(ख) हवाई अड्डों पर विमानों को पक्षियों के खतरे से बचाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गये हैं जिसमें धावनपथ के आस-पास घास को काटना, कीटनाशकों का छिड़काव, कूड़ा-करकट को जलाने के लिए भस्मकों का उपयोग, हवाई अड्डों के भीतर और उसके आस-पास कूड़ा-करकट जमा करने पर रोक शामिल है। हवाई अड्डों के इर्द-गिर्द झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाना और चोरी छिपे पशु-वध तथा खुले स्थान पर मृत पशुओं की खाल उतारने पर रोक लगाने हेतु निगरानी रखना तथा हवाई अड्डे के चारों ओर 10 किलोमीटर की दूरी पर अनधिकृत रूप से मांस और मछलियों की दुकानों को हटाना जैसे उपाय भी किये जा रहे हैं।

विवरण

पक्षी से टकराने की घटनाओं के कारण विमानों को हुई क्षति के कारण मरम्मत पर खर्च की लागत (लाख रुपए में)

क्रम सं०	हवाई अड्डा	1986	1987	1988	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	53.64	205.38	296.04	555.06
2.	बम्बई	45.20	2.65	10.83	58.68
3.	कलकत्ता	0.22	0.89	0.93	2.04
4.	मद्रास	—	0.05	—	0.05
5.	आगरा	0.06	—	—	0.06
6.	बंगलूर	0.05	0.78	3.76	4.59
7.	कोयम्बटूर	—	—	0.31	0.31
8.	गुवाहाटी	0.56	—	—	0.56
9.	गोवा	—	—	0.50	0.50
10.	हैदराबाद	0.15	19.13	121.12	140.40

1	2	3	4	5	6
11.	जोधपुर	—	—	0.28	0.28
12.	कमलपुर	0.36	—	—	0.36
13.	लखनऊ	0.05	—	—	0.05
14.	मंगलौर	—	—	3.53	3.53
15.	पटना	0.78	—	0.10	0.88
16.	रायपुर	1.14	—	—	1.14
17.	श्रीनगर	0.45	0.06	2.66	3.17
18.	सिल्चर	—	—	0.02	0.02
19.	तिरूअनन्तपुरम	1.21	1.23	1.41	3.85
	योग :	103.87	230.17	441.49	775.53

उड़ीसा में समुद्र-तट के विकास के लिए विदेशी सहायता

2253. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने पर्यटन के विकास के लिए उड़ीसा के समुद्र-तट को विकसित करने के लिए सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने उन्हें मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, विशेषकर उड़ीसा में पर्यटन का विकास करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) पर्यटन आधार संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए उड़ीसा सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है । उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर

वित्तीय सहायता के लिए विचार पर्यटन विभाग द्वारा स्थान की संभाव्यता, विद्यमान आधार-संरचना, वर्तमान तथा भावी पर्यटक यातायात, परियोजना की उपादेयता, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(घ) इस विभाग की पर्यटन सम्बन्धित आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। यह विभाग निधियों का आबंटन राज्यवार न कराके स्कीमवार करता है।

वायुदूत की विस्तार योजना में कटौती

2254. श्री शान्ताराम नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायुदूत सेवाओं की विस्तार योजना को स्थगित करने अथवा इसमें कटौती करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रवीन्द्र सरोवर में नौकाओं का प्रावधान

2255. श्री विजय एन० पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रवीन्द्र सरोवर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नौकाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रदान करता है। विभाग को पश्चिम बंगाल सरकार से रवीन्द्र सरोवर में नौकाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त पहले प्रस्ताव के आधार पर विभाग ने मिरिक झील और रवीन्द्र सरोवर में जल क्रीड़ा हेतु फाइबर ग्लास पेडल बोट्स की खरीद के लिए 1.71 लाख रुपये की मंजूरी दी थी। सभी नौकायें राज्य सरकार द्वारा रवीन्द्र सरोवर में लगा दी गई हैं।

रांची में आर्मी अस्पताल क्षेत्र को निरन्तर विद्युत सप्लाई

2256. श्री कृष्ण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में सेना के अधिकारियों ने सैन्य क्षेत्रों, विशेषकर रांची स्थित आर्मी अस्पताल को विद्युत की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही है; और

(ख) इस क्षेत्र को नियमित सप्लाई कब तक सुनिश्चित की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) बिजली की मौजूदा सप्लाई के अतिरिक्त अस्पताल को निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई के लिए 11 किलोवाट की एक अलग ट्रांसमीशन लाइन और 125 किलोवाट एम्पीयर (के०वी० ए०) का जनित्र (जनरेटिंग) सेट उपलब्ध किया गया है ।

अन्य क्षेत्रों के लिए बिजली की सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में बिहार विद्युत बोर्ड ध्यान दे रहा है ।

दानापुर छावनी में सड़कों की मरम्मत

[हिन्दी]

2257. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दानापुर छावनी परिषद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लो कोल्ही रोड और गोवा बाजार रोड वर्ष 1987 की बाढ़ में बुरी तरह खराब हो गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इन सड़कों की मरम्मत कब तक कराई जाएगी और उस पर कितना खर्चा आएगा तथा इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान छावनी बोर्ड का किसी सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन बस स्टैंड-सड़क की मरम्मत की जा चुकी है ।

लो कोठी रोड और गोवा बाजार रोड नामक कोई सड़कें नहीं हैं । लेकिन 1987 में बाढ़ के कारण लाल कोठी रोड और गोरा बाजार रोड हल्की-सी खराब हो गई थीं और इनका उपयोग किया जा रहा है ।

छावनी बोर्ड अवश्य ही निधि की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण का भावी कार्यक्रम तैयार करेगा ।

सोवियत संघ द्वारा भारतीय विमानों की देख-रेख

[अनुवाद]

2258. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने वर्ष 1989 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की देख-रेख करने के लिये अपने चालक दल एवं विशेषज्ञ भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स, अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए ऐरोफ्लोट से एक आई एल-62 एम और एक टी० यू०-154 विमान वेटलीज पर ले रहा है। करार में इन विमानों के प्रचालन के लिए तकनीकी कार्मिकों सहित विमानों के अनुरक्षण की सहायता की व्यवस्था है। इन दो विमानों को छोड़कर, इण्डियन एयरलाइन्स के सभी विमानों का प्रचालन और अनुरक्षण उनके अपने कार्मिकों द्वारा किया जाता है।

(ग) रूसी कर्मीदल एयर इण्डिया द्वारा वेटलीज पर लिए गए विमान पहले से ही उड़ा रहा है। अतः इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा वेटलीज पर लिए गए विमानों पर रूसी कर्मीदल को लगाना कोई नई बात नहीं है।

भुगतान-संतुलन के बारे में योजना आयोग के विचार

2259. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश की भुगतान-संतुलन की स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा विकास एवं पूंजी-निर्माण को अवरुद्ध किए बिना इसकी सक्षमता को बनाए रखने के लिए लगातार और सुस्पष्ट प्रयास करने को कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रयासों एवं योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयारी के स्तर पर ही है।

(ख) जैसे ही आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा इसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

दिल्ली में कालगर्ल पेशा

[हिन्दी]

2260. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के होटलों में कालगर्लों का पेशा बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पेशे को रोकने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) होटलों की बार-बार जाँच की जाती है। होटलों के आस-पास प्रलोभन/स्त्रोतों को लगाया जाता है तथा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

करवाड़ (कर्नाटक) में तटीय सैरगाह और जल क्रीड़ा परिसर का विकास

[अनुवाद]

2261. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में करवाड़ में तृतीय सैरगाह और जल क्रीड़ा परिसर का विकास करने सम्बन्धी एक परियोजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यकाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि वहन करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने करवाड़ में 13.33 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक समुद्र-तट विहार स्थल का निर्माण करने हेतु इस परियोजना को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है बशर्ते कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध हो और विस्तृत योजनाएं तथा अनुमान प्रस्तुत किए जाएं।

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी केन्द्र

2262. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और मध्य प्रदेश के जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त उपक्रम के रूप में देश में एक प्रमुख इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा जन-जातीय समुदाय सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 'ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र' नामक एक संयुक्त अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की

स्थापना के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ एक प्रतिष्ठान-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

पर्यटन पर लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार देने की योजना

2263. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने पर्यटन सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार देने की एक योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय भाषाओं में पर्यटन सम्बन्धी पुस्तकें लिखने को बढ़ावा देने की योजना आरम्भ करने की भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती नियमों की समीक्षा

2264. **श्री राम समुझावन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार, वर्ष 1975 से भी पहले बनाये गये भर्ती नियमों की पांच वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों से सहमति प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 18-3-1988 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह निर्धारित किया गया है कि निचले तथा उच्चतर स्तर के पदों की संख्या में हुई वृद्धि अथवा कटौती तथा परिवर्तित स्थिति के अनुरूप यथावश्यक परिवर्तन करने के उद्देश्य से भर्ती नियमों की पांच वर्ष में एक बार पुनरीक्षा की जानी चाहिए। इन अनुदेशों के अनुसार भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना/उन्हें अद्यतन बनाना एक सतत प्रक्रिया है। उक्त पुनरीक्षण की प्रगति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाता है।

स्वयं रोजगार कार्यक्रम में सुधार

2265. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 20-सूत्री कार्यक्रम के लागू किये जाने के पश्चात् स्वयं रोजगार कार्यक्रम के लक्ष्यों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : जी, हां।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वयं रोजगार कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में, वर्ष 1982-83 से 1988-89 (जनवरी, 89 तक) के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्नलिखित है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(परिवारों की संख्या)
(हजार संख्या में इकाई)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1982-83	237	230
1983-84	178	223
1984-85	178	216
1985-86	301	180
1986-87	220	238
1987-88	277	283
1988-89 (अप्रैल, 88—जनवरी, 89)	181	185

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों की शिकायतें

2266. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा अधिकारियों ने पदोन्नति के अपर्याप्त अवसरों सहित अपनी शिकायतों के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और इन अधिकारियों को न्याय देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा अधिकारी संघ से भारतीय सांख्यिकीय सेवा में अतिरिक्त पदों के संवर्ग में सम्मिलित करने, पदों के ग्रेड बढ़ाने, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों का पैनल बनाने और सेवा में पुष्टि करने आदि जैसे मामलों पर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :—

(1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित करने के लिए पदों का पता लगाया गया है;

(2) कार्यात्मक आधार पर ग्रेड बढ़ाने के लिए पदों का पता लगाया गया; है और

(3) अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लम्बित पड़े मामले

2267. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :**
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य बैंच में मामलों को स्वीकार करने की दर उनके निपटारे की दर से अधिक है;

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य बैंच में वर्षवार लम्बित मामलों की संख्या क्या है और अन्य बैंचों में लम्बित पड़े मामलों की तुलना में इनकी संख्या अधिक हैं अथवा कम है; और

(ग) भारी संख्या में मामलों के लम्बित पड़े रहने से रोकने और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ तथा अन्य न्यायापीठों में लम्बित मामलों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के खाली पदों को भरकर तथा साथ ही नई न्यायपीठों की स्थापना करके केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास करती रही है।

विवरण

31-1-1989 की स्थिति के अनुसार वर्ष-वार तथा न्यायपीठ-वार लम्बित मामलों (विविध याचिकाओं को छोड़कर) की संख्या

क्रम सं०	न्यायपीठ का नाम	1971 तक	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	के०प्र०अ०									
1.	,, दिल्ली	—	—	1	—	1	2	3	5	4
2.	,, अहमदाबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3.	,, इलाहाबाद	1	—	1	—	4	6	4	40	79
4.	,, बंगलौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	,, न्यू बॉम्बे	1	1	1	—	—	—	1	6	11
6.	,, कलकत्ता	2	1	1	1	3	5	11	27	63
7.	,, चण्डीगढ़	—	—	—	—	1	1	1	4	3
8.	,, कटक	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9.	,, गुवाहाटी	—	—	—	—	—	—	—	4	1
10.	,, हैदराबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11.	,, जबलपुर	1	—	—	—	1	1	1	4	7
12.	,, जोधपुर	—	—	2	6	—	6	13	40	60
13.	,, मद्रास	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	,, पटना	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15.	,, एर्नाकुलम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :	5	2	6	8	10	21	34	131	233

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	योग
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	33	81	163	198	291	575	1384	2152	233	5141
3	7	2	8	17	91	100	331	730	77	1370
105	151	216	301	397	484	169	875	1593	126	4552
—	—	—	—	1	6	—	6	538	136	687
20	35	52	69	108	131	152	481	800	83	195[illegible]
41	107	134	167	275	200	97	522	1151	49	2857
11	16	13	18	37	62	63	328	897	97	1552
4	7	12	5	15	14	27	147	308	33	573
—	—	4	4	5	6	20	42	113	12	211
—	4	7	43	118	169	176	298	643	77	1536
17	17	26	39	106	159	51	286	657	87	1460
73	109	175	219	278	261	124	446	806	72	2690
—	2	2	6	21	45	12	120	637	93	938
2	2	8	9	23	25	14	88	229	26	427
1	4	39	93	131	132	45	214	525	71	1255
292	494	771	1144	1730	2076	1625	5568	11779	1272	27201

टिप्पणी : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने पहली नवम्बर, 1985 से कार्य करना प्रारम्भ किया ।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के रख-रखाव की सुविधाओं के अध्ययन के लिए समिति

2268. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागर विमानन के महानिदेशक ने पवन हंस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों के बेड़े की रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाओं का अध्ययन किए जाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन का विचारण क्षेत्र क्या है तथा इस अध्ययन को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नागर विमानन के महानिदेशक ने पवनहंस लिमिटेड के विमान बेड़े में वेस्टलैण्ड और डाफिन दोनों प्रकार के हेलीकाप्टरों के लिए रख-रखाव सुविधाओं के सम्बन्ध में एक अध्ययन करने का आदेश दिया है।

(ख) अध्ययन दल में नागर विमानन महानिदेशालय, इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

(ग) अध्ययन दल, मौजूदा रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाओं और कार्य-विधियों एवं पवनहंस द्वारा अनुपालन किए जा रहे अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच करेगा और रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाओं, कार्यविधियों तथा जनशक्ति संसाधनों में सुधार करने की सिफारिशें करेगा। ऐसी सम्भावना है कि यह दल अप्रैल, 1989 के अन्त तक नागर विमानन महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

खाड़ी के क्षेत्र से एयर इण्डिया को आय

2269. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया को वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कितनी आय हुई;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान खाड़ी क्षेत्र से कितनी आय हुई; और

(ग) एयर इण्डिया में सबसे अधिक आय प्राप्त करने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1987-88 में एयर इण्डिया द्वारा अर्जित कुल यात्री राजस्व 939.74 करोड़ रुपए था।

(ख) 1987-88 में गल्फ सेक्टर से 234.81 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था।

(ग) 1987-88 में खाड़ी मार्ग सबसे अधिक लाभ देने वाला मार्ग था, इस मार्ग पर परिचालन लाभ 43.29 करोड़ रुपए था।

हल्दिया और कलकत्ता के बीच विमान सेवा

2270. श्री श्याम नंदन मिश्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और कलकत्ता के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने सम्बन्धी निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान क्षमता की कमी और अन्य संसाधनों की कमी के कारण वायुदूत की तत्काल विस्तार योजना में हल्दिया को शामिल करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में पुलिस अत्याचार

[हिन्दी]

2271. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में निर्दोष व्यक्तियों को निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई और ऐसे पुलिस स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में कुछ पुलिस कार्मिकों द्वारा व्यक्तियों को पीटने/दुर्व्यवहार करने की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) 13।

पुलिस स्टेशन/चौकी का नाम

1. हौज काजी
2. अम्बेडकर नगर
3. पी० पी० ओखला

4. त्रिलोक पुरी

5. गीता कालोनी

6. शालीमार बाग

7. सुल्तानपुरी

8. लाहौरी गेट

9. कालकाजी

10. सब्जी मंडी

11. सब्जी मंडी

12. कोटला मुबारकपुर

13. मंगोलपुरी

(ग) इनमें से दो मामलों में पीटने के आरोपों की पुष्टि की गई है। एक मामले में एक सहायक उप-निरीक्षक का गैर-संवेदनशील स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया गया तथा उसका नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले लोगों की सूची में लाया गया है।

एक अन्य मामले में एक उप-निरीक्षक तथा दो कांस्टेबलों को निलम्बित कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में जल-निकासी योजनाओं की मंजूरी

[अनुवाद]

2272. **श्री समर कुमार मंडल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजना आयोग की स्वीकृति हेतु भेजी गई पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न जल-निकासी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना आयोग ने किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) जिन योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) योजना आयोग को पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र से सम्बन्धित कोई जल-निकासी योजना स्वीकृति के लिए नहीं मिली हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महानगरों से तिरुपति के लिए विमान सेवा

2273. **श्रीमती मनेम्मा अंजैया** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति हवाई अड्डे पर सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है ताकि इस तीर्थ केन्द्र पर बढ़ते हुए यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(ख) क्या तिरुपति को, महानगरों से जोड़ते हुए, इण्डियन एयरलाइन्स के मुख्य हवाई मार्गों से जोड़ने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तिरुपति हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की सम्भाव्यता पर विचार कर रहा है जिससे इसे बोइंग 737 विमानों के परिचालनों के उपयुक्त बनाया जा सके। दो बी-737 विमानों के ग्राउंडिंग, अहमदाबाद में एक बी-737 विमान के नष्ट होने और लीज पर प्राप्त होने वाले विमान के नियोजित समय के बाद आने के कारण, इण्डियन एयरलाइन्स की विमानक्षमता में कुछ कमी आ जाने की वजह से इण्डियन एयरलाइन्स पर्याप्त विमान क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद ही नयी सेवा के परिचालन पर विचार करने की स्थिति में होगी।

जालंधर/होशियारपुर से दिल्ली के लिए विमान सेवा

2274. **श्री कमल चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली को वायुदूत विमान सेवा द्वारा जालंधर/होशियारपुर के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली से जालंधर/होशियारपुर के लिए वायुदूत सेवा कब से प्रारम्भ की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) परिचालनात्मक विमानक्षेत्र और विमानक्षमता उपलब्ध होने पर, वायुदूत की चालू योजना अवधि में जालंधर को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

भारत पर्यटन विकास निगम का जयकारा अशोक रेस्तरां के साथ अनुबन्ध

[हिन्दी]

2275. **श्री अख्तर हसन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने श्री माता वैष्णो देवी प्रबन्ध बोर्ड की सहायता से

स्थापित जयकारा अशोक रेस्तरां के साथ किए गए अनुबन्ध को समाप्त कर दिया है, अथवा समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भविष्य में इस अनुबन्ध को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली में कोई बैठक हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) श्री माता वैष्णो देवी मन्दिर बोर्ड ने दिनांक 1-1-1989 से भारत पर्यटन विकास निगम के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। बोर्ड ने इसके पक्ष में यह कारण बताए हैं कि यदि वे सहमति के अनुसार कुल कारोबार के एक प्रतिशत का भुगतान भारत पर्यटन विकास निगम को करते हैं तो इसे एक वाणिज्यिक परिचालन माना जाएगा और बिक्री कर का भुगतान करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप भोजन की लागत में वृद्धि होगी।

(घ) और (ङ) दिनांक 5 दिसम्बर, 1988 को आयोजित बैठक में मन्दिर बोर्ड ने रेस्तरां को विभागीय तौर पर चलाने का निर्णय लिया है।

त्रिपुरा नेशनल वालन्टियर्स द्वारा आतंकवादी गतिविधियां

[अनुवाद]

2277. **श्री बाजू बन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा नेशनल वालन्टियर्स (टी० एन० वी०) द्वारा अपने हथियार डाल दिए जाने के बाद भी वे आतंकवादी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) त्रिपुरा में त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के आत्मसमर्पण किए जाने के बाद सरकार को उनकी आतंकवादी गतिविधियों की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना

2278. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के समुद्री तट पर लहरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की स्थापना किस स्थान पर करने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तरंग ऊर्जा परियोजना हेतु समुद्री परीक्षण के लिए स्थान केरल में त्रिवेन्द्रम के तट के निकट विझिंजम मत्स्य पोताश्रय है ।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 112 लाख रुपए है और यह परियोजना पूरी हो जाने पर इससे 120 कि०वा० बिजली तथा 150 कि०वा० अधिकतम बिजली का उत्पादन होगा ।

पोलियो तथा सम्बद्ध टीके तैयार करने के लिए विदेशी सहयोग से परियोजना

2279. **श्री सांभाजी राव काकडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो और उससे सम्बद्ध टीके तैयार करने के लिए विदेशी सहयोग से दो परियोजनाएं स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कहां स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इन संयंत्रों को पिम्परी-पुणे तथा बम्बई में स्थापित करने का अनुरोध किया है, जहां हाफकिंग इंस्टीट्यूट, बम्बई के माध्यम से पर्याप्त सुविधाएं सुलभ हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां । भारत सरकार ने पोलियो और सम्बद्ध वैक्सीनों के स्वदेशी उत्पादन के लिए निम्नलिखित दो परियोजनाएं अनुमोदित की हैं—

1. इन्स्टीट्यूट मेरियू, लियोन, फ्रांस के तकनीकी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इन्एक्टीवेटिड पोलियो वैक्सीन, ऊतक संवर्धन वेरो रेबीज वैक्सीन तथा खसरा वैक्सीन के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक अनुसंधान एवं विकास-सह-उत्पादन इकाई स्वीकृत की गई है । परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत करीब 86 करोड़ रुपए है । यह इकाई हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थापित की जाएगी । भारत सरकार, इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इन्स्टीट्यूट मेरियू संयुक्त क्षेत्र इसमें भागीदार होंगे तथा प्रत्येक के 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे, शेष 25 प्रतिशत की प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अंशदान हेतु जनता को पेशकश की जाएगी ।

2. भारत और सोवियत संघ के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दीर्घावधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत तकनीकी परामर्शी सहयोग से उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में प्रतिवर्ष ओरल पोलियो वैक्सीन की 100 मिलियन खुराकों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में एक अनुसंधान एवं विकास-सह्-उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने ओरल पोलियो वैक्सीन उत्पादन सुविधाएं उस राज्य में स्थापित करने का अनुरोध किया था।

(घ) ओरल पोलियो वैक्सीन उत्पादन सुविधाएं हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पुणे तथा बम्बई में स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ अभिमत के अनुसार उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व बम्बई में विद्यमान सुविधाओं में व्यापक नवीकरण, आशोधन तथा कार्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। विशेषज्ञों का यह मत भी रहा है कि वाईरल वैक्सीन के लिए बम्बई नगर में उत्पादम सुविधाएं स्थापित करना अवांछनीय होगा। दूसरे, पिम्परी, पुणे में पोलियो वैक्सीन के उत्पादन के लिए कोई अवसंरचना अथवा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरे, हाफकिन संस्थान तथा हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड को मूल वाईरल वैक्सीन का उत्पादन हाथ में लेने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रबन्धकीय तथा वित्तीय स्तरों पर अत्याधिक आधारभूत और संरचनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र सरकार को विशेषज्ञ समितियों के इन विचारों तथा सुझावों से अवगत करा दिया गया है।

ताइवान जलपोतों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ना

2280. **श्री एस० बी० थोरात**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में ताइवान जलपोतों को बम्बई के निकट अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अवैध रूप से मछली पकड़ने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1988 में अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और चोरी से मछली पकड़ने के लिए कितने जलपोत पकड़े गए ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) अवैध रूप से मछली पकड़ने पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए तटरक्षक पोतों और विमानों को गश्त के लिए नियमित रूप से तैनात किया जाता है।

(ग) हमारे अनन्य समुद्री आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए 1988 में 434 कर्मियों सहित मछली पकड़ने वाले 31 विदेशी पोत पकड़े गए। इनमें 180 कर्मियों सहित 8 ताइवानी पोत भी शामिल हैं।

आन्ध्र प्रदेश में यूरेनियम के भंडार

2281. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में गोपालपेट और अन्य स्थानों पर यूरेनियम के भंडार विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में गोपालपेट और अन्य स्थानों पर व्यापक रूप से किए गए सर्वेक्षणों से कुछ अन्य स्थानों में कहीं-कहीं पर रेडियो-धर्मी खनिजों के होने का पता चलता है। तथापि, अब तक इन क्षेत्रों में यूरेनियम के किसी बड़े भंडार का पता नहीं चला है।

भारतीय शांति सेना के मारे गए कार्मिकों के निकट सम्बन्धियों को दिया गया मुआवजा

2282. डा० दत्ता सामन्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका से मारे गए भारतीय शान्ति सेना के कार्मिकों के निकट सम्बन्धियों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : श्रीलंका में कारंवाई में मारे गए भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के निकट सम्बन्धियों को दिए गए पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य लाभों के ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

श्रीलंका में कारंवाई के दौरान मारे गए भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के परिवारों को 8,70,61,923.00 रुपए की राशि अदा की गई है। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(क) पेंशन सम्बन्धी लाभ	—	1,69,00,000.00 रुपए
(ख) सैन्य सामूहिक बीमा लाभ	—	6,89,43,523.00 रुपए
(ग) सेना अफसर कल्याण निधि	—	4,96,400.00 रुपए
(घ) सैन्य अफसरों की पत्नियों की कल्याणकारी संस्था	—	7, 22,000.00 रुपए
		8,70,61,923.00 रुपए

टिप्पणी—(i) सैन्य सामूहिक बीमा लाभों का भुगतान एक बीमा योजना के अन्तर्गत किया जाता है जिसके लिए कर्मचारी को निर्धारित दरों पर मासिक अदायगी करनी होती है।

(ii) सैन्य अफसर कल्याण निधि और सेना अफसरों की पत्नियों की कल्याणकारी संस्था से अनुदान, कल्याणकारी उपायों के रूप में किए जाते हैं और यह सेना की गैर-सरकारी निधियों में से दिया जाता है।

आठवीं योजना में गाडगिल-फार्मूले में परिवर्तन

2283. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के वर्तमान फार्मूले में परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के वर्तमान फार्मूले में परिवर्तन करने से क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में राज्यों की योजनाएं कहां तक सहायक होंगे ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) इस समय केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी मौजूदा अशोधित गाडगिल फार्मूले को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अगस्त, 1980 में अनुमोदित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

2284. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में गत एक वर्ष के दौरान जिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने उद्योगों ने कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार का अन्य राज्यों की भांति हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान, हिमाचल प्रदेश में इलेक्टॉनिकी उद्योग की स्थापना के लिए 7 आशय-पत्र तथा 21

पंजीकरण जारी किए गए हैं। संगठित क्षेत्र में 4 इकाइयों तथा लघु उद्योग में 7 इकाइयों ने अपने उत्पादन करने के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को सूचित किया है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में सम्पत्ति कर

[अनुवाद]

2285. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर वसूली में अनियमितताएं सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का सम्पत्ति कर नियमों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली की जा रही है। तथापि, "कामन काज" के निदेशक ने मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ उठाया है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिटयाचिका भी लम्बित है। मामला न्यायाधीन है।

झारखंड आन्दोलन का वित्त पोषण

2286. **चौधरी खुर्शीद अहमद** :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विदेशी दाताओं से चंदा प्राप्त करने वाले कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा झारखंड आंदोलन का वित्त पोषण किए जाने के बारे में दिनांक 13 जनवरी, 1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

वर्ष 1986 में भारतीय वायुसेना के ए०एन०-32 वायुयानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2287. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो ए० एन०-32 परिवहन वायुयान अपनी उड़ान के दौरान क्रमशः पहला पठानकोट से आते हुए लद्दाख (जम्मू और कश्मीर) स्थित लेह में तथा दूसरा वर्ष 1986 में मस्कट (ईंधन के लिए रुकने के पश्चात्) से आते हुए जामनगर में खो गए थे;

(ख) खोए हुए वायुयानों के बारे में की गई जांच सम्बन्धी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तोड़फोड़ का अथवा उड़ान के दौरान तकनीकी ख़राबी का मामला था;

(घ) क्या दुर्घटना के बाद कुछ संशोधन के बाद इसी प्रकार के वायुयान प्राप्त किए थे;

(ङ) इन दोनों वायुयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने से कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(च) भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम में इन वायुयानों की क्षमता के बारे में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 22-3-86 को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में प्रथम विमान के लापता होने की खबर थी। इस क्षेत्र में भारी हिमपात होने के कारण अन्त में 9-8-86 को विमान के मलबे का पता लग सका। दुर्घटनाग्रस्त विमान में बैठे सभी 19 विमान कर्मियों और यात्रियों के शव भी प्राप्त हो गए। यह दुर्घटना विमानचालक (पायलट) के निर्णय में हुई चूक के कारण हुई। इस मामले में किसी तोड़-फोड़ का कोई प्रमाण नहीं है।

अरब सागर के ऊपर लापता हुए दूसरे विमान की व्यापक हवाई और समुद्री खोज करने के बावजूद न तो विमान का पता लग सका और न ही उसके मलबे का पता लग सका। ऐसा समझा जाता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके 7 विमानकर्मी मारे गये। वास्तविक प्रमाण की अनुपस्थिति में जांच अदालत दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पायी। आकाश में विमान नष्ट होने की सम्भावना बहुत कम है क्योंकि यह विमान भारतीय वायुसेना के लगभग 5 वर्षों से सभी मौसमों और भू-भागों में कार्य कर रहा था इसलिए तोड़-फोड़ की सम्भावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता।

(घ) यह दुर्घटना संरचनात्मक या उपकरणों की खराबियों के कारण नहीं हुई थी। संविदात्मक अनुबन्ध के अनुसार निर्माता इन विमानों की सप्लाई कर रहे हैं।

(ङ) 6.6 करोड़ रुपए।

(च) यह विमान खराब मौसम में मार्ग-निर्देशन के लिए पूरी तरह सक्षम है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विमानों के लिए इन्जिन ओवरहाल सुविधा

2288. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विमानों के जेट इंजिनों के लिए ओवरहालिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया की अतिरिक्त ओवरहालिंग क्षमता का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की विमान कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । एयर इन्डिनया ने प्रेट और वाइटनी तथा जनरल इलैक्ट्रिक इंजिनों के ओवरहाल के लिए सुविधाओं की पेशकश की है । यद्यपि एयर इण्डिया के पास इस समय जेट इन्जिनों के ओवरहाल के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है, लेकिन यदि दीर्घकालीन वचनबद्धता प्राप्त होती है तो क्षमता में वृद्धि करना संभव हो सकता है। जे० टी० 8 डी० इन्जिन के ओवरहाल के लिए एयर लंका से, अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है ।

बांगलादेश से हिन्दुओं का भारत आना

2289. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांगलादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद कितने हिन्दुओं ने भारत में शरण ली है;

(ख) ऐसे शरणार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) बांगलादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद भारत में शरण लेने वाले हिन्दुओं की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है। भारत में जिन व्यक्तियों ने प्रवेश किया, वे अनधिकृत घुसपैठिये हैं।

राज्यों के लिए योजना परिव्यय

2290. **श्री सोमनाथ रथ** :
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों को मंजूर किए गए योजना परिव्यय का विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के लिए राज्यवार परिव्यय तथा व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण

संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों ने योजना परिव्यय प्राप्त कर लिए हैं। विवरण से वर्ष 1988-89 के लिए अनुमोदित परिव्यय का भी पता लगता है लेकिन वास्तविक व्यय सम्बन्धी आंकड़े वर्ष समाप्त होने के बाद कुछ समय बाद ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

वार्षिक योजनाओं 1986-87 से 1988-89 के अधीन परिव्यय/व्यय—राज्य

(करोड़ रु०)

राज्य	1986-87		1987-88		1988-89
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1000.00	1204.70	1112.43	1123.21	1250.00
अरूणाचल प्रदेश	=	=	110.00	111.78	126.00
असम	500.00	499.02	575.00	572.40	610.00
बिहार	1277.24	1281.21	1400.00	1194.84	1600.00
गोवा	=	=	79.75	88.72	92.00
गुजरात	950.00	965.61	890.51	1101.60	1275.00
हरियाणा	525.00	480.92	430.28	463.84	600.00
हिमाचल प्रदेश	215.00	238.80	235.00	276.96	260.00
जम्मू और कश्मीर	337.65	337.66	387.50	405.18 (1)	450.00
कर्नाटक	766.00	696.17	769.45	702.10 (2)	900.00
केरल	390.00	427.55	380.68	390.43	500.00
मध्य प्रदेश	1377.16	1169.00	1516.11	1412.90	1702.00
महाराष्ट्र	1925.00	1963.77	2100.00	2190.47	2430.00
मणिपुर	87.00	84.13	105.00	105.33	122.50
मेघालय	91.00	89.04	110.00	110.35	130.00
मिजोरम	=	=	70.00	71.66	85.00
नागालैंड	78.00	73.86	94.75	95.25	110.00

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	605.00	574.26	742.02	701.39	835.00
पंजाब	575.00	678.93	650.00(3)	790.32	700.00(3)
राजस्थान	530.00	527.84	606.00	644.84	710.00
सिक्किम	50.88	52.71	54.10	57.93	63.00
तमिलनाडु	1153.00	1150.67	1250.00	1276.58	1457.00
त्रिपुरा	105.00—	115.06	125.00	138.24	144.00
उत्तर प्रदेश	1907.60	2005.42	2009.78	2214.93	2540.00
पश्चिम बंगाल	786.00	714.95	871.25	782.93	951.00

— संशोधन की अपेक्षा नहीं, अनुमोदित परिव्यय दोहरा दिया गया

= उस समय राज्य नहीं था।

(1) प्रत्याशित।

(2) अस्थायी।

(3) केन्द्रीय बजट में दर्शाए अनुसार।

कर्नाटक में वायुदूत सेवा

2291. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में उपलब्ध वायुदूत सेवायें अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कर्नाटक के और अधिक शहरों के लिए वायुदूत सेवा उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) वायुदूत इस समय कर्नाटक राज्य में बंगलूर, मैसूर और बेल्लारी के लिए सेवा का प्रचालन कर रहा है। विमान क्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास और परिचालनों को आर्थिक साध्यता के आधार पर वायुदूत की चालू योजना अवधि में कर्नाटक राज्य में रायचूर और हुबली को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

अमरीकी सीनेटर का पंजाब का दौरा

[हिन्दी]

2292. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीकी सीनेटर के पंजाब तथा स्वर्ण मन्दिर के दौरे का प्रस्ताव एवं इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस दौरे के क्या उद्देश्य थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) अमरीकी सांसद और गृह विदेश सम्बन्ध समिति की एशिया तथा प्रशान्त महासागर कार्यों की उप-समिति के अध्यक्ष श्री स्टीफन सोलार्ज ने श्री थिओडर बीस और उनके स्टाफ सदस्यों डान क्लाबिया, आर्क रोबर्ट पोटर गालब्रेथ तथा अमरीकी दूतावास के प्रथम सचिव श्री वाल्टर एल्डूसन के साथ 17-1-1989 को अमृतसर (पंजाब) और चण्डीगढ़ का दौरा किया। विदेश मन्त्रालय के अनुसार भारत के दौरे पर आए अमरीकी सांसदों ने पंजाब की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की और इसलिए उनकी पंजाब की यात्रा की व्यवस्था की गई।

तमिलनाडु में विदेशों से धनराशि प्राप्त करने वाले संगठन

[अनुवाद]

2293. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत तमिलनाडु में कितने स्वयं-सेवी संगठन विदेशों से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) उक्त संगठनों ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्राप्त की ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 31-12-1988 को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए विदेशी अभि-दाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन तमिलनाडु के पंजीकृत संगठनों की संख्या 1811 है।

(ख) तमिलनाडु में संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई विदेशी अभिदाय की राशि, जिसके संगणकीकृत आंकड़े उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :

वर्ष	रुपए
1984	42,89,78,773
1985	52,10,80,762
1986	84,13,47,000

जैव प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी मिशन

2294. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में जैव प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जैव प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने 1982 में एकीकृत राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड गठित किया। जिसके स्थान पर कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए 1986 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक अलग बायोटेक्नोलॉजी विभाग बनाया गया था। सरकार ने इन क्षेत्रों में बहुत सी परियोजनाएं तथा कार्यक्रम हाथ में लिए हैं।

(ग) और (घ) केवल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए अलग से टेक्नोलॉजी मिशन स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निम्नलिखित टेक्नोलॉजी मिशनों के क्रियान्वयन में बायोटेक्नोलॉजी शामिल है :—

1. रोग क्षमीकरण
2. तिलहन
3. डेयरी प्रौद्योगिकी

रोग क्षमीकरण पर टेक्नोलॉजी मिशन में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग वैक्सीनों के उत्पादन तथा नई और बेहतर वैक्सीनों के अनुसंधान एवं विकास के लिए किया जा रहा है। तिलहनों पर टेक्नोलॉजी मिशन में तैल-ताड तथा नारियल के ऊतक संवर्धन प्रवर्धन के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान सम्मिलित है। डेयरी टेक्नोलॉजी मिशन में पशु रेवड सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी जैसी नई बायोटेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आई० एन० एस० डी० ओ० सी० के मुद्रणालय का एन० एस० एल० भवन में स्थान्तरण

[हिन्दी]

2295. **श्रीमती शान्ति देवी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आई० एन० एस० डी० ओ० सी०

के मुद्रणालय को पी० आई० डी० भवन हिल साइड रोड से एन० एस० एल० भवन में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो मुद्रणालय की अभी तक स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या एन० एस० एल० भवन में मुद्रणालय के लिए अतिरिक्त स्थान निर्धारित किया गया था और उसका निर्माण किया गया था; और

(घ) आई० एन० एस० डी० ओ० सी० कार्यालय द्वारा इस स्थान के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी और उसका ठेका किस दर पर दिया गया था और जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसका विवरण क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) पुनर्विचार करने पर, सानुपातिक कारणों और वास्तविकता के कारणों से कि नवीन स्थल पर तहखाने में लगाये जा रहे प्रेस में आग की दुर्घटना से बचाव का कोई रास्ता नहीं था और प्रेस का कार्य करना लाभदायक नहीं था इसलिए यह निर्णय किया गया था कि फिलहाल प्रेस को वहां स्थानांतरित न किया जाये।

(ग) और (घ) एन० एस० एल० इमारत (भवन) के कुल क्षेत्र 11291.13 वर्गमीटर के तहखाने में प्रेस लगाने के लिए लगभग 529.265 वर्गमीटर का एक क्षेत्र अलग रखा गया था, जिसके निर्माण कार्य का आवंटन (ठेका) मैसर्स सुभाष एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को किया गया था। भवन के इस भाग के निर्माण की लागत प्रति वर्गमीटर रुपये 1109.30 की दर से रुपये 5,87,162.44 आती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के पार्टीशन सिन्कस, और इस क्षेत्र की सजावट का कार्य मैसर्स जे०जे० फर्निशर्स एण्ड डेकोरेटर्स, नई दिल्ली को 539.53 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से दिया गया था। इस खाते पर 2,85, 554.52 रुपये व्यय किए गए। तथापि, प्रेस के लिए अलग रखा गया क्षेत्र फोटोग्राफी, प्रदर्शनी यूनिट आदि अन्य यूनिटों की स्थापना द्वारा उपयुक्त रूप से उपयोग किया गया है।

कम लागत के पर्सनल कम्प्यूटर

[अनुवाद]

2296. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कम लागत के पर्सनल कम्प्यूटरों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्प्यूटर के निर्माण पर कितनी लागत आएगी और क्या सरकार का इन कम्प्यूटरों का निर्यात करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार मानकीकरण और सामग्रियों की थोक खरीद के जरिए वैयक्तिक कम्प्यूटरों की कीमत कम करने का प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त ढांचे पर आधारित कम्प्यूटर की अनुमानित लागत देश में इस समय उपलब्ध वैयक्तिक कम्प्यूटरों की कीमत से काफी कम होने की सम्भावना है। ऐसे कम्प्यूटरों के निर्यात की सम्भावनाएं भी हैं।

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने से प्रभावित किसान

[हिन्दी]

2297. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगानगर जिले में भारत-पाक सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाई जा रही है;

(ख) क्या किसानों की सिंचित भूमि पाकिस्तानी सीमा से 400 फुट की दूरी के भीतर है जिसके कारण किसान अपनी भूमि पर खेती करने में असमर्थ हैं;

(ग) क्या सरकार का किसानों को बाजार भाव पर प्रतिपूर्ति करने अथवा उनकी जमीन के बदले में उन्हें अन्यत्र जमीन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से 150 गज दूर चुने हुए भागों में कान्टेदार तारों की बाड़ लगायी जा रही है। इसमें उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में द्वार होंगे जिनमें से किसान, बाड़ के पीछे वाले अपने खेतों में जा सकेंगे और अपनी भूमि पर खेती जारी रख सकेंगे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों को हिन्दी पत्रिकाएं उपलब्ध कराना

2298. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में हिन्दी पत्रिका उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1986 से 1988 तक हिन्दी और अंग्रेजी पत्रिकाओं पर, अलग-अलग, किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1986 से 1988 तक की अवधि में इंडियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया ने हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाओं पर निम्नलिखित खर्च किया :—

वर्ष	किया गया खर्च	
	अंग्रेजी	हिन्दी
	रुपए	रुपए
इण्डियन एयर लाइंस		
1986	74,902	46,168
1987	82,102	48,668
1988	92,602	53,168
एअर इण्डिया		
1986-87	15,77,405	1,61,325
1987-88	18,32,000	2,01,045
1988-89	27,42,368	2,25,200

दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध

[अनुवाद]

2299. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में दहेज हत्याओं, बलात्कार लड़कियों/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने या उन्हें भगाकर ले आने तथा नाबालिग कन्याओं के अपहरण की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले छः महीनों अर्थात् अगस्त, 1988 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध की घटनाएं सूचित की

गई—

अपराध शीर्ष	मामले
दहेज-हत्याएं	50
बलात्कार	54
महिलाओं/लड़कियों के साथ छेड़छाड़	95
महिलाओं/लड़कियों का अपहरण	54
नाबालिग लड़कियों का अपहरण	166

(ख) जनसंख्या में वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक हालात में तेजी से परिवर्तन होना अपराधों के प्रमुख कारणों में से हैं।

मद्रास-नई दिल्ली के बीच उड़ानों में विलम्ब

2300. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 के दौरान मद्रास से नई दिल्ली बरास्ता-हैदराबाद और नई दिल्ली से मद्रास के बीच चलने वाली एअर-बस की उड़ानों में अनेक बार विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितनी उड़ानों में देरी हुई थी;

(ग) क्या इन उड़ानों में कई घण्टों की देरी हुई, जिसके कारण प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई थी;

(घ) क्या इण्डियन एयरलाइन्स प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों को देरी के बारे में सूचित करने के लिए कोई समुचित प्रबन्ध नहीं कर सका था; और

(ङ) यदि हां, तो असामान्य विलम्ब कम करने तथा प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों को सूचित करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जनवरी, 1989 के दौरान, मद्रास/हैदराबाद/दिल्ली सेक्टर पर प्रचालन करते समय मद्रास से चलने वाली इंडियन एयरलाइन्स की 15 उड़ानों में और दिल्ली/हैदराबाद/मद्रास सेक्टर पर प्रचालन करते समय दिल्ली से चलने वाली 21 उड़ानों में विलम्ब हुआ था।

(ग) विलम्ब की औसत अवधि लगभग 2 घण्टे 20 मिनट थी। विलम्ब से यात्रियों को असुविधा अवश्य होती है।

(घ) और (ङ) इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब कम करने और विलम्ब के बारे में

प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को सूचना देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) बोइंग विमान का समग्र उपयोग कम कर दिया गया है ताकि बेस स्टेशनों पर वैकल्पिक विमान क्षमता की व्यवस्था की जा सके।

(2) विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त विमान लीज पर लिए गए हैं।

(3) विभिन्न स्तरों पर उड़ानों की समय-पाबन्दी पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है; और

(4) सुनियोजित विलम्बों के बारे में यात्रियों को उड़ान सूचना बोर्ड, क्लोज सर्किट टी० वी० तथा हवाई अड्डों पर मीडिया और जहां कहीं सम्भव हो, बाह्य टेलीफोन के माध्यम से उड़ानों में विलंब के बारे में नियमित उद्घोषणाओं द्वारा सूचित किया जाता है।

पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा घुसपैठियों की सहायता

2301. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्थान सीमा पर भारत में घुसने वाले घुसपैठियों को पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि हाल ही में राजस्थान सीमा पर भारत में घुसपैठ करने वालों को पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा संरक्षण दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हवाई अड्डों पर इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रणाली का इस्तेमाल न किया जाना

2302. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1989 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली सहित देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लगी इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रणाली सहित विमान संचार प्रणाली का या तो राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है अथवा यह प्रणाली समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रही है जिससे विमान की उड़ानों में अड़चन पैदा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का समुचित ढंग से उपयोग करने के लिए और देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर विमानों के उतारने संबंधी सुविधाओं के निर्बाध रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 3 जनवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। जहां-कहीं भी हवाई अड्डों पर दिक्चालन साधन और उपस्कर अवतरण प्रणाली उपलब्ध कराई गई हैं, उनका प्रयोग विमान चालकों द्वारा अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर किया जा रहा है। इस प्रणाली में जब कभी भी यदाकदा खराबियां पाई जाती है, तो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उन पर ध्यान दिया जाता है और प्रणाली को प्रचालन योग्य बनाने के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी अवतरण साधनों का उपयोग किया जाता है परन्तु उपस्कर अवतरण प्रणाली का उपयोग केवल श्रेणी-I तक ही किया जाता है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बैठरी द्वारा संचालित ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली और पर्याप्त रख-रखाव प्रयासों के द्वारा उपस्कर अवतरण प्रणाली के अबाध प्रचालन के लिए पूर्वोपाय किए हैं।

विमान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को मुआवजा

2303. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की विमान दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने दावे प्राप्त हुए, कितनों का निपटारा किया गया और कितने विचाराधीन हैं; और

(ग) मृत और घायल यात्रियों के निकट सम्बन्धियों को कितनी धनराशि का मुआवजा अथवा सहायता दी गयी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमानों की दुर्घटनाओं में 187 व्यक्ति मारे गए और 5 घायल हुए।

(ख) अब तक 152 दावे प्राप्त हुए हैं। 91 मामलों का निपटान कर दिया गया है और बाकी अनिर्णित पड़े हैं।

(ग) अब तक मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को 1,82,37,380 रुपए मुआवजे के रूप में अदा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 50,000 अमरीकी डालर की राशि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को अदा की गई है। कुछ मृत यात्रियों के रिश्तेदारों को रोजगार दिया गया है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना/ विशेष घटक योजना

2304. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उप-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उप-योजना कितनी धन-राशि निर्धारित की गई ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना का मुख्य उद्देश्य, गरीबी की रेखा से नीचे 50% अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता करना, अस्वच्छ कार्य की प्रथा का उन्मूलन करने हेतु शुष्क शौचालय का परिवर्तन करना और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। अनुसूचित जातियों के बीच व्यावसायिक समूहों के लिए मिश्रित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

उड़ीसा के 118 ब्लाकों में अब अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना चल रही है। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत कार्यकलाप चार वर्गों में आते हैं :

1. परिवारोन्मुखी आय सृजन योजनाएं

2. अवसंरचना विकास कार्यक्रम

3. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, और

4. शोषण विरोधी उपाय

(ख) 1985-86 से 1987-88 तक उड़ीसा में 3,38,741 अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता दी गई है। अन्य उपलब्धियों में पेयजल स्रोतों की व्यवस्था अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युतीकरण और स्ट्रीट/घरेलू लाइट की व्यवस्था, शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन, गन्दी बस्तियों का सुधार आदि शामिल है।

1985-86 से 1987-88 तक उड़ीसा में 4,49,157 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता दी गई है। अन्य उपलब्धियों में, शिफ्टिंग खेती के नियन्त्रण का कार्यक्रम, पेयजल स्रोतों की व्यवस्था, अनुसूचित जनजातियों के गांवों का विद्युतीकरण, आवासीय स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, सिंचाई क्षमता का सृजन, सड़कों का विकास, प्रशिक्षण आदि शामिल है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में 184 गांवों का आदर्श गांवों के रूप में विकास किया जा रहा है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातियों के छोटे ऋण दोषी व्यक्तियों को दोबारा ऋण देने का पात्र बनाया जा रहा है। विनियमन उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

छात्रवृत्ति प्रदान करने, बुक बैंक, सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग और लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण योजनाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों दोनों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जिला स्तर पर, विशेष कम्पोनेंट योजना का विभिन्न विकास समितियों में जिला कलैक्टरों द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

समेकित आदिवासी विकास एजेंसी स्तर पर, परियोजना स्तर समिति, आदिवासी विकास कार्य-क्रमों का प्रबोधन और समीक्षा करती है।

विशेष कम्पोनेंट योजना और आदिवासी उपयोजना दोनों की समीक्षा करने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा समितियों का गठन किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में परिवारोन्मुखी कार्य सृजन कार्य-क्रमों के मूल्यांकन के लिए पप्रत्र/जांच सूचियां निर्धारित की गई है।

राज्य स्तर पर, हरिजन और आदिवासी कल्याण विभाग, विशेष कम्पोनेंट योजना और आदि-वासी उपयोजना दोनों की समीक्षा करता है। उच्च स्तरीय समितियों द्वारा भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय स्तर पर, कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रबोधन और समीक्षा की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए व्यवसायिक एजेंसियों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है।

(घ) 1985-86 से 1987-88 तक विशेष कम्पोनेंट योजना और आदिवासी उपयोजना के लिए धनराशि का विमोचन निम्न प्रकार है। इसमें राज्य की योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि शामिल है:—

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	विशेष कम्पोनेंट के लिए धनराशि	आदिवासी उपयोजना के लिए धनराशि
1985-86	54.09	197.47
1986-87	73.23	229.72
1987-88	79.62	257.79

पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना

2305. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ स्थायी आधार पर जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का पेन्शनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से किस प्रकार बचाने का विचार है; और

(ग) क्या पेन्शन के वास्तविक मूल्य को सुरक्षित बनाये रखने के लिए किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में 1-1-86 से लागू महंगाई राहत की संशोधित योजना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए पहले से ही व्यवस्था है। इस योजना के अधीन प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तथा 30 जून को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 608 के बाद जितनी वृद्धि हुई होती है, उसके आधार पर वर्ष में दो बार अर्थात् पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से पेन्शनभोगियों/परिवार पेन्शनभोगियों को महंगाई राहत मंजूर की जाती है। योजना में निम्नलिखित अनुपात में निष्प्रभावन किया जाता है :—

पेन्शन/परिवार पेन्शन प्रतिमाह	निष्प्रभावन
(i) रु० 1750 तक	100%
(ii) रु० 1750 से अधिक परन्तु रु० 3,000 से कम	75%
(iii) रु० 3,000 से अधिक	65%

विमान-वाहक के डिजाइन के लिए समझौता

2306. श्री शांतिलाल पटेल :
श्री एस० बी० सिदनाल :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिए देश में बनाये जाने वाले विमान-वाहक के प्रारम्भिक डिजाइन हेतु दो विदेशी शिपयार्डों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन शिपयार्डों के नाम क्या हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा तथा इस विमान-वाहक को किस शिपयार्ड पर बनाया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) समुद्र नियन्त्रण पोत के संकल्पना डिजाइन अध्ययन और कोचीन शिपयार्ड के लेखा-परीक्षण के लिए फ्रांस की फर्म मैसर्स "सोफमा" के साथ एक ठेका किया गया। इन अध्ययनों के पूरा होने के पश्चात् शिपयार्ड के चयन और विमान-वाहक के निर्माण पर निर्णय लिया जाना संभव होगा।

अगरतला/कलकत्ता से इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

2307. श्री अजय विश्वास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला और कलकत्ता हवाई अड्डे से इण्डियन एयर की उड़ानों के आने तथा जाने में बार-बार विलम्ब हुआ तथा रद्द की;

(ख) उक्त हवाई अड्डों से गत वर्ष के दौरान कितनी उड़ानों में हुआ/इन्हें रद्द किया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) फरवरी, 88 से जनवरी, 89 की अवधि में अगरतला से और कलकत्ता से विलम्ब से प्रभावित उड़ानों की संख्या नीचे दी गई है :—

फरवरी 1988 से जनवरी, 1989

	विलम्ब	अगरतल्ला से रद्द किया जाना	विलम्ब	कलकत्ता से रद्द किया जाना
वाणिज्यिक	1	0	13	5
परिचालन	0	0	15	3
इंजीनियरिंग	9	1	247	5
ग्राउन्ड स्पोर्ट	0	0	16	0
मौसम	22	9	469	17
एयरपोर्ट सुविधाएं	7	0	55	39
विविध	2	12	271	26
परिणामी	496	33	2222	35
जोड़ :	537	55	3308	130

इनमें से अधिकांश विलम्ब परिणामी स्वरूप के थे। मुख्यत: विमान-क्षमता में भारी कमी जिससे दो उड़ानों के बीच पर्याप्त अन्तराल नहीं रह सका और मौसम की खराब परिस्थितियों के कारण ही पिछले कुछ समय में परिणामी विलम्बों में वृद्धि हुई है। दुर्घटनाओं, पक्षियों से टकराने के कारण बड़ी संख्या से इंजिनों को हटाये जाने और लीज पर लिए गए विमानों के देरी प्राप्त होने के कारण विमान क्षमता में कमी हुई। इण्डियन एयरलाइन्स ने काफी विमान लीज पर लेकर अपने बेड़े में शामिल कर लिये हैं और अभी भी कर रही है।

अंटार्कटिका में एक स्थाई केन्द्र बनाने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना को सहायता

2308. श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिका में एक स्थाई केन्द्र बनाने के अनुभव के परिणामस्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना को सीमा पर बर्फ से ढके क्षेत्रों में अनेक तरह से सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) अंटार्कटिका पर एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना और वहां कुछ मूलभूत सुविधाओं, भोजन तथा कपड़े प्रदान करना केवल हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकियों के लिए ही सहायक नहीं है बल्कि हमारे देश के अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी सहायक है । रक्षा को भी अंटार्कटिका में निवास करने के लिए अभ्यस्त होने का लाभ मिला है ।

जयपुर-भोपाल के बीच विमान सेवा प्रारम्भ करना

[हिन्दी]

2309. श्री कम्मोदीलाल जाटव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-भोपाल के बीच विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मार्ग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) वायुदूत भोपाल/इंदौर/जयपुर सैक्टर पर सप्ताह में तीन दिवसीय सेवा का परिचालन कर रहा है । विमानक्षमता की कठिनाई और यातायात की सम्भावना पर्याप्त न होने के कारण इण्डियन एयर-लाइन्स को इस समय जयपुर से भोपाल तक हवाई सेवा का परिचालन करने की कोई योजना नहीं है ।

त्रिवेन्द्रम/बम्बई से एयर इन्डिया की उड़ानें रद्द करना

[अनुवाद]

2310. श्री के० वी० थामस :
श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान त्रिवेन्द्रम और बम्बई से खाड़ी देशों को जाने वाली एयर इण्डिया की कितनी उड़ानें रद्द की गई;

(ख) इन्हें रद्द करने का क्या कारण था; और

(ग) इन्हें रद्द करने से एयर इण्डिया को कितनी हानि हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 1 मार्च 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक त्रिवेन्द्रम और बम्बई से खाड़ी देशों के लिए रद्द की गई उड़ानों की संख्या क्रमश: 44 और 126 है। कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा औद्योगिक कार्रवाई के कारण ये उड़ानें रद्द की गईं।

(ग) उड़ानें रद्द करने से लगभग 638.90 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई थी।

कप्पाड को समुद्र तट पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

2311. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कालीकट के निकट कप्पाड समुद्र तट की यात्रा की थी, जिसका वर्ष 1498 में वास्को-डी-गामा ने दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कप्पाड समुद्र तट को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया था; और

(ग) इसे एक समुद्र तट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए क्या विशिष्ट प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। काप्पाड़ में पर्यटन आधार-संरचना के विकास की दृष्टि से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने समुद्र-तट विहार-स्थल के निर्माण हेतु 67.24 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

हाथ में ले जाए जाने वाले सामान की जांच

2312. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्क दुर्घटना सम्बन्धी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति बी० एन० कृपाल ने एक सिफारिश में सामान की जांच करने वाले स्वचालित उपकरण पर निर्भर रहने से उत्पन्न होने वाले खतरे के सम्बन्ध में चेतावनी दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चेतावनी को देखते हुए हाथ में ले जाये जाने वाले सभी सामानों, जिनमें चालक दल का सामान भी शामिल है, की वास्तविक जांच के लिए कदम उठाये गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच किए हुए सामान का यात्रियों के साथ मिलान, अन्तर्देशीय सैक्टर पर जांच किए गए सामान की पहचान और ऐसे सामान को आकस्मिक रूप से वास्तविक जांच आदि ऐसे कुछ उपाय हैं।

निर्माणाधीन परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए परियोजना दल

2313. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माणाधीन सभी बड़ी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए एक परियोजना दल भेजने का निर्णय किया है;

(ख) राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने का पता लगा है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत की नवीनतम स्थिति क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार ने एक बहु-विद्या दल का गठन किया है जो प्रतिवर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की 1 या 2 बड़ी परियोजनाओं के परियोजना प्रबन्ध का लेखा परीक्षा करें जिनमें प्रारम्भिक स्तर पर ही बहुत विलम्ब/लागत वृद्धि हो गई है ताकि उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए दल द्वारा संशोधित उपाय बताए जा सकें।

(ख) 31-12-88 की स्थिति के अनुसार 94 परियोजनाओं ने लागत वृद्धि दर्शायी है जिनका राज्यवार विवरण-आंध्र प्रदेश-7, असम-4, बिहार-9, गुजरात-4, हरियाणा-1, हिमाचल प्रदेश-1, जम्मू व काश्मीर-1, केरल-1, मध्य प्रदेश-8, महाराष्ट्र-4, नागालैंड-1, उड़ीसा-5, पंजाब-3, राजस्थान-1, तमिलनाडु-6, उत्तर प्रदेश-10, प० बंगाल-9, बहु-राज्यीय-19 हैं।

(ग) 94 परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत 61997 करोड़ रु० है जबकि उनकी मूल अनुमोदित लागत 35448.1 करोड़ रु० है।

असम में वायुसेना केन्द्र

2314. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के किसी जिले में वायुसेना केन्द्र है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार असम के किसी जिले में ऐसा एक केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

इटारसी प्रूफ रेंज से बमों की चोरी

2315. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इटारसी के निकट स्थित थलसेना के प्रूफ रेंज से कुछ शक्तिशाली बमों के चोरी होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चोरी में शामिल अपराधियों को पकड़ लिया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार का ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) इटारसी प्रूफ रेंज रक्षा सेनाओं के लिए गोलाबारूद तथा हथियारों के परीक्षण की जांच करता है। इस रेंज में लगभग 117 वर्ग किलोमीटर का विस्तृत क्षेत्र है और राज्य सरकार ने इसे "वर्जित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित किया है ।

2. 19/20 जनवरी, 1989 की रात को इस रेंज में स्थित गोलाबारूद तैयार करने वाली प्रयोगशालाओं (अम्युनिंएशन प्रीपेरेशन लैबोरेटरी) में से एक प्रयोगशाला से नकली गोलाबारूद से भरे 20 अक्रिय बम चोरी चले गए पाए गए। गोलाबारूद तैयार करने वाली प्रयोगशालाएं वे भवन हैं जहां परीक्षण के लिए ले जाने से पूर्व गोलाबारूद के उपकरणों का निरीक्षण किया जाता है, वजन तोली जाती है और उन्हें एकत्रित किया जाता है ।

3. चोरी गए नकली बमों में कोई उच्च विस्फोटक तत्व शामिल नहीं था जिससे कि किसी घातक नुकसान की सम्भावना हो और इस प्रकार इसका किसी विनाश आदि के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता । ये बम केवल नोदक परीक्षण (प्रोपलैंट प्रूफ) की जांच के काम आते थे। इस क्षेत्र में काफी खोज करने के पश्चात् आस-पास के क्षेत्रों से 20 बमों से 17 बम अंशतः नष्ट हुई स्थिति में पाए गए ।

4. 20 जनवरी, 1989 (पूर्वाह्न) को चोरी का पता लगा और मामला तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया गया जो कि इस मामले की जांच कर रही है । ब्रिगेडियर रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

5. आन्तरिक सुरक्षा विंग द्वारा इस रेंज में संवेदनात्मक क्षेत्रों की चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है । मध्य प्रदेश पुलिस से भी अनुरोध किया गया है कि वे पुलिस की गश्त बढ़ा दें। पुलिस और

विभागीय जाँच के निष्कर्षों के आधार पर, यदि सिफारिश की गई तो, आगे की सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नक्सलवादियों को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना

2316. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों में नक्सलवादियों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त प्रयास करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनातगी सहित सभी संभव सहायता दी गई है। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे वामपंथी उग्रवादी तत्वों के खिलाफ एकजुट अभियान चलाने के लिए, सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच समय-समय पर विचारविमर्श कराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी राज्य विशेष में दबाव डालने की स्थिति में आने पर सीमावर्ती राज्यों में आश्रय नहीं लें। इस बारे में सम्बन्धित सीमावर्ती राज्यों के पुलिस प्राधिकरण सावधिक विचार-विमर्श कर रहे हैं।

विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत भ्रमण

2317. **श्री कमल नाथ :**
श्री मुल्लापली रामचन्द्रन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत के भ्रमण पर आये और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) चालू वर्ष में पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1988 के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को शामिल करते हुए भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 15,90,661 थी। 1988-89 के दौरान पर्यटन से 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है।

(ख) योजना आयोग द्वारा सातवीं योजनावधि के दौरान भारत में पर्यटक यातायात की 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

हुबली के लिए विमान सेवा

2318. श्री डी० के० नायकर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली में हवाई पट्टी तैयार हो गई है और अब वहां से विमान उड़ सकते हैं और उतर भी सकते है; और

(ख) यदि हां, तो यहां से विमान सेवाएं कब से चालू हो जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रचालन के लिए यह लगभग तैयार है।

(ख) विमान सेवाओं को तभी शुरू किया जा सकता है जब हवाई अड्डा प्रचालनों के लिए तैयार हो और पर्याप्त यातायात एवं विमान क्षमता उपलब्ध हो।

तिरूपति में हवाई पट्टी

2319. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विमाननपत्तन प्राधिकरण तिरुपति एयरपोर्ट पर धावनपथ के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की सम्भाव्यता की जांच कर रहा है।

"फ्रांस आफर्स हेल्प इन सेटेलाइट लांच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2320. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फ्रांस आफर्स हेल्प इन सेटेलाइट लांच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रहों के प्रमोचन में भारत की सहायता के लिए फ्रांस की सरकार से कोई भी शासकीय प्रस्ताव नहीं मिला है, जैसाकि प्रैस रिपोर्ट में कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

2321. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में वायुदूत सेवाओं में वृद्धि करने तथा वायुदूत सेवा से कुछ और जिलों को जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) और (ख) वायुदूत, राजस्थान में पांच स्टेशनों पर पहले ही से सेवाएं प्रचालित कर रहा है। इनके अतिरिक्त, चितौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही (माउन्ट आबू), अजमेर, सवाई माधोपुर आदि नए स्टेशनों से विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) आधारभूत सुविधाओं के विकास और विमान क्षमता उपलब्ध होने पर, वायुदूत की राजस्थान में आबूरोड़, अजमेर, अलवर और गंगानगर को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

जबलपुर में बोइंग विमान सेवा

[अनुवाद]

2322. **श्री अजय मुशरान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विभिन्न हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में हवाई पट्टियों को बोइंग 737 विमान के उपयुक्त बनाया गया;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा वर्ष 1989-90 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनार्थ इन हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या उपर्युक्त योजना में जबलपुर को भी शामिल किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हवाई अड्डे के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(च) क्या जबलपुर हवाई अड्डे पर बोइंग सेवा आरम्भ करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हवाई पट्टी के विस्तार कार्यक्रम की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कालीकट, कोयम्बतूर और दीमापुर हवाई अड्डों को बोइंग-737 विमानों के प्रचालनों के योग्य बना दिया गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1988-89 के दौरान हवाई अड्डा-वार उपलब्ध करायी गई राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

हवाई अड्डा	सातवीं योजना के दौरान	वर्ष 1988-89 के दौरान
कालीकट	1306.00	181.00
कोयम्बतूर	323.76	192.00
दीमापुर	637.00	415.00

(ग) और (घ) अति विस्फोटक आयुध डिपो निकट होने के कारण रक्षा प्राधिकारियों द्वारा जबलपुर हवाई अड्डे से होकर विमानों के प्रचालनों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य नहीं किया जा सका।

(ङ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सामान्यता हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए एयरलाइनों की आवश्यकताओं, हवाई अड्डे के उन्नयन की संभाव्यता और निधियों की उपलब्धता आदि पर विचार करता है।

(च) और (छ) रक्षा प्राधिकारियों की आपत्तियां अभी भी हैं। इनके समाधान के उपाय किए जा रहे हैं। इन प्रतिबन्धों को हटाने के बाद ही जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन पर विचार किया जा सकता है।

साबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करना

2323. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में साबरीमाला में प्रतिवर्ष करीब 150 लाख तीर्थयात्री आते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस केन्द्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास

2324. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति के विकास के लिए एक समन्वित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इन योजनाओं का किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन में जिन संस्थाओं की सहायता की जाएगी उनका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जनशक्ति विकास का एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. स्नातकोतर तथा पोस्ट-डाक्टरल शिक्षण कार्यक्रम।
2. अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. ओवरसीज तथा राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएटशिप्स प्रदान करना।
4. अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
6. विदेशों से अतिथि वैज्ञानिक कार्यक्रम।
7. स्कूलों में आधुनिक जीव-विज्ञान तथा बायोटेक्नोलॉजी के शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षिणिक साधनों के रूप में कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास।

(ग) और (घ) विभिन्न जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, जैसी सरकारी एजेन्सियों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महासागर विकास विभाग जैसे सरकारी विभागों और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान

संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर/पोस्ट-डाक्टरल शिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित 17 संस्थानों में चल रहा है :—

1. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै।
2. पूना विश्वविद्यालय, पुणे।
3. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
4. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
6. एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा।
7. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
8. भारतीय कृषि अनुसंस्थान संस्थान, नई दिल्ली।
9. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर।
10. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट।
11. गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
13. भारतीय पशु रोग अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर।
14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई।
15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।
16. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।
17. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा।

बड़ी संख्या में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन

2325. **श्री के० राममूर्ति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना और सार्वजनिक सुनवाई इन दिशा-निर्देशों के भाग हैं; और

(ग) क्या तमिलनाडु में कुडनकुलम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थलों का चुनाव करते समय जो बातें ध्यान में रखी जाती हैं उनमें निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं—स्थल-भूविज्ञान, सामान्य जल-विज्ञान की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय कारण उदाहरणार्थ कहां-कहां कितनी-कितनी जनसंख्या है, भूमि का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है और मौसम सम्बन्धी स्थिति, भूकम्पनीयता, बाढ़ आना, अत्यधिक बड़े आकार के और भारी उपस्करों का परिवहन, ऊर्जा के क्षेत्रीय स्रोत क्या हैं, और बिजली की आवश्यकताएं, और बिजली की सप्लाई के लिए संचरण प्रणाली।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति परमाणु बिजलीघर लगाने से पहले ही ले ली जाती है। सार्वजनिक सुनवाई परमाणु बिजलीघर लगाने की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तथापि, परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के सभी चरणों में, काम करने वाले कार्मिकों की, जनसामान्य की और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी, हां।

जोधपुर जेल में नजरबंद व्यक्ति

2326. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर जेल में अभी तक कितने व्यक्ति नजरबंद हैं;

(ख) क्या सरकार का जोधपुर जेल के शेष नजरबंद व्यक्तियों को रिहा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) जोधपुर जेल के सभी नजरबन्द व्यक्तियों को कब तक रिहा किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सरकार ने जोधपुर जेल के सभी विचाराधीन बन्दियों के खिलाफ राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए दर्ज किए गए मुकद्दमें 6 मार्च, 1989 को वापस ले लिए हैं। इन्हें जोधपुर जेल से रिहा किया जा चुका है।

सिक्किम में परमाणु विद्युत संयंत्र

2327. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान देश में कुछ और परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या इनमें से कोई संयंत्र सिक्किम में स्थापित किया जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार की यह नीति है कि प्रारम्भ में परमाणु बिजलीघर देश के उन क्षेत्रों में लगाए जाएं जहां पर पानी या जीवाश्मी-ईंधन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन पर किया गया व्यय

2328. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पश्चिम बंगाल में पर्यटन आधार-संरचना के विकास के लिए निम्नलिखित राशि रिलीज की है—

1985-86	—	26.00 लाख रुपए
1986-87	—	20.38 लाख रुपए
1987-88	—	42.99 लाख रुपए

पर्यटकों को आकर्षित करना

2329. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्यटन स्थलों की ओर अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं और इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आवास (अशोक ग्रुप)

क्र० सं०	एकक का नाम	स्थापित/चालू होने की तारीख	स्टार श्रेणी	क्षमता	
				कमरे	बैड्स
1	2	3	4	5	6
ए. होटल्स					
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	01 अक्तूबर 56	*5 स्टार डीलेक्स	571	1141
2.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	01 अप्रैल, 64	*4 स्टार	213	360
3.	लोधी होटल, नई दिल्ली	15 सितम्बर, 65	3 स्टार	207	255
4.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	07 नवम्बर, 65	3 स्टार	186	226
5.	होटल अशोक, बंगलौर	01 मई, 71	*5 स्टार	181	362
6.	होटल अशोक, आगरा	17 सितम्बर, 86	4 स्टार	55	110
7.	होटल हसन अशोक, हसन	27 जुलाई, 72	*1 स्टार	16	92
8.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	09 सितम्बर, 72	*3 स्टार	48	96
9.	होटल औरंगाबाद अशोक	01 अक्तूबर, 72	*2 स्टार	66	132
10.	होटल खजुराहो अशोक	19 नवम्बर, 72	*3 स्टार	38	76
11.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	17 दिसम्बर, 72	*5 स्टार	125	250
12.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	26 जनवरी, 73	*4 स्टार	54	108
13.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट, मामल्लापुरम	19 मार्च, 73	*3 स्टार	22	44
14.	होटल वाराणसी अशोक	14 सितम्बर, 73	*4 स्टार	84	168
15.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	04 नवम्बर, 73	*5 स्टार	92	220
16.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	13 सितम्बर, 74	*5 स्टार	94	98

1	2	3	4	5	5
17.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	12 जून, 75	*5 स्टार	149	298
18.	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	7 अप्रैल, 76	*3 स्टार	46	92
19.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	14 दिसम्बर, 78	*4 स्टार	63	126
20.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	17 दिसम्बर, 79	*2 स्टार	64	128
21.	होटल मदुराई अशोक, मदुराई	1 दिसम्बर, 80	*3 स्टार	43	86
22.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	14 नवम्बर, 82	5 स्टार	269	538
23.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	3 अगस्त, 82	4 स्टार	317	634
24.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	18 अक्तूबर, 82	इकॉनामी क्लास	548	1238
25.	होटल बोधगया अशोक, बोधगया	11 जुलाई, 88	3 स्टार	30	60
				3571	6941

(बी) ट्रेवलर्स लॉज

1.	मनाली	जून, 67	1 स्टार	10	30

(सी) ट्रेवलर्स रेस्तरां

1.	ताज आगरा	दिसम्बर, 66	
2.	हम्पी	मई, 69	(राज्य सरकार द्वारा परिचालित)

*होटल तथा रेस्टोरेंट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति के अनुसार।

1	2	3	4	5	6
(डी) एयर पोर्ट रेस्तरां					
1.	बंगलौर	मई, 77			
2.	वाराणसी	जुलाई, 77			
3.	कलकत्ता	जनवरी, 79			
4.	दिल्ली	मई, 86			
5.	आगरा	अप्रैल, 87			
6.	औरंगाबाद	मई, 87			

परिवहन

(क) अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स—परिवहन एकक

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थापना की तारीख	एम्बैसडर कार	एम० बी० कार	कोचिज	मेटाडोर	जोड़
1.	वाराणसी	9 अगस्त, 73	6	3	2	—	11
2.	बंगलौर	17 फरवरी, 71	—	6	4	—	10
3.	मद्रास	16 अप्रैल, 69	3	7	14	—	24
4.	औरंगाबाद	13 दिसम्बर, 69	2	1	4	—	7
5.	पटना	25 जनवरी, 69	7	1	1	—	9
6.	आगरा	18 नवम्बर, 70	4	—	1	—	5
7.	दिल्ली	1 नवम्बर, 64	18	18	9	—	45
8.	कलकत्ता	10 मार्च, 93	3	8	3	—	14
9.	बम्बई	2 अगस्त, 71	2	14	9	—	25
10.	जयपुर	1 जनवरी, 69	5	2	1	—	8
11.	कोवलम (**)	—	—	—	—	—	—
	*मर्सिडीज बेंज		50	60	48	—	158

(**) कोवलम अशोक बीच रिसार्ट पर अतिथियों को अन्य एजेन्सियों से किराए पर वाहन लेकर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

III. पर्यटक प्रचार सामग्री का प्रकाशन और बिक्री

IV. शुल्क मुक्त दुकानें

क्रम सं०	अवस्थिति	स्थापना/चालू होने की तारीख
1.	दिल्ली हवाई अड्डा प्रस्थान विश्राम कक्ष	1 सितम्बर, 67
2.	दिल्ली हवाई अड्डा आगमन विश्राम कक्ष	1 जुलाई, 83
3.	कलकत्ता हवाई अड्डा प्रस्थान विश्राम कक्ष	15 मई, 68
4.	कलकत्ता हवाई अड्डा आगमन विश्राम कक्ष	28 जुलाई 83
5.	बम्बई हवाई अड्डा प्रस्थान विश्राम कक्ष	5 जनवरी, 69
6.	बम्बई हवाई अड्डा आगमन विश्राम कक्ष	9 जुलाई, 83
7.	मद्रास हवाई अड्डा प्रस्थान विश्राम कक्ष	19 दिसम्बर, 69
8.	मद्रास हवाई अड्डा आगमन विश्राम कक्ष	14 मई, 85
9.	शुल्क मुक्त दुकान, होटल सम्राट, नई दिल्ली	4 फरवरी, 81
10.	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा प्रस्थान विश्राम कक्ष	28 नवम्बर, 81
11.	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा आगमन विश्राम कक्ष	19 नवम्बर, 84

V. ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन

	लाल किला दिल्ली में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	25 मार्च, 65

VI. प्रदान की गई प्रबन्धकीय सेवाएं

क्रम सं०	अवस्थिति	स्थापना की तारीख	स्टार श्रेणी	क्षमता	
				कमरे	बैड्स
1	2	3	4	5	6
1.	कोवलम पैलेस होटल	24 अक्तूबर, 70	—	2	4
2.	ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद	21 अप्रैल, 72	—	—	—
3.	कोसी रेस्तरां	12 सितम्बर, 72	—	—	—

1	2	3	4	5	6
4.	ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन, शालीमार गार्डन, श्रीनगर	29 सितम्बर, 72	—	—	—
5.	कोवलम बीच सेंटर	दिसम्बर, 72	—	—	—
6.	भरतपुर फॉरेस्ट लॉज	7 फरवरी, 76	3 स्टार	18	36
7.	राज्य गेस्ट हाऊस और आतिथ्य केन्द्र, हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली	1975-76	—	—	—
8.	होटल पाइनवुड अशोक, शिलांग	1 सितम्बर, 81	3 स्टार	41	72
9.	होटल इम्फाल अशोक	28 फरवरी, 86	—	45	80
10.	वेस्टर्न कोर्ट केटरिंग सर्विस	1 जून, 79	—	—	—
11.	अशोक मयूर रेस्तरां विज्ञान भवन, नई दिल्ली	नवम्बर, 79	—	—	—
12.	होटल रतनादा अशोक, जोधपुर	2 अप्रैल, 87	3 स्टार	50	100
13.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	12 जून 87	3 स्टार	50	100
14.	होटल एक्जीक्यूटिव अशोक, पुणे	16 जनवरी, 88	4 स्टार	71	142
15.	होटल शालिनी पैलेस अशोक, कोल्हापुर	21 अप्रैल, 87	3 स्टार	42	84
16.	दिल्ली रेस्तरां, मास्को (यू० एस० एस० आर०)	4 जुलाई, 87	—	—	—
17.	होटल रांची अशोक, रांची	*	3 स्टार	30	60
18.	होटल जेफू अशोक, कोहिमा (नागालैण्ड)	14 नवम्बर, 88	3 स्टार	31	62
19.	होटल नीलाचल अशोक, पुरी	26 नवम्बर, 88	3 स्टार	36	72

1	2	3	4	5	6
20.	होटल पांडिचेरी अशोक	6 फरवरी, 89	3 स्टार	21	24
21.	गढ़वाल अशोक टेरेस (रेस्तरां) मसूरी	—	—	—	—
			जोड़ :	437	854
			कुल आवास :	4367	8503

*औपचारिक रूप से अभी चालू होना है।

उपर्युक्त के अलावा भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) गुलमर्ग में 51 कमरे का होटल दो चरणों में पूरा होना है (यथा प्रथम चरण में 31 कमरे और दूसरे चरण में 20 कमरे)।

(2) 37 कमरे जोड़कर होटल जयपुर अशोक का विस्तार।

(3) 21 कमरे जोड़कर मनाली में यात्री विश्राम गृह का विस्तार।

(4) भोपाल में संयुक्त उद्यम होटल परियोजना (47 कमरे)।

इनके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम ने चण्डीगढ़ में संयुक्त उद्यम होटल के लिए पंजाब पर्यटन विकास निगम के साथ तथा पहल गाम में एक संयुक्त उद्यम होटल के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सन्तोषजनक उपादेयता अध्ययन, और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन से सम्बन्धित लम्बित मामले

[हिन्दी]

2330. श्री लाल चन्द्र चैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1988 को स्वतन्त्रता सैनानियों के पेंशन से सम्बन्धित कितने मामले लम्बित पड़े थे;

(ख) इनमें से कितने मामले निपटा दिए गए हैं तथा कितने मामले अभी लम्बित पड़े हैं; और

(ग) 30 जून, 1988 के पश्चात् कितने नये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इनके निपटान में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 30 जून, 1988 को 1058 मामले लम्बित पड़े थे। 31 दिसम्बर, 1988 को 932 मामले लम्बित हैं। शेष मामले निपटा दिए गए हैं।

(ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31-3-1982 थी। इसके बाद प्राप्त हुए आवेदनों को समय के बाद प्राप्त हुए माना जाता है और उन पर तभी विचार किया जाता है जब उनके साथ, सरकारी रिकार्ड से लिखित साक्ष्य संलग्न हों। 30 जून, 1988 के बाद 1392 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 461 आवेदन लम्बित हैं। शेष मामले निपटा लिए गए हैं।

गुजरात में पर्यटक बंगलों का निर्माण

[अनुवाद]

2331. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य में पर्यटक यात्री भवनों (लाज), पर्यटक बंगलों और यात्री निवासों के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनावार इनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक-गृहों, पर्यटक बंगलों तथा यात्री निवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में घाटों का विकास

2332. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में धार्मिक/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण घाटों का विकास अथवा सुधार करने की योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा के इस प्रकार के घाटों से सम्बन्धित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार/रद्द किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) घाटों एवं महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थलों का विकास उपलब्ध संसाधनों से केन्द्र सरकार, राज्य

सरकार एवं प्राइवेट सेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रस्ताव की गुणवत्ता, निधियों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर मंजूर की जाती है।

विभिन्न स्थानों पर घाटों के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अब तक निम्नलिखित राशि मंजूर की है :—

	(लाख रुपए में)
1. श्रीरंगम में स्नान घाट (तमिलनाडु)	3.57
2. पापनासम में स्नान घाट (तमिलनाडु)	3.57
3. कन्याकुमारी में स्नान घाट (तमिलनाडु)	3.57
4. वाराणसी घाट (यू० पी०)	64.50
5. पुष्कर (राजस्थान) में इन्दिरा एवं कर्नी घाट	12.99

(ग) उड़ीसा सरकार से ऐसे घाटों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सूरजमुखी, सरसों तथा चावल की भूसी के लिए नई तकनीक

2333. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सेंट्रल फूड टेक्नालॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट) के सूरजमुखी, सरसों तथा चावल की भूसी के सम्बन्ध में नई तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नई तकनीकों को सफल बनाने हेतु खेतों में इनकी जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने खाद्य तेल का उत्पादन करने के लिए सूरजमुखी, सरसों और चावल की भूसी के संसाधन की नवीन प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, इससे आयात कम करने में सहायता मिलेगी।

(ख) (1) **चावल भूसी** :

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने अम्लीय उपचार द्वारा ताजी चावल भूसी के दृढ़ीकरण हेतु एक किफायती प्रक्रम (प्रविधि) का विकास किया है।

(2) **सूरजमुखी** :

सूरजमुखी के बीजों का छिलका उतारने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है जिससे

तेल की प्राप्ति में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। चूंकि, तेल मोम रहित और रंग में हल्का है इसलिए इसकी विक्रेयता बेहतर है।

(3) **सरसों** :

एक पूर्व संसाधन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है, जिसमें सरसों के बीजों का छिलका उतारना शामिल है। इससे तेल प्राप्ति में 2% वृद्धि हुई है और तेल गुणता में सुधार आया है।

(ग) नवीन प्रौद्योगिकियों का क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

चावल भूसी :

(1) अम्ल दृढ़ीकृत चावल की भूसी को हाल ही में एफ० सी० आई० सोलवेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, (विलायक निष्कर्षण संयंत्र) सेम्बानार कॉयल (तमिलनाडु) में संसाधित किया गया है।

सूरजमुखी विवल्कनित्र (छिलका उतारने वाला) :

(2) सूरजमुखी विवल्कनित्र बीज संसाधन पर कुल पैकेज निम्नांकित को प्रदान किया गया है।

1. मेसर्स गोदरेज सोप्स लिमिटेड।
2. मेसर्स कर्नाटका ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन।
3. तमिलनाडु एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन।
4. इण्डिया टूबेको कम्पनी।

सरसों :

(3) वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी तैयार है।

(घ) **चावल भूसी** :

यदि समस्त उपलब्ध चावल की भूसी को संसाधित किया जाए, तो अनुमान है कि वर्तमान 1.2 लाख टन उत्पादन के स्थान पर चावल भूसी के खाद्य ग्रेड तेल का 3 लाख टन उत्पादन हो सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के आयात में वृद्धि

2334. **श्री विष्णु मोदी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आयात में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या इन वस्तुओं का आयात इनके निर्यात के बराबर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो देश में आयात के इस बढ़ते रुख को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

आयात पर निर्भरशीलता वर्ष 1988 में काफी कम हुई है जो इलैक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों के उत्पादन में हुई 53.6 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि की दर के रूप में परिलक्षित होती है (उत्पादन वर्ष 1987 के 7000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1988 में 1075 करोड़ रु० हो गया) जबकि इसकी तुलना में, उपस्कर के क्षेत्र 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (उत्पादन वर्ष 1987 के 3890 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1988 में 5260 करोड़ रुपए हो गया।

(ख) और (ग) जी, हां। लेकिन सरकार ने आयात को सीमित रखने के लिए कई उपाय किए हैं, जो नीचे दिए गए है।

1. लाइसेंस प्रदान करने में उदार नीति अपनाकर तथा वित्तीय एवं कर सम्बन्धी रियायतों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को बढ़ावा देना है।

2. जहां भी स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन क्षमता तैयार हो गई है, वहां आयात न करने की कोशिश करना।

3. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के जरिए हार्डवेयर वस्तुओं तथा कल-पुर्जों के स्वदेशीकरण की नीति।

4. अर्धसंयोजित/पूर्णतः संयोजित कल-पुर्जों के आयात को सीमित रखना।

आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

2336. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ आफ इण्डिया लिमिटेड, (दो) इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, तथा (तीन) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-तीन, श्रेणी-दो, श्रेणी-एक के निम्नतम वर्ग और श्रेणी एक के निम्नतम वर्ग से ऊपर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातितों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नियमों में (एक) सीधी भर्ती और (दो) पदोन्नतियों में (वर्षवार और उपर्युक्त श्रेणीवार) कितनी आरक्षित पद-रिक्तियां अनारक्षित की गई; और

(ग) इन निगमों में आरक्षित पद-रिक्तियों को अनारक्षित करने से बचने और विशेषतः रोस्टर बनाएं रखने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी सैल के सम्बन्ध में आरक्षण आदेशों के उचित कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों से राज्य मन्त्री (श्री के० आर०, नारायणन) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विजयदुर्ग और सिन्धुदुर्ग किलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए वित्तीय सहायता

2337. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कोंकन क्षेत्र में सिन्धुदुर्ग जिले में ऐतिहासिक विजयदुर्ग और सिन्धुदुर्ग किले पर्यटक केन्द्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का प्राकृतिक सौंदर्य से इन ऐतिहासिक स्थानों पर पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पर्यटक केन्द्रों की पहचान, उनकी संभाव्यता का मूल्यांकन एवं केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों को तैयार करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग को विजयदुर्ग एवं सिंधुदुर्ग में पर्यटन आधार-संरचना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्वोत्तर राज्यों में उड़ानों में विलम्ब

2338. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में इण्डियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत की उड़ानों में 2 से 3 घन्टे तक विलम्ब हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा उड़ान सेवाओं को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जबकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानों में दो से तीन घण्टों का औसत विलम्ब हुआ है, इस अवधि के दौरान वायुदूत की उड़ानों में विलम्ब इससे कम अवधि का रहा है। इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानों में विलम्ब के मुख्य कारण थे, लीज पर लिए गए विमानों के निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने से विमानक्षमता की अत्यन्त कमी, दुर्घटना में विमान का नष्ट होना, अपेक्षाकृत घटनाओं के कारण विमानों का ग्राउन्ड किया जाना, प्रतिकूल मौसम स्थिति, दो उड़ानों के बीच कम अंतराल रहना, आदि। इण्डियन एयरलाइन्स ने उड़ानों में विलम्ब कम करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए है—

(1) बोइंग विमान का समग्र उपयोग कम कर दिया गया है ताकि बस स्टेशनों पर वैकल्पिक विमान क्षमता की व्यवस्था की जा सके।

(2) विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त विमान लीज पर लिए गए हैं।

(3) विभिन्न स्तरों पर उड़ानों की समय पाबन्दी पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण

2339. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश में वहां स्थित सभी पर्यटन स्थलों हेतु मास्टर योजनाएं बनाने के लिए सर्वेक्षण करेगा;

(ख) क्या विश्व पर्यटन संगठन द्वारा देश में पर्यटन के विकास हेतु देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) विश्व पर्यटन संगठन से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का पर्यटन संभाव्यता सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि, विश्व पर्यटन संगठन ने प्रस्तावित सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अभी तक कोई पक्का वायदा नहीं किया है। चूंकि इस विषय में न तो सरकार ने और न ही विश्व पर्यटन संगठन ने कोई निर्णय लिया है इसलिए ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

दानापुर छावनी बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ज्ञापन

[हिन्दी]

2340. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विधान परिषद के कुछ सदस्यों ने जनवरी-फरवरी, 1989 में ज्ञापन भेजा है जिसमें छावनी क्षेत्र से गंदगी और कूड़ा हटाने तथा दानापुर छावनी बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) बिहार के विधायकों से प्राप्त पत्रों में निम्नलिखित मामले उठाए गए हैं :—

(i) छावनी क्षेत्र में गन्दगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियां नियमित रूप से साफ नहीं की जातीं। सड़कें टूटी-फूटी हैं। छावनी कार्यपालक अधिकारी और सफाई सर्वेक्षक नियमित दौरा नहीं करते और महामारी के प्रकोप की संभावना है।

(ii) छावनी में भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(iii) क्या बच्चों का पार्क मौजूदा कब्रिस्तान में विकसित किया जाएगा ? इस पार्क की कीमत क्या होगी ? इस पार्क में कितनी कब्रें मौजूद हैं ?

2. विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(i) कूड़ा दूर किया जा रहा है और नालियां नियमित रूप से साफ की जाती हैं, बस स्टैंड की सड़क की मरम्मत की गई है, निधि उपलब्ध होने पर अन्य सड़कों की मरम्मत की जाएगी, छावनी क्षेत्र का सहायक स्वास्थ्य अधिकारी मासिक दौरा करते हैं और सफाई सर्वेक्षण प्रतिदिन दौरा करते हैं, कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं।

(ii) भ्रष्टाचार का कोई निश्चित-आरोप नहीं लगाया गया है ।

(iii) मार्शल बाजार क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए गए और जी० एल० आर० सर्वे की संख्या 291 और 292 में खाली भूमि पर एक पार्क विकसित किया गया, इस क्षेत्र में बाड़ लगाने पर 16,558 रुपए खर्च किए गए, पौधे लगाने आदि पर 7,114 रुपए खर्च किए गए, इस क्षेत्र में पांच प्लेट-फार्म हैं और यह पता नहीं चला है कि क्या ये कब्रें हैं, बाड़ लगे क्षेत्र में ये सभी प्लेट-फार्म सुरक्षित हैं ।

(iv) कब्रिस्तान समिति के पास 3382 वर्ग फीट भूमि है जो कि जी० एल० आर० में दर्ज है, यह बच्चों के पार्क से अलग है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

[अनुवाद]

2341. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर के वर्गों के कल्याण के लिये इस समय विद्यमान विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के लिये उक्त योजनाओं हेतु बजट में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और गत तीन वर्षों में आवंटित धनराशि की तुलना में जमा राशि कितनी है;

(ग) क्या आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों ने और अधिक धनराशि आवंटित किये जाने की मांग की है; क्या उन्होंने नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है अथवा विद्यमान योजनाओं में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन करने का सुझाव दिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों के अधीन हैं जैसे शिक्षा, कृषि, उद्योग, आवास तथा स्वास्थ्य। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, उनमें कुछ योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां;

(2) अस्वच्छ कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां (केवल कक्षा 6 से 10 तक);

(3) मैडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक;

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल-भवन;

(5) कोचिंग एवं संबद्ध योजनाएं (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति);

(6) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति)।

(7) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की क्रियान्विति के लिए मशीनरी।

(8) सफाई कर्मचारियों (स्केवैंजरत) की मुक्ति;

(9) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति);

(10) अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए शेयर-पूंजी; तथा;

(11) विशेष संघटक योजनाओं तथा आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

वर्ष 1988-89 के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जिन केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, उनके लिए 435 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है जिनमें विशेष केन्द्रीय सहायता के 180 करोड़ रुपए विशेष संघटक योजना और 180 करोड़ रुपए आदिवासी उप-योजनाओं के लिए शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए आवंटन और व्यय नीचे दिए गए हैं—

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1985-86	42.00	36.54
1986-87	42.00	42.34
1987-88	60.00	60.72

विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा विशेष संघटक योजनाओं तथा आदिवासी उप-योजनाओं को इस

उद्देश्य के साथ सहायता प्रदान की जाती है कि बहुउद्देशीय प्रभाव डाला जा सके और उन कमियों को दूर करने के लिए सहायता दी जा सके जो केन्द्रीय और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सामान्य वित्तीय निधियों से पूरी नहीं की जा सकतीं । पिछले 4 वर्षों के दौरान दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1985-86	165.00	140.00
1986-87	175.00	155.00
1987-88	175.00	166.50
1988-89	180.00	180.00

इस प्रकार विशेष केन्द्रीय सहायता सहित केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय उपयोजनाओं के अन्तर्गत बजट आवंटन में लगातार वृद्धि दी जा रही है ।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है कि विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचे और उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जा सके । पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के विशेष संघटक योजना परिव्यय और इन्हीं वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	परिव्यय	किया गया खर्च
1985-86	1001.03	959.17
1986-87	1201.62	1151.63
1987-88	1450.24	1485.17

चालू वर्ष 1988-89 के लिए अनुमानित विशेष संघटक योजना परिव्यय 1672.10 करोड़ रुपए है ।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की आदिवासी उपयोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए इसी प्रकार की पर्याप्त धनराशि और लाभ दिए जा रहे हैं ।

आदिवासी उपयोजना परिव्यय तथा किए गए खर्च निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	परिव्यय	किया गया खर्च
1985-86	977.71	975.76
1986-87	1234.28	1196.68
1987-88	1659.88	1408.92

वर्ष 1988-89 के लिए 1685.86 करोड़ रुपये का आवंटन है। आदिवासी उपयोजना के मामले में परिव्यय में भी वृद्धि हो रही है और वर्ष 1985-86 को छोड़कर इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है।

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों तथा योजनाओं को अपने अनुभव के आधार पर कार्यान्वित करने वाली अन्य ऐजेन्सियों ने वर्तमान कार्यक्रमों और योजनाओं में परिवर्तन और संशोधन करने का सुझाव दिया है। जब कभी ऐसे सुझाव प्राप्त होते हैं, उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और उन पर उपयुक्त विचार किया जाता है।

बेलेकेरे को अन्तर्राष्ट्रीय तटवर्ती पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करना

2342. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने उत्तर कनारा में बेलेकेरे को अन्तर्राष्ट्रीय तटवर्ती पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो बेलेकेरे में कौन से विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग को कर्नाटक सरकार से बेलेकेरे में 1.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर समुद्र-तट विहार-स्थल के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए है।

विदेशी मिशनरियां

2343. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में, राज्य-वार, कितनी विदेशी मिशनरियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1988 के दौरान बलात् धर्म परिवर्तन के बारे में कोई शिकायतें, विशेषकर मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले से, प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1-1-1988 को भारत में विदेशी मिशनरियों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1-1-1988 को भारत में स्थित विदेशी मिशनरियां

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मिशनरियों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	127
3.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
4.	आसाम	8
5.	बिहार	226
6.	चण्डीगढ़	4
7.	दादरा और नागर हवेली	शून्य
8.	दमन और दीव	शून्य
9.	दिल्ली	2
10.	गोआ	11
11.	गुजरात	32
12.	हरियाणा	शून्य
13.	हिमाचल प्रदेश	17
14.	जम्मू और कश्मीर	12

1	2	3
15.	कर्नाटक	134
16.	केरल	46
17.	लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपसमूह	शून्य
18.	मध्य प्रदेश	84
19.	महाराष्ट्र	157
20.	मनीपुर	6
21.	मेघालय	84
22.	मिजोरम	शून्य
23.	नागालैंड	शून्य
24.	उड़ीसा	37
25.	पांडिचेरी	20
26.	पंजाब	9
27.	राजस्थान	15
28.	सिक्किम	शून्य
29.	तमिलनाडु	399
30.	त्रिपुरा	शून्य
31.	उत्तर प्रदेश	शून्य
32.	पश्चिमी बंगाल	519

वेली (केरल) में अवकाश केन्द्र का विकास

2344. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम में वेली नामक स्थान पर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत अवकाश केन्द्र के विकास किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वेली पर्यटक ग्राम के विकास हेतु केरल सरकार से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को बाह्य सहायता के लिए भेजी गई है ।

विभागीय परिषद् की बैठकें

2345. **श्री राम समुझावन :**
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की विभागीय परिषद् की कार्यसूची को पिछले एक वर्ष से अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभागीय परिषद की कितनी बैठकें हुईं; और

(ग) विभागीय परिषद की कार्यसूची को अन्तिम रूप देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछली कार्यसूची दिनांक 6 जून, 1988 तथा 14 अक्तूबर, 1988 को हुई बैठकों में विचार-विमर्श के लिए परिचालित की गई थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई विभागीय परिषद की बैठकों के सत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1988	—	2 सत्र
1987	—	4 सामान्य सत्र तथा 2 विशेष सत्र
1986	—	कोई नहीं

(ग) विभागीय परिषद की आगामी बैठक 10 अप्रैल, 1989 को होनी निश्चित हुई है जिसमें कार्यसूची पर आगे विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय भण्डार से लेखन-सामग्री की खरीद

2346. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों को ये बाध्यकारी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अपनी आवश्यकता की लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की सभी स्थानीय खरीद केन्द्रीय भण्डार अथवा सुपर बाजार से ही करें;

(ख) यदि हां, तो सरकारी विभागों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं केन्द्रीय भण्डार से ही खरीदने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है;

(ग) क्या यह पाया गया है कि केन्द्रीय भण्डार द्वारा घटिया लेखन-सामग्री की और वह भी रक्षा स्टोरों/कैन्टीनों से भी ऊंची दरों पर बिक्री की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो गुणवत्ता में सुधार और मूल्य कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस आशय के बाध्यकारी अनुदेश हैं कि सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता की लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की सभी स्थानीय खरीद दिल्ली स्थित केन्द्रीय भण्डार अथवा सुपर बाजार से करें। दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसी वस्तुओं की खरीद वहां पर स्थित स्थानीय उपभोक्ता सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय भण्डार, यदि कोई हो, से ही करें।

यदि ये अभिकरण किसी वस्तु विशेष की सप्लाई करने में असमर्थ होते हैं उनसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर नियमों के अनुसार अन्य स्रोतों से खरीद की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा नहीं पाया गया है कि केन्द्रीय भण्डार घटिया लेखन सामग्री बेचता है। लेखन सामग्री सामान्यतः मांग करने वाले विभागों द्वारा निर्दिष्ट विशेष विवरण के अनुसार सप्लाई की जाती है। रक्षा केन्टीनें/भण्डार सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की निजी उपयोग की वस्तुएं बेचते हैं। इन केन्टीनों/भण्डारों की दरें बाजार में बिकने वाली इसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य से इस कारण कम होती हैं क्योंकि उनके सामले में केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा रियायती/घटी हुई दरों पर उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर लगाया जाता है। अतः केन्द्रीय भण्डार तथा रक्षा केन्टीनों/भण्डारों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मूक और बधिरों के लिए विद्यालय और महाविद्यालय

[हिन्दी]

2347. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मूक और बधिरों के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और संचालित विद्यालयों और महाविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में इस प्रकार के और विद्यालय/महाविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में बधिर बच्चों के लिए चलाए जा रहे/मान्यताप्राप्त स्कूल निम्नलिखित हैं :—

1. बधिरों के लिए गवर्नमेंट लेडी नोयस स्कूल-नर्सरी प्राईमरी से माध्यमिक स्तर तक भोजन प्रबन्ध।
2. नर्सरी प्राईमरी स्कूल, कालका जी।
3. नर्सरी प्राईमरी स्कूल, शाहदरा।
4. नर्सरी प्राईमरी स्कूल (पश्चिम)।

2. स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे तथा कल्याण मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल/संस्थाएं निम्नलिखित हैं :—

1. अखिल भारतीय बधिर संघ, 18, नार्थ एंड कम्पलैक्स, रामाकृष्णा आश्रम, नई दिल्ली-110001।

2. बलवन्तराय मेहता, विद्या भवन, ग्रेटर कैलाश III, (ब्लाक्स ई, जी तथा एच मस्जिद मोठ), नई दिल्ली।

3. श्रवण विकलांगों के लिए भारतीय सोसाईटी, 1/1864, मोती राम मार्ग, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, नई दिल्ली।

4. प्रभा ललित कला सांस्कृतिक व शिल्प संस्थान, पहाड़गंज, आराम बाग लेन, नई दिल्ली।

3. दिल्ली प्रशासन ने गवर्नमेंट लेडी नोयस स्कूल के वर्तमान माध्यमिक स्तर को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नयन करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है।

विकास के लिए राज्यों को सहायता

[अनुवाद]

2348. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास के लिए प्रत्येक राज्य को अनुमानतः कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या इस धनराशि का उसी उद्देश्य के लिए सही उपयोग किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकार द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा और राज्य योजनाओं और विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रत्यक्ष राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 और विवरण-4 में दिया गया है। यद्यपि सभी राज्यों ने दी गई केन्द्रीय सहायता के बराबर या अधिक के खर्च की सूचना दी है तो भी कुछ मामलों में अनुमोदित योजना परिव्यय समाप्त नहीं हुआ। जहां तक विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का सम्बन्ध है किसी वर्ष विशेष में खर्च न किया गया शेष रहा है लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि यह राशि विशेष समस्याओं का निराकरण करने के लिए है, राज्यों से योजना अवधि के भीतर ही खर्च न हुई राशि को व्यय करने का अनुरोध किया गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-1

राज्यों का वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक वार्षिक योजनाओं के लिए परिव्यय/केन्द्रीय सहायता और व्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य	1985-86			1986-87		
		परिव्यय	दी गई केन्द्रीय सहायता	व्यय	परिव्यय	दी गई केन्द्रीय सहायता	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	विशेष वर्ग के राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*
2.	असम	410.00	406.88	400.92	500.00	467.79	499.02
3.	हिमाचल प्रदेश	177.00	169.88	192.32	215.00	172.49	238.80
4.	जम्मू व कश्मीर	260.00	326.45	274.42	337.65	359.22	337.66
5.	मणिपुर	70.00	98.92	69.69	87.00	105.97	84.13
6.	मेघालय	75.00	64.37	73.67	91.00	91.62	89.04
7.	मिजोरम	*	*	*	*	*	*
8.	नागालैण्ड	65.00	123.31	63.45	78.00	135.57	73.86
9.	सिक्किम	41.00	45.72	42.13	50.88	53.39	52.71
10.	त्रिपुरा	86.00	92.06	93.76	105.00	107.57	115.06
ख.	गैर विशेष वर्ग के राज्य						
11.	आन्ध्र प्रदेश	810.00	330.23	942.92	1000.00	291.97	1204.10
12.	बिहार	851.00	539.23	932.21	1277.24	452.28	1281.21
13.	गुजरात	804.00	704.26	825.02	950.00	219.79	965.61
14.	गोआ	*	*	*	*	*	*
15.	हरियाणा	460.00	160.74	422.81	525.00	130.60	480.92
16.	कर्नाटक	651.00	190.00	637.67	766.00	189.23	696.17

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	केरल	355.00	274.41	366.39	390.00	259.35	427.55
18.	मध्य प्रदेश	1170.00	318.62	1009.76	1377.16	342.68	1169.00
19.	महाराष्ट्र	1700.00	329.34	1747.20	1925.00	341.58	1963.77
20.	उड़ीसा	450.00	201.84	445.64	605.00	241.26	574.26
21.	पंजाब	500.00	252.17	467.83	575.00	390.63	678.93
22.	राजस्थान	430.00	223.54	427.64	530.00	236.61	527.84
23.	तमिलनाडु	960.00	291.98	999.29	1153.00	262.62	1150.68
24.	उत्तर प्रदेश	1642.00	640.02	1710.45	1907.60	659.43	2005.42
25.	पश्चिम बंगाल	675.00	187.63	700.34	786.00	232.20	714.95
कुल जोड़ (क)+(ख)		12662.00	5472.50	12845.5	15231.53	5743.85	15331.29

*उस समय राज्य नहीं था।

क्रम सं०	राज्य	1987-88		
		परिव्यय	दी गई केन्द्रीय सहायता	व्यय
1	2	9	10	11
क.	**विशेष वर्ग के राज्य**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	110.00	133.27	111.78
2.	असम	575.00	528.52	572.40
3.	हिमाचल प्रदेश	235.00	234.81	276.96
4.	जम्मू व कश्मीर	387.50	418.84	405.18
5.	मणिपुर	105.00	120.03	105.33
6.	मेघालय	110.00	108.20	110.35
7.	मिजोरम	70.00	63.67	71.66
8.	नागालैण्ड	94.75	159.66	95.25

1	2	9	10	11
9.	सिक्किम	54.10	60.36	57.93
10.	त्रिपुरा	125.00	125.62	138.24
ख.	गैर विशेष वर्ग के राज्य			
11.	आन्ध्र प्रदेश	1112.43	319.12	1123.21
12.	बिहार	1400.00	500.84	1194.84
13.	गुजरात	890.51	254.34	1101.60
14.	गोआ	79.75	129.75	88.72
15.	हरियाणा	430.28	59.33	463.84
16.	कर्नाटक	769.45	185.78	702.10
17.	केरल	380.60	203.68	390.43
18.	मध्य प्रदेश	1516.11	379.22	1412.90
19.	महाराष्ट्र	2100.00	313.95	2190.47
20.	उड़ीसा	742.02	261.61	701.39
21.	पंजाब	650.00	698.56	790.32
22.	राजस्थान	606.00	266.65	644.84
23.	तमिलनाडु	1250.00	333.77	1276.58
24.	उत्तर प्रदेश	2009.79	784.84	2214.93
25.	पश्चिमी बंगाल	871.25	253.45	782.93
कुल जोड़ (क)+(ख)		16674.53	6897.87	17014.18

*उस समय राज्य नहीं था ।

विवरण-2

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन परिव्यय और व्यय

(करोड़ रु०)

वर्ष	राज्य	परिव्यय			व्यय		
		रा० यो०	वि० के० स०	जोड़	रा० यो०	वि० के० स०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1985-86	असम	28.70	22.08	50.78	28.53	22.20	50.73

1	2	3	4	5	6	7	8
	उ० प्रदेश	69.00	107.98	176.98	79.53	108.55	188.03
	प० बंगाल	14.50	9.21	23.71	18.63	9.26	27.89
	तमिलनाडु	6.30	6.73	13.03	15.94	5.85	21.79
1986-87	असम	35.00	25.90	60.90	35.00	25.90	60.90
	उ० प्रदेश	85.00	120.00	205.00	87.66	120.00	207.66
	प० बंगाल	13.68	9.50	23.18	20.35	9.50	29.85
	तमिलनाडु	16.11	7.30	23.41	17.29	7.48	24.77
				(प्रत्याशित व्यय)			
1987-88	असम	41.00	27.69	68.69	40.92	27.69	68.61
	उ० प्रदेश	105.35	120.65	235.00	109.89	120.65	239.54
	प० बंगाल	18.88	10.44	29.32	21.43	10.44	31.87
	तमिलनाडु	10.38	7.90	18.28	18.40	7.90	26.30

रा० यो०—राज्य-योजना प्रवाह ।

वि० के० स०—विशेष केन्द्रीय सहायता ।

विवरण-3

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य	1985-86			1986-87			1987-88			1987-88 के अन्त में कुल खर्च हुई राशि
		दिया गया	व्यय	खर्च न हुआ	दिया गया	व्यय	खर्च न हुआ	दिया गया	व्यय	खर्च न हुआ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	महाराष्ट्र	729.00	692.00	37.00	826.32	838.07	—	901.00	894.39	6.61	43.61
2.	कर्नाटक	457.00	401.01	55.99	633.00	606.69	26.31	667.00	589.70	77.30	159.60
3.	केरल	492.50	492.50	—	509.00	488.67	20.33	507.18	439.88	67.30	87.63
4.	तमिलनाडु	372.51	372.41	0.10	434.00	433.30	0.70	471.00	459.90	11.10	11.90
5.	गोआ	110.00	104.95	5.05	110.00	103.07	6.93	115.00	118.29	—	11.98

टिप्पणी : पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए राज्यों ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें खर्च न की गई राशि को प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह विशेष समस्याओं का निदान करने के लिए थी। उनसे खर्च न की गई शेष राशि वर्तमान वर्ष के अन्त तक प्रयुक्त कर लेने को कहा गया है।

विवरण-4

जनजातीय उप-योजना

वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई राशि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय

(लाख रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि	सूचित व्यय 1985-86	दी गई राशि	सूचित व्यय 1986-87	दी गई राशि	सूचित व्यय 1987-88
आन्ध्र प्रदेश	740.00	772.79	850.38	972.77	1063.23	1190.43
असम	632 40	493.38	710.63	689.00	705.83	704.00
बिहार	1964.41	1841.23	2066.05	1920.69	2178.10	1863.57
गुजरात	1126.66	1126.66	1246.95	1246.95	1347.58	1023.75
हिमाचल प्रदेश	205.36	202.52	241.24	233.93	237.19	253.94
कर्नाटक	148.13	142.30	116.26	129.88	127.47	142.59
केरल	70.01	76.75	77.76	72.16	83.74	83.80
मध्य प्रदेश	3969.98	3180.52	4399.72	4392.00	4518.48	4787.00
महाराष्ट्र	970.69	1028.56	1072.00	1075.00	1284.51	1167.60
मणिपुर	252.85	257.89	280.91	303.86	281.76	306.01
उड़ीसा	1915.00	1896.82	2174.48	2174.24	2263.82	2125.02
राजस्थान	910.28	595.76	1019.90	700.40	1138.15	716.16
सिक्किम	38.99	38.71	38.96	37.53	39.57	36.47
तमिलनाडु	145.93	145.39	162.09	155.60	178.54	185.03
त्रिपुरा	250.17	229.65	263.67	178.96	273.23	219.16
उत्तर प्रदेश	27.87	18.34	31.10	18.28	35.23	19.68
पश्चिम बंगाल	616.27	617.15	701.29	702.30	831.57	836.57
अण्डमान व निकोबार	30.00	24.35	40.00	25.36	50.00	45.96
गोआ, दमन व दीयू	5.00	4.98	6.00	5.10	7.11	7.11

टिप्पणी : योजना अवधि के भीतर विशेष केन्द्रीय सहायता की शेष राशि के प्रयोग की अनुमति दी जाती है।

अकोला के लिए वायुदूत सेवा

2349. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित अकोला के लिए वायुदूत सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब शुरू की गई;

(ग) क्या इस समय यह सेवा चल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अकोला के लिए वायुदूत सेवा का उद्घाटन 1 अक्तूबर, 1988 को किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2350. **श्री जी० एस० बासवराजू** :
श्री शान्ति लाल पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) 1989-90 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत तैयार की गई हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है। ये क्षेत्र कार्यक्रम—सूखा प्रवृति क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०), जनजातीय उप-योजना (टी० एस० पी०), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच० ए० डी० पी०), पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू० जी० डी० पी०), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०), वर्धन केन्द्रों का विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०) इत्यादि से सम्बद्ध हैं।

कन्या शिशुओं की हत्या

2351. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "सेंटर कन्सन्डं ऐट फीमेल इन्फेंटिसाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह अपराध कौन-कौन से राज्यों में बढ़ता जा रहा है; और

(ग) गत छह महीनों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और इस बुराई को मिटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने समाचार देखा है ।

(ख) और (ग) अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-हड़ताल करना, उनका पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेवारी है । अपराध से संबंधित कानूनों को लागू करना उनका उत्तरदायित्व है । फीमेल इन्फेंटिसाईड के मामलों की सूचना केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संकलित नहीं की जाती है ।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2352. **डा० दत्ता सामंत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा कोंकण जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि मन्जूर की है;

(ख) इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी; और

(ग) क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस धनराशि को वितरित करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश दिए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है, राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित क्षेत्रीय बैकलॉग को दूर करने के लिए राज्य सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रु० का परिव्यय दर्शाया गया था। वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में, समग्र पंचवर्षीय योजना परिव्यय को ध्यान में रखकर और वर्षानुवर्ष संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में, परिव्यय प्रदान किए जाते हैं । 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए राज्य द्वारा 500 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर आवंटन किए जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

[हिन्दी]

2353. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए विशेष सहायता मंजूर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का विचार है तथा यह कब तक दी जायेगी;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई धनराशि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन क्षेत्रों के विकास के लिए और अधिक सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश को उनके पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए हर वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए इस प्रकार की सहायता के मम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है। चालू वर्ष के लिए 150.75 करोड़ रु० की विशेष सहायता आवंटित की गई है।

(ग) से (ङ) सातवीं योजना के लिए उत्तर-प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों तथा योजना के पहले चार वर्षों के दौरान वास्तव में आवंटित निधियों का प्रवाह निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

अवधि	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़
1985-90	521.50	553.50	1075.00
1985-89	396.83	508.85	905.78

कोचीन, गोआ, बंगलौर, मद्रास के हवाई अड्डों पर टिकटों की बिक्री से आय

[अनुवाद]

2354. **श्री तम्पन थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन हवाई अड्डे पर वर्ष 1988 के दौरान इण्डियन एयरलाइंस टिकटों की प्रतिदिन औसतन बिक्री कितनी थी;

(ख) कोचीन, गोआ, बंगलौर और मद्रास के हवाई अड्डों पर इन्डियन एयरलाइन्स की टिकटों की बिक्री से वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कितनी-कितनी आय हुई; और

(ग) इन हवाई अड्डों से प्रतिदिन कितने-कितने विमान उड़ते हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केलेण्डर

वर्ष 1988 में कोचीन हवाई अड्डे पर इण्डियन एयरलाइन्स की प्रतिदिन औसतन बुकिंग 49 टिकट थी। जिनसे लगभग 23,000 रुपए की औसत राशि प्राप्त हुई।

(ख) वर्ष 1987-88 में, कोचीन, गोआ, बंगलौर और मद्रास हवाई-अड्डे पर इण्डियन एयर-लाइन्स के टिकटों से लगभग 782.19 लाख रुपए की बिक्री हुई।

(ग) कोचीन, गोवा, बंगलौर और मद्रास हवाई अड्डों से/को होकर इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत द्वारा प्रचालित उड़ानों का विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) इण्डियन एयरलाइन्स

क्र०	मार्ग	वायुयान	अवधि
1	2	3	4
कोचीन			
1.	बम्बई-कोचीन-बम्बई	21 बी-737	साप्ताहिक
2.	दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम और वापसी	7 बी-737	,,
3.	मद्रास-बंगलूर-कोचीन और वापसी	7 बी-737	,,
गोवा			
1.	बम्बई-गोवा-बम्बई	7 एबी	,,
2.	बम्बई-गोवा-बम्बई	2 ए 310	,,
3.	बम्बई-गोवा-बम्बई	5 बी-737	,,
4.	दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम और वापसी	7 बी-737	,,
5.	बंगलूर-गोवा-बंगलूर	3 बी-737	,,
बंगलूर			
1.	बम्बई-बंगलूर-बम्बई	14 एबी	,,
2.	दिल्ली-बंगलूर	7 एबी	,,
3.	मद्रास-बंगलूर-कोयेम्बटूर और वापसी	7 बी-737	,,
4.	बंगलूर-मंगलोर-बंगलूर	4 बी-737	,,
5.	बम्बई-बंगलूर-बम्बई	7 बी-737	,,
6.	मद्रास-बंगलूर-त्रिवेन्द्रम और वापसी	5 बी-737	,,
7.	बंगलूर-पूना-बंगलूर	4 बी-737	,,
8.	बंगलूर-मदुरै-बंगलूर	3 बी-737	,,

1	2	4	5
9.	मद्रास-बंगलूर-कोचीन और वापसी	7 बी-737	साप्ताहिक
10.	मद्रास-बंगलूर-अहमदाबाद और वापसी	3 बी-737	"
11.	बंगलूर-गोवा-बंगलूर	3 बी-737	"
12.	हैदरागाद-बंगलूर-हैदराबाद	9 बी-737	"
13.	दिल्ली-बंगलूर-दिल्ली	5 बी-737	"
14.	दिल्ली-बंगलूर-दिल्ली	2 बीएई 146	"
15.	कलकत्ता-बंगलूर-कलकत्ता	7 बी-737	"
16.	मद्रास-बंगलूर-मद्रास	7 बी-737	"
17.	हैदराबाद-बंगलूर-त्रिवेन्द्रम और वापसी	2 बी-737	"
मद्रास			
1.	बम्बई-मद्रास-बम्बई	14 एबी	"
2.	बम्बई-मद्रास-बम्बई	1 बी-737	"
3.	मद्रास-सिंगापुर-मद्रास	1 एबी	"
4.	दिल्ली-हैदराबाद-मद्रास और वापसी	14 एबी	"
5.	दिल्ली-मद्रास-दिल्ली	4 बी-737	"
6.	मद्रास-बंगलूर-कोचीन और वापसी	7 बी-737	"
7.	मद्रास-बंगलूर-कोयम्बटूर और वापसी	7 बी-737	"
8.	मद्रास-पोर्टब्लेयर-मद्रास	3 बी-737	"
9.	मद्रास-त्रिचि-मदुरै-मद्रास	9 बी-737	"
10.	मद्रास-कोलम्बो-मद्रास	6 बी-737	"
11.	मद्रास-त्रिचि-कोलम्बो-मद्रास	1 बी-737	"
12.	मद्रास-विजाग-कलकत्ता और वापसी	6 बी-737	"
13.	मद्रास-बंगलूर-त्रिवेन्द्रम और वापसी	5 बी-737	"
14.	मद्रास-त्रिवेन्द्रम-मद्रास	2 बी-737	"
15.	मद्रास-बंगलूर-अहमदाबाद और वापसी	3 बी-737	"
16.	मद्रास-बंगलूर-मद्रास	7 बी-737	"
17.	मद्रास-कलकत्ता-मद्रास	7 बी-737	"
18.	मद्रास-तिरुपति-विजयवाड़ा-हैदराबाद और वापसी	2 एचएस-748	"

(ख) वायुदूत

क्र० सं०	मार्ग	अवधि	वायुयान
1.	बम्बई-पूणे-गोवा और वापसी	सप्ताह में ज्वार	डी० ओ० 228
2.	मद्रास-नेवेली-तञ्जावूर और वापसी	"	"
3.	मद्रास-तिरूपति-बंगलौर और वापसी	"	"
4.	मद्रास-तिरुपति और वापसी	"	"
5.	मद्रास-कोयम्बटूर-मद्रास	दैनिक	"
6.	मद्रास-नेवेली-मद्रास	सप्ताह में 3 बार	"
7.	मद्रास-तिरुपति-विजयवाड़ा राजमुंदरी-विजाग और वापसी	"	"
8.	मद्रास-कोचीन-अगाती और वापसी	"	एम० एस०-748
9.	हैदराबाद-बेल्लारी-बंगलौर-मैसूर और वापसी	"	डी० ओ०-228
10.	हैदराबाद-गोआ-हैदराबाद	"	"

इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया द्वारा किराए में वृद्धि

[हिन्दी]

2355. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री बी० तुलसीराम :
श्री पी० एम० सईद :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का विमान किराए में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किराए में इस वृद्धि से इन हवाई कम्पनियों की हानि की किस हद तक पूर्ति होगी; और

(घ) किराए में इस वृद्धि के कारण सरकार पर सरकारी अधिकारियों के दौरों तथा यात्राओं के कारण होने वाले व्यय में कितनी वृद्धि होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के किरायों में वृद्धि के बारे में इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विमान सेवाओं के विस्तार का कार्यक्रम

2356. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमान सेवाओं के विस्तार का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो अगले दो वर्षों में किन-किन स्थानों के लिए विमान सेवाएं आरम्भ की जायेंगी; और

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लिए भी विमान सेवा प्रारम्भ करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जबकि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडियन को अगले दो वर्षों के दौरान किसी नए स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने को कोई योजना नहीं है, लेकिन आधार-भूत सुविधाओं के विकास, विमान क्षमता की उपलब्धता और परिचालन को आर्थिक साध्यता के आधार पर चालू योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान वायुदूत की 33 नए स्टेशनों को हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना है। वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित 33 स्टेशनों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में वायुदूत द्वारा विमान से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों की सूची

क्रम सं०	स्टेशनों के नाम	राज्य
1	2	3
1.	आबू रोड	राजस्थान
2.	अजमेर	राजस्थान
3.	तिरनेवेली	तमिलनाडु
4.	अलवर	राजस्थान
5.	भिलाई	मध्य प्रदेश
6.	कालीकट	केरल

1	2	3
7.	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
8.	चेट्टीनाड	तमिलनाडु
9.	दियू	संघ शासित
10.	द्वारका	गुजरात
11.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
12.	गंगानगर	राजस्थान
13.	गंगटोक	सिक्किम
14.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
15.	गोपालपुर	उड़ीसा
16.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
17.	हुबली	कर्नाटक
18.	जलगांव	महाराष्ट्र
19.	तूतीकोरिन	तमिलनाडु
20.	झारसुगुडा	उड़ीसा
21.	जालंधर	पंजाब
22.	किश्तवार	जम्मू और काश्मीर
23.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
24.	मिसा	असम
25.	नाजिरा	असम
26.	पठानकोट	पंजाब
27.	पटियाला	पंजाब
28.	पाण्डिचेरी	संघ शासित
29.	सुरानकोट	जम्मू और काश्मीर
30.	पूर्णिया	बिहार
31.	रायचूर	कर्णाटक
32.	रूपसी	असम
33.	सादिया	असम

नागर विमानन सेवाओं में सुधार के लिए व्यय

[अनुवाद]

2357. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री ऐस० एम० गुरड्डी :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नागर विमानन सेवाओं में सुधार लाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और किन-किन मुख्य मदों पर धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) विमानों की संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी और हवाई-अड्डों का कितना आधुनिकीकरण किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) परिवहन सैक्टर के लिए एक अच्छी दीर्घ-कालीन संदर्श योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग ने परिवहन योजना के लिए एक संचालन समिति का गठन किया था। संचालन समिति ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दे दी है। संचालन समिति की रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालय द्वारा अपनी निगमित योजनाओं का विकास किए जाने के लिए अपेक्षित साधनों की व्यवस्था की गई है। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है, अतः योजना आयोग द्वारा संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्राथमिकता वाले सैक्टरों की तात्कालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर अन्य सैक्टरों के साथ नागर विमानन सैक्टर की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। अतः यह कहना संभव नहीं है कि भविष्य में अन्तिम स्थिति क्या होगी।

एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स का विमान बेड़ा

2358. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री बी० तुलसीराम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के बेड़े में विमानों की वर्तमान संख्या, पृथक-पृथक कितनी है;

(ख) तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अभी उपयोग में लाये जा रहे उन विमानों की संख्या क्या है जो दस वर्ष से अधिक पुराने हैं;

(ग) उन विमानों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो विमानन प्रमाणपत्र के अनुसार चालन-दूरी से अधिक दूरी तक उड़ान भर चुके हैं और असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं;

(घ) क्या इनमें से कोई विमान अभी भी उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का वर्तमान विमान बेड़ा निम्न प्रकार है :—

प्रकार	विमानों की संख्या
इण्डियन एयरलाइन्स	
एयरबस ए-309	11 (लीज पर लिया गया एक विमान शामिल है)
बी-737	29 (लीज पर लिए गए 5 विमा सहित)
एच० एस० 748 (एवरो)	4
एफ 27 (फोकर फ्रेंडशिप)	2
	46
एयर इण्डिया	
बी 747—200	10
बी 747—300	2
एयरबस ए 300 बी 4	3
एयरबस ए 310—300	6
	21

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स में 6 एयरबस (लीज पर लिए गए एक विमान सहित), 13 बी-737 (लीज पर लिए गए दो विमानों सहित) और सभी एच० एस०—748 तथा एफ०-27 विमान और एयर इण्डिया में 5 बी 747-200 विमान 10 वर्ष से अधिक समय से प्रचालन में हैं।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के विमान बेड़े में ऐसा कोई विमान नहीं है जिसने अपना कार्य-काल समाप्त कर लिया हो और इन सभी विमानों के पास उड़ान-योग्यता के चालू प्रमाण-पत्र उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे सम्बन्धी समिति के चेयरमैन की नियुक्ति

2359. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने हेतु नियुक्त समिति के चेयरमैन का पद रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो नये चेयरमैन की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति अपना कार्य जारी रखे हुए है और जून, 1989 के अन्त तक इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यात्रियों को परेशान किया जाना

2360. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर व्याप्त भ्रष्टाचार और यात्रियों के पास वैध और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्राप्त विमान टिकटें होने के बावजूद उन्हें परेशान किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं सौर दोषी पाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर व्याप्त भ्रष्टाचार और यात्रियों को परेशान करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

"हंगरीन मेटल यूनिट्स टु बी बेस्ड आम इण्डियन ओर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2361. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1989 को "इकनामिक टाइम्स" में "हंगरीन मेटल

यूनिट्स टु बी बेसड आन इण्डियन ओर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत की यात्रा पर आए हंगरी के योजना राज्य मंत्री के साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मुद्दे पर विचार-विमर्श नहीं किया गया क्योंकि आयोजना विशेषज्ञों के भारतीय हंगेरियन दल का संविमर्श केवल तकनीकी आयोजना मुद्दों और मामलों पर ही हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी विमान सेवाओं द्वारा त्रिवेन्द्रम के लिए उड़ान सेवा आरम्भ करना

2362. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी विमान सेवा ने सरकार से त्रिवेन्द्रम के लिए अपनी उड़ान सेवायें आरम्भ करने हेतु सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पिछले कुछ समय में, गल्फ एयर को छोड़कर, किसी भी विदेशी एयरलाइन ने त्रिवेन्द्रम के लिए सेवाएं परिचालित करने के लिए आवेदन नहीं किया है। गल्फ एयर के आवेदन को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

केरल में पर्यटन विकास की परियोजनायें

2363. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में भेजे गए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केरल में पर्यटन परियोजनाओं हेतु 166.54 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। 1988-89 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार

द्वारा भेजी गई निम्नलिखित परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है :—

1. कन्नानौर में यात्री निवास
2. पुनमुडी में ट्रेकर्स हट्स
3. नेलियाम्पेथी में ट्रेकर्स हट्स
4. देविकोलम में पर्यटक आवास

यद्यपि कन्नानौर में यात्री निवास के लिए विस्तृत योजनाओं और अनुमानों की प्रतीक्षा है, किन्तु अन्य परियोजनाएं 1988-89 के दौरान विभाग की परस्पर प्राथमिकताओं की श्रेणी में नहीं आतीं।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट

2364. **श्री डी० बशीर** :
श्री उत्तम राठौड़ :
श्री हेत राम :

क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से ग) सरकार का यह मत रहा है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट में निहित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आदि के प्रश्न पर तब तक यथास्थिति बनाई रखी जाए जब तक कि इस पर राष्ट्रीय जनमत प्राप्त नहीं हो जाता।

वायुदूत द्वारा रद्द की गई उड़ानें पुनः आरम्भ किया जाना

2365. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत द्वारा चालू वर्ष के दौरान अपनी कुछ उड़ानें रद्द की गईं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रद्द की गई उड़ानें कब से पुनः आरम्भ की जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, विमान क्षमता की कमी या धावनपथ की मरम्मत के कारण नौ स्टेशनों पर उड़ाने रद्द की गई थीं।

(ग) जबकि छः स्टेशनों पर प्रचालन दुबारा शुरू कर दिया गया है, अन्य तीन स्टेशनों पर सेवाएं, विमान-क्षेत्रों के परिचालनात्मक होते ही शुरू कर दी जाएंगी।

वायुदूत के विमानों में दोष

2366. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत के कितने विमान सेवा से हटा दिये गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस समय वायुदूत द्वारा प्रयोग किए जा रहे "डोरनियर" विमानों में अनेक दोष पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वायुदूत का डोरनियर विमानों के स्थान पर और कौन से विमान प्रयोग में लाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय वायुदूत ने दो डोर्नियर-228 और एक एफ-27 विमान को मरम्मत के लिए ग्राउन्ड किया हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पवन हंस लिमिटेड के हेलीकाप्टरों में सीटों की संख्या

2367. **श्री हुसैन हलवाई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में हेलीकाप्टरों में कितनी सीटें हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान बेड़े में हेलीकाप्टरों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पवन हंस लिमिटेड के विमान बेड़े में 19 वेस्टलैंड और 20 डॉफिन हेलिकाप्टर हैं जिसमें कर्मीदल सहित प्रत्येक में क्रमशः 19 और 13 सीटों की क्षमता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वायरलैस आपरेटरों की पदोन्नति के अवसर

[हिन्दी]

2368. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत वायरलैस आपरेटरों को 20 वर्ष की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं मिलती है जबकि सामान्य संवर्ग के अन्य कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान सूबेदार के पद तक पदोन्नति प्राप्त हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और गत्यावरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिगनल कार्मिकों को शुरू में नायक रेडियो आपरेटर के पद पर नियुक्त किया जाता है। आर० ओ० जी० II/II श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे लगभग 18 वर्षों में अगले रैंक में पदोन्नति पाकर हैड कांस्टेबल रेडियो आपरेटर बन जाते हैं। के० रि० पु० ब० में कांस्टेबलों (सामान्य ड्यूटी) को अपनी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए रैंक अर्हताएं प्राप्त करनी होती हैं और विनिर्दिष्ट परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं। एक कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) लगभग 30 वर्ष की सेवा के बाद सूबेदार के पद पर पहुंचता है।

अल्पसंख्यक आयोग को स्वतन्त्र निकाय का दर्जा देना

[अनुवाद]

2369. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनाव आयोग की तरह अल्पसंख्यक आयोग को स्वतंत्र निकाय का दर्जा देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, नहीं।

(ख) चुनाव आयोग के कार्य अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों से पूर्णतः भिन्न हैं। फिर भी, अल्पसंख्यक आयोग जैसाकि इस समय इसका गठन किया हुआ है, अपने कार्यों के सम्बन्ध में बिल्कुल स्वतन्त्र है।

कुछ इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर शुल्क समाप्त करने की मांग

2370. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी सामान निर्माताओं ने आयात की जाने वाली कुछ आवश्यक कच्ची सामग्री पर शुल्क समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि सामग्रियों पर रियायती शुल्क के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन शुल्क के समाप्त करने की मांग को स्वीकार करना सम्भव नही पाया गया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन

2371. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ और जातियां जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(ग) क्या दलित वर्गों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम शिक्षित पीढ़ी को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रस्ताव विचाराधीन है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कोई भी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखकर केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

(ख) किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी भी समुदाय को शामिल संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखकर केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने अनुसूचित जातियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु कोचिंग केन्द्र, परामर्श के लिए रोजगार केन्द्रों में कोचिंग एवं मार्गदर्शन केन्द्र, मार्गदर्शन प्रदान करने और आत्मविश्वास की भावना जागृत करने, शार्टहैंड और टाइपिंग केन्द्र आदि शामिल है। यह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ट्राइसेम आदि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं। इन सभी उपायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने में सहायता मिली है।

आयुध कारखाना, मुरादनगर के कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि योजनाओं हेतु विकल्प

2372. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखाना, मुरादनगर के कितने कर्मचारियों की वर्ष 1983 और 1984 के दौरान मृत्यु हुई;

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि के लिए तथा कितने श्रमिकों ने सामान्य भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया था; और

(ग) कितने कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि योजना तथा सी० सी० एस० पेंशन रूल, 1972 में रहने के लिए लिखित में विकल्प दिया था ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : *(क) वर्ष 1983 और 1984 के प्रत्येक पंचांग वर्ष के दौरान बीस-बीस औद्योगिक कर्मचारियों की मृत्यु हुई।*

(ख) 1983 में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से तीन कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया था और 17 ने सामान्य निधि के लिए विकल्प दिया था। 1984 में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से एक कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया और 19 ने सामान्य भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया।

(ग) 1983 में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से केवल एक कर्मचारी ने लिखित रूप में अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए विकल्प दिया। 1984 में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से किसी ने भी अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए लिखित रूप में विकल्प नहीं दिया था। 1983 में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनमें से शेष दो कर्मचारियों, जो कि अस्थायी कर्मचारी थे और एक कर्मचारी जिसकीमृत्यु 1984 में हुई और जिसने अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया था। इनको निर्धारित समय-सीमा के भीतर विकल्प न देने के कारण अंशदायी भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया हुआमाना गया। वे 17 कर्मचारी और 19 कर्मचारी जिन्होंने सामान्य भविष्य निधि के लिए विकल्प दिया था और जिनकी मृत्यु क्रमशः 1983 और 1984 में हो गई थी, उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत पेन्शन योजना के लिए लिखित रूप में विकल्प दिया था।

उत्तर प्रदेश में यात्री निवास भवनों का निर्माण

[हिन्दी]

2373. **श्री हरीश रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने "यात्री निवास" भवनों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) यात्री निवास भवनों के निर्माण के लिए चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में भर्ती शिविर लगाना

2374. **श्री हरीश रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस द्वारा गत एक वर्ष में भर्ती शिविर लगाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने शिविर लगाए गए थे;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कैंप लगाये गए थे;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह शिविर लगाए गए थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन स्थानों पर यह शिविर लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना इस प्रकार है :

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—	388
दिल्ली पुलिस	—	12

(ग) से (ङ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 1988 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और रानीखेत नाम शहरों में भर्ती शिविर लगाए गए थे । इस अवधि में दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई भी भर्ती शिविर नहीं लगाया गया । दिल्ली पुलिस का फिलहाल इन क्षेत्रों में ऐसे भर्ती शिविर लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

रानीखेत छावनी बोर्ड के लिए विशेष सहायता

2375. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत छावनी बोर्ड द्वारा सड़कों, बिजली के रख-रखाव और खेल के मैदानों की व्यवस्था करने के लिए विशेष सहायता/अनुदान देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) :

(क) जी, हां ।

(ख) 8,38,400 रुपए ।

(ग) और (घ) उपलब्ध निधि में से छावनी बोर्ड को 3.50 लाख रुपये का एक विशेष सहायता अनुदान दिया गया है ।

पंजाब में नागरिकों को लाइसेंस शुदा हथियार

[अनुवाद]

2376. श्री महेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नागरिकों को और अधिक निर्बाध रूप से लाइसेंसशुदा हथियार जारी करने का विचार है जिससे कि वे आतंकवादियों से भयभीत न रहें और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों में खराबी

2377. श्री महेन्द्र सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पवन हंस" द्वारा संचालित वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों में किन्हीं बड़ी खराबियों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनको ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) गत वर्ष पवन हंस हेलीकाप्टरों की दुर्घटनाओं के लिए ये खराबियां किस हद तक उत्तरदायी थीं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यह कहना सही नहीं होगा कि पवन हंस के प्रचालन में वेस्टलैंड हेलीकाप्टर में किसी बड़ी खराबी का पता चला है ।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

थोरियम का विदोहन

2378. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए थोरियम संसाधनों का विदोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या थोरियम संसाधनों का शीघ्र विदोहन करने हेतु फ्यूजन ब्रीडर प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सक्रिय अनुसंधान और विकास कार्य पर जोर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्टॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) पांचवें दशक के दौरान, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने केरल की मोनाजाइट रेत से थोरियम निकालने की प्रक्रिया विकसित की थी। ट्राम्बे स्थित साइरस अनुसंधान रिएक्टर में थोरियम की छड़ों को किरणित करके यूरेनियम-233 की कुछ मात्रा पैदा की गई और अनुसंधान अनुप्रयोगों के लिए उसे रसायनों द्वारा पृथक किया गया। यूरेनियम-233 से चलने वाले "कामिनी" नामक न्यूट्रॉन स्रोत रिएक्टर को काम में लाकर अल्प-शक्ति की स्थिति में समांगी रिएक्टर से परीक्षण करने की व्यवस्था का कलपाक्कम में निर्माण किया जा रहा है। थोरियम/यूरेनियम 233 चक्रण पर प्रचालित किए जाने के लिए भारी पानी को मन्दक के रूप में इस्तेमाल करने वाले पावर रिएक्टरों और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का डिजाइन इष्टतम बनाने के वास्ते अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) संलयन सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में जो प्रगति हाल ही में हुई है उससे ऐसे संकेत मिले हैं कि थोरियम में विखण्डनीय ईंधन बनाने के लिए न्यूट्रान स्रोत के रूप में ऐसे सरलीकृत संलयन रिएक्टर को काम में लाया जा सकता है जिसमें ड्यूटीरियम और ट्रीशियम के भारी हाइड्रोजन आइसोटोपों को जलाया जाता हो। संलयन रिएक्टर सम्बन्धी प्रौद्योगिकी अभी विकास की अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और इस प्रौद्योगिकी को यथार्थ रूप हासिल करने से पहले कई प्रौद्योगिकी कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विद इस क्षेत्र में विश्व में हो रहे विकास का अनुकरण कर रहे हैं।

उड़ीसा में अनिवासी भारतीयों द्वारा होटलों की स्थापना

2379. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने उड़ीसा में "हालीडे होम" स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा और अन्य राज्यों में पर्यटन स्थलों पर होटलों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों और अन्य देशों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में होटलों में पूंजी-निवेश को आकर्षक अप्रत्यावर्तनीय तथा प्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। अप्रत्यावर्तनीय स्कीम में, अनिवासी भारतीय 100% तक इक्विटी पूंजी निवासी भारतीय भागीदारी की बाध्यता के बिना लगा सकते हैं।

दूसरी ओर, 40 प्रतिशत या 74 प्रतिशत इक्विटी सम्बन्धी दो स्कीमों के अन्तर्गत 3, 4 और 5 स्टार श्रेणियों के होटलों के मामले में पूंजीगत निवेश एवं लाभांश को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण

2380. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) निर्माण कार्य तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डों पर क्रमश: 17.49 करोड़ रुपए और 19.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन दोनों टर्मिनलों के अप्रैल, 1989 और नवम्बर, 1991 में पूरा होने की आशा है। इन टर्मिनलों पर निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्य चल रहा है।

उड़ीसा के लिए बहु-विषयक मानचित्र

2381. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में बहु-विषयक मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के लिए भी ऐसा मानचित्र तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन ने भारत की राष्ट्रीय एटलस तैयार की है जिसमें पूरे देश के बहु-विषयक मानचित्र हैं। ऐसे मानचित्र केवल किसी एक राज्य के लिए तैयार नहीं किये जाते। विभिन्न प्लेटों में मानचित्र के पैमाने के आधार पर एक अथवा एक से अधिक राज्य आते हैं। उड़ीसा राज्य राष्ट्रीय एटलस में अनेक मानचित्रों में दिखाया गया है। फिर भी, उड़ीसा राज्य का अलग से एक बहु-विषयक मानचित्र भी उपलब्ध है (प्लेट नं० 254)।

श्री हरिकोटा में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रेंज स्थापित करना

2382. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा स्थित बलईपाल में राष्ट्रीय प्रक्षेपात्र परीक्षण रेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या बलईपाल रेंज इसके लिए उपयुक्त नही है क्योंकि इसके निकट पारादीप पत्तन स्थित है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए श्री हरिकोटा के बारे में भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो श्री हरिकोटा में परीक्षण रेंज स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस जगह की व्यापक रूप से जांच की गई है और राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र की स्थापना के लिए इसे उपयुक्त नहीं पाया गया ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सलाहकार समिति

2383. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सलाहकार समिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) यात्रियों द्वारा विमानपत्तनों का सुगमता और सुविधाजनक रूप से उपयोग करने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान सलाहकार समिति ऐसे सलाहकारी कार्य कर रही है जिनकी परिकल्पना उसके गठन के समय की गई थी ।

(ख) मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डों पर स्थित नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों तथा बम्बई हवाई अड्डे पर स्थित नए अंतर्देशीय टर्मिनल का निर्माण-कार्य चल रहा है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बम्बई हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के तीसरे माड्यूल के निर्माण की भी योजना है । यात्री सुविधाओं के लिए नए टर्मिनलों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सज्जित किया जाएगा ।

इंडियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के कार्यकरण में सुधार हेतु उठाए गए कदम

2384. **श्री शरद दिघे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1988 के बाद से एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध तथा कर्मचारियों के महत्वपूर्ण वर्गों के बीच सम्बन्ध सुधारने, दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा उड़ान समय का पालन करने में सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, अपर्याप्त विमान क्षमता, औद्योगिक अशान्ति जैसे कुछ कारणों से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की कुछ उड़ानों में विलम्ब हुआ है।

नवम्बर, 1988 से इण्डियन एयरलाइन्स अथवा एयर इण्डिया का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।

कुल 20800 कर्मचारियों में से 19213 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 में से यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ करारों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। एयर इन्डिया के प्रबन्धक और यूनियनों के बीच विचार-विमर्श में काफी प्रगति हो गई है।

पंजाब में पुलिस द्वारा सरपंचों तथा ग्राम प्रधानों को परेशान किया जाना

[हिन्दी]

2385. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के कुछ क्षेत्रों में सरपंचों तथा ग्राम प्रधानों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाही की है; और

(घ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) 1988 में पंजाब सरकार को ग्राम पंचायत चीमा, जिला संगरूर से पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच की गई। पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। पुलिस जिला बटाला के सरपंचों और पंचायतों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच की गई और जांच परिणामों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

पंजाब सरकार इस बारे में अनुदेश जारी कर चुकी है कि राज्य में सभी सरपंचों/पंचों को उचित आदर दिया जाए। राज्य में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए जिला समितियां गठित की गई है।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिकी उद्योग

[अनुवाद]

2386. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के संवर्द्धन और विकास के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान योजनावधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई, अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और अब तक कितने एकक स्थापित किए जा चुके हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) प्रगतिशील लाइसेंसिंग एवं संवर्धनात्मक नीतियों को अपनाकर सरकार राज्यों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिकी निगम भी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है।

तमिलनाडु में सहायता उपलब्ध कराने के जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए परीक्षण तथा विकास सुविधाओं का संचालन, ऐसे संघटक-पुर्जों तथा प्रणालियों के अध्ययन के लिए विश्वसनीयता केन्द्र चलाना जिनसे घरेलू एवं निर्यात बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को बढ़ावा मिल सके। इस केन्द्र को विभाग द्वारा उचित धन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के राष्ट्रीय रेडार परिषद के माध्यम से कई परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कि अन्तर्जलीय वस्तुओं के कर्षण-यन्त्र का डिजाइन, भू-स्थित नौवहन उपस्करों में तापीय समस्याएं, उच्च शक्ति वाले ठोस अवस्था के लेसर स्रोतों का विकास आदि। वैद्युत चुम्बकीय केन्द्र की स्थापना प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर) (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था) के अन्तर्गत की गई है।

स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी उपस्करों की प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सिद्धान्त के रूप में मद्रास में एफ० एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई० डिजाइन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है।

तमिलनाडु राज्य में टेलीफोन उपकरणों, रेडियो पेजिंग प्रणालियों, 128 पोर्ट के ई० पी० ए० बी० एक्सचेंजों, अंकीय बहु अभिगमन रेडियो प्रणालियों आदि के विनिर्माण के लिए 14 आशय-पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 4 आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया गया है।

भारत-पाक सीमा पर तस्करी

2387. श्री चिन्तामणि जेना :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक भारत-पाक सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई तथा इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत-पाक सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1988 के पूर्वार्द्ध 1988 के उत्तरार्द्ध और जनवरी तथा फरवरी, 1989 के दौरान पकड़ी गई मदों के ब्यौरे, मूल्य सहित, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सीमा सुरक्षा बल, जो भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा कर रहा है, को सुदृढ़ किया गया है। अधिक सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं। घुसपैठियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। कार्य तेज करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक उपकरणों और वाहनों से लैस किया गया है।

विवरण

भारत-पाक सीमा पर पकड़ी गई मदों के ब्यौरे

वर्ष	अवधि	पकड़ी गयी मदें	मूल्य* रुपए में
1	2	3	4
1988	जनवरी से जून, 88	94.192 कि० ग्रा० सोना	2,95,61,014.00 रुपए
		317.892 कि० ग्रा० हेरोइन	
		637 कि०ग्रा० चरस	
		250 ग्राम अफीम	
		40 कि०ग्रा० पोप्पी हुस्क	
		11.500 कि०ग्रा० कीमती पत्थर	40,500.00 रु०
		अन्य वस्तुएं	61,20,597.34 रु०
	जुलाई से दिसम्बर, 88	32.435 कि०ग्रा० सोना	1,23,21,260.00 रु०
		378 कि०ग्रा० हेरोइन	
		282.990 कि०ग्रा० चरस	
		28 कि०ग्रा० पोप्पी हुस्क	
		2 कि० ग्राम अफीम	
		अन्त वस्तुएं	79,10,369.55 रु०

1	2	3	4
	1989 जनवरी से फरवरी, 89	77.805 कि०ग्रा० सोना	2,92,01,500.66 रु०
		600 कि० ग्रा० हेरोइन	
		·05 ग्राम अफीम	
		अन्य माल	11,15,917.10 रु०
		डालर सं० 47,550	

*हेरोइन, चरस और पप्पी हुस्क आदि के सामने उसकी कीमत नहीं दिखाई गई है क्योंकि ये नष्ट कर दी जाती हैं।

एयर इण्डिया के विमानचालकों/इन्जीनियरों का विदेश जाना

2388. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा एक विमानचालक अथवा एक इन्जीनियर के प्रशिक्षण पर कितना खर्च किया जाता है;

(ख) क्या एयर इण्डिया विमानचालकों अथवा इंजीनियरों के नौकरी छोड़कर अन्यत्र जाने को रोकने के लिए सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. शिवराज वी० पाटिल) : (क) एयर इण्डिया द्वारा विमानचालकों और इन्जीनियरों के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय लगभग इस प्रकार है :—

एयरबस ए 300 बी० 4 सह-विमानचालक	—	5.09 लाख रुपए
एयरबस ए 310-300 सह-विमानचालक	—	4.88 लाख रुपए
बोइंग 747 सह-विमानचालक	—	7.02 लाख रुपए
एयरबस विमान का कमाण्डर	—	15.2 लाख रुपए
बोइन्ग 747 विमान का कमाण्डर	—	21.45 लाख रुपए

दो वर्ष की अवधि के दौरान स्नातक इन्जीनियर के प्रशिक्षण की लागत 2.30 लाख रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तलचर हैवीवाटर प्लांट का बन्द होना

2389. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्थापित तलचर हैवीवाटर प्लांट बन्द हो गया है और यदि हां, तो कब से;

(ख) इस हैवीवाटर प्लांट के बन्द होने के लिए कौन से मुख्य घटक जिम्मेदार हैं; और

(ग) संयंत्र कब तक पुनः चालू हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत

2390. **श्री वी० बासवराजू :**
श्री शान्तिलाल पटेल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और नागा विद्रोहियों के बीच कोई बातचीत प्रारम्भ हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र से रिसाव

2391. **श्री वी० एस० बासवराजू :**
श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 दिसम्बर, 1988 को राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र की एक यूनिट के दक्षिण-दिशा के परिरक्षी आवरण से थोड़ी मात्रा में पानी के रिसाव होने की जांच का आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1987 में भी इसी दिशा में परिरक्षी आवरण से इसी प्रकार का रिसाव हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में विस्तृत जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की दक्षिणी एंड-शील्ड की कैलेंड्रिया साइड ट्यूब शीट में दरार पड़ने के कारण शुरू में रिसाव हुआ था। रिसाव जिस स्थान पर है वहां पहुंचना मुश्किल है और वह अत्यधिक विकिरण से प्रभावित क्षेत्र है और, इसलिए, उस स्थान की मरम्मत दूरी से नियंत्रित होने वाले उपकरणों द्वारा करनी होगी। वर्ष 1987 में जो रिसाव हुआ था उसे ठीक करने के लिए सील करने की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद यूनिट को फिर से चालू कर दिया गया। इस यूनिट में वर्ष 1987 और 1988 में क्रमशः 218 और 473 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ और इस समय, 30 दिसम्बर, 1988 को फिर से हुए रिसाव को बन्द करने के लिए इस यूनिट की मरम्मत की जा रही है। हल्के पानी का रिसाव रिएक्टर भवन के भीतर ही है और इस रिसाव से संयंत्र के कार्मिकों, आम जनता या पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है।

फ्रांस द्वारा रक्षा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अन्तरण की पेशकश

2392. **श्री बी० एस० बासवराजू** :
श्री शान्तिलाल पटेल :
श्री हरिहर सोरन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने रक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अन्तरण और उत्पादन के लिए लाइसेंस देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौते को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) श्रीमन, मांगी गई सूचना शायद दिसम्बर, 1988 के दौरान फ्रांस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के संदर्भ में है। फ्रांस से प्रौद्योगिकी के अन्तरण और नए रक्षा क्षेत्रों में लाइसेंस के आधार पर उत्पादन का प्रश्न छानबीन की स्थिति में है। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के बीच चर्चा किए जाने के लिए प्रबन्ध करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जाना है। इस विषय पर अभी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले

2393. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों के बारे में 9 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संयुक्त रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुएं तथा फर्नीचर, बर्तन आदि और पुरुष-परिधानों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के विचारण-क्षेत्र से हटा दिया गया है और विवाहित महिला भारतीय दण्ड संहिता धारा 406 के अन्तर्गत पति/ससुराल के लोगों से इन वस्तुओं के लिए दावा नहीं कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो मई, 1985 से जुलाई, 1987 के दौरान दर्ज ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उक्त कानून की अनदेखी करके ससुराल वालों के घर से फर्नीचर, बर्तन, पुरुष-परिधान आदि वस्तुएं भी जब्त कर ली थीं; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें विवाहित महिलाओं द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करने और मामला दर्ज किए जाने से पूर्व ससुराल वालों से इन वस्तुओं को वापस लेने का कोई दावा नहीं किया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार केवल पुरुष परिधान स्त्रीधन के अधीन नहीं आते हैं।

(ख) किसी भी मामले में पुरुष परिधान की वस्तुएं जब्त नहीं की गई हैं।

(ग) मामले को दर्ज करने की एक पूर्व अनिवार्य बात यह है कि वस्तुओं को लौटाने की मांग की गई हो तथा मामला तभी दर्ज किया जाता है जब वस्तुओं को लौटाने से मना किया गया हो।

पंजाब में बलात्कार के मामले

2394. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1988 के दौरान बलात्कार के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1988 (नवम्बर तक) के दौरान पंजाब में बलात्कार के 49 मामले दर्ज किए गए।

(ख) केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना संकलित नहीं की जाती है।

पंजाब में अपराध

2395. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1988 से 31 जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान पंजाब में डकैती/लूट एवं कत्ल के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) कितने मामले दर्ज किए गए, कितने माले सुलझाए गए तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और न्यायालयों में चालान दाखिल किए गए; और

(ग) इन अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1988 (नवम्बर तक) के दौरान पंजाब में डकैती, लूटपाट और हत्या के दर्ज मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

डकैती	—	107
लूटपाट	—	550
हत्या	—	1648

बैंक डकैती/लूटपाट को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अलग से दर्ज नहीं किया जाता है, वे "डकैती"/"लूटपाट" के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) हल किए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और न्यायालय में चालान दाखिल किए गए मामलों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(ग) राज्य सरकार और इसकी कानून व्यवस्था बनाए रखने सम्बन्धी तन्त्र ने अपराधों को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय किए हैं।

विधवाओं को पेंशन

[हिन्दी]

2396. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्रत्येक वर्ष कितनी विधवाओं को पेंशन देती है और ऐसी पेंशन के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई इस पेंशन का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) विधवाओं के कल्याण के लिए तैयार की गई/तैयार की जाने वाली प्रस्तावित अन्य योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा

स्वयं अपनी योजनाओं के अन्तर्गत विधवाओं को पेंशन दी जाती है। विधवाओं को पेंशन देने की कोई केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना नहीं है। भुगतान की जाने वाली पेंशन की मात्रा एक दूसरे राज्य से अलग-अलग होती है।

(ग) इस समय कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

भारतीय शिपयार्डों में पनडुब्बियों का निर्माण

[अनुवाद]

2397. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिपयार्डों में पनडुब्बियों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम जर्मनी की मैसर्स एच०डी०डब्ल्यू०, जिसने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी अन्तरित की है, की सहायता से मझगांव डॉक लिमिटेड में पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।

नौसेना अकादमी इझिमाला

2398. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इझिमाला में नौसेना अकादमी के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या अकादमी के डिजाइन के बारे में निर्णय ले लिया गया है;

(ग) क्या केरल सरकार ने अपेक्षित भूमि दे दी है; और

(घ) क्या मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कों, पुलों आदि का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) अकादमी के लिए वास्तुविद्/डिजाइन का चयन करने के लिए एक अखिल भारतीय वास्तु-शिल्पीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। चयन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई "जूरी" का निर्णय और प्रतियोगिता का परिणाम प्राप्त किया जा चुका है। चुना गया वास्तुविद् परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। जलीय और स्थान सम्बन्धी अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करने पर चुने जाने वाले वास्तुविद् द्वारा अकादमी का अन्तिम डिजाइन तैयार किया जाएगा।

(ग) इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 979 हेक्टेयर भूमि पहले ही सौंप दी है। 12.39 हेक्टेयर और भूमि का अर्जन किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। राज्य सरकार ने दो सड़कों और एक पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया है।

केरल को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

2399. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत केरल राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और यह धनराशि किन-किन उद्देश्यों के लिए खर्च की गई;

(ग) अभी कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है;

(घ) क्या आवंटित धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोग न किए जाने के कारण निरस्त हो जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि को दूसरे उद्देश्यों के लिए खर्च करने की अनुमति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पृथक भारतीय पर्यटन सेवा की स्थापना

2400. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह एक पृथक भारतीय पर्यटन सेवा स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा तकनीकी सहायता की पेशकश

2401. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने भारतीय विमानपत्तनों पर विमान संचालन सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात प्रणाली के आधुनिकीकरण के सम्बन्धों में अपेक्षित प्रणाली का मूल्यांकन करने की दृष्टि से तथा आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक विभिन्न उपस्करों के सम्बन्ध में विस्तृत विनिदेश तैयार करने हेतु विस्तृत अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के तकनीकी सहायता ब्यूरो ने अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। यदि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर्याप्त न हो तो उपस्करों तथा प्रणालियों के विस्तृत विनिदेश तैयार करने के लिए "इकाओ" से सीमित सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अंटार्कटिक अभियान

2402. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितने देशों ने अंटार्कटिका के लिए अभियान दल भेजे हैं;

(ख) क्या अंटार्कटिका भारत के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक महत्व का विषय रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अंटार्कटिका अभियान से वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे देशों की संख्या 20 है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रम से, इस देश के वैज्ञानिक अंटार्कटिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों, विशेषतः भूविज्ञान, भूभौतिकी, मौसम-विज्ञान, जीव-विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूचुम्बकत्व और वायुमंडलीय भौतिकी के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। अंटार्कटिक में आधार-भूत रचना के अभिकल्प तथा विकास, आवास तथा कार्य सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में प्रचुर उपयोगी सूचना प्राप्त कर ली गई है और नवीन प्रौद्योगिकी के रूपान्तरण के अनुभव के बारे में जानकारी तैयार कर ली गई है।

निर्यात माल

2403. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में निर्यात माल को विमान परिवहन प्रणाली में विशेष विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात माल की परिवहन प्रणाली में सुधार लाने तथा इसका विस्तार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पिछले दो दशकों में निर्यात के विमान भाड़े का प्रतिशत 28% से बढ़कर 35 % और आयात के विमान भाड़े का प्रतिशत 12% से बढ़कर 20% हो गया है। पिछले दो वर्षों में माल यातायात में भारी तेजी आने के कारण मांग उपलब्ध क्षमता से अधिक हो गई। एयर इण्डिया दी बोइंग-747 कोम्बी विमान प्राप्त करके, मालवाही विमान पट्टे पर लेकर और अन्य विमान कम्पनियों को मालवाही उड़ानों के परिचालन की अनुमति देकर इस स्थिति का मुकाबला कर रही है। सरकार भी, कार्यों के व्यस्ततम समय में आंतरिक लदान अधिकारों के साथ अतिरिक्त कार्गो सैक्सन उड़ानों को अनुमति दे रही है।

माइक्रोलाइट विमानों की खरीद

2404. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरो क्लब आफ इण्डिया ने विदेशों से 20 से अधिक माइक्रोलाइट विमान खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा इन विमानों के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माइक्रोलाइट विमानों के प्रचालन से सम्बन्धित नियम तैयार किए जा रहे हैं।

कर्नाटक में बीजापुर में हवाई पट्टी

2405. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बीजापुर ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीजापुर में हवाई पट्टी का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और इसके लिए भूमिस्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बीजापुर में हवाई पट्टी का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बीजापुर में एयरपोर्ट के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

बंगलौर में यात्री निवास

2406. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में, आवास-वार कितने यात्री निवास हैं;

(ख) बंगलौर शहर में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने यात्री निवास निर्माणाधीन हैं और कितनों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) बंगलौर शहर में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान यात्री निवास के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव था ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (ग) वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा बंगलौर नगर में कोई यात्री निवास निर्मित नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1988-89 के दौरान 36.02 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मैसूर में एक यात्री निवास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

बंगलौर में नेशनल सॉफ्टवेयर सेंटर

2407. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर में एक नेशनल सॉफ्टवेयर सेंटर की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा;

(ग) यह कब से कार्य करना आरम्भ करेगा;

(घ) उक्त केन्द्र से कितने उद्योगों को लाभ होगा;

(ङ) क्या जिन उद्योगों को लाभ होगा वे उपर्युक्त केन्द्र के कार्यकरण में सहयोग देंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (च) जी, हां। बंगलौर स्थित केन्द्र के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएं जुटाने का कार्य प्रगति पर है।

बंगलौर शहर के हवाई अड्डे पर आप्रवास काउंटर खोलना

2408. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर शहर जाने वाले विमान यात्रियों को आप्रवास सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने के लिए मद्रास जाना पड़ता है;

(ख) क्या बंगलौर शहर के हवाई अड्डे पर एक आप्रवास काउंटर खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह काउंटर कब खोला जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमन्। आप्रवासन और सीमा-शुल्क औपचारिकताएं मद्रास हवाई अड्डे पर ही पूरी कर दी जाती हैं क्योंकि बंगलौर हवाई अड्डे पर इन औपचारिकताओं के लिए समुचित व्यवस्था और आवास उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) जब भी इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रबन्ध पूरे हो जाएंगे।

पेरूवन्नामुज्झी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

2409. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में पेरूवन्नामुज्झी को, जहां झील और वन हैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस स्थल के विकास के लिए कोई योजना भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) किसी पर्यटक केन्द्र की संभाव्यता का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) पेरूवन्नामुज्झी में पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का सम्बन्ध वित्तीय वर्ष 1989-90 से है जो अभी प्रारम्भ होना है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों का अव्यवस्थित होना

2410. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
डा० पी० वल्लभ पेरुमल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1988 से अब तक इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार देरी होने के फलस्वरूप उड़ान-समयसारणी अव्यवस्थित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विमान क्षमता की कमी, दो उड़ानों के बीच कम अन्तराल, खराब मौसम परिस्थितियों, और परिणामी विलम्बों के बढ़ने के कारण नवम्बर, 1988 से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में देरी के मामलों में वृद्धि हुई है। उड़ानों में देरी और रद्द करने की घटनाएं कम करने के लिए इंडियन एयर-लाइन्स ने निम्नलिखित उपाय किए है :—

(1) बेस स्टेशनों पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई हैं;

(2) विभिन्न स्रोतों से पट्टे पर विमान लेकर अतिरिक्त विमान क्षमता में वृद्धि की गई है;

(3) विभिन्न स्तरों पर विमान के समय पालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है; और

(4) एयरपोर्टों पर पक्षियों के खतरे से निपटने के लिए, एक समिति गठित की गई है जिसमें इंडियन एयरलाइन्स सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

तटरक्षकों द्वारा सोना जब्त किया जाना

2411. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमश: वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान तटरक्षकों द्वारा कुल कितने मूल्य का तस्करी का सोना जब्त किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1988 में तटरक्षक बेड़े में कोई नए जलयान शामिल किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 1986, 1987 और 1988 के दौरान तटरक्षक संगठन द्वारा स्वयं या अन्य एजेंसियों के सहयोग

से जब्त किए गए तस्करी सोने की कुल कीमत इस प्रकार है:—

वर्ष	कीमत (करोड़ रुपयों में)
1986	0.16
1987	0.61
1988	53.18

(ख) और (ग) 1988 में तटरक्षक बेड़े में एक अपतटीय गश्ती जलयान, आठ अन्तर्ग्राही विमान और एक "वर्क-बोट" है।

राकेटों का परीक्षण

2412. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान द्वारा बहुचरणीय राकेट द्वारा की गई परीक्षण फाइरिंग की सफलता और प्रभारों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में अपनी योजनाओं में तेजी लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) समाचार-पत्रों में इस आशय की सूचना छपी हैं कि पाकिस्तान ने 640 किमी० ऊंचाई तक 150 किलोग्राम के वैज्ञानिक भार वाले एक बहु-चरणीय राकेट का सफलतापूर्वक फायरिंग-परीक्षण किया है।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ने एक एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के विकास कार्यक्रम (इंटीग्रेटिड गाइड मिसाइल डिवलैपमेंट प्रोग्राम) आरम्भ किया है। यह कार्यक्रम संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फिल्मों का निर्माण

2413. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फिल्में तैयार करता है;

(ख) क्या ऐसी फिल्में असम पर तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

2414. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों में कितनी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी; और

(ख) योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित असम की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) 1987-88 में विभिन्न राज्यों की 3 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था और 1988-89 में 6 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी।

(ख) योजना आयोग के पास असम की पाहुमारा मध्यम सिंचाई परियोजना ही एकमात्र परियोजना स्वीकृति के लिए लम्बित है।

असम में जनगणना

2415. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार असम में जनगणना कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने जनगणना करने के लिए असम सरकार से सहयोग मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) असम में 1981 में जनगणना नहीं करायी जा सकी क्योंकि जनगणना के समय उस राज्य में परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी और बाद में इसलिए नहीं कराई जा सकी कि राज्य सरकार असम समझौते के कार्यान्वयन में व्यस्त थी और जनगणना कराने के लिए गणना अभिकरण उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थी।

असम में शेष देश के साथ 1991 में जनगणना कराने का प्रस्ताव है।

निर्यात सामान का कम वजन बताना

2416. **श्री चौधरी खुर्शीद अहमद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गलत वजन बताने तथा निर्यात किए जाने वाले माल को कम तौलने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि उठानी पड़ी;

(घ) क्या ऐसे कदाचारों में शामिल व्यक्तियों का पता लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) ऐसे कदाचारों को रोकने हेतु सक्षम व्यवस्था के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988 में, इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, निर्यात किए जाने वाले माल के नमूनों की की गई जांच के आधार पर कम तोलने के कुछ मामले नोटिस में आए जिससे भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व में 5876 रु० का घाटा हुआ। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा माल के संचालन से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व की तुलना में यह घाटा नगण्य है।

(घ) और (ङ) पकड़े गए मामलों में शामिल शिपर्गें और सीमाशुल्क निकासी एजेंटों का पता लगा लिया गया है और सम्बन्धित एयरलाइनों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। दोषी पाए गए निर्यातकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया गया है।

(च) माल तोलने के प्रबन्धों को सुदृढ़ किया गया है और तोल में स्वीकार्य सीमा से विभिन्नता होने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया गया है।

विमान कम्पनियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में लाना

2417. **श्री कमल नाथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार से देश में विमान कम्पनियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में लाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) परिवहन विकास की संदर्श योजना से सम्बन्धित संचालन समिति की रिपोर्ट में आंशिक गैर-सरकारीकरण का उल्लेख मिलता है। योजना आयोग द्वारा पर्यटन पर गठित राष्ट्रीय समिति ने भी आंशिक गैर-सरकारीकरण की सिफारिश की है ताकि इक्विटी पूंजी और विमान कम्पनियों की ग्राहक प्रतिक्रियाशीलता आदि में बढ़ोतरी हो सके।

इस बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।

सातवीं योजना के दौरान कर्नाटक को धनराशि

2418. **श्री डी० के० नायकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक को विभिन्न क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान वर्षवार, कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) धनराशि को पूरी तरह से उपयोग न किए जाने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सातवीं योजना परिव्यय और योजना के प्रथम चार वर्षों में व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस विवरण से प्रतीत होता है कि 1985-86 से 1988-89 तक हर चार वर्ष के दौरान व्यय में कमी सम्बन्धी कोई रिपोर्ट नहीं है।

विवरण

प्रथम चार वर्षों के दौरान सातवीं योजना परिव्यय और व्यय—कर्नाटक

	(करोड़ रु०)
सातवीं योजना परिव्यय	3575.00
वार्षिक योजना 1985-86	
स्वीकृत परिव्यय	651.00
वास्तविक व्यय	693.32
वार्षिक योजना 1986-87	
स्वीकृत परिव्यय	765.00
वास्तविक व्यय	796.54
वार्षिक योजना 1987-88	
स्वीकृत परिव्यय	769.45
व्यय (संशोधित अनुमान)	779.71
वार्षिक योजना 1988-89	
स्वीकृत परिव्यय	900.00
प्रत्याशित व्यय (बजट अनुमान)	900.00
चार वर्ष (1985-89)	
जोड़ स्वीकृत परिव्यय	3085.45
जोड़ प्रत्याशित व्यय	3169.57

कर्नाटक की परियोजनाओं को मंजूरी

2419. **श्री डी० के० नायकर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार की कौन-कौन सी परियोजनाएं मंजूरी के लिए पड़ी हैं;

(ख) इन सभी परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का कर्नाटक में कुछ और केन्द्रीय परियोजनाओं को मंजूरी देने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग में स्वीकृति के लिए कर्नाटक सरकार की कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

द्वीप विकास प्राधिकरण की बैठक

2420. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वीप विकास प्राधिकरण की हाल ही में संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिए गए ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की पांचवीं बैठक प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में 6 जनवरी, 1989 को कार निकोबार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हुई।

(ख) बैठक में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया वे इस प्रकार हैं :—

(i) बहुत ज्यादा बीमार व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां, जिन्हें मुख्य भू-भाग पर विशिष्ट इलाज की आवश्यकता है, को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(ii) जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का प्रस्ताव।

(iii) द्वीपसमूहों में विकास कार्य के लिए कार्मिकों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहनों का पैकेज।

(iv) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की क्षमता।

(v) द्वीपसमूह तथा संघराज्य क्षेत्रों के लिए अन्वेषणात्मक उपायों तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा पुनः तैयार करने या उसे नया रूप देने से सम्बन्धित रिपोर्ट।

(ग) बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ये हैं :—

(i) कुछ विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी जाएंगी तथा उनके ब्यौरे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाएंगे।

(ii) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की जनसंख्या नियन्त्रित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा तथा, इसके ब्यौरे समिति द्वारा तैयार किए जायेंगे।

(iii) श्रेणीकृत आधार पर द्वीपसमूह विशेष भत्ता दिया जाएगा।

(iv) अन्वेषणात्मक उपायों से सम्बन्धित रिपोर्ट की सिफारिशों को आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय शामिल तथा विश्लेषित किया जाएगा।

(v) क्षमता, कार्मिक नीतियों तथा वैसे ही अन्य मामलों से सम्बन्धित मुद्दों पर द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।

राज्यों से सेना में भर्ती करने के लिए नया फार्मूला

2422. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के नए फार्मूले जो किसी राज्य में सेना में भर्ती योग्य पुरुष संख्या के अनुसार सेना में भर्ती से सम्बन्धित हैं, के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की प्रतिशतता में कटौती किए जाने के कारण सीमावर्ती लोगों में व्याप्त असंतोष की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां से भर्ती की प्रतिशतता में काफी कमी हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में लोगों तथा भूतपूर्व सैनिकों में व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखते हुए सेना में भर्ती के फार्मूलों पर पुनर्विचार करने तथा सीमावर्ती राज्यों को सेना में भर्ती को प्रमुखता देने और उपरोक्त प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में नए फार्मूले के अनुसार भर्ती की प्रतिशतता में वृद्धि करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सेना में भर्ती देश के सभी भागों में समाज के सभी वर्गों के उम्मीदवारों में से की जाती है जिसमें जाति, मत या धर्म का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है बशर्ते वे निर्धारित शारीरिक, चिकित्सीय और शैक्षिक-स्तर पूरा करते हों। सेना में भर्ती, प्रत्येक राज्य के भर्तीयोग्य पुरुष संख्या के आधार पर की जाती है। भर्ती योग्य पुरुष-संख्या के अनुपात के रूप में रिक्तियों का आबंटन सेना में भर्ती होने के लिए सभी योग्य व्यक्तियों को उचित और समान अवसर प्रदान करता है। फिलहाल इसे संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नही है।

पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था

2423. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अथवा पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों के पर्यटन निगमों के परामर्श के साथ सातवीं अथवा पूर्व योजना में विशेष श्रेणी राज्यों के प्रत्येक जिले में पर्याप्त पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना के अन्तिम वर्ष में इस दिशा में शुरूआत करने हेतु व अब भी इस प्रकार का कार्यक्रम तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम का सम्बन्ध है, योजना कार्यक्रम राज्य/जिला-वार तैयार नहीं किए जाते। जहां तक केन्द्रीय पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है, पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था उक्त स्थान की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसकी संभाव्यता, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है न कि राज्य-वार ताकि अपर्याप्त संसाधन और अधिक संकुचित न हो जाएं।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

2424. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उसके प्रारम्भ किए जाने के बाद कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं योजना की समाप्ति से पहले इस कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया जाएगा और किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कब से ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) पूरे पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त ऐसे राज्य भी हैं जिनका कुछ भाग पहाड़ी है और उन्हें निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र, जहां उपयोजना की नीति अपनायी जाती है, वे हैं—उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिले, असम के दो पहाड़ी जिले, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के 3 उप-मण्डल और तमिलनाडु का नीलगिरी जिला। इनके अतिरिक्त, 5 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु

तथा गोवा में फैले हुए 163 तालुके हैं जिन्हें पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जलविभाजक क्षेत्र विकास, भू-कटाव नियन्त्रण वृक्षारोपण आदि जैसी विशिष्ट स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बद्ध राज्यों को पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने के लिए अपने योजना संसाधनों का हिस्सा बढ़ाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्यों की होती है।

व्यय, भौतिक उपलब्धियों बनाम लक्ष्यों की प्रगति तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत शुरू की गई स्कीमों के किस्म की योजना तैयार करते समय वार्षिक मूल्यांकन निर्धारण तथा प्रबोधन किया जाता है जैसाकि देश की अन्य राज्य योजनाओं के सम्बन्ध में किया जाता है तथापि, इन क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम तथा स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के 16वें अध्ययन में निर्धारित विकास सम्बन्धी कार्यनीति तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप होती है। आंशिक पहाड़ी क्षेत्रों जहां उपयोजना नीति अपनायी जाती है, से तिमाही व्यय प्रगति रिपोर्टें भी प्राप्त होती हैं।

नोएडा में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दुकानों का आरक्षण

2425. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से नोएडा के सेक्टर 28, 29 और 37 में दुकानों के आबंटन के मामले में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजना के रूप में कम से कम 60 प्रतिशत दुकानें वाणिज्यिक दर से आधे मूल्य के आधार पर आरक्षित करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) अक्तूबर 1988 में रक्षा मंत्रालय में पुनर्वास महानिदेशक ने नोएडा के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वे नोएडा की ओर से सेक्टर 28, 29 और 37 में सेना कल्याण आवास संगठन द्वारा बनाई जा रही दुकानों का कुछ प्रतिशत, न्यूनतम आरक्षित रियायती कीमतों पर युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में हताहत होने वालों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखें। तदनुसार नोएडा ने जनवरी, 1989 में घोषित योजना के अन्तर्गत विशेषकर भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के लिए सेक्टर 27 (गोदावरी शॉपिंग कॉम्पलैक्स) में एक पूरा शॉपिंग केन्द्र आरक्षित रखा है। नोएडा के साथ हुई आपसी बातचीत के बाद की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप कल्याण उपाय के रूप में इस योजना में परिसरों के लिए किश्त में अब 20 से 30% की छूट भी दी गई है। इसके अतिरिक्त युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को अपने आवेदन-पत्र के साथ केवल 20,000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट पेश करना होता है जबकि अन्य लोगों के लिए उच्च राशियां निर्धारित की गई हैं।

नोएडा के अन्य सेक्टरों में भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के लिए सभी वाणिज्यिक परिसरों का 10 प्रतिशत आरक्षित किया गया है।

महाराष्ट्र में ओरोस में हवाई अड्डे का निर्माण

2426. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में ओरोस में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसका निर्माण कब शुरू होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गणतन्त्र दिवस परेड में महाराष्ट्र की झांकी

2427. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 जनवरी, 1989 को गणतन्त्र दिवस परेड में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई झांकी नहीं थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) गणतन्त्र दिवस परेड में प्रदर्शन के लिए झांकी का चयन एक विशेषज्ञ समिति करती है जिसमें कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। कई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनेक प्रस्तावों में से झांकियों का केवल सीमित मात्रा में ही चयन किया जा सकता है। 1989 की परेड के लिए विशेषज्ञ सामति ने 70 प्रस्तावों में से केवल 22 झांकियों को ही औचित्य के आधार पर अन्तिम रूप से चुना। महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तावित झांकी को अन्तिम सूची में शामिल नहीं किया गया।

जिला योजना एवं विकास परिषदों की स्थापना

2428. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना एवं विकास परिषदों की स्थापना करने का विचार है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सिफारिशें शहर, और देहातों के आयोजकों के सेमिनार में की गई थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जिला योजना परिषदों का किस प्रकार गठन किया जाएगा और उनके कार्यकरण का तरीका क्या होगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ग) कई राज्यों में पहले ही से जिला स्तरीय आयोजना और निगरानी निकाय हैं। इन्हें जिला आयोजन बोर्ड, जिला विकास परिषद, जिला आयोजना और विकास परिषद इत्यादि के अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इन कार्यों को कुछ राज्यों में जिला परिषदों को सौंपा गया है। इन निकायों का गठन और इनके उत्तरदायित्व हर राज्य में अलग-अलग हैं। राज्य सरकारों से आयोजना क्रियाकलापों को विकेन्द्रित करने का अनुरोध करते समय योजना आयोग विवरणों का निर्धारण उन्हीं पर छोड़ देता है।

(ख) शहरी विकास मंत्राजय के नगर और देहात आयोजना संगठन ने यह रिपोर्ट की है कि दिल्ली में 28-30 दिसम्बर 1988 को इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानरर्स द्वारा व्यवसायियों का सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार की सिफारिशों में संगत उप-क्षेत्रीय आर्थिक विकास सापेक्ष योजना की तैयारी के संदर्भ में भी सिफारिशें की गई। इस उद्देश्य से यह सिफारिश की गई की प्रत्येक जिले के लिए जिला आयोजना और विकास परिषदें स्थापित की जायें। स्थानिक योजनाकार परिषद का सदस्य-सचिव होगा। वह जिला आयोजना अधिकारियों का प्रमुख और जिला आयोजना दल का प्रधान भी होगा।

बेरोजगारों और बच्चों के लिए योजनाएं

2429. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने, बच्चों को दोपहर का भोजन देने तथा समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार करने सम्बन्धी कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इनमें से प्रत्येक योजनाओं पर कितना पूंजी निवेश किया गया है/करने का विचार है; और

(ग) इन योजनाओं को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कब तकलागू किया जाएगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर पहले ही पर्याप्त बल दिया है। अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत निवेश बढ़ेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार तथा शहरी-गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमो के जरिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगले वर्ष (1989-90) में "जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना" नामक एक नया सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 120 पिछड़े जिलों में शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है जिससे बेरोजगारी कम होगी।

स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य योजनाओं में प्रचालन में है। चालू वर्ष में मध्याह्न योजना पर प्रत्याशित व्यय लगभग 145 करोड़ रुपए होगा और वर्ष 1989-90 के लिए 219 करोड़ रुपए की राशि के लिए सिफारिश की गई है। जहां तक आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के विस्तार का सम्बन्ध है, मौजूदा 1952 परियोज-

नाओं (राज्य क्षेत्र में 216 परियोजनाओं सहित) के अलावा 1989-90 में 500 अतिरिक्त परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है।

1988-89 तथा 1989-90 में इन स्कीमों के अन्तर्गत संभावित केन्द्रीय निवेशों के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

कार्य योजना	1988-89 (संशोधित अनुमान)	198 -90 (बजट अनुमान)
(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	355.01	390.00
(ii) राष्ट्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	529.43	530.00
(iii) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	729.00	681.25
(iv) जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना	—	500.00
(v) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्कीम	100.00	60.00
(vi) शहरी-गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम	40.00	40.00
(vii) आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम	171.72	191.08

(ग) ये कार्यक्रम सतत स्वरूप के हैं और इनका विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

विमानन क्षेत्र के लिए सापेक्ष योजना

2430. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र के लिए सापेक्ष योजना तैयार की गई है जो इस शताब्दी के अन्त तक इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इसके लिए कितनी धनराशि का निवेश करने का विचार है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) परिवहन सैक्टर के लिए एक अच्छी दीर्घकालीन संदर्श योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग ने परिवहन योजना के लिए एक संचालन समिति का गठन किया था। संचालन समिति ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दे दी है। संचालन समितिकी रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालय द्वारा अपनी निगमित योजनाओं का विकास किये जाने के लिए अपेक्षित साधनों की व्यवस्था की गई है। चूंकि आठवीं पंच-वर्षीय योजना तैयार की जा रही है, अत: योजना आयोग द्वारा संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्राथमिकता वाले सैक्टरों की तत्कालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर अन्य सैक्टरों के साथ नागर विमानन सैक्टर की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। अत: यह कहना सम्भव नहीं है कि भविष्य में अन्तिम स्थिति क्या होगी। देश में नागर विमानन के विकास का दायरा और दिशा दर्शाने के आशय से ये रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इन रिपोर्टों में विचार स्पष्ट किए गए हैं कि किस प्रकार विकास किया जाए जो औपचारिक संदर्श योजना का आधार बनेंगे।

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में समिति रिपोर्ट

2431. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा 1983 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार मे क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस समय यह किस स्तर पर विचाराधीन है;

(ग) इस रिपोर्ट के कृत कार्यवाही ज्ञापन के साथ अथवा इसके बिना संसद में सभा पटल पर किस तारीख को रखे जाने की सम्भावना है;

(घ) उक्त समिति के गठन और कार्यकाल समापन की तारीखें क्या हैं तथा इस पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने हेतु इस समिति ने किन-किन स्थानों का दौरा किया और किन-किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से परामर्श किया ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ग) इस सम्बन्ध में किसी समय सीमा का उल्लेख करना सम्भव नहीं है कि रिपोर्ट कब तक सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

(घ) पैनल की स्थापना 19 मई, 1980 को की गई थी। इसे 31 जनवरी, 1984 को समाप्त कर दिया गया था। पैनल पर 57.77 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी।

(ङ) इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में विहित जानकारी तभी उपलब्ध होगी जब कि रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी।

सीमा पर पकड़े गए घुसपैठिए

2432. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ हमारी सीमाओं के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1988 के दौरान, तिमाहीवार, कितने घुसपैठिए मारे गए, कितने पकड़े गए, कितने वापस खदेड़े गए और कितनों पर मुकदमा चलाया गया;

(ख) क्या किसी क्षेत्र में हाल के महीनों के दौरान घुसपैठ के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होने का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सम्बद्ध सरकार के साथ घुसपैठ के मामले पर बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर वर्ष 1988 के दौरान पकड़े गए, वापस खदेड़े गए, राज्य पुलिस को सौंपे गए और मारे गए घुसपैठियों की तिमाहीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राज्य पुलिस को सौंपे गए घुसपैठियों पर मुकदमा चलाने इत्यादि जैसी उचित कार्रवाई करना सम्बन्धित राज्य पुलिस का काम है।

(ख) और (ग) कोई विशेष परिवर्तन ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) घुसपैठी के सामान्य मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है और इसे रोकने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1988 के दौरान भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं के विभिन्न क्षेत्रों में मुठभेड़ों में पकड़े गये, वापस खदेड़े गए, आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस को सौंपे गए और मारे गए घुसपैठियों की तिमाही-वार संख्या

सीमावती राज्य	अवधि	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	वापस खदेड़े गये व्यक्तियों की संख्या	राज्य पुलिस को सौंपे गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	जनवरी मे मार्च तक	9	—	9	10

1	2	3	4	5	6
	अप्रैल से जून तक	64	29	35	13
	जुलाई से सितम्बर तक	33	17	16	21
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	13	2	11	5
पंजाब	जनवरी से मार्च तक	442	386	56	38
	अप्रैल से जून तक	496	425	71	87
	जुलाई से सितम्बर तक	485	442	43	41
	अक्तूबर से दिसंबर तक	706	681	25	35
राजस्थान	जनवरी से मार्च तक	225	198	27	26
	अप्रैल से जून तक	458	399	59	58
	जुलाई से सितम्बर तक	340	293	47	71
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	184	137	47	24
गुजरात	जनवरी से मार्च तक	7	—	7	1
	अप्रैल से जून तक	3	—	3	—
	जुलाई से दिसम्बर तक	1	—	1	—
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	10	—	10	1
असम	जरवरी से मार्च तक	14	1	13	1
	अप्रैल से जून तक	22	4	18	—
	जुलाई से सितम्बर तक	34	10	24	—
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	32	—	32	—

1	2	3	4	5	6
मेघालय	जनवरी से मार्च तक	8	2	6	1
	अप्रैल से जून तक	5	—	5	—
	जुलाई से सितम्बर तक	49	33	16	—
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	106	82	24	1
त्रिपुरा	जनवरी से मार्च तक	776	689	87	3
	अप्रैल से जून तक	117	—	117	—
	जुलाई से सितम्बर तक	70	—	70	—
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	230	101	129	—
पश्चिम बंगाल	जनवरी से मार्च तक	5292	5106	186	—
	अप्रैल से जून तक	4308	3945	363	—
	जुलाई से सितम्बर तक	6676	6106	570	3
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	6912	6213	699	—
मिजोरम	जनवरी से मार्च तक	—	—	—	—
	अप्रैल से जून तक	—	—	—	—
	जुलाई से सितम्बर तक	—	—	—	—
	अक्तूबर से दिसम्बर तक	1	—	1	—

कोचीन और उड़ीसा के तटों से खनिजों का विदोहन

2433. **श्री के० राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन के दक्षिण में 1200 समुद्री मील की दूरी पर स्थित मध्य हिन्द महासागर में भारत को आवंटित 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खनिजों का विदोहन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) उड़ीसा तट के गंजम जिले में प्रचुर मात्रा में पाए गए टिटेनियम, जिरकोनियम, वेनाडियम और थोरियम जैसी धातुओं, जोकि वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज हैं, के विदोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) मध्य हिन्द महासागर में भारत को आवंटित खान स्थल में ग्रिड के निकट स्थानों पर परिष्कृत उपस्कर की सहायता से अब विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, एक मल्टीबीम स्वॉथ समाकलित अनुगभीर मानचित्रण-सर्वेक्षण प्रणाली को प्राप्त करने के लिए आदेश दे दिया गया है, जिससे समुद्री संस्तर स्थलाकृति का एक सतत प्रोफाइल प्राप्त होगा।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग उड़ीसा में गोपालपुर से परे इल्मेनाइट, रुटाइल, जरकॉन और मोनेजाइट जैसे प्लेसर खनिजों के लिए विस्तृत अपतट सर्वेक्षण कर रहा है। इन खनिजों में टाइटेनियम, जरकोनियम, वैनेडियम और थोरियम पाया जाता है। इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने उड़ीसा के गंजाम जिले में प्राप्त निक्षेपों से खनिजों को अलग करने के लिए उड़ीसा में छत्रपुर में एक संयंत्र स्थापित किया है। इन निक्षेपों से इल्मेनाइट, रुटाइल, जरकॉन और मोनेजाइट जैसे खनिजों का उत्पादन किया जाता है। इस संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन 1986 में शुरू कर दिया था। इन निक्षेपों में वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए वैनेडियम कोई पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई गई।

रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए नीतियों के समन्वय के लिए संगठन

2434. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए नीतियों के समन्वय हेतु गठित किए जाने वाले संगठन का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : रक्षा भण्डारों के निर्यात को प्रोत्साहित/शुरू करने के लिए एक संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव है। फिर भी, इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली-बागडोगरा के बीच विमान सेवा

2435. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा हवाई अड्डे से यात्री-यातायात में काफी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नई दिल्ली और बागडोगरा के बीच विद्यमान विमान सेवाओं में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पिछले छः महीनों में, इण्डियन एयरलाइन्स ने दिल्ली और बागडोगरा के बीच प्रत्येक दिशा में प्रतिदिन 34 यात्रियों का वहन किया। एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध की गई वर्तमान क्षमता, मौजूदा यात्री मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है।

वर्ष 1989-90 में सिक्किम के लिए परिव्यय

2436. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम के लिए वर्ष 1989-90 के वार्षिक योजना परिव्यय की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिक्किम सरकार ने वर्ष 1989-90 के लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया है;

(घ) क्या सिक्किम सरकार का प्रस्ताव हूबहू स्वीकृत किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सिक्किम के लिए वर्ष 1988-89 के लिए कितने परिव्यय को स्वीकृति दी गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) सिक्किम सरकार ने राज्य की वार्षिक योजना 1989-90 के लिए 75.07 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 71 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी गई है। इससे वर्ष 1988-89 की अनुमोदित परिव्यय 63 करोड़ रुपए की तुलना में

12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्षेत्रकवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रु०)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष/क्षेत्रक	अनुमोदित परिव्यय 1989-90
1	2	3
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	1198
2.	ग्रामीण विकास	112
3.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	225
4.	ऊर्जा	1400
5.	उद्योग एवं खनिज	264
6.	परिवहन	1390
7.	अन्य	2511
	जोड़ :	7100

दक्षेस देशों के बीच विमान सेवा

2437. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "दक्षेस" के सदस्य देशों के बीच विमान सेवा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "दक्षेस" के एक सदस्य नेपाल के साथ मौजूदा विमान सेवाओं में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स नें 17-4-1988 से दिल्ली-कलकत्ता-ढाका और वापसी मार्ग पर सप्ताह में एक बार की एक बी-737 सेवा शुरू की है। तिरुवनन्तपुरम और माले के बीच सेवाओं की आवृत्ति को 15-6-1987 से सप्ताह में दो से बढ़ाकर तीन कर दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत-नेपाल मार्ग पर वर्तमान सेवाएं पर्याप्त समझी गई हैं।

महिला आई० ए० एस० अधिकारियों की नियुक्ति

2438. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान राज्य-वार कुल कितने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में राज्य-वार नियुक्त की गई महिला अधिकारियों की संख्या और उपरोक्त कुल संख्या के अनुपात में उनकी प्रतिशत क्या थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संयुक्त संवर्ग	1985 परीक्षा			1986 परीक्षा			1987 परीक्षा		
		कुल संख्या	महिलाएं	%	कुल संख्या	महिलाएं	%	कुल संख्या	महिलाएं	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	—	—	6	—	—	5	2	40.0
2.	असम-मेघालय	6	—	—	7	1	14.3	5	2	40.0
3.	बिहार	10	1	10.0	12	1	8.3	9	3	33.3
4.	गुजरात	8	1	12.5	5	1	20.0	6	2	33.3
5.	हरियाणा	7	2	28.6	6	1	16.6	6	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	3	—	—	3	—	—	4	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4	—	—	3	—	—	3	1	33.3
8.	कर्नाटक	7	2	28.6	7	2	28.6	8	1	12.5
9.	केरल	7	—	—	6	—	—	5	1	20.0
10.	मध्य प्रदेश	8	—	—	9	1	11.1	7	1	14.3
11.	महाराष्ट्र	9	—	—	7	1	14.3	8	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	9	2	22.2	8	—	—	6	—	—
13.	नागालैण्ड	2	—	—	3	1	33.3	2	1	50.0
14.	उड़ीसा	5	—	—	3	—	—	3	—	—
15.	पंजाब	5	—	—	4	1	25.0	3	1	33.3
16.	राजस्थान	5	—	—	3	1	33.3	3	—	—
17.	सिक्किम	2	1	50.0	3	—	—	3	1	33.3
18.	तमिलनाडु	7	1	14.3	8	—	—	5	1	20.0
19.	संघ शासित क्षेत्र*	7	2	28.6	3	—	—	4	1	25.0
20.	उत्तर प्रदेश	11	—	—	11	2	18.2	11	1	9.1
21.	पश्चिम बंगाल	8	—	—	—	1	12.5	8	—	—
	कुल :	137	12		125	14		114	20	

*अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम संघ शासित क्षेत्र ।

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2439. डा० फूलरेणु गुहा :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सूत्रवार नवीनतम स्थिति क्या है?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : विभिन्न राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सूत्रवार नवीनतम (अप्रैल, 89 से जनवरी, 89 तक की अवधि के लिए) स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र सदन-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1988 से जनवरी, 89 तक की अवधि में 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न राज्यों में सूत्र-वार कार्यान्वयन की निष्पादन स्थिति

सूत्र सं० 1क : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(पुराने तथा नए लाभभोगी)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90% और अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90% के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80% से कम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	अरुणाचल प्रदेश
बिहार		असम
गोआ		मणिपुर
गुजरात		मेघालय
हरियाणा		मिजोरम
हिमाचल प्रदेश		नागालैंड
कर्नाटक		
केरल		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		
उड़ीसा		

1	2	3
पंजाब		
राजस्थान		
सिक्किम		
तमिलनाडु		
त्रिपुरा		
उत्तर प्रदेश		
पश्चिम बंगाल		

सूत्र सं० 1ख : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०)
के अधीन रोजगार सृजन

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90% और अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90% के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80% से कम
बिहार	आन्ध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
गोआ	जम्मू व कश्मीर	असम
गुजरात		महाराष्ट्र
हरियाणा		मणिपुर
हिमाचल प्रदेश		मेघालय
कर्नाटक		मिजोरम
केरल		नागालैंड
मध्य प्रदेश		उड़ीसा
पंजाब		प० बंगाल
राजस्थान		
सिक्किम		
तमिलनाडू		
त्रिपुरा		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 1ग : ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
(ग्रा० भू० रो० गा० का०)

बहुत अच्छी लक्ष्य का 90 प्रतिशत और अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम
बिहार	आन्ध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश	गोआ	असम
कर्नाटक	गुजरात	जम्मू व कश्मीर
केरल	हरियाणा	मणिपुर
मध्य प्रदेश	प० बंगाल	मेघालय
महाराष्ट्र		मिजोरम
उड़ीसा		नागालैंड
पंजाब		त्रिपुरा
राजस्थान		
सिक्किम		
तमिलनाडु		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 1घ : लघु उद्योग इकाईयां (एस० एस० आई०)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत और अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	मणिपुर	मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश	उड़ीसा	सिक्किम
असम		प० बंगाल
बिहार		
गोआ		
गुजरात		

1	2	3
हरियाणा		
हिमाचल प्रदेश		
जम्मू व कश्मीर		
कर्नाटक		
केरल		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		
मेघालय		
नागालैंड		
पंजाब		
राजस्थान		
तमिलनाडू		
त्रिपुरा		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र 5क : फालतू जमीन का वितरण

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम
बिहार	केरल	आन्ध्र प्रदेश
हरियाणा	तमिलनाडू	असम
कर्नाटक		गुजरात
मध्य प्रदेश		मणिपुर
महाराष्ट्र		पंजाब
उड़ीसा		त्रिपुरा
राजस्थान		प० बंगाल
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 6 : बंधुआ मजदूर पुनर्वास

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम
कर्नाटक	राजस्थान	आंध्र प्रदेश
तमिलनाडू		बिहार
		मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
		उड़ीसा

सूत्र सं० 7क : पीने के पानी की समस्या का समाधान (ग्राम)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम
आन्ध्र प्रदेश	हरियाणा	अरुणाचल प्रदेश
गोआ	मणिपुर	असम
गुजरात	पंजाब	बिहार
हिमाचल प्रदेश		जम्मू व कश्मीर
केरल		कर्नाटक
मध्य प्रदेश		मेघालय
महाराष्ट्र		मिजोरम
राजस्थान		नागालैंड
तमिलनाडू		उड़ीसा
उत्तर प्रदेश		सिक्किम
प० बंगाल		त्रिपुरा

सूत्र सं० 8क : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य के 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम
असम		आंध्र प्रदेश
जम्मू व कश्मीर		बिहार
कर्नाटक		गुजरात
		हरियाणा
		केरल
		मध्य प्रदेश
		मणिपुर
		मेघालय
		उड़ीसा
		पंजाब
		राजस्थान
		सिक्किम
		तमिलनाडू
		उत्तर प्रदेश
		प० बंगाल

सूत्र सं० 8ख : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	केरल	आंध्र प्रदेश
असम		बिहार
जम्मू व कश्मीर		गोआ
तमिलनाडू		गुजरात

1	2	3
		हरियाणा
		हिमाचल प्रदेश
		कर्नाटक
		मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
		मणिपुर
		मेघालय
		मिजोरम
		नागालैंड
		उड़ीसा
		पंजाब
		राजस्थान
		त्रिपुरा
		उत्तर प्रदेश
		प० बंगाल

सूत्र सं० 8ग : उप केन्द्र

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	आंध्र प्रदेश
हरियाणा	मिजोरम	असम
जम्मू व कश्मीर		बिहार
तमिलनाडू		गोआ
		गुजरात
		हिमाचल प्रदेश
		कर्नाटक

1	2	3
		केरल
		मध्य प्रदेश
		मेघालय
		नागालैंड
		उड़ीसा
		पंजाब
		राजस्थान
		सिक्किम
		त्रिपुरा
		उत्तर प्रदेश
		प० बंगाल

सूत्र सं० 8घ : बाल प्रतिरक्षण (डी० पी० टी०, पोलियों और बी० सी० जी०)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
गोआ	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश
गुजरात	केरल	अरुणाचल प्रदेश
हरियाणा	महाराष्ट्र	असम
हिमाचल प्रदेश	उड़ीसा	बिहार
पंजाब	तमिलनाडु	जम्मू व काश्मीर
उत्तर प्रदेश		मध्य प्रदेश
		मणिपुर
		मेघालय
		मिजोरम
		नागालैंड
		राजस्थान
		सिक्किम
		त्रिपुरा
		प० बंगाल

सूत्र सं० 9क : परिवार कल्याण नसबन्दी

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
माचल प्रदेश	आंध्र प्रदेश	असम
क ८क	अरुणाचल प्रदेश	बिहार
केरल	मिजोरम	गुजरात
महाराष्ट्र	उड़ीसा	हरियाणा
पंजाब	तमिलनाडू	जम्मू व कश्मीर
उत्तर प्रदेश		मध्य प्रदेश
		मणिपुर
		मेघालय
		नागालैंड
		राजस्थान
		सिक्किम
		त्रिपुरा
		प० बंगाल

सूत्र सं० 9ख : समतुल्य नसबन्दी—आई० यू० डी०, सी० सी० और ओ० पी०

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
गुजरात	गोआ	आंध्र प्रदेश
हरियाणा	केरल	अरुणाचल प्रदेश
कर्नाटक		असम
मध्य प्रदेश		बिहार
मणिपुर		हिमाचल प्रदेश
उड़ीसा		जम्मू व कश्मीर

1	2	3
पंजाब		महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश		मेघालय
		मिजोरम
		नागालैंड
		राजस्थान
		सिक्किम
		तमिलनाडू
		त्रिपुरा
		प० बंगाल

सूत्र सं० 9ग : ए० बा० वि० से० खण्ड संचालन

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	—	—
अरुणाचल प्रदेश		
असम		
बिहार		
गोआ		
गुजरात		
हरियाणा		
हिमाचल प्रदेश		
जम्मू व कश्मीर		
कर्नाटक		
केरल		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		

1	2	3
मणिपुर		
मेघालय		
मिजोरम		
नागालैंड		
उड़ीसा		
पंजाब		
राजस्थान		
सिक्किम		
तमिलनाडु		
त्रिपुरा		
उत्तर प्रदेश		
प० बंगाल		

सूत्र सं० 9घ : आंगनबाड़ी

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	तमिलनाडु
असम	हरियाणा	उत्तर प्रदेश
बिहार	जम्मू व कश्मीर	
गोआ	नागालैंड	
गुजरात	उड़ीसा	
हिमाचल प्रदेश	त्रिपुरा	
कर्नाटक	प० बंगाल	
केरल		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		

1	2	3
मणिपुर		
मेघालय		
मिजोरम		
पंजाब		
राजस्थान		
सिक्किम		

सूत्र सं० 11क : अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता की गई

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
आंध्र प्रदेश	गुजरात	असम
बिहार	कर्नाटक	गोआ
हरियाणा	राजस्थान	जम्मू व कश्मीर
हिमाचल प्रदेश	प० बंगाल	केरल
मध्य प्रदेश		मणिपुर
महाराष्ट्र		
उड़ीसा		
पंजाब		
सिक्किम		
तमिलनाडू		
त्रिपुरा		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 11ख : अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता की गई

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	असम
बिहार	केरल	मणिपुर

1	2	3
गुजरात	उत्तर प्रदेश	त्रिपुरा
हिमाचल प्रदेश		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		
उड़ीसा		
राजस्थान		
सिक्किम		
तमिलनाडू		
प० बंगाल		

सूत्र सं० 14क : आवंटित आवास स्थल

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
आंध्र प्रदेश	गोआ	हरियाणा
बिहार	कर्नाटक	असम
गुजरात	केरल	जम्मू व कश्मीर
मध्य प्रदेश	प० बंगाल	त्रिपुरा
महाराष्ट्र		
उड़ीसा		
राजस्थान		
तमिलनाडू		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 14ख : निर्माण सहायता दी गई

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	तमिलनाडू	असम
अरुणाचल प्रदेश		गोआ

1	2	3
कर्नाटक		गुजरात
केरल		हरियाणा
मध्य प्रदेश		जम्मू व कश्मीर
उड़ीसा		महाराष्ट्र
राजस्थान		मेघालय
सिक्किम		मिजोरम
प० बंगाल		त्रिपुरा
		उत्तर प्रदेश

सूत्र सं० 14ग : अ० ज०/अ० ज० जा० के लिए इन्दिरा आवास योजना

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
गुजरात	—	आंध्र प्रदेश
हिमाचल प्रदेश		अरुणाचल प्रदेश
जम्मू व कश्मीर		असम
केरल		बिहार
मेघालय		गोआ
नागालैंड		हरियाणा
सिक्किम		कर्नाटक
तमिलनाडू		मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश		महाराष्ट्र
		मणिपुर
		मिजोरम
		उड़ीसा
		पंजाब
		राजस्थान
		त्रिपुरा
		प० बंगाल

सूत्र सं० 14घ : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए मकान

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
असम	गुजरात	आंध्र प्रदेश
बिहार	राजस्थान	हरियाणा
गोआ		जम्मू व कश्मीर
कर्नाटक		महाराष्ट्र
केरल		मणिपुर
मध्य प्रदेश		मेघालय
उड़ीसा		मिजोरम
तमिलनाडू		नागालैंड
त्रिपुरा		सिक्किम
उत्तर प्रदेश		
प० बंगाल		

सूत्र सं० 14ङ : निम्न आय समूह के मकान

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	राजस्थान	हरियाणा
असम		जम्मू व कश्मीर
बिहार		महाराष्ट्र
गोआ		मणिपुर
गुजरात		मेघालय
हिमाचल प्रदेश		मिजोरम
कर्नाटक		नागालैंड
केरल		प० बंगाल

1	2	3
मध्य प्रदेश		
उड़ीसा		
पंजाब		
तमिलनाडू		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 15 : गन्दी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
आंध्र प्रदेश	असम	हरियाणा
बिहार	जम्मू व कश्मीर	मणिपुर
गोआ	त्रिपुरा	मिजोरम
गुजरात		प० बंगाल
हिमाचल प्रदेश		
कर्नाटक		
केरल		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		
मेघालय		
उड़ीसा		
पंजाब		
राजस्थान		
सिक्किम		
तमिलनाडू		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 16 : वृक्षारोपण

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
बिहार	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
गोआ	असम	हरियाणा
गुजरात	कर्नाटक	जम्मू व कश्मीर
हिमाचल प्रदेश	केरल	नागालैंड
मध्य प्रदेश	सिक्किम	प० बंगाल
महाराष्ट्र		
मणिपुर		
मेघालय		
उड़ीसा		
मिजोरम		
पंजाब		
राजस्थान		
तमिलनाडु		
त्रिपुरा		
उत्तर प्रदेश		

सूत्र सं० 18 : उचित दर दुकान

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	नागालैंड	उड़ीसा
अरुणाचल प्रदेश		त्रिपुरा
असम		
बिहार		

1	2	3
गोआ		
जम्मू व कश्मीर		
कर्नाटक		
मध्य प्रदेश		
महाराष्ट्र		
मणिपुर		
मिजोरम		
राजस्थान		
सिक्किम		
उत्तर प्रदेश		
प० बंगाल		

सूत्र सं० 19क : विद्युतीकृत गांव

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
आंध्र प्रदेश	प० बंगाल	असम
अरुणाचल प्रदेश		बिहार
मध्य प्रदेश		गोआ
महाराष्ट्र		जम्मू व कश्मीर
मेघालय		मणिपुर
नागालैंड		मिजोरम
उड़ीसा		त्रिपुरा
राजस्थान		उत्तर प्रदेश
सिक्किम		

सूत्र सं० 19ख : शक्ति चालित पम्प सेट

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	पंजाब	असम
हिमाचल प्रदेश		बिहार

1	2	3
जम्मू व कश्मीर		गुजरात
कर्नाटक		हरियाणा
केरल		उड़ीसा
मध्य प्रदेश		त्रिपुरा
महाराष्ट्र		उत्तर प्रदेश
राजस्थान		प० बंगाल
तमिलनाडू		

सूत्र सं० 19ग : सुधरे चुल्हे

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
आंध्र प्रदेश	केरल	अरुणाचल प्रदेश
बिहार		असम
गोआ		गुजरात
हरियाणा		जम्मू व कश्मीर
हिमाचल प्रदेश		मणिपुर
कर्नाटक		मेघालय
मध्य प्रदेश		नागालैंड
महाराष्ट्र		उड़ीसा
मिजोरम		त्रिपुरा
पंजाब		उत्तर प्रदेश
राजस्थान		प० बंगाल
सिक्किम		
तमिलनाडु		

सूत्र सं० 19घ : बायो-गैस संयंत्र (राज्य)

बहुत अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक	अच्छी उपलब्धि लक्ष्य का 80-90 प्रतिशत के बीच	निकृष्ट उपलब्धि लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम
बिहार	हरियाणा	आंध्र प्रदेश
गुजरात	उत्तर प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश		असम
केरल		गोआ
महाराष्ट्र		जम्मू व कश्मीर
मिजोरम		कर्नाटक
उड़ीसा		मध्य प्रदेश
राजस्थान		मणिपुर
सिक्किम		मेघालय
तमिलनाडू		नागालैंड
प० बंगाल		पंजाब
		त्रिपुरा

एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइंस को स्वायतता प्रदान करना

2440. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स बोर्डों को और अधिक स्वायतता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में इस समय स्थिति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयुधों का निर्माण

2441. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में आयुधों का निर्माण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान को पशुओं की तस्करी

[हिन्दी]

2442. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से पाकिस्तान को गायों की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों से पशुओं, विशेषकर गायों, की तस्करी रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन् । पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

1986 के दौरान—20

1987 के दौरान—38

1988 के दौरान—14

(ग) सीमा सुरक्षा बल को, जो राजस्थान-पाकिस्तान सीमा की रक्षा कर रहा है, सुदृढ़ किया गया है, और अधिक सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं, अवैध रूप से बाहर जाने वाले/प्रवेश करने वालों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है और गश्त को तेज करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक उपकरणों और वाहनों से लैस किया गया है ।

अहमदाबाद हवाई अड्डे का विकास

[अनुवाद]

2443. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सहार हवाई अड्डे के सीमावर्ती अन्य हवाई अड्डों की अपेक्षा गुजरात से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की क्षमता अधिक है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए गठित समिति ने अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने की सिफारिश की है;

(ग) क्या सरकार को अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करते हेतु वाणिज्यिक व्यापार और उद्योग मंडल (चैम्बर्स आफ कामर्स, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री) तथा गुजरात राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने तथा विकसित करने हेतु कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) वर्ष 1985 में किए गए सर्वेक्षण से यह पाया गया है कि अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात की सम्भावना है। इसके पश्चात् गठित की गई समिति ने अहमदाबाद पर सीमित अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन की सिफारिश की है और इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन कर रहा है। तथापि, इस हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई-बड़ौदा-बम्बई उड़ान की समयसूची में संशोधन करना

2444. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई-बड़ौदा-बम्बई के बीच चलने वाली प्रातःकालीन विमान सेवा के समय में परिवर्तन करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विमानक्षमता की भारी कमी के कारण, बम्बई-बड़ोदरा (बड़ौदा)-बम्बई प्रातःकालीन सेवा के समय को बदलना सम्भव नहीं हो सका है। तथापि, पर्याप्त अतिरिक्त विमानक्षमता शामिल कर लिए जाने के बाद, इण्डियन एयरलाइन्स इन सेवाओं के समय को बदलने पर विचार करेगी।

रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिक

2445. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय, नई दिल्ली से गत तीन वर्षों से कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) पुनर्वास महानिदेशालय, नई दिल्ली केवल तीनों सेनाओं से सेवानिवृत होने वाले अफसरों के नाम पंजीकृत करता है। भूतपूर्व जूनियर कमीशन अफसरों एवं अन्य रैंकों के नाम सम्बन्धित जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	अफसर (पुनर्वास महानिदेशालय में)	जूनियर कमीशन अफसर और अन्य रैंक
1986	412	78557
1987	390	71433
1988	869	34396 (जून तक)

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	अफसर	जूनियर कमीशन अफसर और अन्य रैंक
1986	117	24683
1987	100	19642
1988	97	8421 (जून तक)

(ग) पिछले वर्षों के दौरान जिन अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों को पंजीकृत किया गया और जिन्हें अभी रोजगार दिया जाना बाकी है, उनके समेत; अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों की 30 जून, 88 तक अनुमानित संख्या 2.60 लाख है।

पुलिस हिरासत में मौतें

2446. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और देश के अन्य भागों में विचाराधीन कैदियों की पुलिस हिरासत में मरने वालों की संख्या में हो रही वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत वर्ष दिल्ली में पुलिस हिरासत में कितने विचाराधीन कैदियों की मौतें दर्ज की गई और इन मामलों में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) 1988 के दौरान दिल्ली में विचाराधीन कैदियों की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

जहां तक देश के अन्य भागों का सम्बन्ध है, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन

2447. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस प्रकार किया गया है;

(ख) उन राजनैतिक दलों तथा संगठनों और उनके प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है जो इस परिषद के सदस्य हैं;

(ग) क्या परिषद का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(घ) परिषद की आखिरी बैठक कब आयोजित की गई थी और क्या निकट भविष्य में परिषद की बैठक आयोजित करने की कोई योजना है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों की सूची (12 सितम्बर, 1986 को जब रा० ए० प० की पिछली बैठक हुई थी) संलग्न विवरण पर उपलब्ध है। तदनुसार, राष्ट्रीय एकता परिषद की 23 जून, 1987 को हुई स्थायी समिति की बैठक के समय, श्री अजीत सिंह, लोक दल (अ०), श्री एच० एन० बहुगुणा, लोक दल (ब) और श्री आर० एल० भाटिया कांग्रेस (ई) को स्वर्गीय श्री चरण सिंह, श्री अर्जुन सिंह और श्री शरद पवार के स्थान पर नामित किया गया।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय एकता परिषद की पिछली बैठक 12 सितम्बर, 1986 को हुई। अगली बैठक के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

विवरण

सदस्यों की सूची

राष्ट्रीय एकता परिषद

(1986)

(12-9-1986 को) (राष्ट्रीय एकता परिषद की पिछली बैठक)

प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
केन्द्रीय गृह मंत्री	सदस्य
केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य
मानव संसाधन विकास मंत्री	तदैव
सभी राज्यों और जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाएं हैं, के मुख्य मंत्री	तदैव
श्री कमलापति त्रिपाठी	तदैव
कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई)	तदैव
श्री अर्जुन सिंह, उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेज (आई)	तदैव
श्री उमा शंकर दीक्षित	तदैव
श्री इ० एम० एस० नम्बूद्रिपाद	तदैव
महामंत्री, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी)	तदैव
श्री सी० राजेश्वर राव महामंत्री, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	तदैव
श्री चन्द्र शेखर, अध्यक्ष, जनता पार्टी	तदैव
श्री एल० के० आडवाणी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी	तदैव
श्री शरद पवार, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (एस)	तदैव
श्री चरण सिंह, अध्यक्ष, लोक दल (अब दिवंगत)	तदैव
श्री एम० जी० रामचन्द्रन, अध्यक्ष आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० (अब दिवंगत)	तदैव
श्री एम० करुणानिधि, अध्यक्ष, डी० एम० के०	तदैव
श्री बी० वी० अब्दुल्ला कोया, महामंत्री, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग	तदैव

श्री चित्तबसु, महामंत्री, आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक	सदस्य
डा० फारूक अब्दुल्ला, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर, नेशनल कांफ्रेंस (एफ)	तदैव
श्री बिरेश्वम डोले, अध्यक्ष, असम के मैदानी-आदिवासियों की परिषद	तदैव
श्री पी० जे० जोसेफ, अध्यक्ष, केरल कांग्रेस	तदैव
श्री इब्रपन वर्धीस, चेयरमैन, केरल कांग्रेस (जे०)	तदैव
श्री त्रिदीब चौधरी, महामंत्री, रवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	तदैव
श्री सुरजीत सिंह बरनाला, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल	तदैव
श्री नर बहादुर सिंह भण्डारी, अध्यक्ष, सिक्किम संग्राम परिषद	तदैव
श्री एन० टी० रामाराव, अध्यक्ष, तेलगूदेशम	तदैव
श्री डी० बी० पाटिल, महामंत्री, भारतीय किसान और कामगार पार्टी	तदैव
श्री पी० के० मोहन्ता, प्रेसीडेंट-इन-चीफ-असमगण परिषद	तदैव
श्री मौलाना अब्दुल हक, कार्यकारी अध्यक्ष, यूनाइटेड माइनोरिटीज फ्रंट असम	तदैव
श्री जी० पारथासारथी	तदैव
श्री फ्रेंक अन्थनी	तदैव
श्री पी० एन० हकसर	तदैव
श्री सत्यजीत रे	तदैव
श्री एम० एफ० हुसैन	तदैव
श्री श्याम बेनेगल	तदैव
श्री खुशवन्त सिंह	तदैव
बाबा आम्टे	तदैव
प्रेसीडेन्ट, फिक्की	सदस्य

प्रेसीडेन्ट, ए० एस० एस० ओ०	तदैव
सी० एच० ए० एम०	तदैव
प्रेसीडेन्ट, आई० एन० टी० यू० सी०	तदैव
चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग	तदैव
चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	तदैव
चेयरमैन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग	तदैव
श्री प्रेम भाटिया	तदैव
श्री विजय तेंदुलकर (नाटककार)	तदैव
श्री नरेन्द्र मोहन, सम्पादक, दैनिक जागरण	तदैव
श्री निखिल चक्रवर्ती, सम्पादक, मेनस्ट्रीम	तदैव
श्री के० एल० नन्दन, सम्पादक, नवभारत टाइम्स	तदैव
श्री अरुणा आसफ अली	तदैव
बेगम आबिदा अहमद	तदैव
श्रीमती अमृता प्रीतम	तदैव
श्रीमती इला भट्ट	तदैव

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में जड़त्व प्रणाली प्रयोगशाला

2448. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में जड़त्व मोटर का निर्माण करने के लिए "जड़त्व प्रणाली प्रयोगशाला" स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों का यह मत है कि यदि जड़त्व मोटर थुम्बा कम्प्लेक्स के भीतर स्थापित किए जाते हैं, तो इससे लागत कम आएगी एवं यह किफायती होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जड़त्वीय संवेदकों और प्रणालियों के विकास के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में जड़त्वीय प्रणाली प्रयोगशाला 1970 से विद्यमान है। इस प्रयोगशाला ने भारतीय

अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमोचक राकेट और उपग्रह कार्यक्रमों दोनों के लिए विविध जड़त्वीय उपस्करों का विकास और सप्लाई की है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पुनः रोजगार मिलने पर पेंशन का जमा किया जाना

2449. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पश्चात जिन भूतपूर्व सैनिकों की सिविल सेवाओं में पुनर्नियुक्ति हुई है उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सरकारी आवास का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी पेंशन जमा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उनकी पेंशन राशि जमा करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में सरकारी आवास की प्रसुविधा सहित किसी भी प्रयोजन के लिए पेंशन के "जमा" करने की व्यवस्था नहीं है। उक्त नियमावली के नियम 19 के अनुसार, सैनिक पेंशनभोगियों को यह विकल्प है कि वे या तो पुनर्नियुक्ति पर सैनिक पेंशन लेना जारी रखें और पुनर्नियुक्ति की अवधि के लिए सेवान्त प्रसुविधाएं अलग से प्राप्त करें अथवा पुनर्नियुक्ति पर सैनिक सेवा के लिए प्राप्त की गई सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़ दें और सैनिक सेवा की अवधि को अर्हक सेवा के लिए जोड़ ले ताकि सैनिक सेवा के आरम्भ से लेकर सिविल पुनर्नियुक्ति की समाप्ति तक सम्पूर्ण सेवा अवधि के लिए समेकित सेवान्त प्रसुविधाएं प्राप्त कर सकें । सम्पदा निदेशालय द्वारा सितम्बर, 1972 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार, जहां कहीं पुनर्नियुक्ति पर सैनिक सेवा को पेंशन, वेतन नियतन आदि के लिए गिना जाता है तो उक्त अवधि को सरकारी आवास की प्राथमिकता की तारीख के प्रयोजन के लिए भी ध्यान में रखा जाता है । किन्तु जहां वे सैनिक सेवा की सेवान्त प्रसुविधाएं बनाए रखते हैं तो उक्त अवधि को पुनर्नियुक्ति पर सरकारी आवास के आबंटन के लिए प्राथमिकता की तारीख के प्रयोजन हेतु नहीं गिना जाता । यह सूचित किया गया है कि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद सम्पदा निदेशालय द्वारा कोई नए आदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सामान्य टेलीविजन के स्थान पर रंगीन टेलीविजन दिया जाना

2450. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का विचार अन्य टेलीविजन निर्माताओं की तरह सामान्य टेलीविजन की कीमत में कटौती करके उसके बदले में रंगीन टेलीविजन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड इस तरह की स्कीम को वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी और आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं पाता।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा किराए में वृद्धि

2451. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिसके लिए वार्षिक लेखा उपलब्ध है, इण्डियन एयरलाइन्स को कर से पूर्व कितना निवल लाभ हुआ;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान किराया टैरिफ में संशोधन किया गया था, यदि हां, तो किन तारीखों को तथा किस सीमा तक संशोधन किया गया था; और

(ग) किराए में वृद्धि करने का क्या औचित्य है जबकि एयरलाइन्स को विद्यमान किराया स्तर पर मुनाफ़ा हो रहा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अर्जित कर-पूर्व निवल लाभ इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लाभ
1985-86	63.52
1986-87	63.74
1987-88	75.60

(ख) पिछले तीन वर्षों में, इण्डियन एयरलाइन्स ने निम्न प्रकार से अपने किराए संशोधित किए :—

1985-86

1. 29-5-1985 से, 7 से 12 प्रतिशत तक मूल किराए में संशोधन जो स्टेज दूरी पर निर्भर है और 11.5 प्रतिशत का अतिरिक्त इंधन अधिभार; और

2. 18-3-1986 से, मूल किरायों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन अधिभार।

1986-87

अन्तर्देशीय सैक्टर पर किरायों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया।

1987-88

25-6-1987 से, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा मूल किरायों में 10 प्रतिशत की वृद्धि, एक्जीक्यूटिव और इकानॉमी श्रेणी के किरायों के बीच अन्तराल में 12.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का संशोधन और अधिक सामान दरों में मूल किराए के 1.06% से कुल यात्री किराए के 1.1% तक का संशोधन।

1988-89

16-2-1989 से अंतर्देशीय मूल किरायों में 10 से 5 प्रतिशत तक वृद्धि जो 500 किलोमीटर तक दूरी स्लेब पर आधारित है।

(ग) इण्डियन एलरलाइन्स द्वारा किरायों में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार थे :—

(1) विमानन टर्बाईन ईंधन की लागत में वृद्धि के अतिरिक्त भार को प्रतिसंतुलित करना;

(2) अन्य लागतों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त भार को प्रति संतुलित करना;

(3) स्टाफ, रख-रखाव, अवतरण और दिक्चालन शुल्कों पर अधिक व्यय के कारण अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए; और

(4) कम दूरी के प्रचालनों आदि पर लागत की वसूली में सुधार करने के लिए किरायों को युक्तिसंगत करना।

अर्ध-सैनिक बलों की सैनिक-संख्या

2452. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार अर्ध-सैनिक के प्रत्येक बल की स्वीकृत सैनिक संख्या कितनी है; और

(ख) उपरोक्त संख्या में राजपत्रित अधिकारियों की पद-वार संख्या क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1-1-89 को गृह मंत्रालय के अधीन प्रत्येक अर्ध-सैनिक बल की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है :—

सी० सु० ब० 115 बटालियन

के० रि० पु० ब० 93 ड्यूटी बटालियन और 5 सिगनल बटालियन

भा० ति० सु० पु० 18 ड्यूटी बटालियन और 4 स्पेसियलिस्ट्स बटालियन

असम राइफल्स 31 बटालियन

के० औ० सु० ब०

(ख) अर्ध-सैनिक बलों में राजपत्रित पदों (रैंक वार) की स्वीकृत संख्या

रैंक	सी.सु.ब.	भा.ति.सु.पु	के.रि.पु.ब.	असम राइफल्स	के.औ.सु.ब.
महानिदेशक	1	1	1	1	1
अतिरिक्त महानिदेशक	1	1	—	—	—
उप-महानिदेशक	—	—	—	1	—
पुलिस महानिदेशक	13	7	1	1	2
उप पु० महानिरीक्षक	34	23	7	9	17
अतिरिक्त उप पु० महानिरीक्षक	28	21	5	Nil	—
कमांडेंट (एस० जी०)	125	73	—	45	—
कमांडेंट (एन० ए० जी०)	83	52	47	57	117 (अ०म०नि०/ कमांडेंट/प्रिंसीपल)
सेकिण्ड-इन-कमाण्ड (रु० 3000-4500)	78	90	—	—	—
सहायक कमांडेंट (रु० 3000-4500) रु०	—	364	202	—	—
उप कमांडेंट (रु० 2200-4000) रु०	609	—	—	255	51
सहायक कमांडेंट (रु० 2200-4000) रु०	1096	—	—	311	414
उप पुलिस अधीक्षक (रु० 2200-4000) रु०	—	776	—	—	—
कम्पनी कमांडर	—	—	230	—	—
प्लाटून कमांडर	—	—	12	—	—
अन्य राज्यपत्रित पद	350	297	25	125	20

अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ावा देना

2453. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्थागत स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति सम्बन्धी मार्ग-निदेश तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों से राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सहयोग की उन्नति, विशेषकर उद्यम से स्तर पर करने के लिए नीति निर्देशन विकसित और विज्ञापित किए गए हैं।

(ख) उद्यम/संस्थात्मक स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास (आर एण्ड) सहयोग कतिपय लाभ प्रदान कर सकते हैं जैसे :—अनुसंधान और विकास सहयोग अधिकाधिक क्यों—जानकारी की उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं, अनुसधान और विकास सहयोग उच्च कीमत वाले अनुसंधानों के क्षेत्र में और बहुत से क्षेत्रों में मिशन दिक्सूचक अनुसंधान और विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए समाप्त करने वाले बिन्दुओं के लिए सहायक हो सकते हैं, अनुसंधान और विकास सहयोग विशेषकर उद्यम केन्द्रों के बीच आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रौद्योगिकी को अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं।

प्राथमिकता के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास सहयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सहायता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी० एस० आइ० आर०) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सहयोगों के माध्यम से प्राप्त किए गए परिणाम स्वदेशी प्रयासों के रूप में माने जाएंगे और समस्त राजस्व (फिस्कल) प्रोत्साहनो और मान्यता-प्राप्त इन-हाउस अनुसंधान और विकास इकाइयों द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यों में प्रयोग की जाने वाली अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे।

"पवन हंस" के हेलीकाप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2454. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "पवन हंस" के हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं में हुई जान माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छः महीनों में "पवन हंस" के हेलिकाप्टरों की हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) इस समय पवन हंस के कितने हेलिकाप्टर कार्य कर रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का इनका उपयोग बन्द करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । 7-2-1989 को कोहिमा के निकट पवन हंस लिमिटेड का एक हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें विमान पर सवार तीन व्यक्ति मारे गए । दुर्घटना में नष्ट हुए हेलीकाप्टर का बुक मूल्य 406.87 लाख रुपए है ।

(ग) और (घ) पिछले छः महीनों में पवन हंस हेलीकाप्टर की केवल एक दुर्घटना कोहिमा के पास 7-2-1989 को हुई थी । वायुयान नियमों के अन्तर्गत, दुर्घटना निरीक्षक द्वारा सांविधिक जांच चल रही है ।

(ङ) पवन हंस लिमिटेड इस समय 39 हेलीकाप्टरों का प्रचालन कर रही है ।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इलेक्ट्रॉनिकी आयोग का पुनर्गठन

2455. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी आयोग को समाप्त करने अथवा इसके पुनर्गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिकी आयोग और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के बीच नीति सम्बन्धी मामले पर कोई स्पष्ट कार्य विभाजन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग इलेक्ट्रॉनिकी से सम्बन्धित एकीकृत विकास के कार्यकलापों के ही एक भाग के रूप में सरकार को दीर्घकालीन नीति विषयक निर्देशों के सम्बन्ध में सिफारिशें करता है । इस प्रक्रिया में वह अनुसंधान तथा विकास की क्षमताओं, प्रौद्योगिकी का पूर्वानुमान, प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिकी में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाने, एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित सिफारिशें भी करता है । चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव महोदय इस आयोग के सदस्य हैं, अतः विभाग इस कार्य के साथ घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है । विभाग आयोग को सेवाएं भी उपलब्ध कराता है और सिफारिशों पर और आगे कार्रवाई करने तथा सरकार द्वारा लिए गए नीति विषयक अन्तिम निर्णयों पर अमल करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वचालित एक्सचेंज

2456. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीकाम क्षेत्र की उदारीकरण योजना के अन्तर्गत प्राइवेट क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में कितने 2000 लाइनों वाले स्वचालित एक्सचेंज सौंपे गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : 2000 लाइनों की उत्पादन क्षमता के ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के विनिर्माण के लिए अब तक निजी क्षेत्र में चार पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं उनमें से प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन-क्षमता 20000 लाइनों की है। ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों की संख्या अपेक्षित संरचना पर निर्भर करेगी।

रेडियोधर्मी सामग्री का गुम होना

2457. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र विभिन्न चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी उपकरणों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पिनों पर नियमित रूप से निगरानी रखता है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ मामलों में ऐसे रेडियोधर्मी सामग्री में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र वापिस पहुंचाने से पहले ही गुम हो जाने की रिपोर्ट की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इन्हें खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र यह सुनिश्चित करता है कि प्रयुक्त हो चुकी रेडियोधर्मी सामग्री अस्पतालों और क्लिनिकों द्वारा प्रयोग में न लाई जाए; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्टॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। चिकित्सा उपकरणों में से ऐसी रेडियो सक्रिय सामग्री के गुम होने की एक रिपोर्ट है।

(ग) अस्पताल के संबंधित प्राधिकारियों के सहयोग से गुम हुए स्रोत को खोजने का काम विस्तार से किया गया। इतनी व्यापक रूप से और अच्छी तरह से खोज करने के बाद भी, स्रोत अपनी कम सक्रियता (कुछ मिलीक्यूरीज) के कारण मिल नहीं पाया। चूंकि सभी अभिगम्य क्षेत्रों की अच्छी तरह से जांच की जा चुकी है, इसलिए आम जनता को इससे कोई खतरा नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) संस्थाओं को यह सलाह दी गई है कि वे क्षय स्रोतों को नए स्रोतों से बदल लें। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सभी क्षय स्रोतों को समाप्त करने की दृष्टि से एकत्रित करता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना

2458. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में कुछ और राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कहां स्थापित किया जाएगा और उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस प्रकार के कितने राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र इस समय विद्यमान हैं; और

(घ) क्या कुछ नई जांच प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) क्षेत्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान तथा विकास के कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने त्रिवेन्द्रम, पुणे, कलकत्ता, लखनऊ तथा मोहाली में केन्द्रों की स्थापना के लिए कदम उठाएं हैं। इन केन्द्रों में अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिकी में उद्योग एवं कृषि उन्मुखी अनुसंधान तथा विकास के कार्य किए जाने की सम्भावना है।

(घ) उद्योगों को परीक्षण तथा अंशांकन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश की कई इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र और क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं।

सचिवों के निजी सचिवों के भर्ती नियम

2459. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **प्रधान मंत्री** सचिवों के निजी सचिवों के पद हेतु भर्ती नियम के बारे में 21 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों के निजी सचिवों के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का पुनर्गठन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में ग्रेड "ग" और ग्रेड "घ" (सी० एस० एस० एस० कैडर) के आशुलिपिकों के पदोन्नति अवसरों में भारी गतिरोध है; और

(च) यदि हां, तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेवाओं का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता के न्यूनतम मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए आशुलिपिक ग्रेड "ग" तथा "घ" स्तर में पदोन्नति की प्रतीक्षा में बहुत से अधिकारी हैं। तथापि, सभी सेवाओं में पदोन्नतियां सामान्यतः उच्चतर ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती हैं।

11.59 म० पू०

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैंने श्री देवी लाल के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : वह आपको डरा रहे हैं कि आप कहीं से भी खड़े हों वह आपके विरुद्ध चुनाव में खड़े होंगे। वह आपके विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति दी है केवल इस कारण वह आपको डरा नहीं सकते हैं·······(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : केवल इस बात के लिए, मैं श्री नायक के साथ सहमत हूं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। देखिए, डराया तो उसको जाता है जो डरता हो। दूसरी बात यह है कि कानून ने हक दिया है किसी को भी कहीं से खड़े होने का, लेकिन अगर कोई कोठे पर चढ़कर बेवकूफी करे तो मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यह कुछ नहीं है। यदि इसमें कोई अध्यक्ष को बीच में लाता है तो यह इस संस्था के प्रति अनादर जैसी बात है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, वह आपके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। आप चिन्ता न कीजिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। यह प्रश्न अध्यक्ष

के बारे में है। बलराम, एक आम आदमी की तरह चुनाव में खड़ा हो गया और वह भी कहीं से चुनाव में खड़े होंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम चाहते हैं कि अध्यक्ष के पद को चुनाव से अलग रखा जाए। आवश्यक विधायी संशोधन लाया जाना चाहिए (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अब गम्भीर मामले को लीजिए। आपको याद होगा 6 मार्च को मैंने वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया था······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बारे में क्या कहना है। यह तेल निधि को राजस्व खाते में अन्तराल के बारे में······

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे आपके माध्यम से वित्त मंत्री का नोट मिल गया है। उसके लिए मैंने अपनी आपत्तियां और टिप्पणियां दे दी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भविष्य में आने वाले बजटों के मार्गनिर्देश के लिए आप व्यापक निर्णय दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी देखूंगा।

[अनुवाद]

मुझे यह अभी-अभी प्राप्त हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब हम बजट प्रस्तुत करेंगे तो यह हमारे लिए लाभदायक हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई महत्वपूर्ण बात है तो हम उसे देखेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सरकार ने बोट क्लब पर रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब के लिए हैं।

[अनुवाद]

यह केवल आपके लिए नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह राजधानी में लोकतन्त्र का गला दबाने की तरह है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है मेरी बात सुनिए।

[**अनुवाद**]

अब मेरी बात सुनिए।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सम्पूर्ण देश से लोग यहां आते हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन मेरी बात सुनिए। यह एक ऐसा विषय है जोकि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होनी है। इस मामले को उस समय भी उठाया जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, बोट क्लब पर रैलियां आयोजित करने पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं। मेरे विचार में यह सबके लिए है और केवल आपके लिए नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इन पर प्रतिबन्ध कैसे लगाया जा सकता है? गृह मंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उसके बारे में प्रश्न कर सकते हो···

(**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : हम प्रश्न कैसे कर सकते हैं? (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत से लोग दिल्ली आएंगे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बहुत ही मानसिक विस्मय में डाल दिया है। गणित के कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : संसद के हर अधिवेशन के दौरान प्रदर्शन करने के लिए सम्पूर्ण देश से लोग दिल्ली में बोट क्लब पर आते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैंने पहले ही सूचना देने के लिए कहा है। आप मुझे कुछ लिखकर दीजिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए पहले ही नोटिस दिया है । मैं उनके लिए आपकी सहानुभूति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको कहूंगा और आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख सकेंगे ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अतः आप मेरे ध्यानाकर्षण नोटिस पर विचार कर रहे हैं ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : हजारों भूतपूर्व सैनिकों ने गत सात दिनों में भूख-हड़ताल शुरू कर दी है । रक्षा मंत्री यहां पर बैठे हैं । उन्हें इस मामले को देखना चाहिए ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में इस सदन को सूचित किया गया, आपको सूचित किया गया कि जनता पार्टी के सभी सदस्य ...

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में इसे उठाने की कोई बात नहीं है ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : लेकिन उन्होंने मेरा नाम पुकारा है । और मैं अपनी स्थिति जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष मोहदय : आप इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जनता पार्टी के ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कभी भी सदन से निष्कासित नहीं किया है ।

12.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता का वर्ष का 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7501/89]

केन्द्रीय वक्फ परिषद का 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7502/89]

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1988 और रेल सुरक्षा आयोग का 1887-88 का वार्षिक प्रतिवेदन

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40 के अन्तर्गत

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1988, जो 30 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैब०9.2.7 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7503/89]

(2) रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 75C4/89]

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7505/89]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951; मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1988 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन

विनियम, 1988, जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1988, जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1988, जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा० का० नि० 1225(अ), जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 दिसम्बर, 1988 से अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक भारतीय पुलिस सेवा काडर गठित किया गया है और संघ राज्य क्षेत्रों का भारतीय पुलिस तथा काडर उत्सादित किया गया है।

(छह) सा० का० नि० 1226(अ), जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 दिसम्बर, 1988 से अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर गठित किया गया है और वहां से संघ राज्य क्षेत्रों का भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर उत्सादित किया गया है।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1989, जो 21 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 27 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1989, जो 21 जनवरी, 1989 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 28 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1989, जो 3 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) जो दूसरा संशोधन नियम, 1989, जो 10 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 999 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1000 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1988, जो 31 दिसंबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का सा० का० नि० 1002 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1003 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1004 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1005 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1980, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1006 में में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1007 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1008 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1989, जो 4 फरवरी, 1989, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 65 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय वन सेवा (भर्ती संशोधन नियम, 1989, जो 22 फरवरी, 1989

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 116(अ), में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7506/89]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्तों और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1988, जो 10 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 16(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गए । देखिए संख्या एल० टी० 7507/89]

(3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7508/89]

लक्षद्वीप प्रदेश परिषद (प्रक्रिया और कार्य-संचालन और परामर्शदाताओं के साथ परामर्श) नियम, 1988

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं लक्षद्वीप (प्रशासन) विनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लक्षद्वीप प्रदेश परिषद् (प्रक्रिया और कार्य-संचालन तथा परामर्शदाताओं के साथ परामर्श) नियम, 1988, जो 2 अगस्त, 1988 के लक्षद्वीप राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7509/89]

12.05 म० प०

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गृह ऋण लेखा योजना शुरू किए जाने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : महोदय, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी ताकि मकान बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में तेजी लाई जा सके और इस प्रक्रिया को दोषरहित बनाया जा

सके। यह बैंक एक ओर वर्तमान आवास वित्त संस्थाओं को मजबूत बनाएगा और दूसरी ओर, आवास ऋण देने के लिए नयी संस्थाएं बनाने को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय आवास बैंक समाज के कमजोर वर्गों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की स्कीमें भी बनाएगा। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए बैंक ने छोटी-छोटी आवास इकाइयों (ड्वेलिंग यूनिट) के लिए ऋण देने के प्रवाह को तेज करने का निर्णय लिया है। शुरू में, बैंक 50,000 रुपये तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। इसके अलावा, जमीन प्राप्त करने और उसका विकास करने के लिए सार्वजनिक आवास एजेंसियों के लिए धनराशियों की व्यवस्था करने के साथ-साथ बैंक का यह सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव है कि छोटे प्लाटों/फ्लैटों का हिस्सा 75 प्रतिशत से कम न हो।

12.06 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

सदन को याद होगा कि 28 फरवरी, 1989 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित बैंकों के सहयोग से गृह ऋण खाता स्कीम शुरू करने जा रहा है। आवास बैंक ने यह स्कीम तैयार कर ली है जिसमें कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से बचत करने का प्रावधान है और इस अवधि के बाद स्कीम का अभिदाता इस प्रकार जमा की गई कुल बचत राशियों के (बचत राशियों पर 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि की दर से ब्याज सहित) गुणकों में ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। ऋण की रकम कुल बचत राशियों की निकासी के अलावा होगी। ऋण की राशि 40 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र के लिए कुल बचत राशि का चार गुना और इससे अधिक निर्मित क्षेत्र के लिए कुल बचत राशि का दो से तीन गुना होगी। 50,000 रुपये तक ऋणों के ब्याज की दर जमा दर से केवल आधा प्रतिशत बिन्दु अधिक रखी गई है।

यह स्कीम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी आय वर्गों के लिए एक ही होगी। कोई व्यक्ति, जिसका भारत में कहीं भी पहले से अपना कोई मकान न हो, इस स्कीम में शामिल हो सकता है और इसके लिए न्यूनतम अंशदान 30 रुपए मासिक अथवा 360 रुपए वार्षिक होगा। यह स्कीम शुरू में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से चलाई जाएगी और बाद में इसे अन्य आवास वित्त संस्थाओं पर भी लागू कर दिया जाएगा।

इस स्कीम का उद्देश्य, विशेष रूप से आवास से जुड़ी बचतों को जुटाना है। बचत की राशियां किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं निकालने दी जाएंगी। राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रस्ताव है कि इस स्कीम के अन्तर्गत इन बचत राशियों का उपयोग आवास बोर्डों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा जमीन प्राप्त करने और उसका विकास करने की वित्त व्यवस्था करने के वास्ते किया जाय। बैंक इन एजेंसियों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करेगा कि उनके द्वारा विकसित प्लाटों अथवा निर्मित मकानों के आवंटन में ये एजेंसियां गृह ऋण खाता स्कीम के अभिदाताओं को तरजीह देंगी।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से सभा-पटल पर एक टिप्पणी रख रहा हूं जिसमें इस स्कीम का और आगे ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7510/89]

12.07 म० प०

नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र के पहले यूनिट के चालू हो जाने के बारे में वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मुझे संसद के माननीय सदस्यों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने 12 मार्च, 1989 को 10.40.45 बजे क्रांतिकता प्राप्त कर ली है। हमारे लोगों के कल्याण के लिए और आर्थिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की हमारी योजनाओं में यह एक और महत्वपूर्ण चरण है। मैं न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन और परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न यूनिटों के उन इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य कार्मिकों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया। मैं उद्योग क्षेत्र, परामर्शदाता इंजीनियरी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों के उन लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा जो इस कार्य में जुड़े हुए थे। यह उपलब्धि इस बात का एक और सबूत है कि हमारा देश शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में स्वावलम्बी है।

12.08 म० प०

आयकर (संशोधन) विधेयक, 1989*

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० पांजा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.8½ म० प०

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय, मैं आय-कर

*दिनांक 13-3-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, खण्ड-2, भाग-2 में प्रकाशित।

(संशोधन) अध्यादेश, 1989 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्णिया में पेयजल की गंभीर कमी दूर किए जाने के लिए योजनाएं शुरू किए जाने हेतु बिहार सरकार को निदेश और वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र पूर्णिया (बिहार) में पीने के पानी के अभाव को लेकर सदन में बोल रही हूं ।

मैंने हाल ही में उक्त क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण किया है । सभी क्षेत्रों में अभी से पानी की कठिनाई व्याप्त है जबकि ग्रीष्म ऋतु में स्थिति और भी गम्भीर होने की सम्भावना है । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निरन्तर सूचित करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है ।

विश्व बैंक की 'क्लस्टर प्रोग्राम आफ ट्यूबवैल' में पूर्णिया क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि हालात की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्र को इस योजना में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित होगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुराने चापाकल हैं, उनकी मरम्मत सम्बन्धी फण्ड को स्थानीय लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का अभाव है, वहां आगामी ग्रीष्म ऋतु में पहले ही पानी का इन्तजाम युद्ध स्तर पर किया जाना आवश्यक है ।

मैं केन्द्र सरकार से उपर्युक्त सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगी कि राज्य सरकार को इस संबंध में समुचित आदेश दें । साथ ही यदि आवश्यक हो तो और अधिक आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की कृपा करें ।

(दो) उड़ीसा को फरक्का और छुका पनबिजली परियोजना से अधिक बिजली की आपूर्ति किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा राज्य में पिछले एक दशक से बिजली की गम्भीर समस्या है और पिछले छः वर्ष से सांविधिक तथा अन्य प्रतिबन्ध लगाए हैं। चालू जल वर्ष के दौरान जल विद्युत के सामान्य उत्पादन और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, एन० ए० एल० सी० ओ० से विद्युत खरीद का 1000 मे० वा० की अनियन्त्रित आवश्यकता की तुलना में 543 मे० वा० का अनुमान लगाया गया है ।

कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भारी तथा व्यापक विद्युत उद्योगों में 75%, बड़े उद्योगों में 50% और राज्य के उपक्रमों में 30% और सभी उद्योगों में अधिकतम उपयोग प्रतिबन्ध 6.0 म० प० से 10 म० प० तक लागू किए। अतः औद्योगिक क्षेत्र में बिजली में और अधिक कटौती नहीं होगी।

पूर्वी क्षेत्र में फरक्का और छुका में स्थित केन्द्रीय परियोजना से राज्य के 15% गैर-निर्धारित विद्युत जो उड़ीसा राज्य को सप्लाई की जाएगी, इस बात से यह विचार करते हुए कि वहां विद्युत की अधिकतम कमी की तुलना पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों से करके, राज्य को "नाल्को", मध्य प्रदेश तथा एफ० आर० ई० बी० के विभिन्न संघटकों से राज्य बिजली बोर्ड की बिजली की बिक्री दर से अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ेगी।

अतः मैं ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही उड़ीसा राज्य की सहायता करें और फरक्का और छुका जलविद्युत परियोजनाओं से अधिक गैर-आबंटित विद्युत सप्लाई करें, जैसे केरल और कर्नाटक राज्यों को केन्द्र के अधिकार में गैर-आबंटित कोटे से बिजली दे दी गई है।

(तीन) बड़ोदरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सहायता कोष से वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ोदरा) : मैं सदन का ध्यान उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें 129 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यह गुजरात की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 4 मार्च, 1989 को आधी रात को बड़ोदरा, गुजरात में हुई।

6 मार्च तक 284 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती किए गए जिन में से 127 की मृत्यु हुई, 95 को छुट्टी दे दी गई और शेष व्यक्तियों का इलाज हो रहा है। उन पीड़ित व्यक्तियों में से अधिकतर लोग बड़ोदरा नगर निगम के कर्मचारी अथवा सब्जी बेचने वाले हैं।

दुर्घटना उस स्थान पर हुई जहां शराब के अवैध व्यापार करने वाले गिरोह ने दंगे किए। राज्य में कड़ी निषेध नीति के बावजूद ऐसी घटनाएं बार-बार हुई है जिसमें कई वर्षों से सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं की हत्या हुई है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य में औषधि कानून की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

पीड़ितों को जो वित्तीय सहायता दी गई है वह नाममात्र की है। अतः मेरा नम्र निवेदन यह है कि पीड़ितों के परिवारों को प्रधानमंत्री के सहायता कोष से पर्याप्त राशि की स्वीकृति दे दी जाए।

मैं यह निवेदन भी करती हूं कि समस्त देश के लिए एक समान मद्य निषेद नीति भी तैयार की जाए।

(चार) बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश में सभी प्रकार की सड़कों का सुधार किए जाने की मांग

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मैं सरकार का ध्यान ऐसी सड़क दुर्घटनाओं की ओर

दिलाना चाहूंगा जो राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर यातायात में वृद्धि होने के कारण होती हैं। भारी वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कें पर्याप्त नहीं हैं जिसके कारण बहुत सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

यात्रा करने वाली जनता का जीवन सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश की सभी वर्गों की सड़कों के आकार में सुधार किया जाना चाहिए।

(पांच) केन्द्र से धनराशि के आबंटन के मामले में जम्मू और कश्मीर राज्य को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश के बराबर लाए जाने की मांग

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जम्मू-कश्मीर सरकार को केन्द्र से वित्तीय आबंटन न केवल कम है किन्तु ऋणों और अनुदानों का अनुपात भी राज्य के लिए प्रतिकूल है।

केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। जहां उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश को 90% अनुदान और 10% ऋण के अनुपात से मिल रहा है, जम्मू-कश्मीर राज्य को 70% ऋण और 30% अनुदान मिलता है।

यह मामला सार्वजनिक वाद-विवाद का एक मुद्दा बन गया है और जम्मू-कश्मीर की जनता पूछती है कि हिमाचल प्रदेश को जो जम्मू-कश्मीर राज्य की तुलना में अनेक मामलों में आगे है क्यों 90% राशि अनुदान में मिले, जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य ऋणों के भार तले दबा रहे।

केन्द्र की ओर से पैसा दिए जाने के इस तरीके ने जम्मू-कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि काफी बड़ी राशि मूल धन और वार्षिक योजना आबंटन से ब्याज के रूप में समायोजित होती है। परिणाम यह होता है कि राज्य सरकार के पास मजदूरी विधेयक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है और विकास के लिए सहायता की कोई राशि नहीं रह जाती है।

अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य सरकार के पास बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी, विद्युत उत्पादन, सड़कें बनाने और उद्योग विकास आदि की समस्याओं को सुलझाने की स्थिति में नहीं है।

ऐसी स्थिति में तो सामाजिक तनाव होना ही है। यही उचित समय है कि केन्द्रीय सरकार आर्थिक असंतुलन दूर करे और जम्मू-कश्मीर राज्य को विकास के लिए वित्तीय आबंटन के सम्बन्ध में उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश के बराबर लाए।

(छः) विमानों की समय पर और नियमित उड़ान सुनिश्चित किए जाने तथा विमान यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : विमान यात्रा अब ऐश्वर्य नहीं परन्तु आवश्यकता बन गई है। अतः उड़ानों में विलम्ब तथा इनको रद्द किए जाने से भारी हानि होती है जिसकी पूर्ति नहीं की जासकती है। उड़ानों के रद्द किए जाने तथा विलम्ब के कारण जो प्रायः गड़बड़ हो जाती है उससे मिलने का निर्धारित समय, रोजगारी अवसर के लिए साक्षात्कार सरकारी काम आदि में ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिससे कि यात्री इस महंगी यात्रा का उद्देश्य ही पूरा नहीं कर पाते हैं। यह दुःख की बात है कि

कभी-कभी बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के उड़ानें रद्द की जाती हैं या रोक दी जाती है। इसके यात्रियों को और सुरक्षा उपायों को समय का उचित मूल्य देकर हमारे देश में नागरिक विमानन प्रणाली को समय की पाबन्दी और नियमित सेवा के महत्व को समझने की आवश्यकता है।

अतः मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से निवेदन करता हूं कि यात्रियों की सुनिश्चित और सुरक्षित ढंग से सेवा करने के लिए एक व्यवहार्य कार्यक्रम तैयार करें।

12.19 म० प०

सामान्य बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 11 अर्थात 1989-90 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा करते हैं। श्री माधव रेड्डी चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पिछली 28 फरवरी को 1989-90 का जो बजट प्रस्तुत किया उस पर विभिन्न टिप्पणियां की गई जिसे अलग-अलग लोगों ने चुनाव वर्ष का बजट, जनता का बजट, किसान बजट, संरचनात्मक बजट, संतुलित बजट आदि कहा। महोदय एक बात निश्चित है। इनमें से किसी भी वर्णन की ओर ध्यान न देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक अनोखा बजट है—जो अनेक प्रकार से अनोखा है क्योंकि यह विपक्ष की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया गया।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : क्या यह हमारा दोष है? **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं किसी के दोष नहीं निकाल रहा हूं, मैं केवल तथ्य बता रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह ठीक कह रहे हैं, यह इनका दोष नहीं है, महोदय, यह तो प्रधानमन्त्री का दोष है।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सदन भरा हुआ था, खाली नहीं था।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैंने कहा, "विपक्ष के रिक्त स्थान" आप ने ठीक से नहीं सुना है।

यह इसलिए विचित्र है क्योंकि इसमें अनेक तत्वों का, बाहरी तत्वों जिनका न केवल इस देश के विकास के साथ सम्बन्ध है परन्तु अन्य राजनीतिक तत्वों के साथ भी सम्बन्ध है क्योंकि यह चुनाव वर्ष है और जो पार्टी और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनूठा बजट है क्योंकि इसमें पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रोजगार कार्यक्रमों और गरीबी निवारण कार्यक्रमों सम्बन्धी संकल्पों पर ध्यान दिया गया है। जो बजट पहले प्रस्तुत किए जाते रहे हैं उनमें कई बातों का रहस्योदघाटन किया जाता था सिवाय उन बातों के जिनका रहस्योदघाटन बजट के समय किया जाना होता था। शेष परिव्ययों के बारे में सदन के सदस्यों के साथ बजट तैयार करते समय विचार-विमर्श किया जाता था। इसे खुला बजट कहा जाता था जिसका आज बहुत से यूरोपीय देशों में प्रचलन है। इसे अब तिलांजली दे दी गई है। इस वर्ष कोई चर्चा नहीं हुई तथा बजट प्रस्तुत करने से पूर्व विपक्ष या सदन के किसी भी सदस्य से कोई सुझाव आमंत्रित नहीं किए गए थे।

वित्त मंत्री ने बजट के आधारभूत उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कहा कि ये विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय से संबंधित है। बजट प्रस्तावों पर विचार करते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था। मैं इस बात की जांच करना चाहता हूं कि यह बजट प्रस्ताव किस सीमा तक इन उद्देश्यों की जरूरतों को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बजट में जो परिवर्तन हुए हैं, बेशक मैं उनके लिए वित्त मंत्री को दोष नहीं देता। किन्तु सरकार की नीतियों को जारी रखा गया है। यद्यपि वित्त मंत्री, इस लोक सभा के कार्यकाल में चौथे वित्त मंत्री हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि विगत में जो कुछ किया गया उसका वर्तमान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे पहले कि हम पिछले वर्ष के बजट में किए गए वायदों के बारे में बातचीत करें—मैं उन पर बाद में बात करूंगा—मैं उन जटिल समस्याओं पर आता हूं जो आज देश के समक्ष हैं अर्थात्, बचत की घटती दर की समस्या, भुगतान शेष की खराब स्थिति, संसाधनों का कम होना, राजस्व व्यय में निर्बाध वृद्धि, औद्योगिक रुग्णता की घटनाओं में वृद्धि तथा आर्थिक विकास का रुक जाना। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी ओर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में भी ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि वित्त मंत्री कोई भी सुधारात्मक कदम उठाने और अर्थव्यवस्था में आयी विकृति को दूर करने में असफल रहे हैं। वह अपनी नीतियां तैयार करने में अच्छी फसल और कृषि क्षेत्र में अच्छी विकास दर का लाभ उठाने में असफल रहे हैं जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एक अच्छा आधार होता।

अब मैं पिछले वर्ष के बजट भाषण में किए गए वायदों पर आता हूं जिनमें से अधिकांश पर धूल जम रही थी। इससे पहले कि मैं पिछले वर्ष के बजट में किए गए वायदों तथा दिए गए आश्वासनों की बात करूं, यह जान लेना आवश्यक है कि पिछले वर्ष किए गए वायदे किस सीमा तक पूरे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्यथा इन वायदों की कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। एक वायदा लघु उद्योग विकास बैंक बनाने के बारे में किया गया था। मैं सरकार से पूछता हूं कि इसका क्या हुआ। इसके बारे में कुछ सुनाई नहीं दिया। लघु उद्योगों की सहायता के लिए एक पृथक बैंक स्थापित किए जाने का विचार था। किन्तु अब तक कुछ नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष की स्थापना की जानी थी। यह उन किसानों को राहत देने के लिए था, जिन्होंने ऋण लिए हुए थे किन्तु सूखे की परिस्थितियों सहित कई कारणों से उन्हें वापस करने की स्थिति में नहीं थे।

'नेबार्ड' तथा भारतीय रिजर्व बैंक, इस प्रकार की योजनाएं आरम्भ करने में राज्य सरकारों के मार्ग में आए। जहां तक कि ब्याज की दर में छूट देने जैसी योजनाओं पर भी आपत्ति की गई और उन्हें बन्द कर दिया गया। हमें आशा थी कि ऐसी योजना लागू होगी और राज्य सरकारों के लिए किसानों द्वारा सहकारी समितियों से लिए गए ऋणों पर मूलधन या ब्याज के सम्बन्ध में कोई राहत देने की जरूरत नहीं होगी।

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उत्तार चढ़ाव को संरक्षण देने की योजना का क्या हुआ। रुपए के अवमूल्यन के कारण विशेषरूप से पूंजीगत माल के आयात पर निर्भर करने वाली परियोजनाओं को धक्का लगा है क्यों ऋण, रुपयों में मंजूर किए जाते है और जब वह आयात किए जाने वाले उपस्करों का क्रयादेश देते हैं, तो यह पाते हैं कि दाम बढ़ गए हैं और जब तक ऋण की राशि बढ़ाई नहीं जाती वह मशीनें आदि नहीं खरीद सकते। सरकार कुछ इस किस्म की

व्यवस्था करना चाहती है जिसके अन्तर्गत विनिमय दरों में इस प्रकार होने वाले परिवर्तन को किसी ऐजेन्सी द्वारा देखा जाएगा। अब कठिनाई यह है कि कोई भी विभाग, यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी इस जोखिम को नहीं उठाना चाहता। आपने ऐसी योजना की घोषणा ही क्यों की जिसकी व्यवहारिकता के सम्बन्ध में आपको सन्देह था।

जहां तक स्टाक एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इण्डिया के विधान का मम्बन्ध है इस बोर्ड का गठन अप्रैल 1988 में पहले ही हो चुका है। बोर्ड बन गया है लेकिन विधान नहीं है। मेरे विचार से प्रारूप विधान अब विधि मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को भेजा जा रहा है और कल की रिपोर्ट तो यह है कि विधि मंत्रालय ने प्रारूप अस्वीकार कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बजट सत्र के दौरान इस सदन में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किए जाने की कोई आशा नहीं है। इस बोर्ड का क्या होगा ? यह कुछ नहीं कर रहा है। यह केवल पैसा खर्च कर रहा है और खाली बैठा है।

ये कुछ निश्चित वायदे बजट भाषण में किए गए थे और इसके अलावा वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने कुछ और आश्वासन भी दिए थे। मैं उन आश्वासनों पर बाद में बातचीत करूंगा। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इन पांच या छह मदों की जो घोषणा की गई थी उन पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

माननीय प्रधानमन्त्री ने इस सदन को कई बार यह आश्वासन दिया है और दावा किया है कि यह सरकार पिछली किसी भी सरकार से तेज काम करती है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह विपरीत दिशा में जा रही है।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या सरकार इसी गति से काम करना चाहती है ? जब आप बजट प्रस्तुत किए जाने के शुभ अवसर पर इस सदन में किए गए वायदों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप दूसरे वायदों और आश्वासनों को किस प्रकार पूरा करेंगे ?

पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों को कई रियायतें दी थी जिनमें पालिएस्टर, स्टैपल फाईबर नायलोन और दूसरे उद्योगों पर उत्पाद-शुल्क और आयात-शुल्क में रियायतें दिया जाना शामिल है। शुल्क में कमी की गई है और उस समय वित्त मन्त्री ने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि यह शुल्क जो कम किए गए हैं इनका उद्देश्य यह है कि यह लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

उन्होंने यह चेतावनी जारी की कि यदि ये रियायतें पालिएस्टर फैब्रिक, या नायलोन फैब्रिक के उपभोक्ताओं को न दी गई तो वे वापस ले ली जाएंगी। माननीय वित्त मन्त्री ने यह वायदा किया था। किन्तु क्या हुआ ? इन रियायतों की घोषणा के तुरन्त बाद दाम बढ़ गए। तब एक प्रश्न पूछा गया और स्पष्टीकरण दिया गया। पालिएस्टर स्टेपल फाईबर के बड़े-बड़े निर्माताओं ने मन्त्रालय को बताया कि पैट्रो-रसायन जैसे कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के कारण निर्माताओं के लिए, यह लाभ, उपभोक्ताओं को दे पाना संभव नहीं है। इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया। मन्त्रालय ने यह स्पष्टीकरण मान लिया और उन गरीब उपभोक्ताओं के लिए कोई आशा नहीं रही जिन्हें आप ये रियायतें देना चाहते थे।

एक अन्य आश्वासन भी दिया गया था। यह आश्वासन किसानों को दिया गया था। आश्वासन

यह था कि उन्हें सस्ती दरों पर उर्वरक मिलेंगे क्योंकि सरकार 7½ प्रतिशत की व्यापार कटौती देगी। यह कहा गया था कि किसानों को सभी प्रकार के उर्वरक—नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेट उर्वरक तथा अन्य सभी किस्म के उर्वरक सस्ती दरों पर मिलेंगे। यह एक प्रशंसनीय कदम था। हम सब बहुत प्रसन्न थे। किन्तु क्या हुआ? घोषणा के तुरन्त बाद, उर्वरकों के निर्माताओं द्वारा सरकार पर यह कहकर दबाव डाला गया कि उनके लिए यह कटौती उपभोक्ताओं को देना कठिन है। अतः अन्ततोगत्वा सरकार को दबाव में आकर झुकना पड़ा और अन्त में यह छूट केवल यूरिया के लिए ही रह गई, किसी अन्य उर्वरक के लिए नहीं। क्या सदन को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने और कार्यान्वित करने का यही तरीका है? उन भावी वायदों का क्या होगा जो माननीय वित्त मंत्री करने जा रहे हैं या जो उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय किए थे? इन वायदों की क्या मर्यादा है? इस सदन में किए गए वायदों की क्या मर्यादा है। यह सरकार की मर्जी है कि वह इन्हें पूरा करे या न करे? यह एक गंभीर स्थिति है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार हमेशा ही यह कह सकती है कि ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और सरकार बहुत जल्द इस बारे में विधान तैयार करके एक योजना लाएगी। मैं यहां एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि सरकार ने ब्यौरा तैयार करने में एक वर्ष से अधिक समय लिया और यदि इस ब्यौरे और औपचारिकता के कारण सरकार इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाती, तो मैं यह पूछता हूं कि यह सरकार किस प्रकार से तेजी से काम कर रही है? मुझे विश्वास है कि सरकार और कई मामलों में तेजी से काम कर रही है—जैसे रक्षा सौदे करने के मामले में—मैं इस बात का उल्लेख नहीं करूंगा कि वह किस प्रकार के सौदे कर रही है; जनता तथा अखबार वालों के अधिकार छीनने के लिए कानून पास करने के मामले में, अन्य कई मामलों में जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, अधिकारों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अन्तरित किया जा रहा है। ऐसे कामों में कोई देरी नहीं की जा रही है।

उन मामलों में सरकार बड़ी तेजी से काम करती है। लेकिन जब इस देश की जनता की बात आती है और वायदों को पूरा करना होता है, तो यह सरकार उतनी तेजी से काम नहीं करती जितना यह दावा करती है।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम): यह उल्टी दिशा में तेजी से काम करती है। **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी: अब मैं अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के प्रश्न के बारे में कहूंगा जिसके बारे में वित्त मन्त्री जी बजट पेश करते समय पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है; तीन वर्षों के सूखे के बाद अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है और इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। 1987 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद 3.6% था जबकि यह भय था कि यह 1-2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। लेकिन वास्तव में यह 3.6 प्रतिशत हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1988-89 में अच्छे मानसून और कृषि उत्पादन अच्छा होने के कारण, यह बढ़कर 9% तक पहुंचेगा और पिछले 4 वर्षों में, जिसमें से 3 वर्ष तक सूखा पड़ा, इसकी औसत विकास दर 5% रही। ऐसे लम्बे चौड़े दावे किए गए हैं। अनाज के मामले में उन्होंने कहा कि वर्ष 1987-88 में अनाज का उत्पादन केवल 1380 लाख टन था और 1988-89 में यह बढ़कर 1660 लाख टन हो गया। मैं इन आंकड़ों के बारे में विवाद नहीं कर रहा हूं—इसका कारण सरकार द्वारा प्रयास करना नहीं अपितु विभिन्न राज्यों द्वारा प्रयास करना है क्योंकि कृषि उनके कार्य-क्षेत्र में आता है तथा इसका कारण अच्छा मानसून भी है, जिस पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 9 प्रतिशत तक पहुंच गया। वास्तविकता यह है कि सातवीं पंचवर्षीय

योजना के अन्तिम 4 वर्षों तक लगातार औद्योगिक उत्पादन की औसत विकास दर 8 प्रतिशत रही। किन्तु महोदय मुझे खेद है कि मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि आंकड़ों को बहुत ज्यादा बताया गया है। मैं इस बारे में विस्तार में बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े कैसे तैयार किए गए हैं। इसका कारण यह है कि इसके कई स्रोत हैं। सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और अन्य कई संगठनों पर निर्भर है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सरकारी संगठनों और अन्य कई संस्थानों को उदधृत करने जा रहा हूं। वे समान भाषा नहीं बोलते। यह भी दावा किया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकास दर 5 प्रतिशत होने जा रही है और हमें आशा है कि हमें यह उपलब्धि शीघ्र ही होगी। इन मामलों में महत्त्वपूर्ण बात यह देखना है कि विकास कैसा है क्योंकि हम यह जानने के लिए एक ही वर्ष की विकास दर को नहीं देखते कि अर्थ-व्यवस्था कैसी है क्योंकि एक वर्ष इसकी विकास दर 5% होती है तो अगले वर्ष यह कम होकर 2% रह जाती है और अंततः यह देखना ही संगत है कि 5 वर्षों या 10 वर्षों में इसका विकास कैसा हुआ है। यदि आप विकास दर की प्रवृत्ति देखें, जैसाकि विभिन्न अर्थ-शास्त्रियों ने पता लगाया है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विकास दर कभी भी 3.5% से अधिक नहीं रही, जिसे कि 'हिन्दू विकास दर' कहा जाता है। 'हिन्दू विकास दर' 3.5 ही रही है जैसाकि एक अर्थ-शास्त्री ने कहा है। मेरे मित्र ने मुझे बताया है कि 'हिन्दू विकास दर' वाक्यांश का प्रयोग प्रो० राजकृष्ण ने ही पहली बार किया था। यदि आप इसकी विकास प्रवृत्ति को देखें, अर्थात 10-15 वर्षों की औसत विकास दर को देखें, तो मुझे संशय है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था 'हिन्दू विकास दर' प्राप्त करने की स्थिति को पार नहीं कर पाई है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि उन्होंने इस देश में पहली बार इस बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्ति को बदला है। उन्होंने इस प्रवृत्ति को कैसे बदला है? 1988-89 में कुल घाटा 7,940 करोड़ रुपये हुआ था और अगले वर्ष अर्थात् 1989-90 में 7,337 करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान है। संशोधिक आंकड़ों के अनुसार 1989-90 में राजस्व घाटा 7,012 करोड़ रुपये का होगा जबकि 1988-89 में यह 11,030 करोड़ रुपये था। इसका अर्थ यह है कि राजस्व घाटा 4,018 करोड़ रुपए कम हुआ है। वित्त मंत्री ने यह दावा किया है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? घाटा 4,018 करोड़ रुपए तक कम कैसे हो गया? क्या इसका कारण कई आर्थिक उपाय है? क्या सरकार द्वारा खर्च कम करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान उठाए गए कई कदमों की वजह से यह संभव हुआ है? क्या इसका कारण यह है कि वित्त मंत्री विभागों को इस आशय के पत्र लिखते रहे हैं कि उन्हें अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखना चाहिए? क्या वह अनुभव करते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है और राजस्व व्यय में कटौती की है? क्या इसका कारण यह है? यदि वास्तव में इसका कारण यह है कि राजस्व व्यय में कटौती की गई है तो निश्चय ही मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने इस प्रवृत्ति को ही बदल दिया है। लेकिन यह आंकड़ों की हेरा-फेरी है। हेरा-फेरी इस अर्थ में है कि यह लक्ष्य मुख्यतः कुछ निधि को तेल समन्वय समिति के पूल एकाउन्ट में से स्थानांतरित करके प्राप्त किया गया है। इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है और समाचारपत्रों में भी इस बारे में टिप्पणियां की गई हैं। यहां तक कि इस सभा में भी कई बार और आज भी विपक्षी सदस्यों ने यह मामला उठाया और वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का भी प्रयास किया।

तेल पूल एकाउन्ट क्या है? माननीय वित्त मंत्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। स्पष्टीकरण की जो एक प्रति उन्होंने अध्यक्ष महोदय को दी है वह हमारे लिए भी थी। तेल

समन्वय समिति के तेल पूल एकाउन्ट में से 2300 करोड़ रुपए का स्थानांतरण सरकार के गैर-कर राजस्व लेखे में करने से यह अन्तर सामने आया है। लेकिन सरकार का यह काम कैसे उचित है? वित्त मंत्री का कहना है कि तेल समन्वय समिति अपनी आवश्यकताओं से अतिरिक्त राशि सरकार के पास जमा रखती है। फालतू राशि के बारे में किसने पता लगाया है। किसने यह घोषणा की है कि यह राशि उनकी वास्तविक आवश्यकता के अतिरिक्त है और समिति को इस राशि की जरूरत नहीं है? इस राशि में पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य और तेल कम्पनियों को अनुज्ञेय मूल्य के बीच के अन्तर को भी जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी तेल के मूल्य बढ़ें इसे इस आशय से राजसहायता के रूप में प्रयोग में लाया जाए कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोक्ताओं को ये उचित मूल्य में प्राप्त हो सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है।

लेकिन भारत सरकार अपने ही कारणों से खुदरा मूल्यों को बढ़ाती रही है। वर्ष दर वर्ष पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है। उस समय विपक्ष ने आवाज उठाई और कहा कि यह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि पैट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य गिर रहे हैं और आप इनके मूल्य बढ़ा रहे हैं। यह उचित नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इसका भंडारण करना और यह देखना है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अतिरिक्त मूल्यों को राशि में से राजसहायता देकर पूरा किया जा सके। किन्तु सरकार ने तब यह स्पष्टीकरण दिया और कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लागत बढ़ रही है तथा इस तथ्य को देखते हैं कि हम पैट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साह करना चाहतेहैं, हम कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं।

ऐसा पिछले 10 वर्षों से हो रहा है और मुझे विश्वास है कि ऐसा आगामी कई वर्षों तक चलेगा अर्थात् सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैट्रोलियम पदार्थों के उपभोक्ता मूल्य को बढ़ाती रहेगी। यदि सरकार महसूस करती है कि इस पूल लेखा की कोई जरूरत नहीं है तो इस लेखे को समाप्त कर दीजिए। अपने यह लेखा क्यों रखा हुआ है? इसका क्या उद्देश्य है? जब सरकार की नीति संकट के समय यह निधि एकत्र करने की है, जैसाकि 1975 में यह पूल निधि शुरू करते समय सोचा गया था, और अब जब वैसी होने वाली नहीं है तब यह निधि बनाए रखने का क्या अर्थ है? उस राशि को मत रखिए और इस फालतू एकाउन्ट को वैसे ही मानिए जैसाकि खाद्य तेलों के मामले में, अपने लेखे को मानते है। चूंकि आप खाद्य तेल का आयात कम मूल्य पर करके उसे बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेच रहे हैं, अतः आप बहुत मुनाफा कमा रहे हैं और आप उस मुनाफे को राजस्व मान रहे हैं। निश्चय ही आप वही कर रहे हैं। इसी तरह आप बिना ऐसी राशि के यहां भी वैसा ही कर सकते हैं। तब सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट हो जाएगा। सरकार का इरादा यह होगा कि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का भारत में उपभोक्ता मूल्यों से अधिक होने का प्रश्न ही नहीं होगा। यदि आप समझते हैं कि इस तरह का कथन सत्तारूढ़ दल को पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि यही वास्तविकता है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार निधि से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि यह निधि बनी रहती है—और यह बनी रहनी चाहिए—तो पैट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। भविष्य में और वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। तेल पूल लेखे में संचित भारी राशि के कारण भी इनके मूल्यों में वृद्धि करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब पोल खुल चुकी है। हम जानते है कि आपके पास कितनी फालतू राशि है। लेकिन मुद्दा यह है; क्या किसी व्यक्ति ने या सरकार के अलावा किसी अधिकारी—भारत के महालेखा परीक्षक या किसी अन्य स्वतन्त्र अधिकारी ने—यह कहा है कि ये निधि फालतू है? यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं यह बात समझ सकता हूं।

आप देखिए कितनी गड़बड़ की गई है। सर्वप्रथम राशि ली गई है, जैसे कि उनके पत्र में बताया गया है :—

"अतः यह निर्णय लिया गया था कि जमा लेखे से 2,300 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए जाने चाहिए..............'

यह राशि जमा कराई जा रही है।

"........सरकार के अंशदान में।"

यह राशि सार्वजनिक निधि में से पूंजी बजट में, पूंजी लेखे में से राजस्व बजट में डाली जा सकती है। यदि आप इसे पूंजी बजट में डालना चाहते हैं तो इसी में डाल दीजिए। उस दशा में जब भी आवश्यकता हो आपको वह राशि उस निधि में डालनी होगी। लेकिन आपने वैसा नहीं किया है। आप इसे सीधे ही राजस्व प्राप्ति के रूप में ले रहे हैं। क्या आपका इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में लेना न्यायोचित है? जिस तरह से आपने ये आंकड़े स्पष्ट किए हैं, आप उन्हें हमेशा स्पष्ट कर सकते हैं। नौकरशाही आपको बतायेगी कि आपको इन्हें कैसे स्पष्ट करना चाहिए और इसमें चालाकी तो हमेशा की जा सकती है। परन्तु मुद्दा यह है कि जब ये लेखे भारत के महालेखापरीक्षक के समक्ष पेश किए जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि वह इस पर एक लेखापरीक्षा पैरा अवश्य देंगे परन्तु इसमें काफी देर हो सकती है क्योंकि महालेखापरीक्षक तो लगभग तीन वर्ष बाद ही इसकी परीक्षा करेंगे। ऐसे मामलों में विपक्ष की मांग है कि जब कभी आप ऐसे सख्त कदम उठायें तो आप पहले अर्थात् लेखों में अन्तरण करने से पहले भारत के महालेखापरीक्षक से परामर्श कर लें।

प्रो० मधु दण्डवते : तब तो वे चालबाजी नहीं कर पायेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां, ऐसी कई चालाकियां हैं जो देश और विपक्ष के साथ खेली जा रही हैं। मैं उनमे से कईयों का पर्दाफाश करना चाहूंगा। यह बात विपक्ष के ध्यान में आयी है और जिसके बारे में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव लम्बित है। मुझे आशा है कि सभा में इस विषय पर चर्चा होगी। हम सरकार को इस प्रकार चालाकी से किए गए हेर-फेर से बचकर जाने नहीं देंगे जोकि एकदम अवैध है। यह तो आंकड़ों का कौशल है। इस वर्ष कम घाटा दिखाना न्यायोचित नहीं है। वास्तव में यह 7,337 करोड़ रुपए का जो घाटा है, इसमें हमें 2,300 करोड़ रुपए जोड़ने पड़ेंगे और फिर यह वास्तविक घाटा होगा।

दूसरी मद जिसने आंकड़ा बढ़ाया है 500 करोड़ रुपए है जिसे आपने सरकारी क्षेत्र से अपेक्षित लाभांश के ऋण के रूप में लिया है। आपने सरकार को भुगतान किए जाने वाले अनिवार्य निम्नतम लाभांश का निर्धारण किया है। यह अच्छा सिद्धांत है परन्तु मुद्दा यह है कि जब हमने बहुत पहले ब्रिटिश काल में सामान्य निधि में वर्ष दर वर्ष रेलवे के लाभांश की भुगतान की बात कही थी तो उन दिनों स्थिति भिन्न थी। आज यदि आप सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को रेलवे के समान समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुद्दा यह है कि जिस तरीके से आप यह कर रहे हैं वह गलत है क्योंकि आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह वह निम्नतम लाभांश है जिसका उन्हें भुगतान करना है। लाभांश आपका है। जब कभी कोई सरकारी कम्पनी लाभांश घोषित करती है तो चूंकि सरकार का कम्पनी की इक्विटी के मालिक होने के नाते लाभांश लेने का अधिकार है तो आपको लाभांश लेने से कौन रोक..। है क्योंकि हमारी ही पूंजी सरकारी क्षेत्र में लगी है। यदि वे लाभ कमाते है, तो वे लाभांश

वितरित करेंगे। आपका लाभांश पर अधिकार है। परन्तु यह कहना कि कम से कम लाभांश निर्धारित किया जाये तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आप इसे कर कैसे सकते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह उन विषयों में से एक है जिसकी आपने सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के साथ समझौता ज्ञापन में चर्चा की है, जिस पर आपने हस्ताक्षर किए हैं या जिस पर आप सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के साथ हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो मुझे विश्वास है कि कई सरकारी क्षेत्र की इकाईयों ने इसका विरोध किया होगा या कहा होगा कि यह ऐसी बात है जो न्यायोचित नहीं है और सही नहीं है। यह अच्छा होगा यदि सरकारी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा लाभांश वास्तव में वितरित किया जाए, ऐसी इकाईयों द्वारा किया जाये जो लाभ कमा रही हैं और उन लाभांशों को सरकार द्वारा विनियोजित किया जाए।

जहां तक घाटे की बात है छठी योजना का घाटा केवल 11,000 करोड़ रुपए का था और सातवीं योजना में घाटा 27,000 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व घाटा 1979-80 से हर वर्ष 14 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा परन्तु वास्तविक वार्षिक राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत से बढ़ी। जी० डी० पी० का प्रतिशत घाटा 1980 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1987 में 2.5 प्रतिशत हो गया। नौवें वित आयोग ने विशेषरूप से इसके चेयरमैन श्री साल्वे ने सरकार को सचेत किया है कि इतने अधिक घाटे से सरकार के लिए कीमतों पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 1995 तक घाटा लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। उन्होंने एक शून्य घाटा बजट का सुझाव दिया था। यदि आप अभी से शून्य घाटा बजट के विचार को नहीं मानेंगे तो 1995 तक सरकार के लिए शून्य घाटे की स्थिति पर पहुंचना कठिन हो जाएगा जोकि आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है तथा नौवें वित्त आयोग की सिफारिश भी है।

जहां तक बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और कीमतों का प्रश्न है, वित्तीय घाटा इसका प्रत्यक्ष कारण है। आज मुद्रास्फीति और कीमतों की क्या स्थिति है? मुद्रास्फीति की दर 1979-80 की 21 प्रतिशत की तुलना में 1987-88 में 10.6 प्रतिशत तक सीमित थी। माननीय प्रधानमन्त्री ने दावा किया है कि 1979-80 एक अन्य सूखा वर्ष था जोकि पिछले सूखा वर्ष से बदतर नहीं था। इस बात को जांचने के लिए कोई मानक नहीं हैं कि कौन सा वर्ष बदतर था। हो सकता है कि दोनों ही वर्ष इसकी प्रचण्डता समान रही हो। परन्तु उन्होंने जो बात कही थी वह यह थी कि यह 1979-80 में 21 प्रतिशत था। अब यह पिछले वर्ष कम होकर 10.6 प्रतिशत आ गया और इस वर्ष यह 5 प्रतिशत से नीचे चला गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि ये आंकड़े कैसे प्राप्त किए गये हैं और किसने ये आंकड़े दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं कहा है कि यदि आप इस वर्ष के 11 महीनों के औसत घाटे की गणना करें तो यह आंकड़ा लगभग 9 प्रतिशत बैठता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की गणना है। केवल एक महीना शेष रह रहा है। मैं नहीं समझता कि एक महीने में इतना अन्तर आ जायेगा कि मुद्रास्फीति कम होकर 5 प्रतिशत तक आ जायेगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई 11 महीनों की औसत मासिक के अनुसार मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत तक है। जहां तक थोक मूल्य में बढ़ोत्तरी के औसत स्तर का सम्बन्ध है, 1987-88 में यह 6.9 प्रतिशत है और 1988-89 में यह 7.3 प्रतिशत है। इस प्रकार, यह बढ़ी है। जहां तक उपभोक्ता मूल्यों की बात है, 1987-88 में यह 9.0 प्रतिशत है तथा 1988-89 में यह 9.4 प्रतिशत है। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गये हैं। कमी कहां आयी है? बिन्दुवार आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में 1986-87 में 5.3 प्रतिशत के मुकाबले 10.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शायी गयी है। पैसे की सप्लाई में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान थोक मूल्य में 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के प्रथम

आठ महीनों में पैसे का भण्डार पिछले साल की इसी अवधि में 21207 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर 24179 करोड़ रुपए हो गया है। पैसे की सप्लाई में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 प्रतिशत की यह वृद्धि और पिछले अधिक भुगतान (चुकता) से मूल्यों में और वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में इस बजट का कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

बजट से पहले की मूल्य वृद्धियों के कारण कोयला, इस्पात आदि के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि से सभी वस्तुओं के लिए मार्च, 1988-89 के पहले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की उसी अवधि के 417.6 के मुकाबले बढ़कर 439.3 हो गया है। अप्रैल 1988—जनवरी 1989 के दौरान औसत पिछले वर्ष के 403.1 के मुकाबले 432.6 था।

इसकी प्रवृत्ति स्पष्ट है। जहां तक कीमतों की बात है, कोई मन्दी नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं तथा स्वयं माननीय वित्त मन्त्री ने कीमतों के बढ़ने पर चिन्ता जाहिर की है। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं। यह सबसे अधिक चिन्ताजनक बात है। इस तथ्य के बावजूद कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है, खाद्यान्न की कीमतों में, विशेषरूप से दालों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं यह हर व्यक्ति जानता है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया है।

वित्त सचिव ने अपने बजट के बाद के प्रैस साक्षात्कार में प्रैस से बोलते हुए दावा किया कि बजट प्रस्तावों का प्रभाव कीमतों पर ज्यादा नहीं पड़ेगा; यह केवल 0.3 प्रतिशत ही पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों के जोड़े जाने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मुद्दा यह है कि अकेले कर राजस्व ही कीमतों को आगे नहीं बढ़ाता। 7337 करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे के कारण कीमतों का क्या होगा जोकि निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। यह घाटा दिखाए गए घाटे से कहीं अधिक होगा। यही कारण है कि आज भी हम यह नहीं जानते हैं कि इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कितना रुपया उधार दिया हुआ है। वास्तविक घाटे का तो हमें तब पता चलेगा जब हम 31 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण की बाबत जानेंगे और यह भी कि इस वर्ष हम पर भारतीय रिजर्व बैंक का कितना बकाया है। यह अप्रैल माह में पता चलेगा। यही वास्तविक घाटा होगा। मुझे विश्वास है कि यह घाटा, जो 7337 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया हुआ है वह और बढ़ेगा। इसमें पिछले अनुभव के कारण संदेह नहीं है। इन उच्च घाटों के संचयी प्रभाव से कीमतें निश्चित रूप से और बढ़ेंगी।

अब, मैं गैर-योजना व्यय की बात करता हूं जोकि इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने-मरोड़ने का एक और कारक है।

सभापति महोदय : मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं कि आप पहले ही 40 मिनट ले चुके हैं जबकि आपकी पार्टी को कुल 45 मिनट मिले हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं वाद-विवाद की शुरूआत कर रहा हूं। मुझे कम से कम एक घंटा लेना चाहिए। यह बात शुरूआत करने वाले पर लागू नहीं होती है।

सभापति महोदय : मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं, बस।

प्रो० मधु दंडवते : आप यह सत्तारूढ़ दल के समय में से ले सकते हैं।

सभापति महोदय : बशर्ते कि वे सहमत हों। आपके समय में से क्यों नहीं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : वस्तुतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिए गए समय की कोई औचित्यता नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति ने 15 घंटे रखे थे और हमने रेल बजट पर 18 घंटे लगाए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया पूंजीगत लेखे से समय को राजस्व लेखे में अन्तरित कर लें।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, गैर-योजना खर्चे में असामान्य रूप से वृद्धि भारतीय वित्त पद्धति के लिए एक चिन्ता की बात है, और यह विषय वस्तु······

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, क्या आप इसे अभी समाप्त करना चाहते हैं या आप इसे मध्याह्न भोजनावकाश के उपरांत जारी रखना चाहेंगे ?

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, आज से, कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश के अनुसार मध्याह्न भोजनावकाश के समय को समाप्त कर दिया गया है। और इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया गया है।

सभापति महोदय : सभा को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : अच्छा, महोदय, तब यह निर्णय आप पर है।

सभापति महोदय : इसलिए, हम लोग मध्याह्न भोजन के बाद दो बजे पुनः मिलेंगे :

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, संरचनात्मक असंतुलन के बारे में कुछ कहने के पहले जिसके बारे में मैं अपने प्रातःकाल के भाषण में बतला रहा था, मैं बजट में किये गये आबंटन के बारे में कहना चाहूंगा। लेकिन इससे भी पहले मैं वित्त मंत्री के उन वादों और विश्वासों पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा जिन्हें पूरा नहीं किया गया है और जिसे मैं सुबह कहना भूल गया था।

मेरे पत्रकार दोस्तों ने अभी मुझे याद दिलाया था कि कुछ समय पहले सभा पटल पर श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन देने की घोषणा की थी और यह महसूस किया गया था कि ये श्रमजीवी पत्रकार अपनी बौद्धिक मेहनत से देश के उत्थान में सहयोगी रहे हैं इसलिए उनके लिए पेंशन योजना को लागू

करना होगा। उस योजना का क्या हुआ मुझे यह नहीं पता क्योंकि हमने उस योजना को देखा ही नहीं है। शायद सरकार उसके बारे में भूल गयी होगी या शायद उसने श्रमजीवी पत्रकारों की बौद्धिक मेहनत की उपेक्षा कर अपना विचार बदल दिया है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वे आपके लिए उपयोगी हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैंने ऐसा नहीं कहा। जहां तक बजट आबंटन का प्रश्न है, तो कुछ नये करों और अतिरिक्त करों के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि यह 1287 करोड़ रुपये का होगा। यह अधिकांशतः कतिपय समायोजनों और नये करों के कारण हुआ है। मैं इस विषय के ऊपर बाद में आऊंगा।

सरकार के अनुसार पिछले साल कर की अदायगी बहुत अच्छी रही है जबकि अनुमानित कर प्राप्ति में लगभग 776 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई है।

यह वृद्धि बहुत कम है क्योंकि विगत सालों में हमें ज्यादा कर प्राप्ति हुई थी। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि हमने करों की वसूली में अपने प्रयास को कम कर दिया।

लगभग एक हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि तो केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ही है, करीब 15,000 करोड़ बकाया रुपयों के मामले न्यायालय में विचाराधीन है। इस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। केवल छोटे लोगों को पकड़ने के लिए छापे मारे जाते हैं जबकि बड़े लोग इससे साफ बच निकलते हैं।

कर-कानूनों को, खासकर प्रत्यक्ष कर को आसान बनाने के लिए किए गये अनेक उपायों का जहां तक सम्बन्ध है, ये उपाय प्रत्यक्ष करों को आसान और युक्तिपूर्ण बनाने के बदले ये और भी जटिल बन गये हैं, जिसके फलस्वरूप हमें कर-कानूनों में दो हफ्ते पूर्व ही संशोधन करना पड़ा है। इसी तरह, नियम एक विनियमों से भी करों की चोरी के लिए बहुत मौके मिलते हैं, साथ ही यह अधिकारियों की संतुष्टी के लिये बहुत मौके प्रदान करता है। नियम एवं विनियमों के अभाव में स्वविवेक से निर्णय लिये जाते हैं, जिससे ज्यादा परेशानी और कम मात्रा में कर वसूल होता है। यह स्थिति पिछले तीन सालों से लगातार चली आ रही है और अभी तक इसे बदला नहीं गया है।

मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि कुछेक चीजों को छोड़कर, जैसे—चीनी, काफी, चाय आदि, करीब-करीब हर चीज पर पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। टिकाऊ उपभोक्ता चीजों पर, जैसे—टेलीविजन इत्यादि में कर वृद्धि एक अच्छा कदम है। 50,000 रुपये से अधिक आय पर आठ प्रतिशत के अधिभार का भी मैं समर्थन करता हूं जबकि इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस दिशा में तो यह स्वागतयोग्य कदम है पर दूसरी ओर, यह एक ऐसा अधिभार है जिसमें राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। सातवें वित्त आयोग ने भी इस अधिभार को समाप्त करने की स्पष्ट सिफारिश की है और इस अधिकार को लगाने के बदले में आयकर को सही रूप से समायोजित किया जाना चाहिये जोकि वित्त मंत्रालय द्वारा दो वर्ष पूर्व स्वीकारा जा चुका है। केवल 5 प्रतिशत सूखा-राहत अधिभार को छोड़कर, जोकि पिछले वर्ष भी जारी रहा था और जिसे इस वर्ष खत्म किया जा रहा है, और मैं इसका

स्वागत करता हूं। लेकिन इस साल फिर 8 प्रतिशत का एक नया अधिभार लगाया गया है जिससे 500 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। लेकिन राज्यों को इस लाभ से वंचित रखा जाएगा और यहां पर फिर मैं आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कहता हूं कि यह अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिए और इसके बदले में करों की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि राज्यों को भी उनका उचित हिस्सा मिले।

जहां तक व्यय कर में वृद्धि का सवाल है तो यह निश्चय ही एक उपयुक्त कदम है। घरेलू हवाई यात्रा पर कर का भी मैं समर्थन करता हूं। इस्पात और एल्यूमिनियम के उत्पाद करों में 30 प्रतिशत की वृद्धि बहुत ही ज्यादा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव होगा, क्योंकि इससे वस्तुओं के दामों में वृद्धि होगी। इस बात की जांच करनी होगी। लघु उद्योगों में तैयार की जाने वाली अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्पाद करों की छूट को वापस लिए जाने से लघु उद्योगों को भारी झटका लगा है। इसपर भी सावधानी-पूर्वक ध्यान देना होगा क्योंकि बड़े उद्योगों से होड़ लेने पर लघु उद्योग इकाई को निश्चय ही नुकसान होगा। यद्यपि 50,000 रुपये से अधिक आय पर 8 प्रतिशत का अधिभार एक सही कदम है तथापि मेरा सुझाव यह है कि इसकी प्राप्तियों के लिए एक अलग खाता रखा जा सकता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि करों की वसूली से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि एकत्र होगी और जो भी अतिरिक्त रकम प्राप्त होती है उसे पूर्णतया रोजगार योजनाओं में लगाया जाना चाहिए।

करों में रियायत के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदम सराहनीय हैं। खासकर, बी० एस० के० प्रौद्योगिकी पर आधारित लघु सीमेंट एककों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में छूट का मैं स्वागत करता हूं। यह स्वागत योग्य है क्योंकि बड़े सीमेंट उद्योगों की तुलना में बहुत सारे लघु सीमेंट की इकाईयां अत्यधिक खर्चे तथा अत्यधिक बोझ के कारण बन्द हो गई हैं लेकिन इस व्यवस्था के कारण अब इन लघु सीमेंट उद्योगों को पुनः चालू किया जा सकेगा।

साथ ही, मैं सीमेंट वितरण पर लगे नियन्त्रण के हटाए जाने का स्वागत करता हूं। दक्षिण भारत में वर्तमान लेवी मूल्य और बाजार मूल्य लगभग एकसमान है और इसमें कोई अन्तर नहीं है। लेकिन जहां तक उत्तरी भारत का सवाल है, वहां पर इस मूल्यों में अत्यधिक अन्तर है जिससे उप-भोक्ताओं को नुकसान उठाना होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पहाड़ी क्षेत्रों के सम्बन्ध में किए गए एक प्रावधान के अनुसार, सीमेंट के मूल्य को कुछ हद तक कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यह किस हद तक होगा और इसकी योजना तथा इस राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस नई राजसहायता के वित्तीय परिणाम क्या होंगे जिससे कि हम इसके लिए अपने आपको तैयार रख सकें। बहरहाल, इस बजट में दर्शाए गए आंकड़े अन्तिम नहीं हैं क्योंकि पिछले पांच या छः सालों की बजट प्रक्रिया से पता चलता है कि यह संशोधित प्राक्कलनों के माध्यम से इसमें बहुत परिवर्तन किए जाते हैं। साल में तीन बार हम अनुपूरक मांगों को पारित करते हैं और हर बार इससे अनेक चीजों की लागत में वृद्धि होती है। हम यह जानना चाहेंगे कि कितनी अतिरिक्त राजसहायता की जरूरत होगी क्योंकि राजसहायता ब्याज और रक्षा खर्चे पर पहले से ही अत्यधिक बोझ है यह एक अतिरिक्त राजसहायता और जुड़ गयी है—जोकि पहाड़ी क्षेत्रों में सीमेंट पर दी जानी है।

इस बजट में पूंजीगत माल तथा उसके साथ आयात किए जाने वाले संघटकों पर विभिन्न रियायतें दी गयी हैं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे एक ओर तो पूंजीगत माल के देशी उद्योग

को नुकसान होगा और दूसरी ओर आयात बीजक में भी वृद्धि होगी क्योंकि उच्च प्रौद्योगिकी के आयात के नाम पर यह सम्भव है कि हमारे उद्योग केवल आयातित मशीनों को लगाने वाले उद्योग ही रह जाएंगे और अन्ततः हमारे पास ऐसी मशीनें एकत्र हो जाएंगी जिनकी आयात प्रतिस्थापन के नाम पर आवश्यकता नहीं है।

जहां तक परिव्यय का प्रश्न है तो योजना परिव्यय को वर्ष 1988-89 के 28,715 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन को बढ़ाकर 34,446 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जिससे 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय लक्ष्य 115 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। हमने वित्तीय दृष्टि से हम लक्ष्य से आगे निकल गए हैं और हम योजनागत परिव्यय से 115 प्रतिशत अधिक खर्च कर चुके हैं। परन्तु हमें देखना है कि वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस परिव्यय से भी वास्तविक परिणाम लगभग 75 प्रतिशत ही रहे हैं। सातवीं परियोजना अवधि में आरम्भ की गई अनेक परियोजनाएं अधूरी ही रह गईं। हम चाहते थे कि ये परियोजनाएं पूरी की जानी चाहिएं। परन्तु आज भी, ये मूल्य वृद्धि और अन्यानेक कारणों से अधूरी हैं। यद्यपि, वित्त मंत्री ने अत्यन्त गर्व से कहा था कि लक्ष्य 115 प्रतिशत तक पूरे किए जा चुके हैं तथापि मुझे विश्वास है कि वास्तविक लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में पूरे नहीं हुए।

महोदय, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रावधान 1988-89 की तुलना में कम हैं। महोदय, यद्यपि इस बजट को किसानों का बजट बताया गया है और वित्त मन्त्री स्वयं भी एक किसान हैं और वे दिल से किसानों का हित चाहते हैं तथापि, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि यह प्रावधान चालू वर्ष से कम है। वर्ष 1988-89 में, यह 1507 करोड़ रुपए था और 1989-90 में यह राशि केवल 1408 करोड़ रुपए है। 1988-89 में सामाजिक सेवाओं के लिए 3299 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 1989-90 में यह 3396 करोड़ रुपए है। इसमें मामूली वृद्धि है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए, जिसके विषय में इतना कुछ कहा गया है, 1988-89 में 2197 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 1989-90 में यह राशि 2220 करोड़ रुपए है। इसमें भी मामूली वृद्धि की गई है। वास्तव में यह राशि वही है। सीमांत किसानों के लिए प्रावधान और भी कम है। 1988-89 में, आवंटन 541 करोड़ रुपए था और 1989-90 में यह राशि 431 करोड़ रुपए है। योजनेत्तर व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। 1989-90 के लिए यह राशि 54,347 करोड़ रुपए दर्शायी गई है। इसी प्रावधान में पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

अब मैं, वित्त मन्त्री द्वारा किसानों के लिए घोषित की गई विभिन्न राहतों को लेता हूं। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, मैं इन कुछ राहतों पर प्रसन्न हूं जिनसे छोटे किसानों और दूसरे किसानों को वास्तव में लाभ होगा। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये राहत वास्तव में दी जाती हैं या नहीं, क्योंकि जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, यदि पिछले वर्ष किए गए आश्वासन पूरे नहीं किए गए हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले वर्ष ये आश्वासन पूरे किए जाएंगे। 15000 रुपए से 25000 रुपए तक के फसल ऋण दर ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई है। यह एक अच्छा कदम है। 15000/- रुपए से कम के ऋणों पर यह दर पहले ही कम की जा चुकी है। अब यह सुविधा 25000/- रुपए तक के ऋणों पर भी दी गई है। निस्सन्देह यह एक अच्छा कदम है

और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसी प्रकार बैंकों से कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण की मात्रा उनके बकाया ऋण के 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है। इससे, इस क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला ऋण 4,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। यह भी एक अच्छा कदम है और इससे कृषकों को लाभ मिलेगा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है।

दूसरी राहतों का जहां तक सम्बन्ध है, जैसे निराश्रितों के लिए मुफ्त साड़ियां बांटना, हालांकि मैं इस कदम की प्रशंसा करता हूं तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए केवल 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह राशि पर्याप्त नहीं है। वास्तव में आंध्र प्रदेश सरकार धोतियों और साड़ियों पर ही 50 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च कर रही है। समूचे भारत के लिए आपको केवल 30 करोड़ रुपए चाहिए और आप सोचते हैं कि इससे गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में क्रांति आ जाएगी। बाल विकास कार्यक्रम के लिए, आपने केवल 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महोदय, गरीबी हटाने के कार्यक्रम बहुत बड़े नजर आते हैं। परन्तु यदि आप आवंटित राशि को देखें तो वे आशा से बहुत कम हैं। वित्त मन्त्री ने एक बार सही कहा था कि यह जनवादी बजट नहीं होगा। यदि वह अपनी बात पर टिके रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। परन्तु बजट को जनवादी बनाया गया है। परन्तु देश की आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने समझौता करने का भरसक प्रयास किया है और उन्हें अत्यन्त जटिल आर्थिक स्थिति का आर्थिक मजबूरियों के साथ चुनाव वर्ष की राजनैतिक मजबूरियों के बीच सन्तुलन स्थापित करना पड़ा है।

मैं नहीं जानता कि क्या मुझे स्वर्ण नियन्त्रण सम्बन्धी नई नीति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अच्छा है। इसका उद्देश्य, बेरोजगार हो गए छोटे स्वर्णकारों की सहायता करना है। इसका उद्देश्य आभूषणों का अधिक निर्यात सुनिश्चित करना भी है। परन्तु मुद्दा यह है कि क्या निचले स्तर पर न कि प्राथमिक स्तर पर नियन्त्रण हटाने से प्रयोजन सिद्ध होगा। प्राथमिक स्तर पर नियन्त्रण होगा, परन्तु सोने से आभूषण बनाते समय नियन्त्रण नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई आभूषण बनाता है तो उसे न्यायालय में यह सिद्ध नहीं करना होगा कि वह स्वर्ण कहां से लाया। यह संकल्पना प्रतीत होती है। इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इससे सोने की तस्करी आज की अपेक्षा बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है। आज यह अनुमान है कि इस देश में प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रु० से 700 करोड़ रु० मूल्य के सोने की तस्करी होती है और इस सोने का अधिकांश भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है जोकि मादक द्रवों आदि की तस्करी से प्राप्त किया जाता है। अब तस्करी बढ़ेगी। या तो आप स्वर्ण सम्बन्धी सभी प्रतिबन्ध हटा दीजिए और सरकारी तौर पर स्वर्ण का आयात कीजिए अथवा स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को यथावत् बनाए रखिए अन्यथा इससे समाधान की बजाय मामला और जटिल हो जाएगा।

अब मैं सेप कर पर आता हूं। इसके विषय में माननीय वित्त मंत्री ने मुख्य मन्त्रियों की बैठक के बाद ही घोषणा कर दी थी। मुझे इससे खुशी है। परन्तु मैंने सोचा था कि बजट भाषण में इसका उल्लेख होगा। परन्तु भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या कारण है क्योंकि वह मानसून सत्र में एक विधेयक पेश करना चाहते थे हालांकि उन्हें तब तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया था। प्रत्येक राज्य चाहता था कि इस विधेयक को बजट सत्र में ही तत्काल पुरःस्थापित कर दिया जाना चाहिए। परन्तु वित्त मन्त्री ने इसे मानसून सत्र तक स्थगित करना उचित समझा। फिर भी, चूंकि उन्होंने इसे मानसून सत्र में पुरःस्थापित

करने का वचन दिया था, इसलिए इसका उल्लेख बजट भाषण में किया जाना चाहिए था ताकि इसे अधिक महत्व मिलता।

जहां तक योजनेत्तर व्यय में वृद्धि का सम्बन्ध है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, योजनेत्तर राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि होना भारतीय आर्थिक नीति की एक कमी है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि केन्द्रीय बजट में वर्तमान व्यय में वृद्धि को रोकना होगा। वर्तमान सरकारी व्यय में हुई वृद्धि वर्तमान राजस्व से बहुत अधिक है। "इसके परिणामस्वरूप बचत खत्म हो जाती है और व्यय को पूरा करने के लिए ऋण पर अधिक निर्भर करना पड़ता है।" मैं यह आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धृत कर रहा हूं। बजट आंकड़ों से ज्ञात होता है कि योजनागत व्यय में योजनेत्तर व्यय और राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय से अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। बजट में अन्तर्विष्ट योजना व्यय में 4 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई। इसी प्रकार, पूंजीगत व्यय में पांच प्रतिशत वृद्धि हुई जोकि 21,618 करोड़ रु० से बढ़कर 22,519 करोड़ रु० हो गया। इसके विपरीत, राजस्व व्यय में दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई और यह 54,165 करोड़ रु० से बढ़कर 59,642 करोड़ रु० हो गया। राजस्व व्यय की पूर्ति ऋण से की जा रही है। महोदय, हम भारी मात्रा में ऋण ले रहे हैं। पांचवीं योजना में व्यय का 48 प्रतिशत भाग ऋण से पूरा हुआ। छठी योजना और सातवीं योजना में यह बढ़कर क्रमशः 73 प्रतिशत और 90 प्रतिशत हो गया। आज केन्द्रीय सरकार की कुल देनदारी 2,80,000 करोड़ रु० है। ब्याज की कुल राशि 17,000 करोड़ रु० है। अब समय है कि संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन ऋण की सीमा निर्धारित की जाए। चक्रवर्ती समिति ने यह सिफारिश की थी। लोक लेखा समिति ने भी अपने अनेक प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें यह प्रावधान हो कि सरकार एक राशि विशेष से अधिक ऋण न ले ताकि हम कर्जे में न फंसे रहें। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और इस बजट में भी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए कि सरकारी ऋण की मात्रा कम की जाए।

अब मैं बचत और सरकार के सामने आ रही संसाधनों की कमी की समस्या पर आता हूं। यह सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष है। ऐसी सम्भावना है कि यह योजना समाप्त होते-होते संसाधन जुटाने के सभी कार्यक्रम पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। योजना अनुमान था कि बचत अनुपात में वृद्धि होगी परन्तु बचत और आय के अनुपात में कमी आ रही है। हाल ही में यह बीस प्रतिशत पर स्थिर था जो कि 24 से 25 प्रतिशत के अनुमानित आंकड़ों से बहुत कम है। आठवीं योजना के लिए निर्धारित छह प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। निबल बचत अनुपात कम होकर 11% हो गया है। अनेक वर्षों से पता है कि समस्या का मूल कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निवेश हेतु उपलब्ध संसाधनों की कमी है। इसका कारण बचत में स्थिरता है और यदि अधिक गम्भीरता से विचार किया जाए तो सरकारी उपक्रमों द्वारा बचत न करने की निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। सरकारी बचत प्राइवेट बचत के विपरीत निरन्तर घाटे की स्थिति के कारण प्रातः समाप्त हो गई है। सी० एस० ओ० के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, सरकारी बचत 1980-81 में भी ऋणात्मक अर्थात् (—) 241 करोड़ रुपए थी और 1987-88 में यह बढ़कर (—) 8,700 करोड़ रुपए हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संसाधनों की गम्भीर कमी है। वित्त मन्त्री ने बचत के महत्व पर बल देते हुए कहा है : "बचत के विषय में हमारी भारतीय संस्कृति और सादे जीवन के गुणों से युक्त भारतीय संस्कृति ··" परन्तु आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कुल बचत जो 1986-87 में कुल स्वदेशी उत्पादन (जी० डी० पी०) का 21.6 प्रतिशत थी, 1987-88 में घटकर 20.2 प्रतिशत हो गई। 1988-89

में यह और घट कर 20 प्रतिशत हो गई। निवल बचत और आय का अनुपात 34,180 करोड़ रुपए से घटकर 33,226 करोड़ रुपए हो गया और 1988-89 में यह और घटकर 33,000 करोड़ रुपए हो गया। इन आकड़ों से कमी की निश्चित प्रवृत्ति का पता लगता है। इसके कारणकुछ निवल निवेश जो 1986-87 में 15.5 प्रतिशत था 1987-88 में घटकर 14.2 प्रतिशत और फिर 1988-89 में 13.8 प्रतिशत हो गया।

इस प्रकार, बचत में कमी हुई है और निवेश में भी तदनुसार कमी आई है। इन बजट प्रस्तावों से बचत को बिल्कुल भी प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना नहीं है। बचत बढ़ाने के लिए बजट में कुछ उपाय सुझाए गए हैं।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की नई श्रृंखला शुरू की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें कुछ कर रियायतें दी जा रही हैं। इसके बाद इक्विटी से जुड़ी बचत योजना का भी उल्लेख है। परन्तु हमें इस योजना का ब्यौरा मालूम नहीं है। मकान ऋण खाता योजना भी हमें बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। बांड और डिबेन्चरों पर लाभांश और ब्याज से हुई आय पर स्रोत पर कर काटने की प्रणाली को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई बचत योजना का उल्लेख किया गया है। इस विषय में कोई उल्लेख नहीं है कि यह योजना कब लागू की जाएगी और इसकी दर क्या होगी। केवल योजनाओं का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इन योजनाओं से बचत अनुपात में सुधार होने की आशा है। परन्तु मुझे आशंका है कि ये सब बाहर की बातें हैं और इनसे बचत अनुपात में कोई सुधार नहीं होगा। यह अनुपात लगभग 20 प्रतिशत ही रहने की सम्भावना है, इससे अधिक नहीं। ऐसी स्थिति में योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करना हमारे लिए कठिन है और हमें बाहर से ऋण लेना होगा और उसकी भी सीमा है अन्यथा इस स्थिति में हम ऋण के शिकंजे में फंस जाएंगे।

महोदय, मैं अब सरकारी क्षेत्र पर आता हूं। इसके लिए वास्तविक दोषी सरकारी उपक्रम हैं क्योंकि यही क्षेत्र देश की बचत को निगल रहा है। परन्तु यह दावा किया जाता है कि सरकारी उपक्रम अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। नए मंत्रिमण्डलीय सचिव, श्री देशमुख ने कहा है कि समस्त सरकारी उपक्रमों का कुल लाभ 2183 करोड़ रुपए है। मैं नहीं जानता कि उन्हें सभी तथ्यों की जानकारी है या नहीं, क्योंकि वह हाल ही में महाराष्ट्र से आए हैं। आप सरकार से ली गई पूंजी पर ब्याज की राशि को न दर्शाते हुए सदा लाभ दिखा सकते हैं। यदि सरकारी ऋणों पर ब्याज लिया जाए और उसे हिसाब में जोड़ा जाए तो निश्चिय तौर पर कोई लाभ नहीं हुआ है। परन्तु ये केवल ख्याली लाभ है, जैसाकि उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों ने कुल 2183 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। उन्होंने यह कहा है और यह समाचारपत्रों में छपा है।

महोदय, बजट भाषण में, माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि वर्ष 1988-89 में 179 उद्यमों ने 694.19 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। इसके मुकाबले गत वर्ष अर्थात् 1987-88 में केवल 59.97 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। महोदय, इस प्रकार लाभ कमाने वाली कुछ कम्पनियों को मिलाकर यह दर्शाना कि लाभ हुआ है कोई नही बात नहीं है। इससे जनता गुमराह होगी। क्योंकि कुछ कम्पनियां हैं, जैसे तेल कम्पनियां जो लाभ कमा रही हैं परन्तु वे लाभ अपनी कार्यकुशलता के कारण नहीं कमा रहीं बल्कि उसका यह कारण है कि आप सरकारी मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए कुछ कम्पनियां निश्चित रूप से लाभ कमा रही हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लाभ कमाने वाली कम्पनियों का उल्लेख करके यह कहें कि इन 179 कम्पनियों ने इतना लाभ कमाया। शेष कम्पनियां

भारी घाटा उठा रही हैं। हमें सरकारी उद्योगों के कार्य-निष्पादन की समेकित स्थिति को देखना है।

एक वायदा किया गया था कि माननीय उद्योग मंत्री, श्री वेंगलराव द्वारा इस सदन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री बनते ही उन्होंने वायदा किया था कि सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में सदन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अब डेढ़ वर्ष बीत चुका है और अभी तक श्वेत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि मंत्रिमण्डल में इस पर कई बार विचार किया गया है, किन्तु हम नहीं जानते कि उनके वायदे का क्या हुआ। यह अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया और पता नहीं श्वेत पत्र प्रस्तुत किया भी जाएगा या नहीं।

महोदय, इसी प्रकार से सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया था : इस व्यवस्था के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निश्चित रूप से बेहतर निष्पादन की मांग कर सकती है। यह एक अच्छी प्रक्रिया है जो लगभग डेढ़ या दो वर्ष पूर्व आरम्भ हुई है। किन्तु इस बारे में स्थिति क्या है? अब तक केवल 11 कम्पनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 7 कम्पनियां इस वर्ष हस्ताक्षर करने जा रही हैं। ऐसा क्यों है? वह आपकी अपनी कम्पनियां हैं कोई बाहर की या प्राइवेट कम्पनियां नहीं हैं जो आपके ज्ञापन की शर्तों से असहमति प्रकट करें और हस्ताक्षर करने में विलम्ब हो। आपकी अपनी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या ऐसा इसलिए है कि कम्पनियां इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं? हम इस बारे में जानना चाहते हैं।

अब मैं औद्योगिक रुग्णता पर आता हूं जिसका कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया था। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता, भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधित चिंताजनक पहलू है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जून, 1987 में 1057 मध्यम और बड़े उद्योग तथा 1,58,000 लघु उद्योग रुग्ण हैं तथा अब तक इस संख्या में 15 प्रतिशत वृद्धि और हो गई होगी। इन रुग्ण एककों की ओर बैंकों की कुल 5,737 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इस विषय पर बहस जारी है कि इन रुग्ण उद्योगों का क्या किया जाए। मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मन्त्री ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लघु एककों की रुग्णता के बारे में और आगे अध्ययन करने को कहा है। पहले ही कई अध्ययन कराए जा चुके हैं और इन यूनिटों की रुग्णता के कारणों के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा कोई और अध्ययन कराए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बारे में सभी तथ्य ज्ञात हैं परन्तु सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए हैं। अब हमने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम नामक एक अधिनियम पारित किया है और इस अधिनियम के अनुसार एक बोर्ड नियुक्त किया गया है—बी० आई० एफ० आर०।

हमारे द्वारा विधेयक पास करने के पश्चात्, सरकार ने नियम तैयार करने तथा बोर्ड नियुक्त करने में एक वर्ष का समय लगाया। अब, यह बोर्ड, केवल कागजी शेर बन कर रह गया है। डेढ़ वर्ष पूर्व इसके अस्तित्व में आने के बाद से एक भी यूनिट का पुनर्वास नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप बताएं कि कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। मैं जानता हूं कि कुछ कार्यवाही की गई है, किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार अब तक वास्तव में कोई पुनर्वास नहीं किया गया और इसका कारण बोर्ड के पास कोई शक्ति नहीं होना है। यह केवल एक सिफारिश करने वाला प्राधिकरण है, यह कतिपय वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सिफारिश कर सकता और पुनर्वास के लिए पैकेज तैयार करना बैंकों या वित्तीय संस्थानों का काम है। इन्हीं संस्थाओं ने धन उपलब्ध कराना होता है, तभी इन एककों को पुनर्जीवित किया जा सकता है; यदि श्रमिकों की सहकारी समितियां इनमें से बहुत से एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने को तैयार हैं, तो आप ये यूनिट श्रमिकों को सौंप क्यों नहीं देते? आप हमारे सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ इस देश में एक नए सहकारी क्षेत्र को पनपने क्यों नहीं देते? मैं सदन की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही एक यूनिट बन्द पड़ा है, जिससे 5000 श्रमिक बेकार हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि अन्य माननीय सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी काफी रुग्ण एकक हैं जो बन्द पड़े हैं और श्रमिक बेकार हैं। और जो भी प्रस्ताव आता है।

हम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? और यदि प्रस्ताव नहीं भी आता तो हम उन्हें, एक मॉडल योजना तैयार करके श्रमिक सहकारी समितियों को इसका सुझाव क्यों नहीं देते बशर्ते कि यह अर्थसक्षम हों? मैं यह नहीं कहता कि कुछ यूनिट जो अर्थसक्षम नहीं हैं, और जो श्रमिकों तथा सरकार पर बोझ हैं, सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण किया जाए। मैं इस हक में नहीं हूं क्योंकि सरकार द्वारा आमतौर पर यह दलील दी जाती है कि हम रुग्ण यूनिटों का अधिग्रहण नहीं करेंगे। मैं सरकार से यह नहीं कहता कि वह रुग्ण यूनिटों का अधिग्रहण करे। मेरा यह सुझाव है कि सरकार द्वारा इस बात के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए कि श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा इन रुग्ण एककों का पुनरोद्धार होना चाहिए।

लघु एककों के बारे में, जिनके प्रति वित्त मन्त्री का विशेष लगाव है, और वह चाहते हैं कि इन एककों का उत्थान होना चाहिए क्योंकि यह अधिक संख्या में हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा एक योजना तैयार की गई है और यह योजना पिछले एक वर्ष से है, उन्होंने सरकार से उस कोष में केवल 50 करोड़ रुपए का अंशदान देने के लिए कहा है, किन्तु सरकार ने बजट में उसके लिए प्रावधान नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के पुनर्निर्माण राहत कोष की जांच करे। उन्होंने केवल 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। यह राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी ताकि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक मध्यम तथा लघु रुग्ण एककों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सके।

अन्त में मैं बेरोजगारी के प्रश्न पर आता हूं क्योंकि इस बजट को रोजगारोन्मुखी बजट कहा गया है। यह कहा गया है कि इस बजट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नियोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक ही योजना में मिला दिया गया है और जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है। हम नई योजना का स्वागत करते हैं। किन्तु इन रोजगार योजनाओं की प्रगति क्या है? हमें इन योजनाओं के बारे में आंकड़ों सहित कई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और हम पाते हैं कि आज भी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और यह योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में कुछ भी करने में असफल रही हैं। यदि नियोजन कार्यालयों में दर्ज

रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या पर जाएं तो, 1985 में बेरोजगार लोगों की संख्या 2.627 करोड़ थी और यह इस तथ्य के बावजूद है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना रोजगारोन्मुखी थी। इस सब के बावजूद 1988 के अन्त तक रोजगार ढूंढने वालों की संख्या बढ़ कर 3 करोड़ हो गई। 2.6 करोड़ से 3.0 करोड़, लगभग 40 लाख लोग बढ़ गए। यह उस पिछले बकाया के अतिरिक्त है जो बढ़ रहा है। देश में कुल बेरोजगारों का 95% 15—35 वर्षों के बीच है।

भुगतान संतुलन और व्यापार घाटा, आयात और निर्यात के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कहा है कि भुगतान संतुलन चिंता का एक अन्य विषय है। किन्तु विदेशी भुगतानों पर एक निश्चित दबाव निवेश और आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकताओं जिसके लिए आयात के विस्तार की जरूरत होगी, अपरिहार्य है। इस बात पर ध्यान दिया जाए क्योंकि सरकार आयात को उदार बनाने को प्रतिबद्ध है। सरकार इस उदारीकरण की पुनरीक्षा करने को तैयार नहीं है, जो देश में बढ़ते आयात के लिए जिम्मेवार है।

इस वर्ष आयात, पहली बार निर्यात से बढ़ गया है। हमारे आयात में लगभग 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है और निर्यात में केवल 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कल, वाणिज्य मंत्री यह समझाने में लगे थे कि 20 प्रतिशत की वृद्धि गलत है और यह 21 या 22 प्रतिशत होनी चाहिए। वह यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसे उचित ठहरा रहे हैं कि शायद इस वर्ष के अन्त तक निर्यात बढ़कर 25% हो जाएगा। यह पिछले वर्ष के 26 प्रतिशत के मुकाबले हैं। और इस वर्ष, अदृश्यों में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। महोत्सव आदि मनाने पर इतना खर्च किया गया, किन्तु उसका क्या हुआ ?

भारत में कितने पर्यटक आए हैं। उनसे हमें कितनी आय हुई है और हमें अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन से कितनी आय हुई है। कुछ भी नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में किया गया अध्ययन अत्यन्त रोचक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 315 प्राइवेट कम्पनियों का अध्ययन किया है कि उन्होंने कितना आयात किया है तथा कितना निर्यात किया है। इस अध्ययन से पता चलता है—मैं उद्धृत करता हूं :

"औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से चल रही कम्पनियों ने कच्चे माल और पुर्जों पर अपनी निर्यात निर्भरता 1984-85 में 13.7 प्रतिशत से बढ़ा कर 1986-87 में 20 प्रतिशत कर दी है।"

इस प्रकार वह माल तैयार करने के लिए सभी उदार आयातों का लाभ उठा रहे हैं किन्तु जितना आयात वे कर रहे हैं, उतना निर्यात नहीं कर रहे हैं।

मैं आगे उद्धृत करता हूं :

उपरोक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान आयात, जोकि निर्यात से 482 करोड़ रुपए अधिक था बढ़कर 1329 करोड़ रुपए अधिक हो गया। देश के दस प्रमुख गृहों द्वारा निर्यात से प्राप्त आय, उनके कुल आय का बहुत ही कम प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र में मारुति उद्योग लिमिटेड इसका उदाहरण है।

उनका आयात बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया है और निर्यात कुछ भी नहीं। वह निर्यात से

विदेशी मुद्रा नहीं कमाना चाहते बल्कि नए माडलों के नाम पर आयात बढ़ाते जा रहे हैं और वह कम्पोनेन्ट, किटें आदि आयात कर रहे हैं इसलिए आयात इस वर्ष 350 करोड़ रुपए है।

भारत विश्व के पांच बड़े ऋणियों में है क्योंकि हमें आयात की कमी को पूरा करना पड़ता है। भुगतान संतुलन की स्थिति कठिन है जो हमारे प्रतिकूल है क्योंकि हम विश्व के पांच बड़े ऋणियों में से हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कर्ज लगभग 55,000 करोड़ रुपए है किन्तु रिजर्व बैंक तथा कुछ अन्य संघों के अनुमानों के अनुसार यह लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। शायद, हम यह न जानते हों। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। ब्याज और मूलधन का भुगतान हमारे विदेश उधारकरण का 24% है।

तीन वर्षों की आयात नीति के सम्बन्ध में, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक तीन वर्षीय आयात-निर्यात निति की शुरूआत सरकार द्वारा की गई है और हम समझते हैं कि इसके बाद आयात-निर्यात नीति में एक स्थायित्व आने जा रहा है। लेकिन क्या हुआ? त्रैवर्षीय आयात-निर्यात नीति की घोषणा के पश्चात् आयात नीति में अनेक परिवर्तन हुए। अनेक प्रकार के संशोधन किये गये। मैंने पाया है कि आयात सम्बन्धित आयात नीति में बदलाव की करीब 98 अधिसूचनायें जारी की गयी हैं। उसी प्रकार निर्यात नीति के बदलाव से सम्बन्धित 43 अधिसूचनायें जारी की गयी हैं। त्रैवार्षिक नीति का अर्थ क्या है? आय परिवर्तन लाते जा रहे हैं क्योंकि आयात-निर्यात की नीति में आप कभी स्थायित्व नहीं ला सकते हैं, यदि आप इसी प्रकार से परिवर्तन लाते रहे।

हमारा देश धनी सरकार और गरीब जनता का देश है। जनता गरीब है लेकिन सरकार मलीनता पूर्वक धनी है। विश्वव्यापी तौर पर यह तथ्य महसूस किया जा रहा है। जापान, कोरिया, चीन तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों की नैसर्गिक विकास प्राप्त कर लेने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, आज एशिया को ऊर्जा का भंडार समझा जाता है और आज पूरे विश्व में एशिया अग्रग क्षेत्र बनने जा रहा है। लेकिन हमारे अपने देश की क्या स्थिति है? भारत पीछे रह जाएगा जैसे कि हाल ही में हुए औलम्पिक खेलों में हम पीछे रह गये हैं और भविष्य के इतिहासकारों द्वारा भारत को एशिया में एक कमजोर राष्ट्र की संज्ञा दी जाएगी जैसे कि यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के वक्त तुर्की को यूरोप में एक कमजोर राष्ट्र की संज्ञा दी गयी थी।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री को उनके 1989-90 के प्रथम बजट प्रस्तुतीकरण के लिये बधाई देता हूं। अपने लम्बे भाषण में माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी जी ने कुछ चकित कर देने वाला वक्तव्य दिया। लेकिन उनके द्वारा दिया गया कुछ वक्तव्य यह है कि माननीय वित्त मन्त्री आर्थिक विकास से सम्बद्ध नहीं हैं; वस्तुतः इस देश की आर्थिक विकास में रुकावट आ गयी है; आर्थिक विकास से सम्बन्धित आंकड़े और अन्य आंकड़े बनाये गए आंकड़े हैं। सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण भी उन्होंने निराशा प्रकट की है। उन्हें विश्वास है कि कीमतों में पुनः वृद्धि होगी। अन्त में भारत को एशिया में एक कमजोर राष्ट्र की संज्ञा देकर उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। उनका लम्बा भाषण मुझे इस सभा के एक महान राजनीतिक श्री वी० के० कृष्ण मेनन की याद दिलाता है जिन्होंने एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 घण्टे का भाषण दिया था। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री उनके अधिकांश मुद्दों का उत्तर देंगे। अपने अभिभाषण के दौरान में उनके द्वारा कहे गए कुछ आम मुद्दों का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा।

महोदय, हमारी आर्थिक नीति के दीर्घकालीन लक्ष्य यथा-विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता

और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है। हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में सारपूर्ण प्रगति होने के कारण अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसका मूल कारण हमारा निरन्तर प्रयास है। यहां तक कि 1987-88 के वर्ष में जब देश को शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, उस वर्ष भी अनाज का उत्पादन 138 मिलीयन टन था जो विगत वर्ष से जरा सा कम था। हमारी राष्ट्रीय आय की विकास दर 3.7 प्रतिशत बतायी गयी है। यह हमारी आर्थिक व्यवस्था के लचीलापन को प्रदर्शित करती है। जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया है कि इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण और विकास प्रयासों, यथा उन क्षेत्रों में विशेष अन्नोत्पादन की योजना जहां विकास जल्द हो सकता है, की सफलता के कारण, 166 मिलीयन टन उत्पादन होने की आशा है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष होने वाले उत्पादन, 170 मिलीयन टन से जरा सा कम है।

2.58 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

महोदय, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की मेरूदण्ड है अथवा हमारी जनसंख्या का मुख्य आधार है जैसाकि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट अभिभाषण में कहा है। अनेक वर्षों से अब तक कृषि उत्पादन में औसत विकास 2½ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो पाया है। हरित क्रांति, अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग, सिंचाई सुविधा में विस्तार, रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाईयों के उपयोग के कारण निकट भविष्य में कृषि विकास की दर में वृद्धि होने की सम्भावना है। इससे न सिर्फ हमारी लचीली अर्थव्यवस्था में सहायता मिलती है बल्कि यह हमारे देश के लाखों लोगों के जीवन स्तर में उन्नति की आशा भी उत्पन्न करता है। हमारे योजनाबद्ध विकास में कृषि को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। अधिकतम संभावित संसाधन स्वीकृति किए जाते रहे हैं। कृषि के विकास और उन क्षेत्रों में जहां अभी तक हरित क्रांति का प्रचार नहीं हो पाया है सिंचाई, उत्तम किस्म के बीजों, कीट-नाशकों और खादों द्वारा हरित क्रान्ति के प्रचार के लिए इस वर्ष करीब 5000 करोड़ रु० का अनुदान दिया गया है। इस योजना द्वारा दस वर्षों से अधिक समय में प्राप्त होने वाला परिणाम प्राप्त हुए हैं और इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत हुई है।

3.00 म० प०

फिर भी मैं समझता हूं कि कृषि विकास का एक ऐसा पहलू भी है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है या फिर जिस पर आवश्यकतानुसार ध्यान नहीं दिया गया है वह है शुष्क भूमि की खेती जोकि कम वर्षा होने वाले इलाकों में होने वाली खेती है। इस तथ्य का महत्व इस बात से जाना जाता है कि शुष्क भूमि की खेती में 70 प्रतिशत खेती की जाती है और पूरे अन्न उत्पादन का 42 प्रतिशत इस क्षेत्र से ही होता है। करीब-करीब मोटे अनाज का पूरा उत्पादन, दालें और अधिकांश कपास और तिलहन वर्षा वाले इलाके में ही होती हैं। मैं समझता हूं कि कृषि व्यवस्था के इस पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों चल रही अनेक कृषि विकास योजनाओं का इस विषय पर प्रभाव पड़ चुका है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया है। उन्होंने 5,173 करोड़ रु० तक कृषि और उर्वरकों के अनुदानों में वृद्धि की है। मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा कृषि से सम्बन्धित क्रांति नये क्षेत्रों में आ पाएगी और हम इसका विकास कर पायेंगे और फसल के बाद की प्रौद्योगिकी और कृषि सामग्रियों के संसाधन को बेहतर बना पायेंगे।

उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्त्वपूर्ण आधार है। औद्योगिक क्षेत्रों के लगातार विकास, विकसित बुनियादी सुविधाएं विगत कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत ही उत्साहवर्द्धक कारक रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में विकास की दर लगातार आठ प्रतिशत रही है। निगम क्षेत्रों की अच्छी उपलब्धि और पूंजी-बाजार की उत्पलावक स्थिति द्वारा भी यह दर्शाया गया है। विद्युत उत्पादन और बिजली क्षेत्र द्वारा उत्पादन में लगातार वृद्धि, मौलिक सामग्रियों के उद्योगों द्वारा उत्तम कार्य प्रदर्शन और रेलवे की माल ढोने की क्षमता द्वारा विकास की इस उच्च दर को बनाये रखने के विशेष सहायता मिली। विकास के इस दौड़ में सरकारी उद्यमों का भी योगदान है। यह पीछे नहीं रह गया है। इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में चल रहे 179 उपक्रमों ने पिछले वर्ष के 59.7 करोड़ लाभ की अपेक्षा 694 करोड़ रु० का लाभ दिखाया है। फिर भी संसाधनों के उत्पादन सम्बन्धी हमारी अपेक्षाओं को यह पूरा नहीं करता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इकाईयों की प्रबन्ध में स्वतन्त्रता दी जानी चाहिंए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी मानना चाहिए। श्री एल० के० झा ने एक बार कहा, "सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए विविध निर्देश और तदर्थ लिखित अथवा मौलिक निर्देश जिनके अन्तर्गत उद्योगों को शामिल किया गया है, उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए।" हमारे 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इन उद्यमों की सफलता के लिए शीघ्र निर्णय लेने और उत्तरदायित्व स्वीकार करने की भावना होना आवश्यक है। इसके लिए जहां भी आवश्यक हो अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और उनका प्रबन्ध व्यावसायिक लाईन के आधार पर होना चाहिए।

हमारी नीति के इस पुनर्गठन की प्राप्ति के लिए, अर्थात् अधिक स्वायत्तता और परिणामों के लिए उत्तरदायित्व लेना, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इकाईयों के साथ समझौता करना आरम्भ किया है। यह उन देशों की प्रक्रिया अपनाई गई है जिन्हें हमारे जैसा ही अनुभव हुआ है अर्थात् पाकिस्तान, बंगलादेश और दक्षिण कोरिया।

मुझे खुशी है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन उपक्रमों के कार्य प्रदर्शन के बारे में निर्णय इन क्षेत्रों में निपुण बाहरी व्यक्तियों जैसे चार्टेड एकाउन्टेन्ट, व्यापार-प्रबन्ध विशेषज्ञ, वाणिज्य या अर्थशास्त्र के प्रध्यापकों की समिति द्वारा किया जाएगा। इन बाहरी व्यक्तियों को इन इकाइयों के कार्य प्रदर्शन की परख करने के योग्य होना चाहिए।

अतः मैं इस योजना का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे उद्यमों को अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी और राजस्व में इससे बड़ी मदद मिलेगी। प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी हासिल करने और आधुनिकीकरण के द्वारा विकास और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ाने की हमारी नीति काफी सफल रही है। अल्यूमीनियम और सीमेंट के मूल्यों से नियंत्रण हटाना और इसके वितरण के सम्बन्ध में निर्णय लेना भी इसी नीति के अनुरूप ही है।

विपक्ष के माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है और वह है पिछड़े क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण अथवा औद्योगीकरण। यह निरन्तर चर्चा का विषय रहा है, जिस पर हम पिछले कई वर्षों से चर्चा करते आ रहे हैं। अंततः हमने यह पाया कि आधारभूत ढांचे के अभाव के कारण हम अपने उद्योगों का विस्तार नहीं कर सकते। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हमें कोई ऐसा ठेकेदार नहीं मिल सका था जो नए विश्वविद्यालय के लिए कार्यालय और प्रयोगशाला बनाने के काम का ठेका लेता। हमें बम्बई से किसी को बुलाना पड़ा था। अतः मूलभूत ढांचे, केवल साज सामान ही नहीं, अपितु व्यक्तियों, के

अभाव के कारण भी कठिनाई पैदा होती है। इसीलिए सरकार द्वारा इस वर्ष 61 विकास केन्द्र बनाए जाने का निर्णय लेना ठीक ही है। वे उद्योगों के विस्तार के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। जब तक हम ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए एक बड़ी योजना नहीं बनाते, तब तक लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और इस देश के युवकों और युवतियों को उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

उद्योग ही रोजगार के असीमित अवसर प्रदान करता है। अंततः कृषि का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि भूमि सीमित है। यदि हम कृषि के क्षेत्र में सघन तरीके भी अपनाते हैं तब भी उस क्षेत्र में सीमित संख्या में ही लोग समा सकते हैं और हमारे देश में जनसंख्या काफी अधिक है। इन लोगों को कहीं और रोजगार ढूंढ़ना पड़ेगा और एकमात्र जो क्षेत्र उपलब्ध है वह है उद्योगों का विकास। अतः सिर्फ ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए एक क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाने से ही एक उचित समय में हमारी रोजगार और निर्धनता की समस्याओं का समाधान हो पाएगा।

विपक्ष के माननीय सदस्य ने दूसरी बात उद्योगों की रुग्णता की कही है। सम्बन्धित मंत्री जी ने पिछले सप्ताह हमें जो नवीनतम आंकड़े उपलब्ध कराए थे कि हमारे देश में 1-6-86 तक 1,59,283 रुग्ण इकाइयां थीं। अब दो वर्षों के बाद इनकी संख्या और बढ़ गई होगी। संभवतः अब रुग्ण उद्योगों की संख्या 2 लाख है। रुग्ण उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कई समितियों ने इस बारे में अध्ययन किया है और रुग्णता के विभिन्न कारण बताए हैं। उन्होंने रुग्णता के विभिन्न कारणों के परिमाणात्मक मूल्यों का आंकलन किया है, इसके लिए उदाहरण के लिए प्रबन्ध 51% और श्रमिक संघ 4% या 5% दोषी है। इस तरह रुग्णता के विभिन्न कारणों के परिमाणात्मक मूल्य निर्धारित किए गए हैं लेकिन जिस एक महत्वपूर्ण कारण की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है वह यह है कि इस समय उद्योगों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से काफी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यदि मैं 10 लाख का उद्योग लगाता हूं तो मैं वित्तीय संस्थाओं अर्थात् राष्ट्रीयकृत संस्थाओं या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से 90 लाख का ऋण ले सकता हूं। इस तरह मैं उस धन का प्रयोग लापरवाही से करूंगा। कई बार मैं बेईमानी भी कर सकता हूं। मैं छोटे-छोटे फायदे उठाने की कोशिश में उद्योग को रुग्ण होने दे सकता हूं।

अतः यद्यपि हमने कुछ कानून बनाए हैं और हमारे पास तंत्र भी है तथा हमने बैंकों को भी सलाह दी है, रिज़र्व बैंक ने यह देखने के लिए कदम उठाए हैं कि रुग्णता का पता उद्योग की आरम्भिक अवस्था में ही लगाया जाए और इसके लिए कदम उठाए जाएं और यहां तक कि पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं तब भी हम इस सम्बन्ध में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि यह काम करने की जरूरत है। मामले की उचित जांच होनी चाहिए और यदि इसके लिए प्रबन्धक दोषी पाए जाएं तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। यह काम पहले किया जाना चाहिए।

दूसरे, यदि इकाई को पुनः चालू नहीं किया जा सकता तो इसे समाप्त होने देना चाहिए अथवा बहुत सस्ते में बेच देना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को अत्याधिक शीर्ष पूंजी का भार वहन न करना पड़े। इस तरह हम काफी हद तक रुग्णता की समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं।

महोदय, मुझे खुशी है कि गति को बनाए रखने के लिए मंत्री महोदय ने विद्युत विकास के लिए 13.6% रेलवे के लिए 15.6% और दूरसंचार के लिए 15.6% परिव्यय बढ़ाने का निर्णय लिया है क्योंकि वे आधारभूत ढांचे का अंग है। वे ऐसे मूल उद्योग में से हैं जिन पर हमारे देश के औद्योगिक विकास का ढांचा निर्भर है।

महोदय, मैंने उद्योग के बारे में विस्तार में कहा है क्योंकि यद्यपि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी उद्योगों से हमारी सरकार को 80% कर राजस्व की प्राप्ति होती है। अब मैं बजट के वित्तीय पहलुओं के बारे में कहूंगा। बजट कुछ स्पष्ट उद्देश्यों के सामने रख कर बनाया गया है किन्तु इसका मुख्य प्रयास रोजगार के अवसर बढ़ाना और इस तरह हमारे देश में निर्धनता कम करना है। यद्यपि पिछले 10-15 वर्षों में जो योजनाएं, जैसे—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना आदि, बनाई गई हैं, वे सभी रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए बनाई गई हैं फिर भी इसे सम्भव बनाने तथा इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने उन लोगों से 8% अधिशुल्क वसूल करने का निर्णय लिया है जिनकी आय 50,000 रुपए से अधिक है तथा ग्रामीण विकास या ग्रामीण रोजगार अर्थात जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना बनाने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। मैं मंत्री महोदय को यह नया दृष्टिकोण अपनाने पर बधाई देता हूं। मन्त्री महोदय ने वित्तीय और आर्थिक नीतियों के प्रबन्ध में बहुत समझदारी दिखाई है और यह उन 4-5 उदाहरणों से देखा जा सकता है, जो मैं देने जा रहा हूं।

पहला उदाहरण है सातवीं पंचवर्षीय योजना की पांच वर्षावधि के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में वास्तविक परिव्यय। यह सही अर्थों में मूल परिव्यय से करीब 115% अधिक होगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वित्तीय रूप से लक्ष्य प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है किन्तु इसका मूल परिव्यय से 15 प्रतिशत अधिक होना महत्वपूर्ण है। वित्त मन्त्री ने गैर-योजना व्यय के विकास को सीमित करके गैर-स्फीतिक तरीके से बिकास के लिए संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया है। उदाहरण के लिए रक्षा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में नाममात्र की कटौती की गई है। इस देश के हाल के इतिहास में यह बहुत बड़ी बात है। संभवतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव में कमी होने से हमारी सरकार को इस मामले में सहायता मिली है। न केवल वित्तीय नीति की दृष्टि से अपितु विश्व शांति के दृष्टिकोण से भी यह एक बहुत बड़ा कदम है।

बजट का कुल घाटा जो संशोधित अनुमानों के अनुसार 7,940 करोड़ रुपए था, कम होकर 7,337 करोड़ रुपए रह गया है। यह एक दूसरी बड़ी उपलब्धि है। करीब एक शतक से वित्त मन्त्री द्वारा संतुलित बजट पेश करना एक विशेष गुण माना जाता है। यदि आप पिछले 100 वर्षों के सार्वजनिक वित्त पर लिखा गया साहित्य पढ़ें तो आप पाएंगे कि संतुलित बजट को बड़ी उपलब्धि माना गया है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बजट असंतुलित हो गए हैं और यह असंतुलन अब और भी बढ़ रहा है। हमारे यहां भी पिछले 8-9 वर्षों से घाटा बढ़ रहा है। सौभाग्य से वित्त मन्त्री के साहस के कारण ही इस प्रक्रिया को बदला जा सका है। यह धारा 7,940 करोड़ से कम करके 7,337 करोड़ रुपए लाया गया है। विकासशील देशों के विकास के लिए भुगतान संतुलन की स्थिति हमेशा ही अंकुश का कारण रही है। हमारे मामले में भी कुछ वर्षों से यह चिन्ता की बात रही है। ऐसे देश को पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ता है और उपभोक्ता वस्तुओं या उन कृषि उत्पादों का निर्यात करना पड़ता है, जिनके मूल्य घटते-बढ़ते रहते हैं और जिनकी मांग में निरन्तर वृद्धि नहीं होती। अतः विकासशील देशों के लिए यह एक कठिन समस्या है। भुगतान संतुलन के मामले से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने हमारे औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिक बनाकर और तकनीकों के विकास से इसे सुदृढ़ बनाने और इसमें विविधता लाने के लिए सही प्रयास किए हैं। इससे न केवल हमारे उद्योगों को विविधता लाने में प्रोत्साहन मिलेगा अपितु हम दृढ़ता से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी ठहर सकेंगे। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान हमारी

नीति यह रही है। शुल्क-सुरक्षा या मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को स्वीकार करके जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक हैं, प्रलोभनों में आने के बजाय हमने उद्योगों का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने की नीति का अनुसरण किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस नीति के परिणाम हमारे सामने आए हैं। व्यापार के मामले में इस वर्ष तथा पिछले वर्ष भी हमारे निर्यात में करीब 25% वृद्धि हुई है।

विपक्षी सदस्यों के साथ मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि अनाज का आयात अधिक हुआ है किन्तु ऐसा अस्थाई कारणों से हुआ है। पिछले वर्ष सूखा पड़ा था। अतः हमारे खाद्यान्नों का भण्डार कम हो गया। हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। हमने जो कदम उठाए हैं उन्हीं के फलस्वरूप हम खाद्य तेलों के आयात में 50 प्रतिशत तक कमी ला पाए हैं। बाहर भी तेलों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष आयात भी कम हुए हैं। इन कारणों के फलस्वरूप हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति अधिक खराब हुई है, और यह पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 1800 करोड़ रुपए अधिक है। परन्तु मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कर लगाकर आयातों को कम करने की बात स्वीकार नहीं की है।

जनसंख्या वृद्धि में भारत विश्व में सबसे आगे है। जैसाकि विगत सप्ताह मंत्री महोदय ने बताया कि हमारी जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 2.12 प्रतिशत की दर से हो रही है। इसका मतलब है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से आर्थिक विकास का कोई लाभ नहीं होता है। कुछ वर्ष पहले जब परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया था।

तब जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक थी। यद्यपि वृद्धि दर कम हो रही है परन्तु निकट भविष्य में कम होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए यह हमारे सामने एक गम्भीर समस्या है। हमारा कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक है। यह पूर्णतः समझाने पर ही निर्भर करता है। जनसंख्या को रोकना हमारी सामाजिक आर्थिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए इसमें इतनी वृद्धि हो गयी है कि जब तक हम इस पर काबू कर पाएंगे, यह इतनी बढ़ जाएगी कि इस देश में लोकतन्त्र का शासन नहीं चल सकता। यद्यपि हमने इस समस्या का अनेक तरीकों से मुकाबला किया है परन्तु अब समय आ गया है कि हमें इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन तथा हतोत्साहित करने वाली दोनों तरह की नीति अपनानी होगी। हमारी नीति पूर्णतः समझाने, राजी करने पर निर्भर है। मुझे आशा है कि इस विषय को प्राथमिकता दी जाएगी तथा नीति को चुस्त बनाया जाएगा जिससे निर्धारित समय में उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके इसके केवल उन्नति ही नहीं होगी बल्कि आगे अच्छे समाज की भी स्थापना होगी।

महोदय, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं वित मन्त्री ने वित्तीय नीति की समस्याओं का सामना करने में साहस दिखाया है। उन्होंने वित्तीय नी.त में बजट घाटे तथा गैर-योजना व्यय में वृद्धि जैसी जोखिमपूर्ण प्रवृत्तियों को टालने में सफलता प्राप्त की है। राजस्व में वृद्धि करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु उन्होंने बोझ उन व्यक्तियों पर डाला है जो आसानी से सहन कर सकें। अन्त में कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यधिक संसाधन प्रदान करके उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त विकास दर से अधिक विकास दर सुनिश्चित की है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने आदरणीय वित्त मंत्री श्री चव्हाण साहब को इस बात के लिये हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार लचीला, संतुलित और योग्यतापूर्वक बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है। अभी विरोधी दल के सदस्य श्री माधव रेड्डी जी ने करीब दो घण्टे के अपने भाषण में बहुत से मुद्दे उठाये और उन मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने जितने मुद्दों की प्रशंसा की और जितने मुद्दों का स्वागत किया वह इस बात का सबूत है कि विरोधी दल के पास इस बजट के विरुद्ध कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर राजनीतिक कारण न होते तो शायद वह इस प्रकार का भाषण करते भी नहीं।

दूसरी बात यह है कि जो बार-बार समाचारपत्रों में भी छापी गई, विरोधी दल के नेताओं की ओर से यहां भी कही गई और शायद कही भी जायेगी कि यह चुनावी बजट है, मैं नहीं समझता यह चुनावी बजट किस मामले में है। चुनावी बजट तो तब होता जब इसमें कोई भी सार्थक कार्यक्रम की चिन्ता कम की जाती और केवल वोट बटोरने के लिए हम कोई भी काम इसमें करते। इस बजट में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसके लिए कोई इसे चुनावी बजट की संज्ञा दे।

नीति का जहां तक सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें हमारे राष्ट्रीय निर्माण के मंत्रदाता, महात्मा गांधी, राष्ट्र निर्माण की पहली नींव रखने वाले प्रधान मन्त्री, पं० जवाहर लाल नेहरू, इस राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास के लिए आपाद-मस्तक जुट कर काम करने वाली प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके अलावा आज हमारे जो प्रधान मंत्री हैं श्री राजीव गांधी, उनके सपनों का भारत जिस प्रकार का होना चाहिए उसकी सम्पूर्ण छाया इस बजट में और बजट भाषण में विद्यमान है। मैं नहीं समझता कि कौन सा प्रश्न उठता है हमारे यहां जहां हमने कोई तार्किक रूह नहीं रखा। हमारा तार्किक रूप तो इसी बात से स्पष्ट है स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय में भी हमने इस देश की जनता के सामने जो वायदे किए (क्योंकि बार-बार यहां वायदों की याद दिलाई गई), ये हमीं लोग हैं जिन्होंने वायदे किये कि हम देश की आजादी लेंगे, हमने आजादी ली, हमने कहा हम देश में किसानों, मजदूरों और मेहनतकशों को ऊपर उठायेंगे वह काम हम कर रहे हैं। हमने ही यह कहा कि इस देश के गरीब, पिछड़े हुए पददलित लोगों का उत्थान करके हम दुनिया की मानवता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो हम उस ओर लगातार अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके विपरीत कौन सी वह बात है जिसके लिए हमारे बजट की आलोचना की जाए और कोई उसको इस प्रकार की आलोचना करके खारिज करे कि यह चुनावी बजट है? मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि विकास के क्षेत्र में लघु और बड़े उद्योगों के विकास की स्थापना मे, प्रौद्योगीकरण में, माडर्नाईजेशन में, नयी तकनीक के विकास में, देश की सुरक्षा में, आवास की समस्या में और इसके साथ-साथ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो पेन्शन में वृद्धि की गई, निराश्रित महिलाओं को साड़ी देने की जो प्रतिबद्धता दिखाई गई, बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को निश्चित रोजगार देने का जो संकल्प प्रकट किया गया—इसमें कौन सा हमारा वह पक्ष है जहां पर हमने पिछली आधी शताब्दी से ज्यादा इस चीज नहीं को कहा तथा उसके बारे में कभी असावधानियां बरती हों? क्या कोई भी दिशा हमारे लिए कही जा सकती है कि कांग्रेस ने जो वायदे, जो वचन, जो कार्यक्रम, जो नीतियों, जो दृष्टिकोण और जो नेतृत्व इस देश के

सामने पिछले 100 वर्षों से ज्यादा समय से रखा है उसमें कही भी हम डिगे हों, कहीं से भी हम हटे हों ? हमने कभी चुनावी बजट की बात नहीं की। इसलिए नहीं की कि चुनावी बजट क्या होता है ? चुनावी बजट, जैसा हमने कहा इसका तब प्रश्न उठता है जब हम आम जनता को कहीं पर अंधेरे में रखना चाहें। हमने तो स्पष्ट कहा, इस देश में जब आजादी आयेगी तो उसके बाद हम गरीबों और पिछड़े हुए लोगों के लिए काम करेंगे। हम यहां पर शीर्षकों के अन्याय और अत्याचार की जो अर्थ-व्यवस्था है उसको नष्ट करेंगे। हमने किया उसका अन्त। राजाओं को नष्ट किया, हमने ताल्लुकेदारों को नष्ट किया, हमने जमींदारी समाप्त की, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हमने गरीबों, दलितों और पिछड़े हुए लोगों के लिए अनेक आर्थिक कार्यक्रम बनाये। उनमें कौन सा ऐसा हमारा कदम है जिसके बारे में हमने पिछली पूरी शताब्दी में वचन न दिया हो देश को और उमसे हम पीछे हटे हों ?

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर हमने इन कार्यक्रमों को दिया, वहीं पर मुद्रा-स्फीति की, महंगाई की बात भी उठाई जाती है। अर्थशास्त्र का सामान्य जानकार भी इस बात को जानता है, जब कोई विकासशील देश अपनी आकांक्षाओं के लिए लगातार कटिबद्ध होकर काम करता है और उसको इस प्रकार की अनेक योजनायें बनानी पड़ती है और पूरी करनी पड़ती हैं, तो ऐसी कौन सी दुनिया में मिसाल है कि जहां पर घाटे के बजट के बिना भी कर दिया जाता हो। कम साधन, कम दृष्टियां, कम काम करने वाले, अगर चाहें कि हम उन्नति कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। मुद्रास्फीति तो होगी, जब हमारी योजनायें आगे बढ़ेंगी। जब हम देश की गरीबी को दूर करने के लिए लगातार काम करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी और घाटे का बजट होगा। ऐसा घाटे का बजट कितना है, जिसके लिए हम इतनी हाय-हाय कर रहे हैं। 8,240 करोड़ रुपए का घाटा जिसमें 903 करोड़ रुपए टैक्स की वृद्धि, यदि इसको घाटा दिया जाए तो हमारे वित्त मंत्री महोदय ने 7,337 करोड़ रुपए का घाटा प्रदर्शित किया है।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी पूछी जा सकती है। मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं, मैं वह बात कहने जा रहा हूं, जो कोई नहीं कहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछले वर्षों के बजट को भी देख लीजिए, पूरी परम्परा देख लीजिए, इसे आप सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, दो या तीन बजट तो कम से कम अपोजीशन को भी यहां पर रखने का अवसर मिला है। उन बजटों की क्या नीतियां थी, उन बजटों के काम का तरीका क्या था, उनकी नीतियां कैसी थी, कहीं भी कोई भी जिम्मेवारी लेकर देश के सवाल को आगे बढ़ाने की कोई भी स्थिति उनमें दिखाई पड़ती थी, कोई भी दिशा-निर्देश उनमें दिखाई पड़ता था, स्पष्ट नीतियां दिखाई पड़ती थी, स्पष्ट नेतृत्व की दिशा उनमें दिखाई पड़ती थी, अगर नहीं तो हम लगातार चालीस वर्षों से बजट प्रस्ताव रखते आए हैं और बजट के अनुसार काम करते आए हैं, पंचवर्षीय योजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश का चतुर्मुखी विकास करते आए हैं, क्या उसके बाद भी हम से कहा जा सकता है कि हमने कहीं भी देश के सामने में कोई कोताही की है। कभी ऐसी बात नहीं हो सकती है।

मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने दो घण्टे अपना बजट भाषण दिया, एक संतुलित भाषण और अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात को कहा। हमारे चव्हाण साहब तो इस बात के लिए मशहूर हैं कि वे ज्यादा बात नहीं करते हैं, वे काम ज्यादा करते हैं और हमारे विरोध पक्ष की स्थिति यह है कि वे काम की बात कम करते हैं और भाषण बहुत लम्बा करते हैं। दोनों

में हमने यह स्थिति देख ली। दो घण्टे का भाषण वित्त मन्त्री महोदय का हुआ और दो घण्टे का भाषण भाध्व रेड्डी जी का हुआ, स्पष्ट बात आपको दोनों की तुलना में मिल जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण को समापन करते हुए कहा, उन्होंने कहा—

> "विकास के मार्ग की यह यात्रा बड़ी कठिन और लम्बी है इसके लिए बलिदान देना पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भावी विकास और समृद्धि के लिए ऐसा बलिदान कौन करेगा। प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट और निश्चित रूप से दे दिया गया है।"

मैं समझता हूं कि नीतियों के सवाल पर, देश के सवाल पर, लक्ष्यों के सवाल पर, इन तीन-चार बातों का स्पष्ट उत्तर इसमें है। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं, जो लोग कह चुके हैं। कुछ बातें मेरे भी मन में हैं। हमने भी देश की जनता के सामने लगातार लम्बी स्वतन्त्रता युद्ध से लेकर स्वराज्य के बाद अब तक जो हम लोगों ने काम किया है। बहुत सी बातें कही जाती हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, लेकिन मैं वित्त मन्त्री महोदय से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिस समय चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, तो उनसे जो कर्मचारियों के वेतनमान हैं, उनमें बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों की आय में वृद्धि हो गई है। तो कर-मुक्त आय की सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की जानी चाहिए। मैंने पिछले वर्ष भी इसके बारे में कहा था और आज फिर इसको दोहराता हूं। आप ने केवल 5% इन्कम टैक्स में कमी करने की घोषणा की है। मेरी वित्त मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि आज के वेतनमानों को देखते हुए 25,000 रुपये तक की आय कर मुक्त की जानी चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा है, जोकि पिस रहा है। अगर मिडिल क्लास के लोगों को 25,000 रुपये की आय तक छूट मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि इस से लाखों लोगों को फायदा होगा और आप को कोई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि रिटायर होने के बाद जिन लोगों को पेंशन मिलती है, वह इंकम नहीं होती है। इसलिए जिन सरकारी कर्मचारियों को या देश के जिन लोगों को पेंशन मिलती है, वह पेंशन कर मुक्त होनी चाहिए। अगर उस को कर मुक्त कर दिया जायेगा, तो इससे भारतीय खजाने पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा।

एक और निवेदन करना है। कागज के मामले में थोड़ी सी वृद्धि की गई है। इस देश में अभी अशिक्षा और दरिद्रता बहुत ज्यादा है। इसलिए कागज वगैरह के दामों में लगातार वृद्धि नहीं होनी चाहिये, जिससे देश में लोगों की शिक्षा और शैक्षणिक प्रसार में किसी प्रकार की बाधा न आए।

चौथी बात यह है कि आपकी आवास योजना बहुत अच्छी योजना है। आपने बहुत से कदम इस बारे में घोषित किये हैं परन्तु स्टील की उन प्रोडक्ट्स पर, जो आवास के काम में आती हैं, जो वृद्धि की गई है, उनके बारे में आप दोबारा कंसिडर करें। मैं समझता हूं कि इससे देश के मिडिल क्लास और नीचे की क्लास के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बड़े आदमियों पर जो टैक्स लगाये गये हैं, उन की हमें चिन्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ में श्री चव्हाण साहब को एक अच्छा बजट लाने के लिए बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बडोदरा) : महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपका समर्थन चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ अधिक मिनट का समय देने की अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदय : जी नहीं। दस मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : मैं लगभग एक वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा हूं...(व्यवधान) तथापि मेरा आपसे निवेदन है कि घंटी से अपना हाथ दूर रखें। (व्यवधान) पिछले वर्ष इस सदी के भयंकर सूखे के बावजूद भी वित्त मन्त्री ने अच्छा बजट प्रस्तुत किया है इसके लिये वह और सरकार विशेष बधाई के पात्र हैं। सूखे और देश के अनेक भागों में असंतोष के बावजूद भी सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जो प्रगतिशील और सकारात्मक है। इसकी उपलब्धि ने इस वर्ष की सामर्थ्य के लक्षण दिखाये हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 3.6 प्रतिशत दिखायी गयी है जो अनुमानतः 1 प्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक थी।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण में रही। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक द्वारा यह 5 प्रतिशत आंकी गयी जो 1987-88 के दौरान 10 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी।

खाद्यान्न उत्पादन 166 मिलियन टन तक होने की सम्भावना है जो 1988-89 के दौरान 130 मिलियन टन हुआ।

कठिनाइयों और अनेक उद्योगों के बन्द होने के बावजूद भी औद्योगिक उत्पादन में उन्नत प्रवृत्ति दिखायी गयी है। मैं अनुभव करता हूं कि अधिक संगठित शक्ति से औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं चाहे वे सरकारी हों अथवा प्राइवेट हों।

कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक को दी गयी विशेष आर्थिक राहत का मैं स्वागत करता हूं। इससे सरकारी क्षेत्र का विकास हो सकता है। हमारे देश के समक्ष सूखा का बाढ़ का युद्ध की समस्या में जनसंख्या की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं हुई है। हमारी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आंकड़े देखने तथा जनसंख्या की वृद्धि के बारे श्री महाजन के विचार सुनने के पश्चात् समूचे कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने अथवा बल देने और समाज के एक वर्ग अर्थात् निर्धन वर्ग को लक्ष्य क्षेत्र बदाने की आवश्यकता है। आज शहरी मध्यम वर्ग के लोगों के परिवारों ने परिवार छोटा करने के उपाय शुरू कर दिये हैं परन्तु निर्धन और अशिक्षित लोग छोटे परिवार के दायित्व को नहीं समझते हैं जबकि यह उनके उत्थान के लिये सकारात्मक कार्य कर सकता है। मेरे विचार से इस बात को उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इस बजट में बताये गए आंकड़े निश्चित रूप से सही हैं परन्तु जनसंख्या की वृद्धि के कारण रोक लिये गए थे। मैं अनुभव करता हूं कि देश के मध्यम वर्ग की भी देखभाल की जानी चाहिए अथवा सहानुभूति दिखायी जानी चाहिए जो एक उत्पादन का कारक है। जिन लोगों की आय 50,000 रुपये है उन पर कर लगाया गया है। मोटे तौर यह धनराशि 4000 रुपये प्रति मास आती है। सरकारी नौकर और वेतनभोगी लोग इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। प्रत्येक वस्तु की मूल्य वृद्धि को देखते हुए क्या यह उचित है कि जिन लोगों

की वार्षिक आय 50,000 रुपये है उन पर कर लगाया जाए ? इसमें कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए। छूट की सीमा भी बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दी जानी चाहिए। इसमें उन गृहणियों को भी कष्ट हुआ है जिन्हें अपनी घरेलू आवश्यकतायें पूरी करनी पड़ती हैं। उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष कर और बिक्री कर का भी भुगतान करना पड़ता है। वे अनुभव करते हैं कि कर दो या तीन स्थानों पर न लेकर एक ही स्थान पर लिया जाए। टी०वी० सैटों, कारों और स्कूटरों की कीमत में वृद्धि के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक था।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभी अधिक आय वर्ग के लोगों के पास टी० वी० सैट हैं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड : वेतनभोगी लोगों पर कर लगाने के सम्बन्ध में क्या आप यह अनुभव करते हैं कि इससे अधिक कालेधन का परिचालन होगा ? क्योंकि मध्यम आय के लोगों को समाज में एक जीवन स्तर रखना होता है। उसे अपने परिवार की आवश्यकताओं तथा बच्चों को एक विशेष स्तर की शिक्षा दिलानी पड़ती है। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छे तरीके से शिक्षा दिलाना चाहते हैं। आज के प्रगतिशील विश्व में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति टी० वी०, कार आदि रखना चाहता है। वह इन चीजों को रखना चाहता है। जब वह देखता है कि उसके पड़ोसी के पास ये चीजें हैं और उसके पास नहीं हैं तो उसे कष्ट होता है। मैं अनुभव करता हूं कि इसका कालेधन को पैदा करने में विपरीत असर होगा परन्तु मेरा यह सुझाव है कि लोगों से बातचीत करने तथा उनकी बात सुनने के पश्चात् ऐसा किया जाना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य गुजरात के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं।

हमारा राज्य अत्यधिक विकसित है जिसमें संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। मैं निवेदन करता हूं कि तेल और गैस की उपलब्धता के कारण गुजरात में दूसरा तेलशोधक कारखाना लगाया जाए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गैस और तेल की रायल्टी पुनः निर्धारित करे, मध्य प्रदेश की कोयला खानों से लेकर गुजरात के थर्मल पावर स्टेशन तक कोल स्लरी पाइपलाइन बिछायी जाए, उत्तरी गुजरात के उस प्रचुर कोयले का उपयोग करने के लिए कोयला गैसीकरण किया जाए जिसके लिए खानें नहीं बनायी जा सकती हैं, कच्छ और काम्बे की खाड़ी में समुद्री लहरों पर एक विद्युत परियोजना चलायी जानी चाहिए, गुजरात में गैस पर आधारित बिजलीघर बनाए जाने चाहिएं, हजीरा में जहाज निर्माण का एक कारखाना बनाना चाहिए तथा अहमदाबाद को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। गुजरात और बड़ोदरा में दूरसंचार की सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया जाए तथा नर्मदा परियोजना को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाए जो गुजरात के लिए बहुत आवश्यक है।

विमान यात्रा के किरायों में वृद्धि कर दी गयी है परन्तु सुविधाओं में कमी की जा रही है। दिल्ली हवाई अड्डे को देखिए। शौचालय गंदे हैं; उन यात्रियों को उचित ढंग से बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है जो अपनी उड़ानों की प्रतिक्षा करते हैं। कर्मचारी उनकी देखभाल नहीं करते हैं। यह वर्ग इन सुविधाओं को चाहता है।

एयरलाइन्स के इस कार्य प्रदर्शन की तुलना में रेलवे अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है साथ अपने किरायों में वृद्धि कर रहा है। इसलिए उनके किरायों मे वृद्धि के बारे में कोई शिकायत नहीं है। एयरलाइन्स अपनी सेवाओं में सुधार क्यों नहीं कर सकती ? निस्संदेह उसके सामने विमानों की कमी जैसी समस्यायें हैं परन्तु वित्तीय खर्च बढ़ाए बिना अर्थात् इन सुविधाओं तथा अपने तरीकों में सुधार करके

वे अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकते हैं जिससे जन-सम्पर्कों में सुधार होगा ? हवाई अड्डों की सुविधाओं पर उनका अधिक खर्च हो सकता है परन्तु इससे यात्री यातायात का भी सुधार होगा।

मुद्रण संघ ने मुझसे निवेदन किया है। कागज की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। मूल्यों की इस वृद्धि के कारण छोटे मुद्रकों को नुकसान हो रहा है जो सरकारी कार्य कर रहे हैं क्योंकि जब वे उद्धृत करते हैं कि कागज का मूल्य कम है तो एक महीने बाद जब निविदा पास होती है तो कागज के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उन लोगों को नुकसान होता है क्योंकि वे मूल्यों में वृद्धि की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि मांग नहीं कर सकते। मेरे माध्यम से उन्होंने यह निवेदन किया है।

अब मैं बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताता हूं। यह एक अच्छा कार्यक्रम है परन्तु लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। निस्संदेह सरकार ने एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का अच्छा विचार व्यक्त किया है। मैं एक उदाहरण उद्धृत करता हूं। कुछ वर्ष पहले बड़ौदा के बाहर जब तेलशोधक कारखाने और आई० पी० सी० एल० की स्थापना की जा रही थी तो कृषि परिवारों से कृषि जमीन ले ली गयी और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को इन उद्योगों में रोजगार दिया जाएगा। उसका क्या हुआ ? जिस व्यक्ति को रोजगार मिला वह परिवार से अलग चला गया। इस प्रकार परिवार को नहीं बल्कि केवल उसे ही लाभ मिला। इस पहलू की जांच की जाए और आवश्यक कदम उठाये जायें।

श्री मुही राम संकिया (नवगांव) : महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के बजट पर टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी देश के बजट में उस देश में उस समय विद्यमान आर्थिक स्थिति के साथ साम्य होना चाहिए। किन्तु संसद में माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्तुत बजट में ऐसी किसी दिशा के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है जो सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित कर रही हो। वर्ष 1989-90 के बजट में 7735 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया है। यह कुछ और नहीं है बल्कि कामचलाऊ उपाय है क्योंकि वर्ष 1988-89 के बजट में 9942 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दर्शाया गया था।

किन्तु संशोधित अनुमान में यह बढ़कर 11,030 करोड़ रुपए हो गया। इसलिए, इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि अधिक कराधान के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। वर्ष 1988-89 के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा था। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार हमारे देश की बचत का 1/7 भाग हजम कर गई और परिणामस्वरूप बचत-अन्तराल को भरने के लिए अधिक उधार लिया गया।

वर्ष 1988-89 के लिए संशोधित अनुमान 11,070 करोड़ रुपए था जिसकी तुलना में राजस्व घाटा 7,012 करोड़ रुपए होगा अनुमानतः जोकि 4,018 करोड़ रुपए से कम है। ऐसा तेल समन्वयन समिति के पूल लेखे को सार्वजनिक लेखे में अन्तरित करके किया गया है। यह बुद्धिमता का कार्य है या नहीं यह तो समय ही बताएगा।

किसी भी प्रकार के घाटे का अर्थ है अति-उपभोग। इसका अर्थ यह है कि सरकार राजस्व से प्राप्त आय से अधिक खर्च कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें निर्यात की मात्रा में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है, हमारे रुपए की कीमत कम कर रही है किन्तु साथ ही हमें इसके दूसरे पक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थात् आयात में

भी 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों होता है? ह्रास सामान्यतः निर्यात को बढ़ावा देता है और आयात को कम करता है। क्या यह अधिक उपभोग का कारण नहीं है? इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार को अधिक उपभोग को रोकने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

बजट में आपने फिर यह दर्शाया है कि लोक प्रशासन और रक्षा क्षेत्र में अधिक सरकारी खर्च द्वारा सेवा क्षेत्र की आय में तेजी से वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय का विकास कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सरकार को अधिक विदेशी उधार लेना और अधिक घाटा दिखाना पड़ता है। क्या ये सभी बातें अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगी क्योंकि सामान्यतः घाटे से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है? किन्तु हमने यहां यह देखा कि सरकार प्रशासन और रक्षा पर अधिक-से-अधिक खर्च कर रही है।

इसके बाद बजट में विनिर्माण की कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए उत्पादन-शुल्क में 5 प्रतिशत सामान्य वृद्धि दर्शायी गई है। इससे भी और अधिक मुद्रास्फीति होगी। इस प्रकार हमने देखा कि वर्ष 1988-89 और वर्ष 1989-90 के घाटे के बजट से और अधिक मुद्रास्फीति होगी।

सरकार ने कोयला, बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं, जहां से सरकार को आगामी वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपये मिलने की आशा है, के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि कर दी है। रेलवे भाड़े में वृद्धि से 876 करोड़ रुपए की आय होगी और कुल अतिरिक्त राजस्व 1276 करोड़ रुपए होगा। इस प्रकार गरीब लोगों, आम आदमी पर यह बजट पूर्व भार है। इसीलिए हमारे वित्त मंत्री कराधान की कम दर वाला बजट प्रस्तुत कर सके हैं। क्या यह लोकप्रिय बजट नहीं है? क्या यह आंकड़ों की हेराफेरी नहीं है?

सरकार ने रोजगार के लिए जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना नाम की एक योजना शुरू की है। इससे पूर्व भी रोजगार के लिए बहुत-सी अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं और नेहरू रोजगार योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। किन्तु पिछले चार वर्षों में हमने यह देखा है कि ग्रामीण उत्थान के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। किन्तु ग्रामीण उत्थान कहां हुआ? यहां तक कि आज भी हम समाचार-पत्रों में यह देखते हैं कि 38 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। यह हाल है। इसलिए, मुझे संदेह है कि कहीं नेहरू रोजगार योजना भी गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ जैसे नारों की भांति एक नारा बनकर ही न रह जाए क्योंकि ये दोनों नारे भी समाज के कमजोर वर्ग के लिए थे या नेहरू रोजगार योजना वास्तविकता में बदल जाएगी। इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा घोषित फायदे योजना प्रवर्तकों को ही पहुंचे हैं न कि समाज के गरीब वर्गों को जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई थीं।

सरकार ने लोगों के प्रथम स्लैब पर भी आयकर की दर कम की है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वस्तुओं की कीमतों में हो रही अत्यधिक वृद्धि की स्थिति में लोगों को क्या लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि उसने 5 प्रतिशत अधिकर को तत्काल समाप्त करके, जो कि सूखे के कारण लगाया गया था, आयकर को कम किया है। किन्तु उन्होंने इसके स्थान पर उन लोगों पर 8 प्रतिशत अधिकर लगा दिया जिनकी आय 50,000 रुपए से अधिक है। कमजोर वर्गों को प्रथम चरण में कर की कम दर का लाभ नहीं मिल रहा है। अन्यथा, यह कैसे किया जा सकता है? वे गरीब वर्गों की सहायता करना चाहते हैं किन्तु गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है।

महोदय, रोजगार संवर्धन उद्योग और कृषि के विस्तार के साथ जुड़ा हुआ है। किन्तु सरकार ने मूल्यसापेक्ष बाजार का विस्तार करने के महत्वपूर्ण पहलू को छेड़ा ही नहीं जोकि अर्थव्यवस्था और रोजगार के संवर्धन के लिए आवश्यक है। बेरोजगारी की समस्या किसी बाह्य संकट या रोजगार में लगे लोगों द्वारा शोषण के कारण नहीं है बल्कि इसका कारण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का कुप्रबंध है। इसलिए, रोजगार संवर्धन, उद्योग और कृषि नौकरी पाने वालों की बढ़ती हुई संख्या के साथ सही अनुपात बनाने में असफल रहे हैं।

अब मैं भुगतान सन्तुलन स्थिति की अन्तिम बात करता हूं। बजट भाषण में हमने यह देखा कि वित्त मंत्री इस विषय के बारे में चिन्तित नहीं हैं। आज विदेशी ऋण के मामले में भारत की स्थिति अर्जेन्टीना और मैक्सिको के बाद आती है। वर्तमान में विनिमय की दर से भारत का विदेशी ऋण लगभग 55,000 करोड़ रुपये है। पेरिस-आधारित संगठन के अनुसार भारत का विदेशी ऋण 90,000 करोड़ रुपए है। यह ठीक है या नहीं इसके बारे में केवल सरकार ही जानती है।

इसके अतिरिक्त हमारा आन्तरिक ऋण लगभग 1,31,000 करोड़ रुपये है। जहां तक ब्याज के भुगतान का सम्बन्ध है हमें राजस्व के रूप में प्राप्त राशि में से अपने कुल संसाधनों का 25 प्रतिशत भाग खर्च करना पड़ता है।

4.00 म० प०

फिलहाल कुल ब्याज भुगतान 14,150 करोड़ रुपए है और इस वर्ष के अन्त तक यह राशि 17,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसलिए, ब्याज भुगतान और ऋण के भुगतान का बोझ हमारे बच्चों पर पड़ेगा और उसकी वसूली अधिक कर लगाकर की जाएगी।

सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधनों की अत्यधिक मात्रा निहित है। सार्वजनिक क्षेत्र अंशतः घाटे के वित्त की स्थिति उत्पन्न करने और अधिक विदेशी ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। सरकार को विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए केवल निर्यात पर ही अधिक बल नहीं देना चाहिए। सरकार को यह भी सीखना चाहिए कि अपने साधनों में ही कैसे गुजारा किया जाता है?

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० ए० एंटनी (त्रिचूर) : महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय उनके द्वारा सुझाए गए विभिन्न बजटीय उपायों के लिए बधाई के पात्र हैं जिनका लक्ष्य विकास और आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। यह बजट आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण और अग्रणी कदम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के गरीबों और दलितों के साथ रही है और उन्हें सदैव आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रयत्नरत रही है। विकास कार्यों की योजनाएं और कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों में पूर्ण रूप से सरकार और कांग्रेस पार्टी की यह चिन्ता दिखाई देती है।

इस देश का कोई भी वित्त मन्त्री कराधान का सहारा लिए बिना कार्य नहीं कर सकता। किन्तु मुख्य बात यह है कि नए करों से जनसंख्या के किस वर्ग पर बोझ डाला जा रहा है। क्या वे करों म

हुई वृद्धि को सहन कर सकते हैं ? इस दृष्टि से बजट को देखने पर मुझे यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि नए कर प्रस्तावों का समाज के अमीर वर्ग पर बोझ पड़ेगा। खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पादों आदि को पूर्णतः उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है। इसके पीछे जो योजना है वह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित करने, घाटे को नियन्त्रित करने और साथ ही योजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की खोज करने की है। मैं कहता हूं कि वित्त मन्त्री इस कार्य में सफल रहे हैं। वर्ष 1989-90 के लिए उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की प्राप्तियों के अनुमान देखिए। वर्ष 1988-89 में उत्पाद शुल्क की प्राप्ति 18548 करोड़ रुपए से बढ़कर 22702 करोड़ रुपए हो जाएगी और 1988-89 में सीमा शुल्क की प्राप्ति 15812 करोड़ रुपये से बढ़कर 17880 करोड़ रुपए हो जाएगी। जब केन्द्रीय योजना का परिव्यय बीस प्रतिशत बढ़ा दिया गया है तो संसाधन जुटाने के यह स्तर अत्यन्त आवश्यक हैं। लेकिन ऐसा करते समय वित्त मन्त्री ने गरीबों पर कर नहीं लगाया है।

बजट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि घाटे को 7337 करोड़ रुपए तक सीमित रखा गया है। पिछले वर्ष भी घाटे में प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में 456 करोड़ रुपए की ही वृद्धि हुई। हमें यह याद रखना चाहिए कि सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण अत्यधिक खर्चा करना पड़ा। फिर, श्रीलंका में हमारी वचनबद्धता के लिए भी हमें धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इस भार के बावजूद बजट के घाटे को नियन्त्रण में रखा गया है। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक सुधार के कारण यह सम्भव हुआ है। कृषि में उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में बीस प्रतिशत अधिक होते हुए बहुत अच्छी थी।

4.04 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

औद्योगिक उत्पादन में नौ प्रतिशत वृद्धि हुई है। निर्यात में लगभग पच्चीस प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह सब सरकार की वास्तविक नीतियों के कारण ही सम्भव हुआ है। कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश तथा किसानों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण रिकार्ड मात्रा में उत्पादन करने में मदद मिली। औद्योगिक नीति में उदारता से उद्योगों तथा उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि हुई।

वित्त मन्त्री ने उचित ही हमारा ध्यान चिन्ता के दो मुख्य विषयों की ओर आकर्षित किया है। ये बेरोजगारी और मूल्यवृद्धि हैं। इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रोजगार पर बल देना है। मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि देश में चुने गए 120 जिलों में प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने बेरोजगारी हटाने के लिए यह मुख्य प्रयास किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यद्यपि संगठित क्षेत्र में वृद्धि हुई है लेकिन रोजगार की स्थिति रुकी हुई है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में निजी क्षेत्र जनता के पैसे पर चलता है। इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। जब यह क्षेत्र समाज के पैसे का उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से रोजगार देने की गारंटी होनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में उपयुक्त कदम उठाएगी।

मूल्यवृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सारी गणनाओं को गलत कर देता है। घाटे में वृद्धि के लिए यही जिम्मेदार है। 1980 के बाद से घाटा खतरनाक रूप से बढ़ा है। हमारे देश में स्थिति यह है कि उत्पादन होने के बावजूद मूल्यों में वृद्धि जारी रहती है। अभी भी मूल्यों पर कोई कारगर

नियन्त्रण नहीं है। उचित दर की दुकानें, सहकारी क्षेत्र की दुकानें आदि देश के हर भाग में नहीं हैं। मुझे लगता है कि मूल्यों को नियन्त्रित करने की हमारी नीति अधिक सफल नहीं हुई है। मूल्यवृद्धि से एक ओर तो लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और दूसरी ओर इससे काले धन में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में कमी होने से लोग उसी आय से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस सबसे बिचौलिए, थोक विक्रेता को ही लाभ होता है। यदि आप सब्जियों, फलों, वनस्पति तेल, चीनी आदि के मूल्य देखें तो पाएंगे कि इन मदों के मूल्य पिछले तीन वर्षों में अत्यधिक बढ़े हैं। सब्जियों और फलों के मामले में आमतौर पर जब अधिक उत्पादन होता है तो मूल्य कम हो जाते हैं क्योंकि ये जल्दी नष्ट होने वाली मदें हैं। लेकिन अब मूल्य कम नहीं हो रहे क्योंकि इन्हें शीतागारों में रखा जाता है और बाजार में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भेजा जाता है। थोक-विक्रेता किसानों के पास जाते हैं, इन मदों को बहुत सस्ती दर पर खरीदते हैं और इन्हें शीतागारों में रखते हैं। वे इन मदों को बाजार में नहीं भेजते हैं। वे इन्हें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भेज कर अत्यधिक लाभ कमाते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता ठगा जाता है। यह उचित समय है जब मूल्यों पर नियन्त्रण हेतु एक अलग नीति बनाई जाए क्योंकि सभी योजना गणनाएं अन्ततः मूल्यों की स्थिरता पर निर्भर करती हैं।

यह कहने के बाद मैं अपने राज्य केरल की कुछ समस्याओं का उल्लेख करता हूं। मेरे राज्य की सबसे गम्भीर समस्या शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी है। आज 30 शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। केरल में सबसे अधिक साक्षरता की दर है विशेषकर मेरे शहर त्रिचूर में तो साक्षरता 92.8 प्रतिशत है। स्वाभाविक रूप से जब केरल के लोग अधिक संख्या में साक्षर हैं तो बेरोजगारी की समस्या भी अधिक विकट है। आंकड़ों के मुताबिक केरल में केन्द्रीय निवेश की दर पिछले वर्षों में कम होती जा रही है। इसी कारण बेरोजगारी की यह समस्या अधिक गम्भीर होती जा रही है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि जब सरकार रोजगार उत्पन्न करने के लिए नई योजनाएं बनाए तो केरल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार खाड़ी के देशों में नौकरी के अवसरों में कमी हुई है और हमारे लोग काफी तादाद में वापस आ रहे हैं। उनके मामले में पुनर्वास का मामला आवश्यक है और सरकार उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कुछ योजनाएं चलाए। आखिरकार सारे देश के विकास के लिए उन्होंने काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह लाना चाहूंता हूं कि नए आप्रवासन नियम खाड़ी के देशों में रोजगार पा रहे लोगों के लिए रुकावट बन रहे हैं। सरकार से यह प्रतिवेदन किया गया है कि इस नियम को वापस ले ले। यदि हम बेरोजगार लोगों को नौकरी देने में असमर्थ हैं तो उन्हें बाहर जाने और वहां रोजगार पाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने से क्यों रोकते हैं?

मैं केरल में एक ताप विद्युत संयंत्र की मंजूरी देने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। एफ० ए० सी० टी० जैसी कुछ पुरानी औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं। इन पर कार्यवाही की जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आठवीं योजना में केरल में रेलवे या रक्षा उत्पादन का एक मुख्य स्थान स्थापित किया जाए ताकि कुछ अशिक्षित लोगों को उसमें खपाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री चव्हाण जी द्वारा जो बजट इस सदन में पेश किया गया है वह वास्तव में समाजवादी नीतियों का बजट है, गरीबी मिटाने का बजट है, बेरोजगारों को रोजगार देने का बजट है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का बजट है और औद्योगिक विकास के अन्दर प्रगति लाने का बजट है।

आज हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और वह बेरोजगारी मिटाने और गरीबी मिटाने आदि के कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो खर्चा होगा उसमें से 75 प्रतिशत खर्चा केन्द्र सरकार देगी। इससे गांवों का विकास होगा। जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जो गरीबी मिटाने और रोजगार देने की बात है उसके अन्तर्गत 120 जिलों को चुना गया है। इन सब योजनाओं पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। वास्तव में यह एक सराहनीय बात है। कुछ मिला कर रोजगार कार्यक्रमों के लिए 1711 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

साधनहीन महिलाओं के लिए मुफ्त साड़ियों की बात आई है। बाल विकास कार्यक्रमों के लिए 1700 खंडों के अलावा 500 खंड और किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सामाजिक सेवा जैसे खाद और कपड़े आदि की सहायता के लिए 9500 करोड़ रुपये रख गए हैं। यह भी एक सराहनीय कदम है। इतना ही नहीं हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस बजट के अन्दर राज्यों का भी विशेष ध्यान रखा है। यह एक विशेष बात होगी कि उन्होंने इस बात को भी बजट में रखा है कि गरीबी विरोधी और सामाजिक सेवाओं के लिए जो विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें हैं और जिसमें 70 प्रतिशत राज्यों को जो धन दिया जाता है अब 100 प्रतिशत उनके माध्यम से खर्च होगा। इससे उनको बड़ी मदद मिलेगी।

राज्यों के अन्दर मिनरल्स पर जो रायल्टी लगाने का अधिकार है वह अधिकार केन्द्र को है। क्योंकि केन्द्रीय एक्ट में संशोधन करके रायल्टी को बढ़ाया जा सकता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके अन्दर मिनरल्स की रायल्टी को बढ़ाना चाहिए और रायल्टी बढ़ाकर उन लोगों से पैसा लेकर खर्च करने के लिए राज्यों के हाथ में देना चाहिए। ऐक्ट में 4-4 साल के बाद संशोधन करने का प्रावधान है लेकिन समय पर संशोधन होता नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि संशोधन कराकर राज्य सरकारों को सक्षम बनाया जाए, मिनिरल रायल्टी के जरिए राज्य सरकारों की आय बढ़ाई जाए और इसके लिए ऐक्ट में संशोधन करना जरूरी है।

सभापति महोदय, जो सब्सीडी स्कीम बेकवर्ड एरियाज के लिये थी उसके सम्बन्ध में इस बजट में कोई बात नहीं कही गई है कि वह स्कीम बैकवर्ड एरियाज के लिए रखी गई है या नहीं तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण करें और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के अन्दर वह स्कीमें रखी जानी चाहिए ताकि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान या जो और दूसरी स्टेट्स हैं वे इसके जरिए फायदा उठाकर अपनी प्रगति कर सकें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजट है उसके अन्दर फेमीन के अंतर्गत गत वर्ष करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया लेकिन उनमें कई काम अधूरे पड़े रह गए और अगर उन कामों को पूरा नहीं किया जाता है तो उन कामों पर जो पैसा लगाया गया है वह वेस्ट जायेगा। इस

प्रकार के कई तालाब हैं, कई प्रकार की सिंचाई योजनायें हैं यहां अन्य कई प्रकार के यूटिलिटी वर्क्स हैं जिन पर लाखों नहीं, करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब अगर उन कामों को पूरा नहीं कराया जाता है, आगे आने वाली बरसात तक अगर वे काम पूरे नहीं होते हैं तो वह जो भी काम किए गए हैं वह वेस्ट जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को प्रत्येक राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी करनी चाहिए कि उनके यहां कौन से ऐसे कार्यों पर रुपया खर्च किया गया और उनमें कौन से ऐसे उपयोगी कार्य अधूरे रह गए जिनको पूरा कराने से उस राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वहां पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा, लोगों की गरीबी मिटेगी, अन्न का उत्पादन बढ़ेगा और जिनको पूरा न कराने से उन पर लगाया हुआ पैसा वेस्ट जायेगा। तो उन कार्यों के लिए प्रावधान होना जरूरी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक समाजवादी नीति अपनाई है। उन्होंने जो टैक्स लगाए हैं वह गरीबों पर नहीं लगाए हैं, आम लोगों की जरूरत की चीजों पर टैक्स नहीं लगाए हैं। इसीलिए इस बजट का आम लोगों ने स्वागत किया है क्योंकि जो आम जरूरत की चीजें हैं जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, मोटर स्पिरिट है उनके ऊपर कोई टैक्स नही लगाया गया है। दूसरी ओर सिगरेटों पर टैक्स लगाया गया है, शराब पर टैक्स लगाया गया है जिसका मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से विदेशों से जो यहां पर विलासिता की चीजें आती हैं जिनसे आकर्षित होकर लोग फालतू खर्चा करते हैं उससे उनको बचाने के लिए विलासिता की चीजों पर और भी अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए था और जो टैक्स लगाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरी ओर हमारे वित्त मन्त्री जी ने मिल्क पाउडर, खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में राहत दी है। स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करके उन लोगों का सम्मान किया गया है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। तो यह भी बहुत बड़ी बात है। अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी उद्योगों को कुछ छूट दी गई है। इस प्रकार से 7337 करोड़ का जो घाटा है वह कोई ज्यादा घाटा नहीं है।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने समाजवादी दृष्टिकोण तो अपनाया है लेकिन हमारे देश के अन्दर जो उन्होंने आवास योजना की बात की तो यह बात ठीक है कि आवास बैंकों की स्थापना की बात उन्होंने बताई है। गृह निर्माण योजनाओं की बात पर उन्होंने बताया कि बीमा निवास योजना है और गृह ऋण खाता स्कीम है, लेकिन वित्त मन्त्री महोदय इससे काम चलने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि जिसके पास 40 गज का प्लाट है और वह मकान बनाना चाहता है, यदि वह 20 रु० प्रति माह पैसा जमा करवाएगा तो पांच साल के बाद आप उसको लोन दे सकते हैं, यह कहां तक उचित है। हमारे देश में लाखों-हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है और वे सड़कों पर रहते है, स्लम्स के अन्दर रहते है, पटरियों पर रहते है, बड़े-बड़े शहरों में नालियों के पास रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको आवास की एक बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं चाहे कहीं कोई आदमी हो, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वह वहां पर आकर रह सके। हमारे देश का जो मतदाता है, जो हमारे देश का नागरिक है, यदि वह रात को भूखा-नंगा सोता है, पटरियों पर सोता है, तो वह अच्छी बात नहीं है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने आवास की योजनायें जो बनाई है, वे ठीक बनाई हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी आपको आवास की योजनायें बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार आपने औद्योगिक विकास के अन्दर अच्छा काम किया है। सीमेंट और एल्यूमिनियम पर से आपने नियन्त्रण को समाप्त कर दिया है। यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है। पिछड़े क्षेत्रों में आपने विकास केन्द्र की योजना लागू कर 61 विकास केन्द्रों के लिए आपने 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान

किया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कदम आपका बहुत सराहनीय है, लेकिन 20 करोड़ की राशि से काम नहीं चलेगा। इन विकास केन्द्रों के लिए इस राशि को आपको बढ़ाना पड़ेगा। पिछड़े क्षेत्रों में आप औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, गांवों में ग्रामीणों का विकास करना चाहते हैं, छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को चलाना चाहते हैं तो पूरे देश के लिए यह 20 करोड़ की राशि कम है, इसको आपको बढ़ाना चाहिए।

इसी प्रकार मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिलें सिक पड़ी हैं, उनकी ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वे मजदूरों के हितों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी नीति कांग्रेस की मजदूरों के हितों की है और उसको लागू करने के लिए उन उद्योगपतियों पर आपको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं अपने क्षेत्र की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर महाराजा उमेद मिला है, जो कि पिछले 65 दिनों से बन्द पड़ी है। मिल के अन्दर बन्द होने में उसकी मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है और यह मामला ट्रिब्यूनल के अन्दर पैंडिंग है। फिर भी उन्होंने मिल बन्द कर रखी है ओर मजदूर भटक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केन्द्र है, यदि इसके तहत राज्य काम नहीं करती है तो हमारी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और जहां पर पांच हजार से ज्यादा मजदूरों का सवाल हो और वहां की राज्य सरकार काम नहीं करती है तो केन्द्रीय सरकार को इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सैक्शन-30 और दस-के के अन्दर भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मैं इस बात के लिए भी आपका स्वागत करता हूं कि आपने सेवानिवृत लोगों के लिए पैंशन की प्रक्रिया में सुधार किया है, लेकिन उनको मेडिकल फैसिलिटीज और बिल्स के रिइम्बर्समेंट आदि के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। मेरा निवेदन है कि पैंशन की राशि के साथ आपको इसमें भी कुछ परिवर्तन करना होगा। मैं अधिक न कहते हुए एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने यह बात भी ध्यान में रखी है कि नवें वित्त आयोग के अन्दर जो सिफारिशें दी गई हैं, उसके तहत 612 करोड़ रुपए की राशि का अधिक अनुदान राज्यों को मिलने वाला है। उसके लिए भी हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने राज्यों को मजबूत करने के लिए कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो विभिन्न योजनायें हैं, हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उन योजनाओं के तहत जो राशि केन्द्र द्वारा दी जाती है, वह गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए, वह नहीं पहुंचती है। उनके लिए जो योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं होता है। इसलिए हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने यह परिकल्पना की है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, पंचायत राज के जरिये उन लोगों के पास पैसा पहुंचाया जाए ताकि बीच में जो भ्रष्टाचार होता है, वह न हो और जो पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता है, वह उन तक पहुंचे। यह एक बहुत अच्छा कदम है लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि विरोधी पार्टीज की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वे उसमें सहयोग नहीं कर रही हैं। हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने पंचायत राज सम्मेलन बुलाया लेकिन विरोधी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो और गांव-गांव के अन्दर वह मजबूत हो और हमारे राजीव गांधी जी चाहते हैं कि लोकतन्त्र गांव-गांव में मजबूत हो, उसकी जड़ें मजबूत हों लेकिन विरोधी दलों के लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं श्री एस० बी० चव्हाण जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के बजट में समाजवाद

ही नीति की झलक दिखाई पड़ती है और गरीबों के लिए काम करने की नीति की झलक दिखायी ती है।

कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम यह किया है कि 5,173 करोड़ रुपये कृषि के लिए रखे हैं और किसानों को जो 4 हजार करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया है, उसमें पिछले साल के मुकाबले में 17 से 18 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह भी इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि काश्तकार को जो 15 हजार रुपये से 25 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा, उसमें ब्याज की दर 2 प्रतिशत कम की है। पहले 14 परसेन्ट ब्याज लिया जाता था और अब उसको 12 परसेंट कर दिया है। इसी तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के लिए जुलाई, 1988 में एक नया विभाग स्थापित किया है। यह एक नये आयाम का काम किया है। इससे कृषि से उत्पन्न होने वाला जो वेस्ट मेटीरियल चला जाता है, उसको उपयोग में लाया जाएगा पहले और बाद में। यह एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अन्त में एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, वह बहुत ठीक है। हमारा समाजवाद स्थापित करने का लक्ष्य है और गरीबी हटाने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए आपको बड़े-बड़े पूंजीपतियों की पूंजी पर सीलिंग करनी पड़ेगी, आज जो केवल 17, 18 देश के अन्दर बड़े-बड़े घराने हैं, जिनके पास अरबों रुपए की पूंजी है, उसके लिए जब तक आप इन्डिविजुअल प्रोपर्टी पर सीलिंग नहीं करेंगे, यह काम पूरा नहीं हो सकेगा। एक आदमी को कितनी प्रोपर्टी रखने का अधिकार हो, यह तय होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि एक आदमी जो है, वह भूखा-नंगा रहे और दूसरे आदमी के पास करोड़ों, अरबों रुपए की सम्पत्ति हो। सीलिंग के बारे में आपको अन्ततः सोचना पड़ेगा। आपको उन लोगों से पूंजी लेकर गरीबों पर खर्च करने के लिए आगे आना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि वह दिन जरूर आएगा। हम श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, पिछले बजट में अपने भाषण के दौरान मैंने यह कहा था। एक बजट को आंकने के लिए मेरा एक मानदण्ड है जो अत्यन्त गोपनीय मानदण्ड है। जब भी बजट पेश होता है तो मैं विभिन्न समाचार पत्र देखता हूं और इसके बाद यह पता लगाने का प्रयास करता हूं कि श्री पालकीवाला ने बजट के बारे में क्या कहा है। जब मैं पाता हूं कि श्री पालकीवाला ने बजट की आलोचना की है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अवश्य ही यह बजट भारत के लोगों के लिए एक अच्छा बजट होगा। बजट आंकने का यह मेरा अपना तरीका है क्योंकि मैं बजट के सभी आर्थिक पहलुओं की बारीकियों को नहीं जानता हूं। लेकिन जब पालकीवाला वक्तव्य देते हैं तो यह मेरा पहला निष्कर्ष होता है।

वास्तव में वह इस देश के एक बुद्धिजीवी हैं। लेकिन यह अत्यन्त दुखद बात है कि बजट पेश होने के बाद वह गलत सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं जैसाकि उन्होंने बम्बई में किया। इसके बाद उन्होंने एक और प्रदर्शन नई दिल्ली में किया और वह लोगों को लगातार गलत सूचनाएं देते हैं जो उन्हें बुद्धिजीवी के रूप में सुनने आते हैं। यह बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं है कि वह बुद्धिजीवी नहीं

हैं। वह इस देश के एक बुद्धिजीवी हैं। लेकिन वह किसी तरह से अपने ज्ञान का उपयोग इस उद्देश्य के लिए करते हैं। वह आज हरेक को यह कह रहे हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं देश का नाश हो रहा है और हम दिवालिया हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी यह जानता है कि हमने पिछले 40 वर्षों में कितनी उन्नति की है। यदि श्री पालकीवाला का कथन सही होता तो देश की स्थिति कुछ और ही होती। यह भी एक तथ्य है। संभव है कि हमने अनेक क्षेत्रों में गलती की है। लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को गलत सूचना दे रहे हैं। उनके एक वक्तव्य में कहा गया है कि देश में सबसे बड़ा रुग्ण उद्योग भारत सरकार ही है। वह इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। इस प्रकार एक अर्थशास्त्री, एक वकील और एक बुद्धिजीवी ऐसी गलत सूचनाएं देता है। मध्यम वर्ग के कुछ लोग इससे संतुष्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। यह खेदपूर्ण है।

लेकिन फिर बजट के तत्काल बाद यह पर्याप्त नहीं है कि जब भी वित्त मंत्री कुछ स्थानों पर जाते हैं तो वह बजट के गुणों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, मैं तो महसूस करता हूं कि हमें देश में चार या पांच बड़े स्थानों पर लोगों के साथ परोक्ष सम्बन्ध बनाकर लाखों लोगों को सम्बोधित करते हुए उनके सम्मुख अपने बजट का विश्लेषण करना चाहिए। यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो हमें उनको बताना चाहिए कि हमने इसके लिए अमुक उपाय किए हैं। यदि हमने कुछ कर लगाये हैं तो हमें लोगों को विश्वास के साथ यह कहना है कि इस क्षेत्र में इन संसाधनों की आवश्यकता है इसलिए हमने ये कर लगाये हैं। मैं समझता हूं कि समाचार-पत्रों और श्री पालकीवाला जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों द्वारा पैदा की गई गलतफहमियों को हमें भविष्य में स्पष्ट कर देना चाहिएं।

दूसरे, जब हम बजट के बारे में बोलते हैं तो हम वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के समय विपक्ष द्वारा किए गए बहिष्कार का उल्लेख करते हैं। बहिष्कार विपक्षीय दलों ने उस समय किया जब वे सदन में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने के समय उपस्थित नहीं हुए।

हां, श्री माधव रेड्डी जी आपने अच्छी तरह भाग लिया है और अपनी बात व्यक्त की है। किन्तु अच्छा होता यदि आप उस समय सदन में रहते जब वित्त मंत्री सदन में भाषण दे रहे थे या बजट प्रस्तुत कर रहे थे। यह वित्त मंत्री या भारत सरकार का प्रश्न नहीं है। हम इस सदन के हैं। चूंकि आपको कुछ मामलों पर प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य अच्छा नहीं लगा, आपके पास प्रधान मन्त्री का विरोध करने अथवा अपना मुद्दा व्यक्त करने के अपने ढंग हैं किन्तु बजट प्रस्तुत करने जैसे भव्य अवसर का बहिष्कार करना, जिसमें लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रस्ताव होता है तथा इनके समाधान के लिए प्रयास किये जाते हैं, मेरे विचार से बजट जैसे दस्तावेज को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते समय विपक्ष की ओर से बहिष्कार करना बहुत गलत है।

आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गत चार वर्ष में—मैं पिछले चार वर्ष से संसद सदस्य हूं; मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या स्थिति थी; मैंने नियमों की पुस्तक पढ़ी है—वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) के सिवा कोई संसदीय दल नहीं है। मैं समझता हूं कि तेलुगु देशम कोई गुट नहीं है। निश्चय ही पहले आपका एक गुट था क्योंकि आपके 30 सदस्य थे। किन्तु जब आपके एक सदस्य ने त्यागपत्र दिया तो आपका संसदीय गुट भी नहीं रहा। जहां तक विपक्ष का सम्बन्ध है, इसमें तो संसदीय गुट तक नहीं है और संसदीय दल का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। किन्तु फिर भी हमें यह देखना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय और दल के नेता ने किसी संसदीय दल के न होने पर भी सदा वही सम्मान दिया है जो संसदीय दल को मिलना चाहिए। जब विपक्षीय सदस्यों के प्रति इतना

आदर समान प्रकट किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो इस बात की ओर भी विचार किया जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि उससे पूर्व भी किसी भी ऐसे अवसर पर जब अच्छे विधेयक प्रस्तुत किए गये विपक्ष ने कभी सरकार का साथ नहीं दिया। आतंकवाद को रोकने तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में ऐसे सभी विधेयक सदन में प्रस्तुत हुए। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि जो विधेयक सरकार ने लागू किये इनकी आवश्यकता इस मामले की वर्तमान परिस्थितियों में थी प्रतिपक्ष ने सदा उनकी आलोचना की। अतः यह खेद की बात है कि विपक्षीय दल वह काम नहीं कर रहे हैं जो इन्हें संसदीय लोकतन्त्र में करना है।

महोदया, इस बजट में जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना प्रस्तुत की गई थी। विपक्ष इस बात को स्पष्ट कर सकता था कि सिद्धान्तिक रूप से उन्होंने इस योजना को स्वीकार किया है क्योंकि यह बेरोजगारी को दूर करने का एक उपाय है। किंतु अधिकतर विपक्षीय सदस्यों ने इस कार्यक्रम का आक्षेप किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने इस योजना का समर्थन किया। कृपया यह मत कहिए कि हमने इसका समर्थन नहीं किया है। मैंने अनेक योजनाओं का समर्थन किया है।

श्री शान्ताराम नायक : आवश्यकता इस बात की है। वास्तव में सिद्धान्तिक रूप से कह सकते थे कि वे इसका समर्थन करते हैं; किन्तु देखना यह है कि इसको उचित ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है, और इस राशि को व्यर्थ तो नहीं किया जा रहा है जिससे हम भी सहमत हैं। किन्तु किसी उपाय की एकदम आलोचना करना—चाहे वह लाभकारी उपाय ही क्यों न हो—अच्छा संकेत नहीं है। यह सरकार की किसी नीति या कार्यक्रम की लाभप्रद आलोचना नहीं है।

महोदय, मैं योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु एक बात मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूं। कुछ समय पहले हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि जब हम उदाहरण के तौर पर किसी ग्रामीण व्यक्ति या नागरिक को एक रुपया देना चाहते हैं तो उस समय हमें इस काम के लिए 6 रुपये खर्च करने पड़ते हैं अर्थात् प्रशासनिक कार्य तथा अन्य सामग्री के लिए 5 रुपए खर्च किए जाते हैं। हमें इस क्षति को रोकना है। यदि हमारे बजट का पूरा-पूरा या भरपूर लाभ गरीबों को मिलना है क्योंकि सबों को पूरा-पूरा लाभ मिलना तो बहुत कठिन है, तो हमें उस मार्ग में क्षति को कम करने के साधन निकालने हैं जहां से यह पैसा भेजा जाता है। इस क्षति को कैसे रोकें यह एक मुख्य मुद्दा है। निश्चय ही इसको रोकना इतना आसान नहीं है। प्रशासन तथा अन्य विभागों में हर जगह हमें इस पहलू को रोकना है। यदि इस अवस्थिति को रोका जाए तो हमारा बजट स्वतः ही बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए हम 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैंतो स्वतः ही पूंजी निवेश भी बढ़ जाएगा क्योंकि हम हर स्थान पर क्षति को नियन्त्रण में रख सकते हैं। अतः हानि के रोके जाने पर अनेक लाभ उठाए जा सकते हैं।

महोदय, मेरे विचार से क्षति को रोकने का एक ढंग भ्रष्टाचार को रोकना है जो उच्च अफसरशाही स्तर से लेकर तहसीलदार आदि के छोटे स्तर चल रहा है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना है कि यह प्रथा अनेक स्थानों पर चल रही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, प्रत्येक तहसीलदार, प्रत्येक समाहर्ता भ्रष्ट है। किन्तु जहां पर भी भ्रष्टाचार है इसको रोक दिया जाना चाहिए। यह काम इतना

कठिन नहीं है। हम कभी कहते हैं कि निम्न स्तर पर भ्रष्ट तत्वों को नियन्त्रित करना कठिन है। ऐसी बात नहीं है। एक बार हमने एक प्रणाली स्थापित कर दी तो भ्रष्टाचार को नियन्त्रित करना अत्यन्त आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत इस बात का दो प्रकार से पता लगाया जा सकता है—एक है किसी व्यक्ति को घुस लेते हुए रंगों हाथों पकड़ना जो संभवत: कठिन है और दूसरा किसी व्यक्ति की आय को आंकना कि क्या यह उसकी आय के अनुपात के अनुसार है। अधिनियम की धारा 5 भी तो है। विशेषरूप से इस धारा का प्रयोग अभी नहीं किया जाता है। यदि इस धारा का प्रयोग किया जाए तो हम अनेक स्थानों पर भ्रष्ट तत्वों को रोक सकते हैं।

इससे सम्बद्ध दूसरा पहलू यह है कि जब कभी हम 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन का मूल्यांकन देखते हैं, तो हमारे पास मूलत: जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वे राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं जिनमें लक्ष्यों के बारे में और खर्च की गई राशि का मुद्दे वार उल्लेख किया जाता है। और हम इन्हीं आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन निर्धारित करते हैं। मेरे विचार से हमारे पास 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कायान्वयन के मूल्यांकन के लिए कोई कुशल तथा स्वतन्त्र प्रणाली नहीं है। ऐसा हमें इसलिए करना होता है क्योंकि इनमें से अधिकतर कार्यक्रम 20-सूत्रीय कार्यक्रम के किसी न किसी सूत्र के अन्तर्गत आते हैं। यदि हम 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन का सुव्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो वास्तव में लक्ष्यों का निर्धारण करे। इससे हमें अपनी उपलब्धियों का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलेगी।

दूसरा एक पहलू है जिसपर मैं अधिक जोर देना चाहता हूं और यह है आवास बैंक। श्री चार्ल्स कोरेया द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया है। किन्तु सरकार पहले ही आवास बैंक स्थापित कर चुकी है और सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है। किन्तु प्रश्न है कि इस बजट के कुछ उपबन्धों के परिणामस्वरूप इस्पात आदि के मूल्य बढ़ जाएंगे। अब ऐसे समय पर जब आवास बैंक ने काम करना आरम्भ कर दिया है और ऐसे समय पर जब ऐसे गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं जो बैंकों के पास जाते हैं, इस समय यदि इस्पात जैसी निर्माण सामग्री का मूल्य बढ़ जाए, तो इसमें थोड़ा मतभेद होगा। अतः कृपा करके आप देखिए कि क्या समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को मकान बनवाने की सस्ती सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है जो आवास बैंक से ऋण लेना चाहते हैं।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक और पहलू पर मैं जोर देना चाहता हूं और वह है भूमि सुधार का कार्यान्वयन जो 20-सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न सूत्र राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये हैं—कुछ तो सफलतापूर्वक और कुछ कम सफल रहे हैं किन्तु सब मिलाकर संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित किए गए हैं। किन्तु जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है यह वास्तव में पिछले 4-5 वर्ष से उपेक्षित रहा है। क्योंकि सरकार कहती है : "हम क्या कर सकते हैं। राज्यों के अधिकतर मामले उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।" इस सम्बन्ध में, मैंने एक सुझाव दिया था कि हमें इस मामले में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि उच्च न्यायालयों में मामले लम्बित पड़े हुए है फिर भी हमें अपने महान्यायवादी के द्वारा न्यायालय में आवेदन-पत्र देना चाहिए कि भूमि सुधार के मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक वर्ष के अन्दर-अन्दर निपटाए जाने चाहिएं। इस गति से यदि इन मामलों को

निपटाया जाता है तो जहां भूस्वामियों को कठिनाई होती है हम आवश्यक अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो और वे भू-स्वामी बन जाएं। अतः एक वर्ष की अवधि में हम पूरी तरह यह भूमि सुधार लागू कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा इसमें और एक वर्ष लग सकता है। अतः हमें केवल इस पहलू पर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मामले लम्बित पड़े हुए हैं।

एक और महत्वपूर्ण तत्व व्यक्तिगत आय का है। बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सभी यही आशा लगाए हुए थे—मैं नहीं जानता कि यह आशा कैसे उत्पन्न हुई—कि आयकर न लगने के 18 हजार रुपये के चरण को 25 हजार रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा। यह मध्यम वर्ग की आशा थी। आजकल 25 हजार रुपये की रकम कुछ भी नहीं है। आपने थोड़ी-सी सहानुभूति दिखाकर इस चरण पर करों में 5 प्रतिशत की कटौती की है। मैं आप से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मध्य वर्ग के लोगों की भारी संख्या के हित में 25 हजार रुपये तक छूट दी जाए।

एक और पहलू जिसकी ओर मैं बल देना चाहता हूं वह उपभोक्ता संरक्षण है। निश्चय ही, विपक्ष कहता है कि बजट स्फीति स्फीतिकारी है और इससे बढ़ जाएगी। किन्तु एक बात सिश्चित है, हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू करने हैं, ताकि जमाखोरी अथवा अन्य किसी कारण से कृत्रिम मूल्य वृद्धि रुक जाए। यदि बजट में थोड़ा अंश मुद्रास्फीति का है जो पहुंच से बाहर है तो वह अलग बात है। किन्तु इन कृत्रिम उपायों में किसी भी वृद्धि को रोका जा सकता है यदि इन तीन अधिनियमों को लागू किया जाता है।

एक और पहलू है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा और यह एक स्थानीय मांग से संबंधित है। यह एक सामान्य प्रथा है कि जब हम सामान्य बजट पर चर्चा करते हैं तो हम कुछ स्थानीय मांगें भी करते हैं। मैं एक स्थानीय मांग करना चाहता हूं जो बहुत जोरदार है। राज्य बनने के पश्चात् अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। किसी भी नवनिर्मित राज्य को कुछ वर्षों तक वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों को सम्मिलित किया गया है; संतोष मोहन देव जी अत्यन्त प्रसन्न हैं। चाहे उत्तर-पूर्वी राज्य हों या अन्य क्षेत्रों के राज्य, किसी भी नवनिर्मित राज्य को किसी विशेष अवधि के लिए विशेष वर्ग में सम्मिलित किया जाता है ताकि जब यह राज्य के रूप में प्रकट हो तो पांच वर्ष की अवधि के अन्दर अन्य, यह आत्मनिर्भर हो जाए।

[हिन्दी]

श्री राम समुझावन (सैदपुर) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने 1989-90 का बजट पेश किया है वह आम जनता के लिए, देश के लिए बहुत ही सार्थक है। पिछले सालों के बजट देखने से पता चलता है कि किस तरह से हमारी सरकार ने आम जनता को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है वह आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इससे लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे जिससे देश के विकास में प्रगति होगी। मुद्रास्फीति का जो दबाव बढ़ा था वह कम होगा और यह बजट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी सरकार ने गरीबों का शुरू से ही ध्यान रखा है, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च हुआ वह वास्तविक रूप में नहीं खर्च हुआ। अगर उस पैसे का 25 प्रतिशत

भी गरीबों के पास पहुंच जाए तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। उदाहरण के लिए आप इन्दिरा आवास योजना की बात ले लें। इसके अन्तर्गत पिछले तीन सालों से गरीब लोगों को 6 हजार रुपए में मकान बनाकर दिलाए जाते थे। लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि ऐसे मकान बहुत ही कम होंगे जिसमें वह गरीब जाकर रह सकें। क्योंकि वह कच्चे गारे से, मिट्टी और घटिया ईंटों से बनाए जाते हैं जिससे वह कमजोर बनते हैं और एक ही बारिश से गिर जाते हैं। इसलिए इन मकानों में वे गरीब नहीं रह सकते। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि ऐसे भी व्यक्ति जो स्वयंसेवी हैं इन्होंने इन्दिरा आवास के अन्तर्गत मुसहरों का मकान बनवाया है। यहां चक्के गांव जनपद जौनपुर में है जहां एक डिग्री कालेज भी है उसके मैनेजर ने इन्दिरा आवास बनाए हैं जोकि देखने में एक आदर्श आवास है··· जितना पैसा उन्हें सरकार से मिला, उतने पैसे ही में उन्होंने सारे का सारा खर्च कर आवास बनवाया। जब हम उनके बनाए मकान देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें लोग काफी दिनों तक रह सकते हैं। इसलिए इन्दिरा आवास के लिए या गरीबों को काम देने के लिए सरकार जो पैसा खर्च करती है, उसमें यह ध्यान रखे कि उस पैसे को बिचौलिए किसी तरह से खाने न पाएं। यदि कोई बिचौलिया पैसे को खाता पाया जाए तो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए।

गरीब और हरिजनों को आगे लाने के लिए सरकार ने आरक्षण की नीति तो जरूर बनायी है, सरकार चाहती है कि पढ़े-लिखे युवकों को आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिले, लेकिन देखने में आया है कि उसमें भी पक्षपात होता है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। योग्य होते हुए भी उन्हें किसी न किसी कारण से अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। यदि सरकार सचमुच में गरीबों की उन्नति चाहती है, पढ़े-लिखे लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है तो जहां उनके लिए अच्छे रोजगार उपलब्ध कराए जाएं वहीं ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि वे गांवों में रहकर अपना उद्योग-धन्धा चला सकें और पैरों पर खड़े हों। देखने में यह आया है कि बैंकों के माध्यम से सरकार उन्हें स्वरोजगार के लिए जो पैसा उपलब्ध कराती है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार होता है। जब तक वे बैंक के मैनेजर या दूसरे कर्मचारियों को पैसा नहीं देते हैं, सरकार की ओर से मिलने वाली कोई सहायता उन्हें नहीं मिल पाती है। यदि आप बैंकों के जरिए गांवों के पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार के अवसर देना चाहते हैं तो आपको बैंकों की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे कई साथियों ने बैंकों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बयान दिए हैं, सदन का ध्यान दिलाया है। हमें बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।

मैं यहां सैदपुर-गाजीपुर नामक क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जो सुरक्षित सीट है। हमारे यहां तीन असेम्बली सीटें भी सुरक्षित हैं। इससे पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति और हरिजनों की संख्या काफी है। मेरा क्षेत्र हरिजन-बाहुल्य है। मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अभी तक मेरे क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग धन्धा स्थापित नहीं हुआ है, न कोई छोटा उद्योग लगा है। इस कारण मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार पाने के लिए बड़े शहरों, जैसे कलकत्ता, बम्बई की तरफ भागना पड़ता है और अपना पेट भरने के लिए बड़े शहरों में जाकर रिक्शा आदि चलाना पड़ता है। मेरे इलाके में लोगों के छोटे-छोटे खेत हैं और वहां उन्हें खेत मजदूर के रूप में जो मजदूरी दी जाती है, वह इतनी कम होती है कि उनका पेट नहीं भर सकता है। इसी कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ भागना पड़ता है। इसे रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार हर लोकसभाई क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग अवश्य स्थापित करे। मेरा क्षेत्र तीन जिलों के संगम

पर पड़ता है, जिसमें तीनों जिलों का कुछ-कुछ हिस्सा शामिल है। मेरी मांग है कि सरकार सैदपुर सुरक्षित सीट में शीघ्र कोई बड़ा उद्योग धन्धा लगाए।

आगे गर्मी के दिन आने वाले हैं। हमारा क्षेत्र गोमती और गंगा के किनारे बसा है, वहां पानी का स्तर बहुत नीचे है। हर गर्मियों में वहां पीने के पानी की दिक्कत पैदा होती है और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि सरकार अभी से प्रान्तीय सरकार को निर्देश दे कि सैदपुर निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करे, वहां पर लम्बी दूरी के हैंड पम्प लगाए ताकि आने वाली गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की कठिनाई न रहे।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, कृषि क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है और आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है, यह सभी को विदित है। लेकिन कृषि पर खेतिहर मजदूर जो आश्रित हैं, खेतिहर मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अभी उन्हें गांवों में उतनी मजदूरी नहीं मिलती। यदि उन्हें गांवों में ही उचित मजदूरी मिल जाए तो वे शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। यदि सरकार मिनिमम की मिनिमम मजदूरी निश्चित कर देती हैं, तो अच्छा होता और मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा 10-12 रुपए मजदूरी पहले से ही निश्चित की गयी है। यदि उनकी मजदूरी 10-12 रुपए निश्चित की गई है, तो वह नियम लागू किया जाए। ताकि वे लोग सही मजदूरी पा सकें। खेत मालिक इसलिए मजदूरी नहीं देते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से जो नीति निर्धारित की जाती है, उसका पालन पूरी तरह से नहीं होता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षित बेरोजगारों के बारे में हमने कहा है कि शिक्षित बेरोजगारों को आरक्षण की दृष्टि से नौकरी दी जाए या कार्य दिया जाए। उनको सरकार की तरफ से पैसे देकर काम में लगाया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो शिक्षित बेरोजगार युवकों को नौकरी दे क्योंकि उनके पास न तो खेत हैं न मजदूरी करने के अवसर मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि पढ़-लिखकर वे थोड़े आरामतलब भी हो जाते हैं। इससे उनकी हालत खराब हो रही है। देश में जितने भी हरिजन आदिवासी और गरीब लोग हैं उनको रोजगार के अवसर दिए जाएं, ताकि वे अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है और मैं उसका हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री उत्तम भाई ह० पटेल (बलसार): सभापति महोदय, इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए अमीरों पर जो कर लगाया गया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं और प्रधान मन्त्री जी तथा वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देता हूं और देश में समानता और समाजवाद की स्थापना के लिए चव्हाण जी से निवेदन करता हूं कि वे और लम्बी छलांग मारने के लिए भी तैयार रहें। प्रधान मन्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि बजट प्रस्तावों का मूल उद्देश्य गरीबों की मदद करना है ताकि सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इसलिए यह परिवर्तन लाने के लिए अमीर वर्ग के लोगों को ये कर देने होंगे।

सभापति महोदय, चालीस वर्ष की आजादी के बाद भी गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 36 प्रतिशत है। इतने ज्यादा प्रयास करते हुए भी ऐसा क्यों है। यह चिन्ता का विषय है।

इसलिए राजीव गांधी जी ने सारे देश का दौरा करके, गरीबों की झोंपड़ी में चूल्हे तक जाकर देखा और पाया कि वहां कुछ नहीं है। यहां से सब व्यवस्था होती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। इसलिए अभी आज आयोजन की प्रक्रिया को नीचे के स्तर से शुरू किया गया है। इसके लिए माननीय प्रधान मन्त्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। जब तक इस देश में गरीबी का कार्य-क्रम पूरा नहीं होगा, तब तक पूर्ण स्वराज्य का जो हमारा स्वप्न है, वह पूरा नहीं हो सकता। यह अधूरा ही रहेगा।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय तो यह है कि शराब और नशीली चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। इसमें गरीब और नौजवान लोग फंस रहे हैं। हमारा अंदाजा है कि यदि यह इसी प्रकार विष चक्र चालू रहा, तो जो हमारी छवि नया भारत और नया समाज बनाने की है, वह बिखर जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए सरकार को अपनी तरफ से सारे देश में शराब बन्दी का कानून लागू करना चाहिए। और कड़े से कड़े कदम इस काम के लिए उठाने चाहिएं।

5.00 म० प०

नई शिक्षा नीति से जो अनपढ़ लोग हैं, प्रौढ़ हैं उनके लिए साक्षरता का अभियान शुरू कर दिया है, यह सुनकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ और मैंने प्रधान मन्त्री जी को पत्र लिख दिया है कि मैं भी इस अभियान से जुड़ जाऊंगा। इसके पूर्व काल में मैंने 150 अनपढ़ों को तीसरी श्रेणी तक पढ़ाया है। इस काम में अगर सब जुड़ जाएं तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मेरी राय से एक पढ़ा-लिखा आदमी अगर एक अनपढ़ को पढ़ाए और एक शराब पीने वाले आदमी को उससे बचा सके तो अड़सठ तीर्थों का जितना पुण्य होता है उसे उतना पुण्य उससे मिल सकता है।

अन्न क्षेत्र में स्वावलम्बन के लिए देश के किसानों ने और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जवानों ने जो जहमत उठाई है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इन दोनों क्षेत्रों के लिए जितना कुछ भी किया जाए, वह कम है इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों क्षत्रों में ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए जिससे देश की सुरक्षा और अन्न के मामले में स्वावलम्बी बनने में कोई मुश्किल न आए।

पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिएं। हमारे गुजरात में भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां नई रेलवे लाइन भी बिछानी चाहिए। नासिक से बलसाड़ नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए मैंने रेल मंत्री को दरख्वास्त भेजी है, उस पर भी विचार करना चाहिए ताकि पहाड़ी एरिया में विकास हो सके।

गुजरात का समुद्र का किनारा बहुत लम्बा-चौड़ा है और वहां रहने वाले मछलीमारों को पानी की भर्ती से बहुत नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए वहां पर दीवार बनानी चाहिए और उनकी रक्षा के लिए तेजी से काम करना चाहिए।

हमारा दक्षिणी गुजरात आम का राजा कहा जाता है। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जो आम हम पैदा करते हैं, वह सब बम्बई से ही बिक्री होता है। जब फसल आती है तो इसमें कीड़े और रोग पैदा हो जाता है। उसके लिए दवाई और खाद सब महंगी हैं। इसमें उत्तेजन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि इसकी अच्छी बिक्री हो। विदेशों से भी हम अच्छी मुद्रा इससे कमा सकते हैं इसलिए विदेशों में इन्हें भेजने के लिए किसी एजेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए।

बिलीमोरा में मिल बन्द है और वहां पर कामगार बेकार हैं। उनकी रोजी-रोटी का कोई इन्तजाम होना चाहिए।

संघ शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली के लिए भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब वहां पर पुर्तगीज शासन था तो उससे मुक्त होने के पश्चात् कराने के लिए हम गांव-गांव घूमें और वहां के लोगों को शोषण से मुक्त कराया। दुःख इसलिए है कि केन्द्र की ओर से उनके लिए अच्छे बजट की व्यवस्था होती है लेकिन वहां के उद्योगपति, स्थापित हितों वाले और अधिकारी उस राशि का सही उपयोग नहीं करते हैं, उसका लाभ गरीबों को मिलता ही नहीं है। इस समय वहां के लोगों की हालत और भी बदतर हो रही है। वहां के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को सीधी और विशेष निगाह रखनी चाहिए। विशेष जांच के दौरान जो दोषी मालूम पड़े, जो लोग पैसा खा गए है, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए।

जिन जमीनों का कब्जा बरसों से गरीबों के पास है लेकिन वहां के उद्योगपति और अन्य लोगों को प्रलोभन देकर उनसे जमीनें ले लेते हैं, ज्यादा भाव लेकर और धंधे में लगा देते हैं। यहां से जो सीधा कोटा जाता है उस कोटे का वह दुरुपयोग करते हैं। मेरा सुझाव है कि दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव जो केन्द्र शासित राज्य हैं समय आने पर इनको बाजू वाले राज्य के साथ जोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गरीब लोगों का फायदा होना चाहिए। देखने में यह आया है कि मुट्ठी भर लोग ही इनका फायदा उठाते हैं।

अब मैं एक बड़ी गम्भीर बात की ओर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। दरिया के किनारे में जो तस्करी चोरी का काम करते हैं उनको कड़ा दण्ड मिलना चाहिए। दरिया के किनारे बहुत ज्यादा तस्करी का काम होता है। इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। जो लोग यह काम करते हैं वह खुद मानते हैं कि वहां उनका ही साम्राज्य है। इसके लिए आपको कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जो लोग यह काम करते पकड़े जायें उनका माल जब्त कर लेना चाहिए। जो आज देश को बरबाद कर रहे हैं उनको तो गोली से उड़ा देना चाहिए। इस बारे में आपको बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए।

गरीबों के उत्थान के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम है। इस पर अच्छी तरह से अमल होना चाहिए। महंगाई पर काबू पाना भी आवश्यक है। मैं जानता हूं कि आपके हाथ बहुत लम्बे हैं और जब चाहें और जैसा चाहें वैसा कदम आसानी से उठा सकते हैं। इस काम में हम आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो कोई भी भ्रष्टाचार करते पकड़े जायें उन्हें कड़ा दण्ड दें। मैं फिर से बजट का स्वागत करता हूं। हमारे मंत्री जी को ऐसी शक्ति मिले जिससे हमारे गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हमारे प्रधान मंत्री जी ने रखे हैं, उनको वह लागू करवा सकें ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने सदन में 1989-90 का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस पृष्ठभूमि में माननीय वित्त मंत्री जी ने मौजूदा बजट अनुमानों को सदन में पेश किया है वह देश की आर्थिक और विकास नीति को दृष्टिगत रखते हुए रखा गया है।

यह सही है कि विकासशील देशों में सबसे प्रथम आवश्यकता यह होती है कि हम विकास की गति को किस प्रकार से आगे बढ़ायें और देश के अन्दर जो लोग गरीब, शोषित, पीड़ित व उपेक्षित हैं उनको किस प्रकार से बजट का लाभ मिल सके।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि मौजूदा बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने योजना मद में सबसे पहले 20 प्रतिशत प्लान आऊंट-ले को बढ़ाकर रखा है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इसके मुताबिक हमारी योजना राशि इस समय इस बजट में 34,446 करोड़ रुपए की है जो कि पिछले वर्ष के बजट से बहुत अधिक है यानी कि 1988-89 में यह राशि 28,715 करोड़ रुपए की थी। स्पष्ट है कि इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह इस देश की आर्थिक व्यवस्था की एक कीर्तिमान है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह अपेक्षा की गई थी कि हम प्रति वर्ष पांच प्रतिशत दर की वृद्धि से इस टारगेट को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हमारे माननीय वित मंत्री जी ने इस बात को साबित किया है कि 100 प्रतिशत नहीं बल्कि 115 प्रतिशत हमारा टारगेट और एचीवमेंट है और हम इस पर पहुंच भी चुके हैं। यही नहीं, इसके साथ ही योजना दर में जो हम उम्मीद करते थे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी औसत वृद्धि 28 प्रतिशत होगी वह हमारा अनुमान है कि 28 के बजाय 29 या 30 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी। क्योंकि पिछले वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें जी० डी० पी० रेट 9 प्रतिशत है। वह इस पृष्ठभूमि में खासतौर से 1986-87 और 1987-88 के साल में जबकि बड़ा भयंकर सूखा और अकाल रहा है, उसके बावजूद भी देश में विकास की दर 3.6 प्रतिशत रही है जोकि अपने आप में इस देश की आर्थिक व्यवस्था में सुचारू व्यवस्था का एक संकेत है और वह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश में हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार और प्रजातन्त्र एक सर्टेबिलिटी पर है, मजबूती पर है, उसी प्रकार से उन्हीं के नेतृत्व में यहां की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ व्यवस्था है, मजबूत व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को कोई किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचा सकता है।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर जो एक सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी की समस्या है और उस बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी ने जहां एक तरफ बीससूत्री कार्यक्रम को स्वीकार किया है और बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम पांच साल के अन्दर लगभग ढ़ाई करोड़ लोगों को रोजगार दे पायेंगे क्योंकि बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां हम एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत करीब डेढ़ करोड़ लोगों को लाभान्वित करेंगे रोजगार दे करके, इसके साथ ही राष्ट्रीय रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत तथा ट्राइसम और दूसरी जो योजनाएं हैं, जो सैल्फ एम्पलॉयमेंट की योजनाएं हैं, उनके तहत करीब एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जानते हैं कि विकासशील देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहां ढ़ाई करोड़ आदमियों को रोजगार देने के बावजूद भी 5 वर्ष के दौरान ही हमारी आबादी में करीब साढ़े छः करोड़ या सात करोड़ की वृद्धि होगी। इसलिए वित्त मंत्री जी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि जो भी योजना वे बनाते हैं, चाहे वह वार्षिक योजना हो या पंचवर्षीय योजना हो, उस योजना में जितने व्यक्तियों के लिए योजना बनाते हैं, उससे अधिक व्यक्ति पैदा हो करके, योजना के अन्तर्गत अपना हक मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सारी विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए जिस प्रकार का आपने प्रावधान किया है, अधिक रोजगार देने के लिए, जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना को आपने जो एक अमलीजामा पहनाया है, उसके लिए मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही आपने रोजगार के लिए 1710 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह दूसरा कदम आपने बहुत ही साहसिक और सामयिक कदम उठाया है। और वह डिफेंस एक्सपेंडीचर में रक्षा व्यय में 13 हजार करोड़ रुपया आपने रखा है उसमें 2 हजार करोड़ रुपए की आपने कमी कर दी है। इस प्रकार से यह इस बात का संकेत है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव

गांधी के नेतृत्व में उन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी है और वह दिशा यह है कि वास्तव में यदि हम इस देश के अन्दर बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, इस देश के अन्दर वास्तव में हम विकास दर को तेज करना चाहते हैं, और उसके साथ ही आधारभूत ढांचा जो कि हमारे........

5.13 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वह बिजली है, पानी है या किसान के लिए ऋण की व्यवस्था है, इन सब के लिए हमें इस देश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण तैयार करना होगा।

मैं, माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे पड़ौसी देश चीन में खुद जा कर शान्ति स्थापना करने के लिए पहल की है। और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। एक बहुत ही लम्बे अरसे से, दोनों देशों के बीच इस तरह के सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात नहीं होती थी। उसके लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इस प्रकार दोनों देशों के बीच में जो एक तनाव था उसको कम किया है। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि का प्रभाव केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी, इसका बहुत महत्व है। इसका प्रभाव देश की इकनौमी पर, देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा है। यही कारण है कि आज हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारा जो रक्षा व्यय है, उसमें कमी की है। यह इस बात को जाहिर करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अन्दर एक भरोसा है, एक विश्वास है और सबसे बड़ा विश्वास यह है कि उनको यकीन है कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जिनके साथ हमारे सम्बन्धों में इस प्रकार की मधुरता नहीं थी, उस मधुरता को लाने का प्रयास एशिया रीजन के लीडर की हैसियत से उन्होंने किया है और उसके ऊपर अमल भी किया है। उसके ऊपर अमल भी किया है। इस बात को साबित करके दिखाया है कि हमारे बजट में हमने रक्षा के ऊपर डिफेंस एक्सपेंडीचर को कम किया है। यह इस बात को जाहिर करता है कि वास्तव में जो हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं, वे उस बात को करके दिखलाते हैं। दिल से और दिमाग से वे इस बात को चाहते हैं कि एशिया के देशों के अन्दर मैत्री बढ़े, आपस में भाई-चारा बढ़े, सद्‌भाव बढ़े और तनाव कम हो तथा इसके साथ-साथ रक्षा के ऊपर जो अधिक व्यय करने जा रहे हैं, उसमें सब देश अपने रक्षा बजट में कमी करें, जिससे वह आदमी जो रोटी मांगता है, जो व्यक्ति मकान मांगता है, जो व्यक्ति रोजगार मांगता है, उसको हम रोटी-कपड़ा-और-मकान दे सकें। इसके लिए यह राजनीतिक कदम उठाना बहुत ही जरूरी था, जिस राजनीतिक कदम को, जिस राजनीतिक चरण को हमारे यहां विशेष महत्व दिया जा रहा है।

इसके साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी को बजट तैयार करते समय बहुत सी दिक्कतें सामने आई हैं और उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो कुछ भी हमारे विकास के लिए विशेषरूप से हमारा आधारभूत ढांचा है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने जो कर्जा लिया हुआ है, उस कर्ज की अदायगी हम किस प्रकार से करें, उस कर्जे में हम किस प्रकार से कमी करें। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हालांकि बैलेंस आफ पेमेंट की एक तरीके से कमी करने की बहुत बड़ी कोशिश की है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आप चूंकि बहुत बड़े कुशल प्रशासक हैं, इस पर किस तरह से नियन्त्रण कर सकें, इसमें आप बहुत जानकारी रखते हैं और आप एक्सपर्ट हैं। इसलिए आप किस तरह से इम्पोर्ट बिल कम कर

सकें, इसके लिए भी आप अधिक से ध्यान देंगे। साथ-ही-साथ किसी भी वित्त मंत्री के लिए बजट को सार्थकरूप देना और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमारा निर्यात-आयात व्यापार के अन्दर एक संतुलन कायम हो। इस संतुलन के लिए आपको एक नियन्त्रित रूप से एक ऐसी नीति को स्वीकार करना होगा जिससे कि इम्पोर्ट के ऊपर आपकी निगाह प्रतिदिन और हर महीने रखनी चाहिए। जब भी कोई इम्पोर्ट की बात आती है, उस समय आपको इतनी कंजूसी से काम लेना होगा जिससे आप इसको कन्ट्रोल कर सकें। क्योंकि आज देश के अन्दर जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, उसकी स्थिति कुछ अलग ही है। आज एशिया रीजन में सबसे विकासशील देश हैं, जैसे जापान, फ्रान्स, अमरीका और दूसरे मुल्क यह चाहते हैं कि उनके यहां पर जो सामान पड़ा हुआ है, वह किसी न किसी माध्यम से, चाहे कर्जे के रूप में या कुछ परसेंटेज व सब्सीडी जोड़ देते हैं, आकर्षक उपहार के नाम पर प्रेरणा देते हैं, हमको आकर्षण देना चाहते हैं, ताकि वह सामान हमारे देश में आ जाए। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था, माननीय वित्त मन्त्री जी आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्दिरा गांधी केनाल के लिए जापान कुछ रुपया देना चाहता है, एसिसटेंस देना चाहता है, लोन देना चाहता है, लेकिन वह लोन उस रूप में देना चाहता है कि उनका वह सामान जो कि उनके यहां काम में नहीं आता है उस सामान को लोन के रूप में दे कर हमारे ऊपर कर्जा मढ़ना चाहता है। में आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो चाल है और इस तरह से जो देश के ऊपर कर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के लुभावने और आकर्षक प्रोग्राम देते हैं विदेशों के द्वारा, उनकी भूल में न आकर हम किस तरह से अपने देश में कम से कम कर्जा लें और कम से कम हम यहां पर आयात करें, इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जोकि बहुत ही चिन्ता की बात है, वह है हमारा प्रशासन-व्यय।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : विकास कार्यों के लिए ऋण बुरे नहीं हैं।

श्री राम सिंह यादव : जी हां। वे बुरे नहीं हैं और मैं इनके विरुद्ध हूं।

[हिन्दी]

हमारा जो प्रशासनिक व्यय है, वह निरन्तर गति से बढ़ता जा रहा है। यह प्रशासनिक व्यय केन्द्र में ही नहीं स्टेट्स में भी कहीं 40 परसेन्ट है और कहीं पर 45 परसेंट है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी है, उसमें हमारे सामने नॉर्म्स रखे गए हैं कि वह केवल 25 परसेन्ट रहे और 25 परसेन्ट से आगे न बढ़े। उस सीमा में आप इसको किस तरह से रख पायेंगे, इस ओर देखना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो तीन मुद्दों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। उसमें सबसे पहला मुद्दा है अधिक उत्पादन बढ़े, दूसरा रोजगार के अधिक साधन हों और तीसरे हम हमारे देश के लोगों को देशवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। इन दिशाओं में विशेष प्रयत्न करने के लिए जो सार्थक कदम आपने उठाए हैं, उनके लिए मैं आप को विशेषरूप से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि 1988-89 में जो आपने लक्ष्य रखा था कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके जो एडवान्सेज हैं, जितनी भी धनराशि वे कर्ज या अनुदान देने के लिए कृषि के लिए देंगे, वह 17 प्रतिशत होगी। वह 17 प्रतिशत पूरा हुआ है। मैंने सर्वे रिपोर्ट को पढ़ा है, वह 17 प्रतिशत पूरा हुआ है और इस साल

आपने उसको 18 प्रतिशत कर दिया है कृषि के क्षेत्र के लिए लेकिन यहां पर मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। एक तो यह है कि किसान को जो आप कर्जा देते हैं, उससे इन्जन लेने की बात हो या इलैक्ट्रिक मोटर लेने की बात हो, उसके लिए उसको विशेषरूप से व्यक्तिगत फर्म से खरीदना होता है। आप राज्य सरकारों को यह आदेश दें कि किसान को यह विवेक दिया जाए, उसको यह अधिकार दिया जाए कि जो कर्जा बैंकों से मिलता है, चाहे वह डीजल इन्जन खरीदने के लिए हो या इलैक्ट्रिक मोटर खरीदने के लिए हो, उसमें किसान को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसको अपने आप जिससे चाहे खरीद सके।

दूसरी चीज यह है कि किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है, ट्यूबवेल लगाने के लिए या सिंचाई के लिए कुंआ लगाने के लिए, उसके लिए उसको प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाए। आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तकावी के लिए जो कर्ज देते थे, तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने आप ही किसानों को आइडेंटीफाई करने का काम करता था। आज गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति को आइडेंटीफाई करने के लिए पूरे देश में इस तरह की स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि उनसे उसको आइडेंटीफाई किया जा सके। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि आप एक इकानामिक सर्वे कराइए और उस इकोनामिक सर्वे का काम राज्य सरकारों को दीजिए। वे राज्य सरकारें हर ब्लाक में इकानामिक सर्वे करवाएं कि कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उर परिवारों के बाकायदा स्टेटिस्टिक्स तैयार होकर पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स पर, डेवलपमेंट ब्लाक के हैडक्वार्टर पर आएं और एक महीने के अन्दर वहां की जो पंचायत समिति कोई एतराज करना चाहे, तो करे। आज तक गरीब आदमियों [का सही आइडेंटीफिकेशन नहीं हो पाया है। हर पंचायत में जो चुनाव होते हैं, उसमें धड़ेबाजी हो जाती है और उस धड़ेबाजी की वजह से सरपंच का जो ग्रुप है वह उन लोगों को भी उसमें शामिल कर लेता है, जो उसमें नहीं आते हैं। इसलिए एक इकोनामिक सर्वे आप देश में कराएं। इससे उसी गरीब आदमी को मकान मिलेगा, एल० आई० सी० और दूसरी जगहों से कर्जा भी उसी को मिलेगा और आई० आर० डी० पी० में गरीबों को ऊपर उठाने के लिए जो आप सहायता देना चाहते हैं, अनुदान देना चाहते हैं, वह सही व्यक्ति को मिल सकेगी। इसलिए देश के अन्दर इकोनामिक सर्वे कराना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूं कि इकोनामिक सर्वे कराने से जो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, उसमें वह बहुत सहायक होगा। फोरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो 5967 करोड़ रुपए जनवरी, 1989 में आ चुका है, उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है।

इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्ताव हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और आप ने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह बड़ी सोच-समझ से पेश किया है और बड़ा संतुलित बजट पेश किया है। जैसी एक कहावत है :

जितनी चादर हो, उतने पैर फैलावो।

तो माननीय वित्त मत्री जी ने जितनी उनके पास पूंजी थी, उसका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा बजट बनाया है और उतने बजट में उन्होंने सारी समस्याओं को समेट लिया है। यह बहुत बड़ी बात है। यह जो बजट पेश किया गया है, यह बड़ा प्रशंसनीय है और यह संतुलित और बड़ा अच्छा बजट पेश हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं।

मैं समझता हूं कि इन्सान के जीवन में चार-पांच चीजों की जरूरत होती है। पहली शिक्षा, दूसरी दवाई, तीसरे रहने के लिए मकान और चौथा पहनने के लिए कपड़ा। इन चार-पांच चीजों की आवश्यकता होती है और इस बजट में मैंने देखा है कि वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के लिए काफी अच्छा प्रावधान किया है।

एक जमाना था जो मैंने देखा है कि 1957 में मास्टरों के लिए इन्टरव्यू हुआ। उस इन्टरव्यू में मिडिल पास लड़के नहीं मिले। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में आज हरिजन और आदिवासियों के हजारों लड़के-पढ़े-लिखे मिल रहे हैं और उनमें नौकरियों के लिए कम्पीटीशन होता है। मैं समझता हूं कि इसी तरह से वे लोग पढ़ लिखकर आगे और भी तरक्की करेंगे।

एक जमाना हमने यह भी देखा कि गांव के किसान, मजदूर लोग साहूकार के पास चिट्ठी पढ़वाने के लिए जाते थे। आज इस गवर्नमेंट की देन है कि गांव-गांव में प्राइमरी और स्कूल ही नहीं, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल खुले हुए हैं। क्या यह गांवों में तरक्की नहीं है ? आज जो हमारी सरकार अपने नागरिकों और ग्रामवासियों को शिक्षा दे रही है, अगर शिक्षा में इसी तरह से तरक्की होती रही तो आगे चलकर हमारे देश में शत-प्रतिशत शिक्षा हो जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

जहां तक दवाइयों का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में दवाईयों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां आती रहती हैं। उनका इलाज होना भी बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने दवाइयों पर कोई टेक्स नहीं लगाया है। उन्होंने यह महसूस किया कि गरीबों को सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिएं। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इससे मुझे विश्वास है कि गरीबों में अच्छा वातावरण बन रहा है।

रहने के लिए मकान भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठंडे से, धूप से, बरसात से, इन सब से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे सिर के ऊपर छत हो। आज हम देख रहे हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। आज यह बड़ी खुशी की बात है कि गांव के लोग कांग्रेस गवर्नमेंट की, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की जय बोलते हैं कि उन्होंने उन्हें मकान दिए, उन्हें झोंपड़ी बना कर दीं।

इतना ही नहीं, यह भी देखा जाता है कि जो लोग गांवों में बिजली देख नहीं सकते थे आज उनकी झोंपड़ियों में एक-एक बत्ती के कनेक्शन दिये गये हैं। उसमें उनका एक या सवा रुपये का खर्च आता है। इस पर भी झोंपड़ीवासी लोग प्रधान मंत्री जी की जय बोलते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने हमें मकान दिए, बिजली के कनेक्शन दिए। जहां गरीबों के लिए बिजली जा नहीं सकती थी वहां गवर्नमेंट ने बिजली दी। इस प्रकार बिजली की उनकी आवश्यकता की पूर्ति की।

जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, बीस-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से, आज हम देख रहे हैं कि पढ़े-लिखे लोगों को 35-40 हजार और एक लाख रुपए तक अनुदान और कर्ज के रूप में दिए जा रहे हैं जिससे कि वे नौकरी की बजाए कोई धंधा कर सकें। आज लाखों पढ़े-लिखे बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी करना पसन्द नहीं करते, कोई धंधा करना पसन्द करते हैं। इससे वे बच्चे पढ़-लिख कर के व्यक्तिगत धंधा या छोटा-मोटा कारखाना खोल कर अपनी तरक्की कर रहे हैं।

जहां तक ग्रामीण मजदूरों का प्रश्न है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें धंधे के लिए पैसा दिया जाता है, सब्सीडी दी जाती है। कुछ स्पेसिफिक धंधे हैं जैसे कि बढ़ई का, लोहार का बुनकरी का। अब यह भी देखा जाता है कि लोग अपने बेसिक धंधे छोड़कर नये-नये धन्धों में भी लग रहे हैं।

यह खुशी की बात है कि इस काम को इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार प्रोत्साहन नहीं देती, सहायता न देती, ऋण न देती, पैसा न देती तो लोग इतने आगे कैसे बढ़ सकते थे। यह कांग्रेस सरकार की देन है। सही मायने में देखा जाए तो आज गरीब अच्छी तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको रोजी-रोटी मिली है, यह गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है।

इतना ही नहीं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन गरीब लोगों को बांटी गई है। मध्य प्रदेश में तो एक अधिकार अभियान चलाया गया था। शिकायत थी कि लोगों को पट्टे तो मिल गए लेकिन कब्जा नहीं मिला। इसके लिए प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने निर्देश दिए कि तत्काल इस काम को किया जाए, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जमीन नहीं छोड़ेगा तो उसको तीन साल की सजा दी जाएगी। इस तरह से इस काम को वहां पर सफलतापूर्वक किया गया और गरीब लोगों को बहुत लाभ मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है और जिन प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, अगर दोनों प्रदेशों की तरक्की की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि कांग्रेस सरकारें जिन प्रदेशों में हैं उनमें बहुत तरक्की हो रही है और गैर-कांग्रेसी सरकारें जहां हैं, वहां पर तरक्की नहीं हो रही है। इसलिए मेरा कहना है कि पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है, वह काम होना चाहिए, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जिन प्रदेशों में तरक्की नहीं हो रही है, उनमें एक जांच की जानी चाहिए, ताकि गरीबों को लाभ हो।

एक बात और अन्त में कहना चाहता हूं कि दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों पर टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग के लिए हरिजन-आदिवासी छात्रों को जो स्कालर-शिप दी जाती है, वह बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा आरम्भ से ये विद्यार्थी ग्रहण कर सकें।

एक और सुझाव देना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन यह बात भी ठीक है कि गरीबों के उपयोग के लिए जो मोटा अनाज है, वह सस्ता मिलना चाहिए। आज ज्वार 15 रुपए की 5 किलो है, बाजरा भी 15 रुपए का पांच किलो है, गेहूं तो 28 रुपए की 5 किलो है, ऐसी स्थिति में मेरा वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। गरीबों को मक्का, ज्वार, बाजरा सस्ता मिलना चाहिए, इसके लिए बजट में संशोधन करके गरीबों को सहूलियत देनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। किसानों को सहायता देने के लिए उसके उपयोग में आने वाली खाद, बीज आदि चीजों के दाम कम कर दीजिए, लेकिन गरीबों को खाने के लिए अनाज सस्ता मिलना चाहिए। विरोधी दल के लोग तो किसान के पास जाएंगे तो कहेंगे कि किसान को उसकी फसल का अधिक मूल्य मिलना चाहिए और जब गरीबों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि उनको सस्ती दर पर अनाज मिलना चाहिए। इस तरह से न

किसानों की समस्या हल हो सकती है और न गरीबों की समस्या हल हो सकती है। इसलिए किसान की फसल के मूल्य और गरीबों को मिलने वाले अनाज, दोनों के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए किसानों को अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए और गरीब को सस्ता अनाज मिले, यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं वजीरे खजाना का तहेदिल से शुक्रगुजार हूं और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने देश के लिए एक ऐसा बजट दिया जो वाकई यहां के करोड़ों अवाम की तमन्नाओं और आरजुओं का आइनादार है और इस बात को साबित कर दिया कि श्री राजीव गांधी की सरकार गरीब के लिए है और यहां के उस इन्सान के लिए है जिसको इस वक्त तक इन्साफ नहीं मिलता था उस मंजिल की तरफ एक मुअस्सर कदम यह बजट लाकर उठाया है। इनमें एक तो डेफिसिट को कम कर दिया गया है जिससे इन्फ्लेशन को रोका गया है और उसके साथ हमारा जो टैम्पो है डवलपमेंट का उसको भी बराबर जारी रखा है। इन्डस्ट्रीज में माडनाईजेशन और प्रोडक्शन की तरफ भी तवज्जुह दी गई है। जैसा बाकी सारे मुअज्जिज मेम्बरान कांग्रेस ने कहा कि इस बजट की क्या-क्या सेलियंट फीचर्स हैं, मुझे उसमें अब जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रदेश की सरकारें हैं, उनको उन स्कीमों को जो यहां से खसूसन रोजगार के सिलसिले में और गरीबी हटाए जाने के सिलसिले में योजनाएं हैं उनको तेजी से चलाने के लिए तवज्जुह दी जानी चाहिए और उनमें जो खामियां हैं उनको दूर किए जाने पर जोर देना चाहिए। महज यह बात नहीं है कि सिर्फ पैसा खर्च होना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि पैसा दुरुस्त तौर पर खर्च हो और उसके लिए जो मौजूदा तरीके हैं, उनको भी बदलना चाहिए, मानीटरींग होनी चाहिए ताकि यहां से जो ग्रांट जाए, जो रकम खर्च करने के लिए दी जाए, वह पूरी तरह और दुरुस्त खर्च की जाए। हिन्दुतान करोड़ों इन्सानों की आबादी का मुल्क है और हमारे कांस्टीच्यूशन ने यह गारन्टी दी है कि सबको एकसा मौका मिलेगा, इसको यकसांतौर पर किया जाना चाहिए। पिछले चालीस वर्षों के दौरान कुछ इनइक्वलिटीज बराबरी रही हैं, वे इलाकी तौर पर भी और रियास्ती सतह पर भी हैं। आज मैं वजीरेखजाना से यह दरख्वास्त करूंगा कि जरूरत इस बात की है कि हम इस असर का जायजा लें कि कौन से स्टेट, कौन से इलाके पसमान्दा हैं और उनको आगे ले जाने के लिए क्या मुअस्सर कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने लिया वह लेता ही रहा और जिसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिले। ये जो बदली हुई मूर्तियां हैं इनको ठीक करना चाहिए।

मैं आपके सामने जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं। आपने हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, लेकिन यह दर्जा देने से भी हमारी गुरबत दूर नहीं हो सकी। जब तक आप ऐसे साधन मुहैया नहीं कराएंगे जिससे हमारी गुरबत को दूर करने में मदद मिले तब तक वहां गरीबी रहेगी। हमारे देश में अन्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90 प्रतिशत ग्रांट और 10 फीसदी कर्जा दिया जाता है जबकि हमारे राज्य को 70 फीसदी कर्जा और 30 फीस ग्रांट देते हैं। जब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि यह भेदभाव दूर किया जाये तो आप यह फरमाते हैं कि यह महज नोशनल या फर्जी इमोशनल है। अगर नोशनल होता तो उसका असर हमारी योजना पर न पड़ता। जो छठी पांच सालाना योजना थी उसमें इसकी वजह से नान-प्लान घाटा 215.24 करोड़ का रहा, इसी तरह से सातवी पंचवर्षीय योजना के लिए नान प्लान घाटा 438 रहा। इसकी वजह से 1400 करोड़ आपने सातवीं योजना के लिए दिए उसमें से हमें 55 प्रतिशत स्टैपअप हुआ यानि हमें सिर्फ 900 करोड़ मिला। ऐसा दूसरे विशेष दर्जा

प्राप्त राज्यों के साथ नहीं होता है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि भारत सरकार को इस तरफ तवज्जोह देनी चाहिए और हमारे साथ वही सूलूक किया जाना चाहिए जो अन्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के साथ होता है। इसी तरह से हमें कैपिटल असेट्स मेनेटैनेंस करने के लिए पैसा नहीं मिलता। हमें सातवें प्लान में 1400 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इसमें से मेनटेनेंस के लिए हमने 215 करोड़ खर्च किए, जो 7वें पांच साला मंसूबे में से काट लिए गए। इस तरह जब तक आप इन्फ्रास्ट्रक्चर हमें न दें हमारे विकास के लिए उस वक्त तक हम आगे कैसे जा सकते हैं। हमारे यहां रेल लाइन सिर्फ जम्मू तक है। जम्मू से आगे ऊधमपुर तक जो ट्रैक जाता है श्रीमती इन्दिरा गांधी के ऐलान के मुताबिक जो उन्होंने 1982 में किया था कि यह 1986 तक यह पूरी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 13 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं और मुझे उम्मीद नहीं कि वह 21वीं सदी में भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह हमारी मीन्स आफ कम्युनिकेशन एण्ड ट्रांसपोर्ट के जराय है वह कहना काफी है, इसके बिना भी हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है। कैसे वहां के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे यहां श्रीनगर हवाई अड्डे की समस्या को भी हल किया जाए, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय मांग है कि उसे इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए लेकिन उसमें भी पूरी तवज्जोह नहीं दी जा रही है। वायुदूत के सम्बन्ध में भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। हमारा जम्मू-कश्मीर दुनिया में प्रसिद्ध है टूरिज्म के क्षेत्र में, लेकिन उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तरक्की देने के लिए पूरी तवज्जोह नहीं दी जा रही है। हमने कहा था कि श्रीनगर को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करार दीजिए ताकि चार्टर्ड उड़ानें भी वहां जाएं और लोगों को फायदा हो। आप पब्लिक सैक्टर को लीजिए इस पर सात हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं देश के स्तर पर, लेकिन हमारा हिस्सा इसमें 0.2 प्रतिशत है, यह मैं आपकी दी हुई सूचना के मुताबिक बता रहा हूं। यह नाइन्साफी नहीं तो और क्या है ... इसलिए आपको इन बातों की तरफ तवज्जह देनी चाहिए। हमारे यहां लगभग 20 हजार मेगावाट बिजली तैयार करने के इस वक्त साधन मौजूद हैं: चेनाब है, झेलम है, जिनसे काफी बिजली तैयार की जा सकती है लेकिन इसे बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि हमारी बिजली की प्रोजेक्टस को एन्वायरनमैंट मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरैंस नहीं मिलती। मैं मानता हूं कि देश में एन्वायरनमैंट को बचाने की बहुत जरूरत है, लेकिन स्कीमों को क्लियरैंस देने में सालों नहीं लगने चाहिए, हमें बिजली की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है। कहने को हमारे यहां बगलमार प्रोजैक्ट है, सावलकोल प्रोजैक्ट है, जिनकी आपने मंजूरी दी है, उन पर दो साल से प्री-कन्सट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन बिल्कुल नफी के बराबर काम हो रहा है क्योंकि उसे अभी तक क्लियरैंस नहीं मिली है, इकोलौजिकल क्लियरैंस देने में देरी की जा रही है। इसकी वजह से सारे काम पिछड़ रहे हैं। हमें एनर्जी की बहुत जरूरत है परन्तु हम अपने साधनों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जबकि जराय मौजूद हैं। हमारे यहां टूरिज्म, दस्तकारी, मेवे आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए लेकिन इस वास्ते कोई काम नहीं होता कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में केवल एक लाइफलाइन है, एक ही रोड़ है, जो बारिश के दिनों में 15-15 दिनों तक बन्द रहती है। वहां के अवाम के साथ किस तरह आप इन्साफ कर पाएंगे।

मैं ये बातें इलैक्टोरल कन्सीडरेशन से नहीं कह रहा हूं बल्कि हमें सारे हालात पैट्रियटिक कन्सीडरेशन से समझने चाहिए। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है, अंग है। यदि वहां के लाखों लोग दुख-दर्द में हैं तकलीफ में हैं, तो हमें भी उसका दुख होना चाहिए। आज वहां के नौजवानों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि वे बेकार है, बेरोजगार है। अलहैदगी पसन्द अनासर और फिरकेपरस्त जमातें गुमराह करने की कोशिश में लगी हैं। आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने देश की यक्सां तौर पर तरक्की में कामयाबी हासिल कर सकें। आज तरक्की कहीं ज्यादा हुई है और कहीं कम, यह नाबराबरी लाजमी फौरी तौर पर दूर करने की तरफ तवज्जह देनी चाहिए।

[شری محمد ایوب خاں (اودھم پور) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں آپ کا شکرگذار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں وزیر خزانہ کا تہہ دل سے شکرگذار ہوں اور انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے دیش کے لیے ایک ایسا بجٹ دیا جو واقعی یہاں کے کروڑوں عوام کی تمناؤں اور آرزوؤں کا آئینہ دار ہے اور اس بات کو ثابت کرہ یا کہ شری راجیو گاندھی کی سرکار غریب کے لیے ہے اور یہاں کے اس انسان کے لیے ہے جسکو اس وقت تک انصاف نہیں ملتا تھا اس منزل کی طرف ایک مؤثر قدم یہ بجٹ لاکر اٹھایا گیا ہے۔ اس میں ایک تو ڈیفیسٹ کو کم کر دیا گیا ہے جس سے انفلیشن کو روکا گیا ہے اور اسکے ساتھ ہمارا جو بیٹیو ہے ڈیویلپمنٹ کا اسکو بھی برابر جاری رکھا ہے۔ انڈسٹریز میں ماڈرنائزیشن اور پروڈکشن کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے۔ جیسا باقی سارے معزز ممبران کانگریس نے کہا کہ اس بجٹ کی کیا کیا سیلینٹ فیچرس ہیں۔ مجھے اس میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پردیش کی سرکاریں ہیں ان کو ان اسکیموں کو جو یہاں سے خصوصاً روزگار کے سلسلے میں اور غریبی ہٹائے جانے کے سلسلے میں یوجنائیں ہیں ان کو تیزی سے چلانے کے لیے توجہ دی جانی چاہیے اور ان میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کئے جانے پر زور دینا چاہیے۔ محض یہ بات نہیں ہے کہ صرف پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ پیسہ درست طور پر خرچ ہو اور اسکے لیے جو موجودہ طریقے ہیں ان کو بھی بدلنا چاہیے مانیٹرنگ ہونی چاہیے تاکہ یہاں سے جو گرانٹ جائے جو رقم خرچ کرنے کے لیے دی جائے وہ پوری طرح اور درست خرچ کی جائے۔ ہندوستان کروڑوں انسانوں کی آبادی کا ملک ہے

اور ہمارے کانسٹی ٹیوشن نے یہ گارنٹی دی ہے کہ سب کو یکساں مواقع ملیں گے اُ ۔۔
یکساں طور پر کیا جانا چاہئے۔ پچھلے چالیس سالوں کے دوران کچھ ان اکوالٹی (نابرابری)
رہی ہے وہ علاقائی طور پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی ہے۔ آج میں وزیر خزانہ سے یہ
درخواست کرونگا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس امر کا جائزہ لیں کہ کون سے
اسٹیٹ کون سے علاقے پسماندہ ہیں اور انکو آگے لے جانے کے لیے کیا موثر قدم
اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے زیادہ لیتا ہی رہا اور جسکو کچھ نہیں ملا اسکو
کچھ نہ ملے۔ یہ جو بدلی ہوئی صورت ہے ان کو ٹھیک کرنا چاہیئے۔

میں آپ کے سامنے جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے ہماری ریاست کو
خصوصی ریاست کا درجہ دیا ہے لیکن یہ درجہ دینے سے بھی ہماری غربت دور نہیں ہو سکی
جب تک آپ ایسے ذرائع مہیا نہیں کرائیں گے جس سے ہماری غربت کو دور کروانے
میں مدد ملے تب تک وہاں غریبی رہے گی۔ ہمارے دیش میں دوسرے مخصوص درجہ
حاصل کرنیوالی ریاستوں کو نوے فیصد گرانٹ اور دس فیصدی قرضہ دیا جاتا ہے۔
جبکہ ہماری ریاست کو ستر فیصدی قرضہ اور تیس فیصدی گرانٹ دیتے ہیں۔ جب
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بھید بھاؤ دور کیا جائے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ محض
نوشنل یا فرض ہے اگر موشنل ہوتا تو اس کا اثر ہماری یوجنا پر نہ پڑتا۔
جو چھٹا پانچ سالہ منصوبہ تھا اسمیں اسکی وجہ سے فنانس پلان گھاٹا ۲۴ ، ۲۱۵
کروڑ کا رہا اس طرح سے ساتویں پانچ سالہ منصوبہ کے لیے فنانس پلان گھاٹا ۴۳۸ رہا
اسکی وجہ سے ۱۴۰۰ کروڑ آپ نے ساتویں منصوبے کے لیے دیئے اس میں سے ہمیں

۵۵ فی صد اسٹیٹ پلان ہوا یعنی ہمیں صرف ۹۰۰ کروڑ ملا۔ ایسا دوسرے مخصوص درجہ حاصل کرنے والی ریاستوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کیپٹل ایسٹس مینٹین کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملتا۔ ہمیں ساتویں منصوبے میں ۱۴۰۰ کروڑ روپے ملے لیکن اس میں سے مینٹیننس کے لیے ہم نے ۲۱۵ کروڑ خرچ کیے ساتویں پانچ سالہ منصوبہ میں سے کاٹے گئے۔ اسی طرح جب تک آپ انفراسٹرکچر ہمیں نہ دیں ہمارے ترقی کے لیے اس وقت تک ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریل لائین صرف جموں تک ہے۔ جموں سے آگے ادھم پور تک جو ٹریک جاتا ہے شریمتی اندرا گاندھی کے اعلان کے مطابق جو انہوں نے ۱۹۸۲ میں کیا تھا کہ یہ ۱۹۸۶ تک پوری ہو جائیگی لیکن اس وقت تک صرف تیرہ کروڑ روپے اسپر خرچ ہوئے ہیں اور مجھے امید نہیں کہ وہ اکیسویں صدی میں بھی پوری ہو جائیگی۔ اسی طرح ہماری کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں وہ ناکافی ہیں ان کے بنا بھی ہماری ریاست کیسے آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیسے وہاں کے پچھڑے پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں سرینگر ہوائی اڈے کے مسئلہ کو بھی حل کیا جائے کیونکہ ہماری دیرینہ مانگ ہے کہ اسے انٹرنیشنل ایرپورٹ بنایا جائے۔ لیکن اس میں بھی پوری توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ وائیو دوت سے متعلق بھی وہیں وہاں کو ڈیپرانس کیا گیا۔ ہمارا جموں کشمیر دنیا میں ٹورزم کے لیے مشہور ہے لیکن اسکو عالمی سطح پر ترقی دینے کے لیے پوری توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ سرینگر کو انٹرنیشنل ہوائی اڈہ قرار دیجیے تاکہ چارٹرڈ اڑانیں بھی وہاں جائیں اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ پبلک سیکٹر کو لیجیے اسپر سات ہزار کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں دیش کے سطح پر لیکن ہمارا حصہ اسمیں ۴۶ فیصد ہے یہ میں آپ کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق بتا رہا ہوں۔

یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلیئے آپکو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیئے۔ ہمارے یہاں لگ بھگ بیس ہزار میگا واٹ بجلی تیار کرنے کے اسوقت ذرائع موجود ہیں۔ چناب سے جہلم ہے جن سے کافی بجلی تیار کی جا سکتی ہے لیکن اسے بدقسمتی ہی کہا جائیگا کہ ہماری بجلی کے پراجیکٹس پر اینوائرمینٹ منسٹری کی طرف سے کلیرینس نہیں ملتی۔ میں مانتا ہوں کہ دیش میں اینوائرمینٹ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے لیکن اسکیموں کو کلیرینس دینے میں سالوں نہیں لگنے چاہیئں۔ ہمیں بجلی کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بگلیہار پروجیکٹ ہے، ساول کوٹ پروجیکٹ ہے جن کو آپ نے منظوری دی ہے ان پر دو سال سے پری کانسٹرکشن ورک Pre-Construction Work چل رہا ہے۔

لیکن بالکل نہیں کے برابر کام ہو رہا ہے کیونکہ ان کو ابھی تک کلیرینس نہیں ملی ہے۔ ایکولوجیکل کلیرینس دینے میں دیری کی جا رہی ہے۔ اسکی وجہ سے سارے کام پچھڑ رہے ہیں۔ ہمیں اینرجی کی بہت ضرورت ہے لیکن ہم اپنے ذرائع کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، جب کہ ذرائع موجود ہیں۔ ہمارے ٹورزم دستکاری میوے وغیرہ کو بڑھاوا دیا جانا چاہیئے لیکن اس واسطے کوئی کام نہیں ہوتا کہ جموں اور سری نگر کے بیچ میں صرف ایک ہی لائن ہے ایک ہی روڈ ہے جو بارش کے دنوں میں پندرہ پندرہ دنوں تک بند رہتی ہے۔ وہاں کے عوام کے ساتھ کس طرح آپ انصاف کر پائیں گے۔ میں یہ باتیں ایلیکٹورل کنسیڈریشن سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمیں سارے حالات پیٹریاٹک کنسیڈریشن سے دیکھنے چاہیئں۔ جموں کشمیر ہمارے دیش کا ایک حصہ ہے اٹوٹ انگ ہے اگر وہاں کے لاکھوں لوگ دکھ درد میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی اسکا دکھ ہونا چاہیئے۔ آج وہاں کے نوجوانوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ

وہ بیکار ہیں بے روزگار ہیں - علیحدگی پسند عناصر فرقہ پرست جماعتیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگی ہیں - آپکو اسکی طرف دھیان دینا چاہیئے تاکہ ہم اپنے دیش کی یکساں طور پر ترقی میں کامیابی حاصل کر سکیں - آج ترقی کہیں زیادہ ہوئی اور کہیں کم یہ نابرابری لازمی طور پر دور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے -

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे सामने जो बजट पेश किया गया है, बहुत बैलैन्स्ड बजट है, शानदार बजट है, और इन्डस्ट्री, लेबर हर दृष्टि से अच्छा बजट है। यदि हमारे कुछ इलाके बैकवर्ड हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, वहां से जो नुमाइन्दे चुनकर यहां आते हैं, विधान सभाओं में जाते हैं, उनका कसूर है। मैं जब पंजाब राज्य में लेबर मिनिस्टर रहा तो मैंने पण्डित जवाहर लाल नेहरू से मिलकर अपने राज्य में लैंड रिफार्म्स कराया था, उन दिनों पंजाब और हरियाणा इकट्ठा थे। उसी का परिणाम है कि आज वहां कोई लेबर दिखायी नहीं देती। वहां जितने मजदूर काम करते हैं, सब राजस्थान या बिहार से आते हैं जो वहां सड़कें बनाते हैं, रिक्शा चलाते हैं चण्डीगढ़ में या दूसरे काम करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमैंट का इसमें कोई कसूर नहीं मानता। हम मैम्बर्स ऑफ पालियामैंट और एम० एल० एज० को मिलकर अपने इलाकों के विकास के लिए लड़ाई करनी चाहिए ताकि वहां सब व्यवस्था ठीक रहे। यदि वहां के नुमाइन्दे ठीक हों तो सारी व्यवस्था ठीक रहती है। आपको इन्डस्ट्री के मामले में लड़ाई करनी चाहिए, दूसरे कामों के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि सैन्ट्रल गवर्नमैंट से अधिक से अधिक पैसा मिल सके। आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ले जाएगा। यदि हम यहां बैठ कर कहते रहें कि हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, तो उससे क्या फायदा : भाई, तुम क्या करते हो। जब जनता ने तुम्हें नुमाइन्दे बनाकर भेजा है तो तुम लड़ाई करो, केन्द्रीय सरकार से पैसा लेने का प्रयत्न करो। यदि हम यही सोचकर बैठे रहेंगे कि हमारे कपड़े अच्छे हैं, इसलिए वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे काम नहीं चलने वाला है।

मेरे इलाके में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास जमीन न हो। जलंधर, हरियाणा और पंजाब में मैंने अकेले ही लड़ाई की और पं० जवाहर लाल नेहरू से लड़कर के वहां के सब लोगों को जमीन दिलवाई। वहां कोई आदमी अनएम्पलाइड भी नहीं है। वहां जो कमी है हरिजन आदिवासी जो लोग हैं यदि उनको कोई तकलीफ है, तो वह उनके नुमाइन्दे का कसूर है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में ला एण्ड आर्डर दो-तीन जिलों में नहीं है। वहां जो हमारे लोग रहते हैं उनसे हम रोज रात को टेलीफोन कर के पूछते हैं कि मर गए या जिन्दा हो। इस हालत को ठीक करना चाहिए। अभी राय साहब पटियाला गए थे, फौरन सारा मामला ठीक हो गया। इसी प्रकार से शांति कायम करनी चाहिए। आज पंजाब में शांति नहीं है। हमें रात भर फिक्र लगी रहती है और सुबह उठते ही न्यूज पेपर उठाकर पढ़ते हैं जिससे पता लग सके कि हमारे कितने आदमी मर गए। अभी अमृतसर से एक आदमी आया है, उससे पूछा, वहां टेलीफोन किया कि मर गए या बचे हो। इसको ठीक करना चाहिए।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का ताल्लुक है इसके अन्तर्गत हर जगह बड़ा शानदार काम हुआ है। इसमें कोई जरा भी शक नहीं है कि इसके अन्दर अच्छा काम हुआ है। जैसा बैलेंस्ड बजट यह बना है इसके लिए मुझे मंत्री महोदय की तारीफ करनी है। इस बजट में कोई कमजोरी नहीं है। अगर कहीं कोई कमी है, तो यह वहां के नुमाइन्दों की कमी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब में मिनिस्टर रहा हूं। हरिजनों में कमी है। ये लोग बिक जाते हैं। जब तक खुद अपनी हालात नहीं बदलेंगे, तब तक उनकी हालात कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। लेबर की कोई हालत नहीं बदल सकता है। सबसे पहले लेबर को स्वयं अपनी हालत बदलनी होगी। जब तक लेबरों में जान नहीं आएगी तब तक कोई उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले उनको अपनी हालत सुधारानी होगी।

अभी जम्मू-कश्मीर के एक माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे कि उनको बड़ा दर्द होता है क्योंकि उनको सेन्टर से हिस्सा कम मिलता है। मेरा उनसे कहना है कि वे अपनी सरकार के साथ जम्मू और कश्मीर में लड़ाई लड़ें। उनसे कहें कि वे ज्यादा हिस्से की मांग करें। वहां के जो एम० एल० ए० और एम० पी० हैं उनको चाहिए कि वे जम्मू और कश्मीर सरकार से कहें कि वहां के लिए ज्यादा हिस्सा दें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसे देने हैं वे दिए हैं। ज्यादा पैसा लेने के लिए वहां की सरकार से वहां के नुमाइन्दों को लड़ाई करनी चाहिए। मैंने भी पंजाब में इसी ढंग से किया आज स्थिति यह है कि पंजाब में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जमीन न हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें बिलकुल आराम नहीं करना चाहिए रोटी रज के नहीं खानी चाहिए। जब तक सब लोगों को आराम न हो तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो बजट है, यह बड़ा शानदार बजट है। इन शब्दों के साथ मैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया है और वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद अच्छा बजट बनाने के लिए देता हूं।

श्री मनकूराम सोडी (बस्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। जो बजट प्रस्तुत हुआ है, यह देश के लिए लोकप्रिय बजट माना जाएगा क्योंकि जितनी आइटम गरीबों के लिए इसमें दी गई हैं, इसके पहले के बजट में उन पर उतना गहराई से ध्यान नहीं दिया जाता था।

इस बजट में सबसे पहले गरीबी दूर करने और रोजगार के लिए जो जवाहरलाल रोजगार योजना नाम से एक नई योजना शुरू की गई है उनमें प्रारम्भ में इसके लिए 5 अरब रुपए की व्यवस्था की गई है। इसे बहुत ज्यादा बेरोजगारी वाले 120 पिछड़े जिलों में शुरू किया जाएगा। मेरा निवेदन है इन 120 जिलों में ऐसे जिले लिए जाएं जो वास्तव में विकास के मामले में एकदम पिछड़े हुए हैं। इन इलाकों के पिछड़ने का कारण शिक्षा है। शिक्षा की कमी की वजह से इलाके आज पिछड़ी हुई स्थिति में है, चाहे वह आर्थिक रूप में हो या सामाजिक रूप में हों या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो। वहां पर शिक्षा की कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। वहां की शिक्षा को बेहतर किया जाए।

मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में उप-योजना क्षेत्र में जहां पर आज लड़के पढ़ रहे हैं उन दूरदराज के इलाकों में आज 40 साल के बाद भी मुश्किल से लड़के हाई-स्कूल पास हुए हैं। वहां के गांव वाले यह समझते हैं कि हाई स्कूल की शिक्षा में पास होने के कारण हमारा कम-से-कम एक लड़का नौकरी पाने का हकदार हुआ लेकिन वह हकदार लड़का भी जब चुनाव होता है, चयन के लिए है तो वह उसमें सक्सेजफुल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह थर्ड डिवीजन में पास हुआ है, कम्पीटीशन के स्तर पर

फस्टं और सैकिंड डिवीजन वाले जगह मार जाते हैं। गांव के दूरदराज क्षेत्र में रहने वाला मुश्किल से हाई स्कूल पास लड़का भी कम्पीटीशन में नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में उस इलाके के रहने वालों में ऐसी भावना बनती जा रही है कि हम लड़कों को पढ़ा कर क्या करें, उसकी भी बेरोजगार वालों में गिनती आ जाएगी। इस तरह से बेरोजगारी का मसला पढ़ने-लिखने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है और उस इलाके के लोगों को हम दूसरों के मुकाबले नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी जगह में सीमित दायरे के अन्दर चुनाव के केन्द्र बनाए जाएं, उप-सम्भाग स्तर पर ताकि उस चुनाव में वहां के लोग लिए जा सकें। यदि उस चुनाव केन्द्र को पूरे प्रदेश स्तर या जिला स्तर पर रख दिया तो कभी भी ऐसे लड़के नहीं आ पाएंगे और ऐसे क्षेत्रों को हम शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए निहायत जरूरी है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में आश्रम व्यवस्था की जाए। क्योंकि वहां पर आश्रम व्यवस्था न करके हमने गांव-गांव में स्कूल खोल दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर लड़के और गुरु जी अटेंड नहीं करते। लड़के वहां पर हैं तो गुरु नहीं हैं और गुरु हैं तो लड़के नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वहां की पढ़ाई के बारे में देश को आज चिन्ता है। उस जगह आश्रम व्यवस्था सबसे बेहतर होगी और उस आश्रम व्यवस्था में हम लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे।

6.00 म० प०

उसके बाद ऐसे क्षेत्रों में आवागमन की कमी होती है। रायपुर से लेकर बस्तर के आखिरी छोर तक यदि भोपाल पटनम जाना है तो 500 किलोमीटर बाई रोड जाना पड़ता है। जनता कंजम्पशन की चीजें यदि बाई रोड 500 किलोमीटर ले जाएंगे तो उसका किराया अत्यधिक भारी बैठेगा। वह बहुत भारी पड़ेगा। उस किराये भाड़े के बाद फिर उन गरीबों को देना है जिनके पास रोजी का कोई साधन नहीं है। गरीब आदमी जिस अंधेरे में और जिस दूरी पर आज रह रहे हैं उसे मिटाना होगा। आवागमन के साधनों के कमी की वजह से वे बेचारे गरीब मारे जा रहे हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपना सामान बेचने के लिए बाजार नहीं मिल पाता है। 400-500 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें जो बाजार उपलब्ध हो पाता है उनका सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता है। आज वह गरीब दोनों तरफ से मारा जा रहा है। आवागमन के साधनों की कमी जिन पिछड़े क्षेत्रों में है उनको आप दूर करें। आप एक तरफ तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन, मीटर लाइन से बड़ी लाइन देते हैं और फिर डबल लाइन, फिर बिजली लाइन और बिजली लाइन से अन्डरग्राउन्ड लाइन तक दे देते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहां के पिछड़े इलाकों को पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। अगर कहीं सड़क बनती है तो वहां पुलिया नहीं होती है। इस प्रकार का असंतुलन है। उस असंतुलन को अवश्य पाटना होगा। आप तो जानते हैं कि वहां नक्सलवादी गतिविधियां पहुंच गई हैं अगर इन गतिविधियों को आप रोकना चाहते हैं तो आप इन पिछड़े इलाकों का विकास करिए। ऐसे क्षेत्रों में आवागमन के दृष्टिकोण से अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।

जहां पर रा-मैटिरियल है, खदानें हैं, मिनरल्स हैं और टीन लोहा आदि हैं उन सब का आप वहां से एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। अगर आप भविष्य में वहां कोई कारखाना नहीं डालेंगे तो लोगों के मन में ऐसी भावना आएगी कि क्या यह सम्पदा दूसरों के लिए ही रह गया है। जो आने वाली पीढ़ी है वह कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके यहां की सम्पदा को कहीं बाहर भेजा जाए। अगर आप वहां कोई बड़ा कारखाना नहीं खोल सकते हैं तो कम से कम छोटा कारखाना तो खोल दीजिए ताकि स्थानीय लोगों को रोजी-रोटी मिल सके।

हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है। जहां पर भी बांध बनाने की बात आती है वहां आपका 1980 का पर्यावरण कानून आड़े आ जाता है। इसी वजह से कहीं भी तालाब तक खुद नहीं पाता है। आपके पास 5-10 ऐसी स्कीमें आई हैं लेकिन आपने उनको अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। बोधघाट प्रोजेक्ट तो गया। मालूम नहीं उसका क्या हुआ। लेकिन जो छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं हैं या जो माइनर या मीडियम योजनायें हैं और जो पांच साल से पड़ी हुई है उनको आप स्वीकृति दीजिए।

वह एरिया जहां हिन्दुस्तान का सबसे अधिक यानी कि 65 प्रतिशत जंगल है उस जंगल एरिया में छोटे-छोटे बांध बनाइए। अगर पर्यावरण के नाम से वह नहीं बनेंगे तो वहां के स्थानीय लोग जंगल काटने के लिए बाध्य हो जायेंगे। अभी तो आपको सहयोग दे रहे हैं लेकिन आने वाले समय में वह इन सब को काट देंगे। छोटी-छोटी जो स्कीमें आ रही हैं लोकहित की स्कीमों को जल्दी क्लियरेंस देनी चाहिए ताकि सिंचाई की व्यवस्था आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से जो बिजली की व्यवस्था है उसमें भी जब तक दूर-दराज के गांव में बिजली नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप किसानों को, पढ़े-लिखे लोगों के लिए रोजी-रोटी और रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। मेरी आप से एक प्रार्थना है कि बिजली सम्बन्धी बोधघाट योजना में जो भी कमीबेशी हो, उसको देखकर के जल्दी से क्लियरेंस मिलनी चाहिए क्योंकि अभी वह योजना 600-700 करोड़ की है। लेकिन आगे चलकर एक हजार करोड़ की हो जाएगी। अभी समय है, मौका है और आगे इस योजना को बनाना ही पड़ेगा। इसलिए यदि समय रहते, यह योजना बनती है, तो उससे लोगों का ज्यादा हित होगा। पिछड़े इलाके के विकास के लिए पॉवर उपलब्ध इससे हो सकेगी। इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 14 मार्च, 1989/23, फाल्गुन 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट, मैन्यु० क० (प्रेस विभाग), अजमेरी गेट, दिल्ली-6